एडिटोरियल

(संग्रह)

जून 2025

C-171/2, Block-A, Sector-15, Noida

641, Mukherjee Nagar, Opp. Signature View Apartment, New Delhi

21, Pusa Road, Karol Bagh New Delhi

Tashkent Marg, Civil Lines, Prayagraj, Uttar Pradesh

Tonk Road, Vasundhra Colony, Jaipur, Rajasthan

Burlington Arcade Mall, Burlington Chauraha, Vidhan Sabha Marg, Lucknow

12, Main AB Road, Bhawar Kuan, Indore, Madhya Pradesh

E-mail : care@groupdrishti.in

Phone: +91-87501-87501

अनुक्रम

- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिये भारत की नीति 3
- भारत की क्रिटिकल मिनरल आपूर्ति शृंखला का सुदृढ़ीकरण 7
- भारत के विनिर्माण भविष्य की पुनर्कल्पना 12
- भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में परिवर्तन 18
- भारत की समृद्ध जैवविविधता 23
- भारत की माध्यमिक शिक्षा में सुधार 30
- भारत में न्यायिक उत्तरदायित्व का सुदृढ़ीकरण 34
- भारतीय कृषि में सुधार 39
- भारत के फार्मास्युटिकल परिदृश्य का पुनरुद्धार 45
- समावेशी आर्थिक विकास के लिये भारत की नीति 50
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम: आर्थिक समृद्धि के स्तंभ 55
- चुनावी प्रक्रिया में सुधार 59
- भारत-यूरोपीय संघ (EU) की रणनीतिक साझेदारी का भविष्य 64
- पश्चिम एशिया संघर्ष और भारत के हित 70
- स्वच्छ-प्रौद्योगिकी के माध्यम से आर्थिक विकास का मार्ग 76
- लैंगिक समानता की ओर भारत का मार्ग 83
- भारत में एक विश्वसनीय कार्बन बाज़ार का निर्माण 89
- भारत के पारिस्थितिकी-समुत्थानशीलन का निर्माण 94
- भारत में विकास-रोज़गार का अंतर 100
- भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी समन्वय 104
- भारत के शैक्षिक भविष्य का निर्माण 109
- अंतरिक्ष अन्वेषण: पृथ्वी के भविष्य की कुंजी 115
- जनजातीय अस्मिता: सांस्कृतिक विरासत से सशक्त भविष्य तक 120
- अभ्यास प्रश्न 128

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिये भारत की नीति

यह एडिटोरियल 30/05/2025 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "The road to Universal Health Coverage in India" पर आधारित है। इस लेख में आयुष्मान भारत के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिये किये जा रहे प्रयासों को सामने लाया गया है, साथ ही यह भी रेखांकित किया गया है कि अभी भी लगभग 40 करोड़ लोग स्वास्थ्य बीमा से वंचित हैं। यह लेख इस बात पर बल देता है कि तेज़ी से बढ़ते निजी स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ-साथ प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सार्वजनिक निवेश को भी सुदृढ़ करना आवश्यक है।

भारत अपनी स्वास्थ्य सेवा यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है, आयुष्मान भारत पहल **ने वर्ष 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज** को लक्षित किया है, जबकि निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र वर्ष 2026 तक **अनुमानित 610 बिलियन डॉलर तक तेज़ी से विस्तार** कर रहा है। आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय **को 60-70% से घटाकर 39.4% करने की प्रगति** के बावजूद, लगभग 400 मिलियन भारतीयों के पास अभी भी स्वास्थ्य बीमा कवरेज नहीं है, विशेष रूप से **आउट पेशेंट (बाह्य रोगी) देखभाल** को प्रभावित करता है, जो स्वास्थ्य सेवा पर होने वाले व्यय का दो-तिहाई हिस्सा है। आगे की राह के लिये **निजी क्षेत्र के विकास को निवारक और प्राथमिक देखभाल में मज़बूत सार्वजनिक निवेश के साथ संतुलित करने की आवश्यकता** है ताकि क्रय शक्ति के बजाय आवश्यकता के आधार पर स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हाल ही में हुए प्रमुख विकास क्या हैं?

- **आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से विस्तार:** सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और तृतीयक सुविधाओं पर भार कम करने के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को सुदृढ़ करना महत्त्वपूर्ण है।
  - आयुष्मान भारत पहल के तहत मार्च 2024 तक **1.7 लाख से अधिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का कायाकल्प** इस फोकस का उदाहरण है।
  - ये केंद्र समग्र स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करते हुए **योग और आयुष** सहित निवारक, प्रोत्साहन एवं पुनर्वास देखभाल को एकीकृत करते हैं।
    - वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 तक AAM में **46.6% की CAGR** से वृद्धि हुई।
- **सार्वजनिक अस्पतालों की वृद्धि में वृद्धि:** सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवा वितरण **बुनियादी अवसंरचना की उपलब्धता पर निर्भर** करता है; इसलिये, सार्वजनिक अस्पतालों की वृद्धि से सुगम्यता और सामर्थ्य में सुधार होता है।
  - **वर्ष 2005 में 7,008 अस्पतालों से वर्ष 2021 में 60,621 तक**, भारत ने **सार्वजनिक अस्पतालों में 14.4% की CAGR दर्ज** की, जो बड़े पैमाने पर बुनियादी अवसंरचना के विस्तार को दर्शाती है।
  - इस विस्तार से शहरी अस्पतालों पर दबाव कम हुआ है और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की सुगम्यता में भी सुधार हो रहा है, जो समतापूर्ण स्वास्थ्य परिणामों के लिये महत्त्वपूर्ण है।

Number of government hospitals

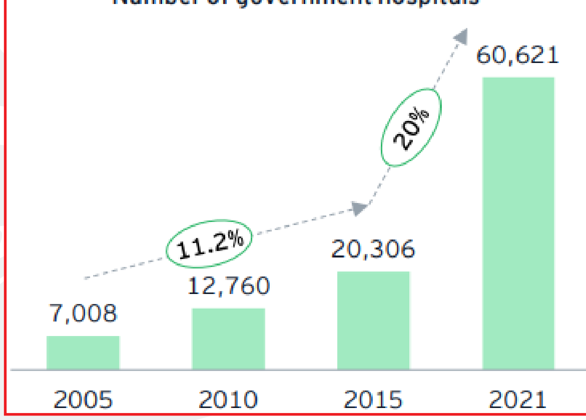

- **स्वास्थ्य सेवा वितरण में डिजिटल परिवर्तन:** डिजिटल उपकरण स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं, दक्षता, पारदर्शिता और डेटा-संचालित निर्णय लेने में सुधार कर रहे हैं।
  - **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन,** Co-WIN, आरोग्य सेतु **और** ई-संजीवनी जैसी पहलों ने लाखों लोगों को डिजिटल रूप से जोड़ा है, जिससे टेलीमेडिसिन एवं महामारी के शमन में सुधार हुआ है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री (HPR)** पर 2.96 लाख से अधिक स्वास्थ्य पेशेवर पंजीकृत हैं, जिससे देश भर में अंतर-संचालनीय डिजिटल सेवाएँ संभव हो रही हैं।

- **PM-JAY के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार:** वित्तीय जोखिम संरक्षण और व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवरेज, विनाशकारी खर्चों को कम करने के लिये आवश्यक हैं।
  - **PM-JAY लगभग 15 करोड़ परिवारों को कवरेज** प्रदान करता है, जिसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष, 1,900 पैकेजों के साथ द्वितीयक एवं तृतीयक देखभाल शामिल है तथा इसमें कोई पूर्व-मौजूदा स्थिति अपवर्जन नहीं है।
  - अब तक **81,979 करोड़ रुपए मूल्य के 6.5 करोड़ अस्पताल में भर्ती की अनुमति** दी गई है, जो पैमाने और प्रभाव को दर्शाता है।

- **रोग निगरानी और रोकथाम पर अधिक ध्यान:** संचारी रोगों का शीघ्र पता लगाना और रोकथाम स्वास्थ्य प्रणाली पर बोझ को कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - वर्ष 2004 से क्रियाशील एकीकृत **रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP)** प्रकोप की त्वरित प्रतिक्रिया के लिये सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को सुदृढ़ करता है।
  - जननी सुरक्षा योजनाओं के साथ मिलकर ये कार्यक्रम रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के उपयोग और गुणवत्ता मानकों में वृद्धि:** सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में बढ़ता विश्वास स्पष्ट है, क्योंकि वर्ष 2014 के बाद से सरकारी अस्पतालों की OPD एवं IPD की हिस्सेदारी में **25% से अधिक की वृद्धि** हुई है, जो बेहतर पहुँच एवं सामर्थ्य को दर्शाता है।
  - अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिये **राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों (NQAS)** के कार्यान्वयन से मानक सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित होती है तथा राष्ट्रव्यापी स्तर पर रोगी सुरक्षा एवं संतुष्टि को बढ़ावा मिलता है।

- **बढ़ता फार्मास्युटिकल उद्योग और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र:** भारत का फार्मा क्षेत्र, जिसे 'विश्व की फार्मेसी' कहा जाता है, वर्ष 2030 तक **130 बिलियन डॉलर के अनुमानित बाज़ार आकार के साथ विस्तार** कर रहा है, जिससे **किफायती पहुँच और निर्यात को बढ़ावा** मिलेगा।
  - चिकित्सा उपकरण नीति-2023 घरेलू विनिर्माण क्षमता एवं गुणवत्ता को बढ़ाती है तथा आयात निर्भरता को कम करने एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिये मेक इन इंडिया और **आत्मनिर्भर भारत** पहलों के साथ संरेखित करती है।

- **सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवा कार्यबल और शिक्षा:** पर्याप्त, कुशल कार्यबल गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ है; इसलिये, **भारत ने चिकित्सा और नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा** दिया है।
  - पंजीकृत नर्सों की संख्या वर्ष 2005 में **14.81 लाख से बढ़कर वर्ष 2022 में 36.14 लाख हो गई (CAGR ~4.9%),** जबकि एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या 6.6 लाख से बढ़कर 13.08 लाख हो गई (CAGR ~ 4.1%)।
  - **वित्त वर्ष 2023 के बजट में 157 नए नर्सिंग कॉलेजों** से कार्यबल की कमी और भारतीय नर्सों की वैश्विक मांग को पूरा किया जाएगा।

भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की प्रभावशीलता में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय:** कम और असमान सार्वजनिक व्यय से बुनियादी अवसंरचना, कार्यबल एवं स्वास्थ्य सेवा में गुणवत्ता सुधार में बाधा आती है।
  - भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) (सत्र 2022-23) का सिर्फ 2.1%** है, जो 15वें वित्त आयोग **द्वारा अनुशंसित 2.5% से कम** है।
  - इससे बढ़ती मांग के बावजूद **महत्त्वपूर्ण सेवाओं का विस्तार सीमित** हो जाता है। कई विकसित देश **स्वास्थ्य के लिये सकल घरेलू उत्पाद का 5-10% आवंटित** करते हैं, जो भारत की कम निवेश चुनौती को रेखांकित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

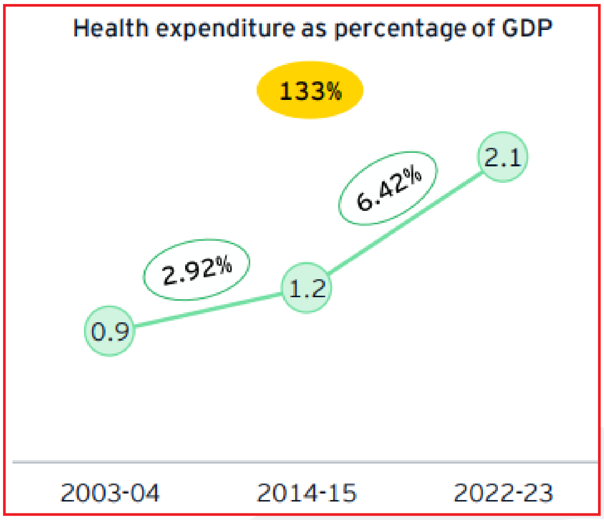

- **निरंतर उच्च आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE):** उच्च OOPE वित्तीय कठिनाई का कारण बनता है और लाखों लोगों के गरीबी का करण बनता है, जिससे कमज़ोर आबादी के लिये स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच सीमित हो जाती है।
  - प्रगति के बावजूद, **OOPE 39.4% पर** बना हुआ है, जिसमें बाह्य रोगी देखभाल पर होने वाला **व्यय दो-तिहाई** है।
  - **अकेले दवाओं का योगदान OOPE में 67% से अधिक** है, जो किफायती दवाओं और बीमा कवरेज विस्तार की आवश्यकता पर बल देता है।
    - **एकसमान मानकों के अभाव** और अनियंत्रित व्यावसायीकरण के परिणामस्वरूप गुणवत्ता में भिन्नता एवं लागत अधिक होती है।
- **अपर्याप्त बीमा कवरेज और बाह्य रोगी देखभाल पर ध्यान:** लगभग **400 मिलियन भारतीय बीमा** से वंचित हैं (विशेष रूप से बाह्य रोगी व्यय के लिये) जो स्वास्थ्य देखभाल लागतों पर हावी है।
  - **PM-JAY मुख्य रूप से अस्पताल में भर्ती मरीजों को कवर करता है,** जिससे बाह्य रोगी और दीर्घकालिक देखभाल को कवर नहीं किया जाता है, जिससे वहनीयता एवं शीघ्र हस्तक्षेप प्रभावित होता है।
  - व्यापक कवरेज में अंतर वर्ष 2030 तक **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज लक्ष्यों में बाधा** डालता है।
- **स्वास्थ्य सेवा कार्यबल का विषम वितरण और कमी:** यद्यपि डॉक्टरों और नर्सों की संख्या में वृद्धि हुई है, फिर भी **शहरी-ग्रामीण और सार्वजनिक-निजी असंतुलन** बहुत अधिक है, जो पहुँच एवं गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है।
  - यद्यपि **भारत का डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:854** है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक 1:1000 से बेहतर है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी भारी कमी है तथा एकीकृत चिकित्सा की बढ़ती मांग के बावजूद **पंजीकृत आयुष चिकित्सकों का अभी भी कम उपयोग** हो रहा है।
    - इसके अलावा, निजी सुविधाएँ मुख्यत: **शहरी और समृद्ध आबादी को ही लाभ** पहुँचाती हैं, जिससे असमानताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **सार्वजनिक सुविधाओं में बुनियादी अवसंरचना की कमी और गुणवत्ता का अंतर:** हालाँकि सार्वजनिक अस्पतालों का विस्तार हुआ है, लेकिन कई अस्पताल अभी भी **अपर्याप्त बिस्तरों, उपकरणों और रखरखाव से पीड़ित** हैं, जिससे मरीजों की स्थिति प्रभावित हो रही है।
  - भारत में **अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या प्रति 1,000 की आबादी पर लगभग 0.5** है, जो **विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रति 1,000 आबादी पर 3 बिस्तरों के मानक से काफी कम** है।
  - **राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों (NQAS) के बावजूद,** विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में गुणवत्ता में अंतर बना हुआ है।
- **निवारक और प्राथमिक देखभाल पर सीमित ज़ोर: स्वास्थ्य सेवा, निवारक और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के बजाय** उपचारात्मक तृतीयक देखभाल की ओर झुकी हुई है।
  - **गैर-संचारी रोगों (NCD) के कारण अब 60% से अधिक मौतें** हो रही हैं, फिर भी रोकथाम के उपाय अपर्याप्त हैं।
  - स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को सुदृढ़ बनाने का कार्य जारी है, लेकिन इसमें **तेज़ी लाने और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के साथ एकीकरण की आवश्यकता** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **डिजिटल स्वास्थ्य एकीकरण में डेटा गोपनीयता के मुद्दे:** जबकि डिजिटल स्वास्थ्य पहल में प्रगति हुई है, **अंतर-संचालनीयता, डेटा गोपनीयता और समावेशन अभी भी मुद्दे** बने हुए हैं।
  - उदाहरण के लिये, भारतीय स्वास्थ्य सेवा उद्योग को वर्ष 2022 में 1.9 मिलियन से अधिक साइबर हमलों का सामना करना पड़ा। पिछले पाँच वर्षों में भारत भर में हुए प्रमुख साइबर अटैक में **AIIMS दिल्ली और सफदरजंग अस्पताल** सहित अस्पताल शामिल थे।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बढ़ाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क को सुदृढ़ और एकीकृत करना: आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को जीवंत केंद्रों में** परिवर्तित करना चाहिये जो न केवल व्यापक प्राथमिक देखभाल प्रदान करें बल्कि **स्वच्छता (स्वच्छ भारत), पोषण (पोषण अभियान) और शिक्षा पहलों के साथ तालमेल भी बिठाते हों।**
  - यह एकीकृत मॉडल स्वास्थ्य निर्धारकों को समग्र रूप से बढ़ाएगा, रोग का शीघ्र पता लगाने को बढ़ावा देगा तथा तृतीयक देखभाल के बोझ को महत्त्वपूर्ण रूप से कम करेगा।
  - मज़बूत रेफरल संपर्क बनाना तथा **प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और उच्चतर केंद्रों में निर्बाध डेटा प्रवाह** सुनिश्चित करना देखभाल की निरंतरता एवं पहुँच में समानता को संस्थागत बना सकता है।
- **स्वास्थ्य कार्यबल क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव: ग्रामीण सेवा बॉण्ड,** त्वरित कॅरियर प्रगति और वित्तीय पुरस्कारों को शामिल करते हुए एक प्रोत्साहन-संचालित पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाया जाना चाहिये, ताकि वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य पेशेवरों को बनाए रखा जा सके।
  - **चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम को सामुदायिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप** बनाया जाना चाहिये तथा **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन** जैसी योजनाओं के माध्यम से आयुष चिकित्सकों सहित बहुविषयक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के लिये प्रशिक्षण को शामिल किया जाना चाहिये।
  - इससे भारत के महामारी विज्ञान संबंधी संक्रमण और जनसांख्यिकीय विविधता के अनुरूप एक **लचीला, बहुमुखी कार्यबल** तैयार होगा।
- **बाह्य रोगी, निवारक और दीर्घकालिक देखभाल को समग्र रूप से कवर करने के लिये सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा का विस्तार करना:** भारत **बाह्य रोगी निदान, दवाओं और निवारक जाँच को शामिल करने के लिये PM-JAY एवं बीमा योजनाओं पर पुनर्विचार** (केवल प्रारंभिक चरणों में सबसे कमज़ोर वर्ग के लिये) **कर सकता है,** जिससे **आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय के बड़े हिस्से** से निपटा जा सके।
  - दीर्घकालिक रोगों के प्रबंधन, हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करने तथा अस्पताल में भर्ती होने की संख्या कम करने के लिये शीघ्र मॉड्यूलर बीमा उत्पाद शुरू किया जाना चाहिये।
  - यह प्रतिमान बदलाव सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिये वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करते हुए **वित्तीय जोखिम सुरक्षा** सुनिश्चित करेगा।
- **डिजिटल निगरानी के साथ निजी स्वास्थ्य सेवा के लिये एकीकृत नियामक कार्यढाँचा:** निजी प्रदाताओं के बीच **व्यापक गुणवत्ता मानकों, नैतिक मूल्य निर्धारण और शिकायत निवारण को लागू करने** के लिये सशक्त एक केंद्रीकृत नियामक प्राधिकरण बनाया जाना चाहिये।
  - रियल टाइम मॉनिटरिंग और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये इस कार्यढाँचे को ABDM एवं अस्पताल मान्यता निकायों जैसे डिजिटल स्वास्थ्य पहलों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिये।
  - इस तरह के **सामंजस्य से विश्वास बढ़ेगा, शोषणकारी प्रथाओं में कमी आएगी** और समान स्वास्थ्य सेवा वितरण को बढ़ावा मिलेगा।
- **डेटा-सक्षम, रोगी-केंद्रित देखभाल को बढ़ावा देना:** पूर्वानुमानित रोग मॉडलिंग, संसाधन अनुकूलन और व्यक्तिगत देखभाल मार्गों के लिये AI-संचालित एनालिटिक्स से जुड़े अंतर-संचालनीय डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन में तेज़ी लाया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- ABDM के अंतर्गत स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री और स्वास्थ्य देखभाल सुविधा रजिस्ट्री पर **स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और सुविधाओं का 100% पंजीकरण** सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- इसके साथ ही, नागरिकों का विश्वास बढ़ाने और एथिकल डेटा उपयोग को बढ़ावा देने के लिये **कड़े डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा कार्यढाँचे** को लागू किया जाना चाहिये।

- **फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों में नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना: चिकित्सा उपकरण नीति-**2023 के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिये तथा **ऑर्गन बायोप्रिंटिंग, रोबोटिक्स और AI डायग्नोस्टिक्स** जैसी अग्रणी प्रौद्योगिकियों के लिये अनुसंधान एवं विकास निधि में वृद्धि की जानी चाहिये।
  - भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाने के लिये आपूर्ति शृंखलाओं में पिछड़े एकीकरण को सुगम बनाया जाना चाहिये तथा विनियामक अनुमोदन को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिये।
  - इन पहलों को **मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन के साथ जोड़कर** भारत को किफायती, उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवा नवाचार के वैश्विक केंद्र में बदलना चाहिये।

स्वास्थ्य सेवा में भारत अन्य देशों से क्या सीख ले सकता है?

- **सार्वभौमिक प्राथमिक देखभाल पहुँच:** समुदाय-आधारित प्राथमिक देखभाल कवरेज के लिये ब्राज़ील की परिवार स्वास्थ्य रणनीति को अपनाना चाहिये।
- **कुशल स्वास्थ्य वित्तपोषण: आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय** को कम करने के लिये थाईलैंड की सार्वभौमिक कवरेज योजना से सीख लेनी चाहिये।
- **डिजिटल स्वास्थ्य एकीकरण:** निर्बाध डेटा साझाकरण के लिये एस्टोनिया की राष्ट्रव्यापी ई-स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रणाली का अनुकरण करना चाहिये।
- **सार्वजनिक-निजी सहयोग:** जर्मनी के विनियमित निजी बीमा और सार्वजनिक प्रणाली तालमेल का अध्ययन करना चाहिये।
- **निवारक स्वास्थ्य फोकस:** फिनलैंड के सफल गैर-संचारी रोग निवारण कार्यक्रमों को शामिल करना (**उत्तरी करेलिया परियोजना**) चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत का स्वास्थ्य सेवा परिवर्तन **सतत् विकास लक्ष्य 3** (उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली) **के साथ संरेखित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति** दर्शाता है। प्रतिक्रियात्मक देखभाल से निवारक देखभाल की ओर बढ़ने के लिये भारत को अपने निजी स्वास्थ्य क्षेत्र की तीव्र वृद्धि को प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणालियों में सार्वजनिक निवेश, डिजिटल एकीकरण एवं स्वास्थ्य कार्यबल के विस्तार के साथ संतुलित करना आवश्यक है। एक जन-केंद्रित, समावेशी और समुत्थानशील स्वास्थ्य देखभाल पारितंत्र अनिवार्य है, ताकि वर्ष 2030 तक सभी के लिये **समतामूलक पहुँच एवं वित्तीय संरक्षण** सुनिश्चित किया जा सके।

भारत की क्रिटिकल मिनरल आपूर्ति शृंखला का सुदृढ़ीकरण

यह एडिटोरियल 02/06/2025 को बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित "India's critical mineral challenge threatens its 2030 economic goals" पर आधारित है। इस लेख में भारत के क्रिटिकल मिनरल्स पर आयात निर्भरता के खतरों को उजागर किया गया है, क्योंकि चीन द्वारा दुर्लभ मृदा तत्त्वों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति शृंखलाओं के लिये संकट उत्पन्न कर सकते हैं।

चीन द्वारा दुर्लभ मृदा चुंबकों (तत्त्वों) के निर्यात पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंधों ने **भारत के बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्र के लिये आपूर्ति संबंधी चिंताएँ** उत्पन्न कर दी हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि **देश क्रिटिकल मिनरल्स के लिये आयात पर**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

अत्यधिक निर्भर है। यद्यपि **भारत के पास कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्त्वों जैसे क्रिटिकल मिनरल्स का पर्याप्त भंडार** है, **फिर भी देश ने पारंपरिक रूप से अन्वेषण और प्रसंस्करण अवसंरचना के विकास पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया** है। यह आयात-निर्भरता लिथियम, ग्रेफाइट एवं प्राकृतिक हाइड्रोजन और थोरियम जैसे उभरते संसाधनों सहित अन्य आवश्यक खनिजों तक भी विस्तृत है। चूँकि **भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर** है, इसलिये खनिज आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित करने तथा **आयात-निर्भरता को घटाने के लिये देश में स्वदेशी खनन एवं प्रसंस्करण क्षमताओं का विकास अत्यावश्यक** है।

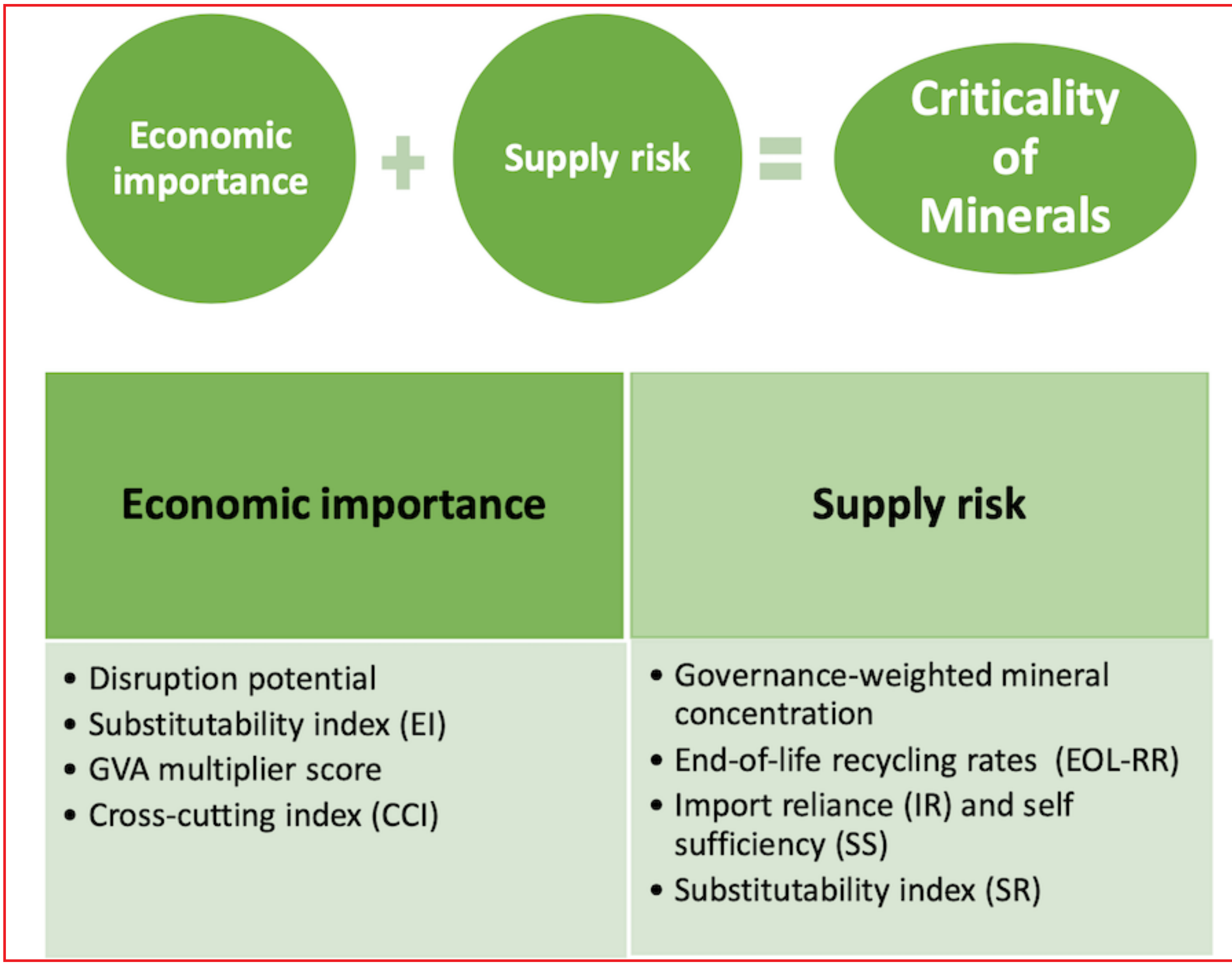

भारत की विकास यात्रा में क्रिटिकल मिनरलों की क्या भूमिका है?

- **नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार को गति देना:** सोलर पैनल और पवन टरबाइनों के निर्माण में प्रयुक्त महत्त्वपूर्ण खनिज — जैसे कि सिलिकॉन, टेल्यूरियम एवं रेयर अर्थ एलिमेंट्स (दुर्लभ मृदा तत्त्व) **भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों की आधारशिला** हैं।
  - भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य वर्ष 2030 तक **50% गैर-जीवाश्म ऊर्जा** प्राप्त करना है, जो कि **मुख्य रूप से इन खनिजों पर निर्भर करता है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025
SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

- उदाहरण के लिये, भारत की सौर ऊर्जा क्षमता वर्ष 2024 में 64 गीगावाट तक पहुँच जाएगी, जबकि पवन ऊर्जा क्षमता वर्ष 2030 तक 42 गीगावाट से बढ़कर 140 गीगावाट हो जाएगी। इससे **जलवायु परिवर्तन लक्ष्य को पूरा करने के लिये इन खनिजों की भारी माँग** उत्पन्न होती है।

- **इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल (EV) के केंद्र स्थापित करने के लिये इलेक्ट्रानिक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) का केंद्र होना आवश्यक है।**
  - वर्तमान में, **भारत में 100% लिथियम और कोबाल्ट का आयात** होता है, जिसमें **चीन 70% से अधिक लिथियम आयात की आपूर्ति** करता है। यह आपूर्ति भारत के EV उद्योग के विकास को बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- **इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को सुदृढ़ करना:** गैलियम, जर्मेनियम और इंडियम जैसे खनिज सेमीकंडक्टर एवं उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मूलभूत घटक हैं (**IndiaAI मिशन** और **सेमीकंडक्टर मिशन**), जो भारत की उच्च-प्रौद्योगिकी निर्माण में आत्मनिर्भरता की लक्ष्यपूर्ति के लिये अत्यंत आवश्यक हैं।
  - **भारत इन खनिजों के लिये लगभग पूरी तरह से आयात पर निर्भर** है, विशेषकर चीन से।
  - हाल ही में **मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप** जैसे रणनीतिक साझेदारियों में सम्मिलित होने के माध्यम से भारत इन खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने और **घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयासरत** है।

- **राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा क्षमता में वृद्धि: टाइटेनियम, दुर्लभ मृदा तत्त्व और निकेल** जैसे खनिज, एयरोस्पेस, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रणनीतिक उपकरण निर्माण के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
  - भारत का रक्षा क्षेत्र इन खनिजों के लिये आयात पर अत्यधिक निर्भर है — टाइटेनियम के लिये 50% से अधिक और **दुर्लभ मृदा तत्त्वों के लिये भी भारी मात्रा में निर्भरता** है।
  - सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय नीलामी प्रणाली, **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये इन क्रिटिकल मिनरल्स पर नियंत्रण** को सुदृढ़ करती है।

- **आर्थिक वृद्धि और रोज़गार को प्रोत्साहन:** क्रिटिकल मिनरलों का देश में खनन और प्रसंस्करण, **खनिज-समृद्ध क्षेत्रों में औद्योगिक विकास एवं रोज़गार सृजन को गति** दे सकता है।
  - **राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन का** लक्ष्य वर्ष 2031 तक **10,000 कुशल श्रमिकों को प्रशिक्षित करना** और **1,200 अन्वेषण परियोजनाएँ** शुरू करना है।
  - वेदांता और ओला इलेक्ट्रिक जैसी **कंपनियों की भागीदारी वाली नीलामियाँ निजी क्षेत्र की बढ़ती सक्रियता को दर्शाती हैं,** जिससे **स्थानीय अर्थव्यवस्थाएँ मज़बूत होती हैं तथा आयात पर निर्भरता घटती है।**

भारत की क्रिटिकल मिनरल आपूर्ति शृंखला से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **चीन पर अत्यधिक निर्भरता:** भारत की **क्रिटिकल मिनरल आपूर्ति शृंखला अत्यधिक रूप से चीन पर निर्भर** है, जिससे एक ऐसा **भू-राजनीतिक दबाव** उत्पन्न होता है जो **राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिये गंभीर खतरा** बन गया है।
  - **लिथियम** (82% आयात हिस्सा), **बिस्मथ** (85.6%) और **सिलिकॉन** (76%) जैसे खनिजों **का अधिकांश हिस्सा चीन से आयात** होता है, जिससे **भारत द्विपक्षीय तनावों के बीच आपूर्ति-हस्तक्षेप की स्थिति में अत्यधिक सुभेद्य** हो जाता है।
  - हाल ही में चीन द्वारा दुर्लभ मृदा तत्त्वों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध इस निर्भरता की सुभेद्यता को उजागर करते हैं।

- **घरेलू अन्वेषण और नीलामी में अवरोध:** पर्याप्त खनिज भंडार होने के बावजूद भारत में खनन गतिविधियाँ **प्रशासनिक अड़चनों और अनाकर्षक नीलामी संरचनाओं** से बाधित हैं, जो **निजी निवेश को हतोत्साहित करती हैं।**
  - वर्ष 2023 के बाद से 100 से अधिक क्रिटिकल मिनरल्स खनिज खंडों की नीलामी की गई है, परंतु कई खंड अब भी बिना खरीदार के हैं। जून 2024 की 18 नीलामियों में से 14 तकनीकी बोलियों के अभाव में रद्द कर दी गईं, जो **उद्योग में व्याप्त संदेह** को दर्शाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- जम्मू और कश्मीर में मिट्टी के रूप में लिथियम जैसी जटिल खनिज संरचनाएँ **उच्च प्रारंभिक जोखिम पूंजी की माँग** करती हैं, जिससे **अन्वेषण कार्य और अधिक कठिन** हो जाता है।
- **खनिज प्रसंस्करण और परिष्करण पारितंत्र का अल्पविकास:** भारत की **आपूर्ति शृंखला की सबसे बड़ी बाधा इसकी नगण्य खनिज प्रसंस्करण क्षमता** है, जिसके कारण देश को **कच्चे अयस्क का निर्यात** करना पड़ता है और **महंगे परिष्कृत खनिजों का आयात करना पड़ता है।**
  - चीन, **दुर्लभ मृदा तत्त्वों की प्रसंस्करण क्षमता का 87%** और **लिथियम परिष्करण का 58% नियंत्रित करता है,** जिससे उसे वैश्विक आपूर्ति शृंखला पर प्रभुत्व प्राप्त है।
  - भारत की IREL, जिसकी **वार्षिक क्षमता 6 लाख टन** है, **बैटरी-ग्रेड खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं** है, जिससे देश की स्वदेशी **EV (इलेक्ट्रिक वाहन) और सेमी कंडक्टर निर्माण की महत्त्वाकांक्षाओं में विलंब** हो रहा है।
    - यह प्रसंस्करण अंतर घरेलू स्तर पर 'मूल्य संवर्द्धन' की संभावना को क्षीण कर देता है।
- **पर्यावरणीय और सामाजिक-राजनीतिक चुनौतियाँ:** खनन परियोजनाओं को पारिस्थितिक क्षरण, प्रदूषण और जनजातीय समुदायों के विस्थापन के कारण बढ़ती जाँच एवं विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परियोजनाओं में विलंब हो रहा है।
  - अनेक **महत्त्वपूर्ण खनिज भंडार पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील** और जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं, जहाँ **पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ प्राप्त करना अत्यंत कठिन** है।
  - राजस्थान की दुर्लभ मृदा तत्त्व परियोजनाएँ ऐसी ही **जटिलताओं के कारण ठप** पड़ी हुई हैं। यदि ठोस ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) ढाँचे एवं समुदाय-आधारित सहभागिता नहीं अपनाई जाती, तो विरोध और अधिक तीव्र हो सकता है, जिससे खनन अनुज्ञाएँ तथा आपूर्ति सुरक्षा खतरे में पड़ सकती हैं।
- **अस्थिर वैश्विक बाज़ार मूल्य और निवेश जोखिम:** क्रिटिकल मिनरलों के **मूल्य में तीव्र और अनिश्चित उतार-चढ़ाव** नीति-निर्माताओं एवं विनिर्माताओं के लिये **बड़ी चुनौती** प्रस्तुत करते हैं।
  - उदाहरणस्वरूप, वर्ष 2022 में 400% से अधिक की वृद्धि के बाद **लिथियम की कीमत वर्ष 2023 में 75% तक गिर गई** और कोबाल्ट की कीमत वर्ष 2022 के **शीर्ष स्तर से दो-तिहाई तक कम** हो गई है (विश्व आर्थिक मंच)।
  - भू-राजनीतिक तनाव और निर्यात नियंत्रण के कारण आपूर्ति में व्यवधान के कारण **कीमतों में उतार-चढ़ाव बढ़ जाता है।**
    - इस प्रकार की अस्थिरता हरित तकनीक परियोजनाओं की लागत को बढ़ाती है, बजट नियोजन को जटिल बनाती है और **भारत के नवीकरणीय ऊर्जा तथा EV लक्ष्यों हेतु आवश्यक दीर्घकालिक निवेश को हतोत्साहित करती है।**
- **तकनीकी कमी और मानव पूंजी अंतराल:** उन्नत खनन और लाभकारी प्रौद्योगिकियाँ गहरे एवं जटिल भंडारों के दोहन के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन भारत में **बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी व कुशल जनशक्ति दोनों का अभाव** है।
  - **राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन की 10,000 श्रमिकों को प्रशिक्षित करने की योजना** इस **समस्या का समाधान** करती है, लेकिन वर्तमान कमी के कारण **परियोजना की समयसीमा धीमी** हो रही है।
  - **रियासी में मिट्टी से लिथियम** निष्कर्षण के लिये परिष्कृत **हाइड्रोमेटलर्जिकल विशेषज्ञता की आवश्यकता** होती है, जो घरेलू स्तर पर उपलब्ध नहीं है, जिससे **आयात पर निर्भरता** बढ़ती है तथा रणनीतिक स्वायत्तता में विलंब होता है।
- **नवीन चक्रीय अर्थव्यवस्था और पुनर्चक्रण अवसंरचना:** क्रिटिकल मिनरलों के लिये भारत का पुनर्चक्रण कार्यढाँचा अविकसित है, जिससे **ई-अपशिष्ट और निष्प्रयुक्त बैटरियों से इन खनिजों की पुनर्प्राप्ति सीमित** रह जाती है। यह स्थिति न केवल खनिजों के आयात-निर्भरता को बढ़ाती है, बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव को भी तीव्र करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यद्यपि सरकार ने लिथियम, कोबाल्ट जैसे 24 **क्रिटिकल मिनरल्स के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने के लिये ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना** की घोषणा की है, फिर भी वर्तमान पुनर्चक्रण अवसंरचना अत्यंत सीमित एवं अल्प-प्रभावी है।
- **चीन और यूरोप द्वारा बैटरी स्क्रैप (ब्लैक मास) के निर्यात** पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भारत को द्वितीयक कच्चे माल की उपलब्धता में कठिनाई हो रही है, जिससे सतत् एवं आत्मनिर्भर चक्रीय खनिज अर्थव्यवस्था की दिशा में **देश की प्रगति अवरुद्ध** हो रही है।

भारत अपनी क्रिटिकल मिनरल आपूर्ति शृंखला को मज़बूत करने के लिये क्या उपाय अपना सकता है?

- **विनियामक कार्यढाँचे को सुव्यवस्थित करना और खनिज नीलामी प्रक्रियाओं को सरल बनाना:** भारत को **अन्वेषण और खनन पट्टों के तीव्र अनुदान को सक्षम करने**, प्रशासनिक विलंब को कम करने तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिये अपने **खनन कानूनों में सुधार एवं आधुनिकीकरण** करना चाहिये।
  - **एकल खिड़की मंज़ूरी और डिजिटल भूमि एवं पर्यावरण अनुमोदन** शुरू करने से परियोजना निष्पादन में तेज़ी आ सकती है।
  - **अन्वेषण-सह-खनन अधिकार जैसे** लचीले नीलामी मॉडल से फर्मों को खोजे गए भंडारों का खनन करने की अनुमति देकर निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। इससे जोखिम पूंजी आकर्षित होगी तथा घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
- **एकीकृत खनिज प्रसंस्करण पार्क: घरेलू स्तर पर मूल्यवर्द्धित उत्पाद बनाने** के लिये उन्नत लाभकारी और शोधन प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित समर्पित खनिज प्रसंस्करण केंद्रों का विकास करना चाहिये।
  - इन पार्कों से **खनन, प्रसंस्करण और विनिर्माण इकाइयों की एक साथ स्थापना** में सुविधा होगी, जिससे लॉजिस्टिक्स में सुधार होगा तथा लागत में कमी आएगी।
  - **सार्वजनिक-निजी भागीदारी और प्रौद्योगिकी अंतरण समझौते** क्षमता निर्माण में तेज़ी ला सकते हैं। यह एकीकरण आपूर्ति शृंखला के समुत्थानशक्ति को बढ़ाएगा और आयातित परिष्कृत खनिजों पर निर्भरता को कम करेगा।
- **वैकल्पिक सामग्रियों के लिये अनुसंधान एवं विकास में भारी निवेश:** भारत के विशिष्ट भूविज्ञान के अनुरूप **क्रिटिकल मिनरलों के विकल्प और पर्यावरण-अनुकूल निष्कर्षण तकनीकों को** विकसित करने के लिये अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
  - शिक्षा जगत, उद्योग और सरकारी अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग से कम लागत वाली, संधारणीय खनन एवं पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है।
  - मिट्टी से लिथियम जैसे जटिल स्रोतों से खनिज निष्कर्षण की तकनीक को प्राथमिकता देने से **अप्रयुक्त घरेलू भंडारों** को खोला जा सकेगा। इससे आयात पर निर्भरता और पर्यावरणीय प्रभाव कम होगा।
- **रणनीतिक खनिज भंडारण और आपूर्ति शृंखला विविधीकरण:** वैश्विक आपूर्ति में आने वाले व्यवधानों और मूल्य अस्थिरता से सुरक्षा के लिये आवश्यक खनिजों के रणनीतिक भंडार का सृजन एवं रख-रखाव किया जाना चाहिये।
  - इसके साथ ही, चीन के अतिरिक्त अन्य संसाधन-समृद्ध देशों के साथ द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय साझेदारियों को सुदृढ़ करके आयात स्रोतों में विविधता लाई जानी चाहिये।
  - स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये **दीर्घकालिक ऑफ-टेक समझौतों और संयुक्त उद्यमों को संस्थागत** रूप दिया जाना चाहिये। यह दोहरा दृष्टिकोण **भू-राजनीतिक जोखिमों को कम करते हुए निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित** करता है।
- **विकास कौशल और विशेष कार्यक्रम प्रशिक्षण को बढ़ावा देना:** एक दक्ष कार्यबल विकसित करने हेतु व्यापक क्षमतावर्द्धन पहलों की शुरुआत की जानी चाहिये, जो उन्नत खनन, खनिज प्रसंस्करण और पर्यावरण प्रबंधन में कुशल हो।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स' (IoT)** जैसी उभरती तकनीकों को सम्मिलित किया जाना चाहिये, ताकि सटीक खनन को प्रोत्साहन मिले।
- स्थानीय विशेषज्ञता को शीघ्र उन्नत करने के लिये वैश्विक उत्कृष्टता केंद्रों से सहयोग किया जाना चाहिये। औद्योगिक उत्कृष्टता और घरेलू खनिज महत्त्वपूर्ण उद्यमों को बढ़ाने के लिये एक मज़बूत प्रतिभा संयंत्र महत्त्वपूर्ण है।

- **मान्यता प्राप्त पुनर्चक्रण के साथ-साथ वृत्ताकार उद्योग को बढ़ावा देना:** ई-अपशिष्ट, बैटरी के स्क्रैप और खनन से उत्पन्न अपशिष्ट से **क्रिटिकल मिनरल्स की पुनर्प्राप्ति हेतु** वित्तीय अनुदानों एवं नियामकीय समर्थन के साथ नीतियाँ तैयार की जानी चाहिये।
  - प्रमाणित पुनर्चक्रण अवसंरचना की स्थापना की जानी चाहिये तथा देशभर में अपशिष्ट संग्रहण तंत्र को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिये।
  - **'शहरी खनन'** तकनीकों में नवाचार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये और **विनिर्माण में न्यूनतम पुनर्चक्रित सामग्री के मानकों को अनिवार्य** बनाया जाना चाहिये। इससे **मूल खनिजों की मांग में कमी आएगी और पर्यावरणीय प्रभाव घटेगा।**
- **आपूर्ति शृंखला प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता हेतु डिजिटल तकनीकों का उपयोग:** खनिजों की उत्पत्ति, गुणवत्ता और आपूर्ति शृंखला में गति की निगरानी हेतु **ब्लॉकचेन एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफॉर्म** अपनाए जाने चाहिये, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी तथा अवैध खनन एवं व्यापार में कमी आएगी।
  - रियल-टाइम डेटा एनालिसिस से भंडारण प्रबंधन का अनुकूलन और आपूर्ति-मांग में असंतुलन का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।
  - डिजिटलीकरण से नियामकीय अनुपालन सरल होता है, निवेशकों का विश्वास बढ़ता है और भारत की 'जिम्मेदार स्रोत-प्राप्ति' (responsible sourcing) में वैश्विक साख मज़बूत होगी।

निष्कर्ष:

भारत की क्रिटिकल मिनरल आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित करना उसकी स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण है। आयात निर्भरता को कम करने और स्थिरता स्थापित करने के लिये समग्र उपाय—जिनमें **नियामक सुधार, उन्नत संसाधन प्रक्रमण, रणनीतिक विविधीकरण और चक्रीय अर्थव्यवस्था की पहल** शामिल हैं, अति आवश्यक हैं। एक **सक्रिय एवं समेकित दृष्टिकोण भारत को क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और अग्रणी देश के रूप में स्थापित करेगा।**

भारत के विनिर्माण भविष्य की पुनर्कल्पना

यह एडिटोरियल 04/06/2024 को द लाइवमिंट में प्रकाशित "Manufacturing is crying out for a reality check" पर आधारित है। इस लेख में विश्व स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की चुनौतियों को उजागर किया गया है, विशेषतः स्वचालन/ऑटोमेशन और चीन की अति-उत्पादन समस्या के संदर्भ में। यह इस बात पर बल देता है कि भारत को एक विविधीकृत विकास मॉडल अपनाना चाहिये, जिसमें विनिर्माण के साथ-साथ सेवाक्षेत्र और कुशल कार्यबल जैसी अपनी शक्तियों का भी लाभ उठाया जाये।

वैश्विक स्तर पर **विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को** उस समय **चुनौती का सामना करना पड़ रहा है** जब स्वचालन (Automation) श्रम की आवश्यकता को कम कर रहा है, वहीं चीन जैसे देशों को **इलेक्ट्रिक वाहन जैसे क्षेत्रों में अति-उत्पादन और वित्तीय अक्षमताओं की समस्याओं से** जूझना पड़ रहा है। भारत के विनिर्माण सेक्टर के लिये, यह वैश्विक अनुभव महत्त्वपूर्ण सीख देता है क्योंकि **देश का उद्देश्य रोज़गार सृजन के साथ औद्योगिक विकास को संतुलित करना है।** सतत् औद्योगिक विकास के लिये भारत का मार्ग **चीन के विनिर्माण-प्रधान मॉडल की नकल करने में नहीं** है, बल्कि **एक विविध अर्थव्यवस्था विकसित करने में है** जो उत्पादन क्षमताओं को सेवाओं एवं कुशल कार्यबल विकास में देश के प्राकृतिक लाभों के साथ जोड़ती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025
SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि के प्रमुख चालक कौन-से हैं?

- **नीतिगत समर्थन और सरकार का प्रयास:** भारत सरकार ने उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से **विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये पर्याप्त प्रयास** किये हैं।
  - ये नीतियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र और अर्द्ध-चालक जैसे क्षेत्रों में निवेश एवं क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करती हैं।
  - अकेले PLI योजना ने नवंबर 2023 तक **1.03 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश** आकर्षित किया है ।
  - इसके अलावा, विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह **वर्ष 2014-2024 तक 69% बढ़ा,** जो नीतिगत सुधारों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।
- **जनांकिक लाभांश और श्रम शक्ति:** भारत की विशाल, युवा श्रम शक्ति, वस्त्र और परिधान जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के विकास के लिये एक महत्त्वपूर्ण चालक है।
  - **900 मिलियन की कार्यशील जनसंख्या** के साथ, देश को वैश्विक बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त प्राप्त है।
  - उदाहरण के लिये, वस्त्र और परिधान क्षेत्र लगभग **45 मिलियन लोगों को रोज़गार** देता है, जो महत्त्वपूर्ण रोज़गार अवसर प्रदान करता है।
  - इसके अतिरिक्त, गिग इकॉनमी **की वृद्धि,** जिसके वर्ष 2030 तक **230 मिलियन श्रमिकों तक पहुँचने की उम्मीद** है, विनिर्माण में और अधिक गतिशीलता जोड़ती है।
- **तकनीकी उन्नति और स्मार्ट विनिर्माण: AI, IoT और स्वचालन** जैसी **उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण** से भारत के विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ रही है तथा लागत कम हो रही है।
  - प्रतिस्पर्द्धी बने रहने के लिये कम्पनियाँ तेज़ी से **स्वचालन प्रौद्योगिकियों को एकीकृत कर रही हैं।**
  - उदाहरण के लिये, **लार्सन एंड टुब्रो** और **सीमेंस** ने गुणवत्ता में सुधार एवं विनिर्माण समय को कम करने के लिये **AI-संचालित उत्पादन प्रणालियों को लागू** किया है।
    - **विनिर्माण प्रौद्योगिकी निवेश में भारत विश्व स्तर पर अग्रणी** है, जो उन्नत उत्पादन तकनीकों की ओर बदलाव का संकेत है।
- **निर्यात वृद्धि और वैश्विक आपूर्ति शृंखला एकीकरण:** वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में भारत की बढ़ती भूमिका, विशेष रूप से **इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स एवं ऑटोमोटिव** जैसे क्षेत्रों में, विनिर्माण वृद्धि का एक प्रमुख चालक है।
  - चाइना प्लस वन रणनीति के उदय के कारण कई वैश्विक कंपनियाँ अपना उत्पादन भारत में स्थानांतरित करने लगी हैं।
  - उदाहरण के लिये, **भारत में एप्पल का उत्पादन वर्ष 2023 में 14 बिलियन डॉलर** तक पहुँच जाएगा, जो एक **उल्लेखनीय वृद्धि** है।
    - **सीमेंस, माइक्रोन और टेस्ला** जैसी वैश्विक कंपनियों ने निवेश बढ़ाया है, जिससे उच्च तकनीक विनिर्माण में भारत की स्थिति मज़बूत हुई है।
  - इसके अतिरिक्त, भारत का **विनिर्मित निर्यात सत्र 2023-24 में बढ़कर 450 बिलियन डॉलर** हो गया, जिसमें **फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स** जैसे प्रमुख क्षेत्रों ने वृद्धि को बढ़ावा दिया।
- **अवसंरचना का विकास और लॉजिस्टिक्स दक्षता: औद्योगिक पार्कों, लॉजिस्टिक्स केंद्रों और स्मार्ट शहरों** जैसे अवसंरचना में सुधार पर सरकार का ध्यान विनिर्माण विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) का लक्ष्य अगले दशक में अवसंरचना में **1.4 ट्रिलियन डॉलर का निवेश करना** है।
  - उदाहरण के लिये, **गुजरात विनिर्माण के लिये एक शीर्ष गंतव्य** बन गया है, **जहाँ सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का योगदान 45%** है तथा इसे **मज़बूत अवसंरचना और लॉजिस्टिक लाभों से सहायता** मिली है।
- **घरेलू बाज़ार में वृद्धि और उपभोग मांग: भारत के मध्यम वर्ग का उदय** और बढ़ती **घरेलू खपत विनिर्माण के लिये एक महत्त्वपूर्ण चालक** है, विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की **GDP वृद्धि दर 6.4%** रहने से घरेलू मांग आधारित विनिर्माण वृद्धि की संभावना को बल मिल रहा है।
- **भारत** वर्ष 2026 तक **तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाज़ार बनने की ओर अग्रसर** है और यह निर्माताओं के लिये बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने का एक आशाजनक अवसर प्रस्तुत करता है।

- **स्थिरता और हरित विनिर्माण: संधारणीय विनिर्माण प्रथाओं** पर भारत का ज़ोर विकास के लिये एक महत्त्वपूर्ण चालक बन रहा है।
  - राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, **स्वच्छ ऊर्जा** और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ इस क्षेत्र को नया स्वरूप दे रही हैं।
  - **वैश्विक स्तर पर हरित प्रौद्योगिकियों** और संधारणीय उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण अकेले इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाज़ार से वर्ष 2025 तक निर्यात में 1 बिलियन डॉलर का योगदान होने की उम्मीद है।

भारत की आर्थिक वृद्धि में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को कौन-से कारक सीमित कर रहे हैं?

- **अपर्याप्त अवसंरचना और रसद संबंधी चुनौतियाँ:** अविकसित अवसंरचना और रसद संबंधी बाधाएँ भारत के विनिर्माण क्षेत्र की दक्षता को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करती हैं।
  - राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) **में 1.4 ट्रिलियन डॉलर के निवेश का लक्ष्य** होने के बावजूद, सड़क, रेल और बंदरगाह संपर्क में **समस्याएँ बनी हुई** हैं।
  - लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस इंडेक्स में भारत विश्व स्तर पर **38वें स्थान** (वर्ष 2023) **पर** है, जो **चीन और वियतनाम से काफी पीछे** है।
  - इन अवसंरचना संबंधी अकुशलताओं के कारण विनिर्माण लागत में **20-30% की वृद्धि** हो जाती है, जिससे **भारत के लिये वियतनाम जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करना कठिन** हो जाता है, जो अधिक कुशल रसद प्रणाली प्रदान करते हैं।

- **विनियामक जटिलता और प्रशासनिक बाधाएँ:** भारत का विनिर्माण क्षेत्र जटिल विनियमों और बोझिल अनुपालन कार्यढाँचे के कारण **महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना** कर रहा है।
  - सुधारों के बावजूद, **प्रशासनिक अक्षमताएँ विकास में बाधा डालती रहती हैं।** उदाहरण के लिये, **ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस** रैंकिंग, हालाँकि वर्ष 2020 में **63वें स्थान पर पहुँच** गई, फिर भी **मलेशिया जैसे क्षेत्रीय प्रतिस्पर्द्धियों** से पीछे है।
  - लगातार **नीतिगत परिवर्तन** तथा **राज्य एवं केंद्रीय प्राधिकरणों से अनुमोदन में विलंब के कारण** विनिर्माताओं की परिचालन लागत और बढ़ जाती है, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता प्रभावित होती है।

- **कौशल अंतराल और श्रम की कमी:** कुशल श्रम की कमी एक सतत् मुद्दा है जो भारत के विनिर्माण क्षेत्र की उत्पादकता और विकास को सीमित करता है।
  - स्किल इंडिया जैसी पहल के बावजूद, उद्योगों द्वारा अपेक्षित कौशल और श्रम बाज़ार में उपलब्ध कौशल के बीच महत्त्वपूर्ण अंतर बना हुआ है।
    - **भारत के स्नातक कौशल सूचकांक 2025** से पता चलता है कि केवल 42.6% भारतीय स्नातक ही रोज़गार योग्य हैं।
  - **विनिर्माण क्षेत्र में भारत की श्रम उत्पादकता चीन** की तुलना में बहुत कम है। **कपड़ा और मोटर वाहन** जैसे क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की कमी है, जिससे विनिर्माता कुशलता से अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं।

- **उच्च ऊर्जा लागत और अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति:** उच्च ऊर्जा लागत और अविश्वसनीय विद्युत आपूर्ति भारतीय निर्माताओं की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में बाधा उत्पन्न करती है।
  - क्षेत्रीय प्रतिस्पर्द्धियों की तुलना में **भारत की ऊर्जा कीमतें 10-60% अधिक** हैं।
  - हालिया आँकड़ों से पता चलता है कि भारत की औद्योगिक बिजली दरें वर्ष **2025 में औसतन लगभग ₹8/kWh होंगी,** जिससे लागत में वृद्धि की आशा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- उच्च ऊर्जा व्यय एवं बिजली आपूर्ति की लगातार अस्थिरता के संयोजन से स्थिति अत्यधिक खराब हो जाती है, जिससे उद्योगों के लिये कुशलतापूर्वक संचालन करना कठिन हो जाता है।
- **आयात पर निर्भरता एवं घरेलू नवाचार का अभाव:** भारत का विनिर्माण क्षेत्र विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण कच्चे माल और उच्च तकनीक घटकों के लिये आयात पर अत्यधिक निर्भर है।
  - ऑटोमोबाइल **उद्योग** इसका प्रमुख उदाहरण है, जहाँ अभी भी बड़े पैमाने पर पुर्जे और सामग्री का आयात किया जाता है।
    - इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 24 में भारत का सेमीकंडक्टर आयात ₹1.71 लाख करोड़ तक पहुँच गया।
  - पिछले दशक में **विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई में 69%** की वृद्धि हुई है, फिर भी विनिर्माण पर भारत का अनुसंधान एवं विकास व्यय अभी भी कम है, जो सकल घरेलू उत्पाद का मात्र **0.64% है,** जबकि चीन में यह **2.4% है।**
    - स्वदेशी नवाचार की कमी दीर्घकालिक औद्योगिक आत्मनिर्भरता को सीमित करती है।
- **भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दे एवं महंगी अचल संपत्ति:** भूमि अधिग्रहण भारत में विनिर्माण विकास के लिये एक बड़ी बाधा बना हुआ है, जहाँ **जटिल प्रक्रियाएँ एवं भूमि अधिग्रहण कानून** कारखानों की स्थापना में देरी का कारण बनते हैं।
  - भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (LARR एक्ट) उचित मुआवज़ा और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करके इन मुद्दों के समाधान के लिये लाया गया था।
    - हालाँकि, इसके कार्यान्वयन को बोझिल और समय लेने वाला, निवेश में बाधा उत्पन्न करने के साथ-साथ परियोजना कार्यान्वयन को शिथिल करने वाला बताया गया है।
  - इसके अतिरिक्त, **भूमि की ऊँची कीमतें और** औद्योगिक क्षेत्रों में किफायती भूमि की सीमित उपलब्धता के कारण विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने की लागत बढ़ जाती है।
    - **उदाहरण के लिये, महाराष्ट्र** एक औद्योगिक केंद्र होने के बावजूद भूमि संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है, जिससे औद्योगिक विकास धीमा हो रहा है।
- **पर्यावरणीय विनियम एवं स्थिरता संबंधी बाधाएँ:** यद्यपि संधारणीय विनिर्माण की ओर बदलाव आवश्यक है, **लेकिन कठोर पर्यावरणीय विनियम प्रायः निर्माताओं के लिये अतिरिक्त अनुपालन लागत को जन्म देते हैं।**
  - **मेक इन इंडिया** एवं **पीएलआई योजनाओं** जैसी पहलों के बावजूद, भारत में कठोर पर्यावरण मानक निर्माताओं के लिये बाधाएँ उत्पन्न करते हैं।
  - **कपड़ा** जैसे क्षेत्रों में **प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के** अनुपालन से उत्पादन लागत लगभग **15-20% बढ़ जाती है।**
    - ये विनियमन, यद्यपि दीर्घकालिक स्थिरता के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, किन्तु ये **विशेष रूप से लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों (SME) पर बोझ डालते हैं,** तथा उनकी मापनीयता को सीमित करते हैं।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा एवं वैश्विक विनिर्माण में घटती हिस्सेदारी:** वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी **चीन** और **वियतनाम जैसे अग्रणी देशों की तुलना में कम** बनी हुई है।
  - चीन वैश्विक विनिर्माण में **31% हिस्सेदारी रखता है,** जबकि भारत की हिस्सेदारी केवल **2.87% है।**
  - **स्वचालन** और **एआई** जैसी अत्याधुनिक विनिर्माण प्रौद्योगिकियों को भारत द्वारा धीमी गति से अपनाने के कारण यह अंतर बढ़ गया है।
  - यद्यपि मई 2025 में भारत का **विनिर्माण PMI 57.6 है,** जो सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है, तथापि यह अधिक प्रतिस्पर्द्धी देशों से पीछे है, जिससे तीव्रता से विकसित होते वैश्विक बाज़ार में इसकी विनिर्माण महत्त्वाकांक्षाएँ खतरे में पड़ गई हैं।
- **बाह्य बाज़ार की कमजोरियाँ एवं व्यापार नीति संबंधी जोखिम:** भारत का विनिर्माण क्षेत्र बाह्य झटकों, जैसे **व्यापार में व्यवधान, टैरिफ वृद्धि और भू-राजनीतिक तनावों के प्रति तीव्रता से संवेदनशील होता जा रहा है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- उदाहरण के लिये, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध (टैरिफ वृद्धि) के कारण कई कंपनियों ने अपना उत्पादन भारत में स्थानांतरित कर दिया, लेकिन **अमेरिका** तथा **यूरोप जैसे प्रमुख बाज़ारों में संरक्षणवादी नीतियाँ** भारतीय निर्यातकों के लिये जोखिम उत्पन्न कर रही हैं।
- **वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की निर्यात वृद्धि 450 बिलियन डॉलर** पर स्थिर रहने के साथ, बढ़ती व्यापार बाधाएँ और वैश्विक मांग में उतार-चढ़ाव इस क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में वृद्धि की क्षमता को सीमित कर देगा।

सरकारी विनिर्माण पहल

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025
SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

विनिर्माण क्षेत्र की उत्पादकता और संधारणीयता बढ़ाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **स्मार्ट विनिर्माण और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना:** भारत को विनिर्माण प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने के लिये **AI, IoT और स्वचालन** सहित उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण में तेज़ी लानी चाहिये।
  - **स्मार्ट सेंसर,** पूर्वानुमानित रखरखाव और **रियल टाइम डेटा एनालिसिस को** एकीकृत करके, निर्माता दक्षता बढ़ा सकते हैं और परिचालन लागत कम कर सकते हैं।
  - **उन्नत विनिर्माण में प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना** तथा **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को प्रोत्साहित करने** से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (SME) को बड़े पैमाने पर डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण में सहायता मिलेगी।
- **उद्योग-विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ कौशल विकास का सुदृढ़ीकरण:** विनिर्माण उत्पादकता बढ़ाने के लिये कौशल अंतर को दूर करना आवश्यक है। भारत को विनिर्माण क्षेत्र की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिये उद्योग जगत के अभिकर्त्ताओं के साथ मिलकर **क्षेत्र-विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान** बनाने चाहिये।
  - इन संस्थानों को **उन्नत विनिर्माण तकनीकों, रोबोटिक्स** और **संधारणीय उत्पादन विधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये** ताकि नेक्स्ट जेनरेशन के औद्योगिक विकास के लिये तैयार कार्यबल सुनिश्चित किया जा सके।
- **ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिये विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना:** अनुपालन लागत और विलंब को कम करने के लिये भारत के विनियामक कार्यढाँचे को सरल बनाना एक महत्त्वपूर्ण उपाय है।
  - सभी **औद्योगिक परमिटों के लिये एकल खिड़की मंज़ूरी प्रणाली** लागू करना, राज्य और केंद्रीय विनियमों को संरेखित करना तथा श्रम कानूनों की जटिलता को कम करना, निर्माताओं के लिये एक सहज वातावरण बना सकता है।
  - **इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र और ऑटोमोटिव** जैसे प्रमुख क्षेत्रों में **त्वरित अनुमोदन प्रक्रियाओं के लिये** एक राष्ट्रीय नीति से नए कारखानों की स्थापना में आसानी होगी तथा अधिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- **मज़बूत औद्योगिक क्लस्टर और अवसंरचना-विकास: आधुनिक अवसंरचना के साथ एकीकृत औद्योगिक क्लस्टर** और **लॉजिस्टिक्स हब** की स्थापना से विनिर्माण दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
  - इन **क्लस्टरों को साझा उपयोगिताओं, कुशल श्रम और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क** तक एक्सेस होनी चाहिये, जिससे सहयोग एवं पैमाने की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
  - **पर्याप्त जल, बिजली और परिवहन सुविधाओं** के साथ **ग्रीनफील्ड औद्योगिक क्षेत्रों के** निर्माण पर ध्यान केंद्रित करके, भारत नए विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना के लिये आवश्यक लागत एवं समय को कम कर सकता है, जिससे घरेलू एवं विदेशी दोनों तरह के निवेश आकर्षित होंगे।
- **हरित प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना:** भारत को संधारणीय विनिर्माण प्रथाओं में **नवाचार और निवेश** के प्रयासों को तेज़ करना चाहिये।
  - **हरित प्रौद्योगिकियों** के विकास के लिये **कर छूट और अनुसंधान एवं विकास अनुदान** जैसे राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करने से उद्योग को पर्यावरण अनुकूल उत्पादन की ओर बढ़ने में मदद मिल सकती है।
  - औद्योगिक क्षेत्रों में **नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और अपशिष्ट से ऊर्जा समाधानों** को एकीकृत करने से स्थायित्व एवं लागत बचत दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
    - इसके अतिरिक्त, नीतियों को पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं के अंगीकरण के लिये प्रोत्साहित करने हेतु **इको-लेबलिंग** और **हरित प्रमाणन कार्यक्रमों** को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- **चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिये राष्ट्रीय रणनीति लागू करना:** चक्रीय **अर्थव्यवस्था ढाँचा, अपशिष्ट में कमी, पुनः उपयोग** और सामग्रियों के **पुनर्चक्रण** को प्रोत्साहित करके भारत को अधिक संधारणीय विनिर्माण क्षेत्र बनाने में मदद कर सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **संसाधन पुनर्प्राप्ति, बंद लूप आपूर्ति श्रृंखला और अपशिष्ट न्यूनीकरण** पर केंद्रित एक राष्ट्रीय रणनीति न केवल संधारणीयता को बढ़ाएगी बल्कि लागत एवं कच्चे माल पर निर्भरता को भी कम करेगी।
- निर्माताओं को **बंद-लूप प्रणालियाँ विकसित करने** और **ऐसे इको-डिज़ाइन में संलग्न होने के लिये प्रोत्साहित** किया जाना चाहिये जो उत्पाद के पूरे जीवनचक्र में पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम कर सके।

- **नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और स्टार्टअप इनक्यूबेटर को बढ़ावा देना:** भारत को औद्योगिक क्षेत्रों में **स्टार्टअप इनक्यूबेटर और नवाचार क्लस्टर** विकसित करके **नवाचार** की संस्कृति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
  - **एडिटिव मैन्यूफैक्चरिंग (3D प्रिंटिंग), रोबोटिक्स और बायो-मैन्यूफैक्चरिंग** जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को समर्थन देने से विनिर्माण में अत्याधुनिक तकनीक एवं नए बिज़नेस मॉडल बनाने में मदद मिल सकती है।
  - इन **स्टार्टअप्स को स्थापित निर्माताओं के साथ जोड़ने से नवाचार का निरंतर प्रवाह** सुनिश्चित होगा, जिससे वैश्विक बाज़ार में उत्पादकता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ेगी।
- **व्यापार समझौतों के माध्यम से निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता के साथ विनिर्माण को संरेखित करना:** अंतर्राष्ट्रीय मुक्त **व्यापार समझौतों (FTA)** के साथ संरेखित करके भारत के **निर्यात-उन्मुख विनिर्माण को मज़बूत करना** एक महत्त्वपूर्ण उपाय है।
  - भारत प्रमुख बाज़ारों तक **शुल्क मुक्त सुगम्यता** का उपयोग करके तथा व्यापार समझौतों के माध्यम से **मानकों के अनुपालन में सुधार करके** वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी बाज़ार हिस्सेदारी बढ़ा सकता है।
  - इसके अलावा, यह सुनिश्चित करना कि **निर्मित वस्तुएँ** अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों और प्रमाणनों को पूरा करती हैं, इससे उच्च मांग वाले **वैश्विक क्षेत्रों में अधिक अवसर खुलेंगे** तथा विनिर्माण उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष:

भारत का विनिर्माण क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहाँ विकास की आवश्यकता को रोज़गार सृजन एवं स्थिरता के साथ संतुलित करना आवश्यक है। पीएलआई (PLI) जैसी प्रमुख पहलों का लाभ उठाना, एक प्रौद्योगिकी-संचालित पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना और निर्यात क्षमताओं का विस्तार करना भविष्य की सफलता के लिये अहम है। नवाचार एवं रणनीतिक नीति संरेखण पर स्पष्ट ध्यान देकर, भारत न केवल एक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर सकता है, बल्कि समावेशी आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दे सकता है।

■■■

भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में परिवर्तन

यह एडिटोरियल 04/06/2025 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित "What needs to be done to end plastic pollution" पर आधारित है। इस लेख में भारत की सक्रिय प्लास्टिक अपशिष्ट नीतियों को उस वैश्विक प्रवृत्ति के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्लास्टिक उपयोग तीव्र गति से बढ़ रहा है, किंतु यह भी दर्शाता है कि नीति के क्रियान्वयन में अब भी गंभीर अंतराल बने हुए हैं। यह लेख इस बात पर बल देता है कि वास्तविक पर्यावरणीय प्रभाव सुनिश्चित करने के लिये नीति और कार्यान्वयन के बीच सामंजस्य आवश्यक है, जिसे जीवन-चक्र आधारित तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।

जैसा कि विश्व पर्यावरण दिवस हमें **पृथ्वी के प्रति हमारी सामूहिक ज़िम्मेदारी** का स्मरण कराता है, वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक की खपत इस वर्ष पाँच सौ मिलियन टन से अधिक होने की संभावना है—जो **केवल 12 महीनों में ही 30% की वृद्धि** दर्शाती है। भारत ने वर्ष 2024 तक अपने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों **को अद्यतन करके प्रगतिशील विधायी कदम** उठाए हैं, जो देश को कई देशों से आगे रखता है। हालाँकि, महत्त्वपूर्ण कार्यान्वयन चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनमें **अपर्याप्त संग्रह और पुनर्चक्रण अवसंरचना, व्यापक जागरूकता की कमी एवं अकुशल निपटान प्रथाएँ** शामिल हैं, जिसके कारण **प्लास्टिक का दहन और अनुपचारित निस्तारण** कर दिया जाता है। भारत की **वैश्विक सतत् विकास लक्ष्यों को प्रभावित करने की विशिष्ट स्थिति** के लिये अत्यंत आवश्यक है

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

कि वह **चक्रीय सिद्धांतों पर आधारित जीवन-चक्र दृष्टिकोण को अपनाये** तथा **नीतिगत दृष्टिकोण एवं ज़मीनी कार्यान्वयन के बीच सेतु स्थापित करते हुए एक समग्र जनआंदोलन** का निर्माण करे।

भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कार्यढाँचे के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान और संस्थागत तंत्र क्या हैं?

- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016: स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण, निर्माता उत्तदायित्व** और अपशिष्ट संग्रहण के लिये **उपयोगकर्त्ता शुल्क पर ध्यान** केंद्रित किया गया, जिससे वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को सुनिश्चित किया जा सके।
- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016:** प्लास्टिक उत्पादकों के लिये **विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR) की शुरुआत** की गई, जिसके तहत प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई बढ़ाकर **50 माइक्रोन** कर दी गई। इसके क्रियान्वयन में ग्रामीण क्षेत्रों सहित प्लास्टिक अपशिष्ट के **पृथक्करण** और **उचित निपटान को** अनिवार्य बनाया गया।
- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2018: गैर-पुनर्चक्रणीय बहुस्तरीय प्लास्टिक (MLP) को चरणबद्ध तरीके से** समाप्त कर दिया गया और **CPCB के तहत उत्पादकों के लिये पंजीकरण प्रणाली** शुरू की गई, जिससे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में जवाबदेही बढ़ गई।
- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021:** वर्ष 2022 तक **एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक (SUP) पर प्रतिबंध** लगाया गया और **प्लास्टिक बैग की मोटाई बढ़ाकर 120 माइक्रोन** कर दी गई। **पैकेजिंग अपशिष्ट के लिये EPR** नियमों को सख्त किया गया, **पुनर्चक्रण को बढ़ावा** दिया गया और **पुन: उपयोग के लिये डिज़ाइन** तैयार किया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025
SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2022:** गैर-अनुपालन के लिये **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति** के साथ **अनिवार्य पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग लक्ष्य** निर्धारित किया गया। **प्लास्टिक रिकवरी और पुनः उपयोग के लिये एक चक्रीय अर्थव्यवस्था** उपागम को बढ़ावा दिया।
- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2024:** निर्माताओं के लिये **पंजीकरण, रिपोर्टिंग और प्रमाणन आवश्यकताओं को पुनःपरिभाषित** किया गया। **बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के लिये प्रमाणन की शुरुआत** की गई और **उपभोक्ता-पूर्व प्लास्टिक अपशिष्ट की रिपोर्टिंग अनिवार्य** की गई।
- **एकल-उपयोग प्लास्टिक के लिये राष्ट्रीय डैशबोर्ड:** SUP पर एक **राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान** शुरू किया गया, साथ ही नागरिकों के लिये अवैध प्लास्टिक गतिविधियों की रिपोर्ट करने और **अनुपालन की निगरानी करने के लिये एक शिकायत निवारण ऐप** भी शुरू किया गया।
- **इंडिया प्लास्टिक पैक्ट**: भारत का पहला **प्लास्टिक समझौता,** जिसका उद्देश्य मूल्य श्रृंखला में **प्लास्टिक प्रयोग में कमी, पुनःउपयोग और पुनर्चक्रण** करना है तथा पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने की दिशा में हितधारकों को एक साथ लाना है।
- **प्रोजेक्ट REPLAN: खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने REPLAN** की शुरूआत की, जिसमें प्लास्टिक बैग के लिये संधारणीय विकल्प पेश किया गया, **कपड़े के थैलों के माध्यम से प्लास्टिक के उपयोग को कम किया गया।**

कौन-से कारक भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कार्यढाँचे की प्रभावशीलता को कमज़ोर कर रहे हैं?

- **अपशिष्ट संग्रहण और पुनर्चक्रण के लिये अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना:** यद्यपि शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को **100% अपशिष्ट पृथक्करण और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ (MRF)** तक पहुँच सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है, लेकिन अधिकांश बुनियादी अवसंरचना अपर्याप्त है या अकुशल तरीके से प्रबंधित है।
    - परिणामस्वरूप, **अनौपचारिक क्षेत्र 60% से अधिक प्लास्टिक रीसाइक्लिंग का प्रबंधन** करता है, लेकिन औपचारिक प्रणालियों में मान्यता और एकीकरण का अभाव है।
    - हालिया आँकड़ों से पता चलता है कि **भारत में प्रतिदिन मुक्त होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट (26,000 टन) का केवल 8-10% ही पुनर्चक्रित** हो पाता है, शेष को या तो **जला दिया जाता है या लैंडफिल और जलमार्गों में डाल दिया जाता है।**
- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कानूनों का कमज़ोर प्रवर्तन:** यद्यपि भारत ने **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) नियम** (2016) और उसके बाद के संशोधनों को लागू किया है, फिर भी इनका **प्रवर्तन कमज़ोर** बना हुआ है, विशेषकर स्थानीय स्तर पर।
    - **एकल-उपयोग प्लास्टिक (SUP) पर प्रतिबंध के नियमों का प्रायः उल्लंघन** किया जाता है, तथा **गैर-अनुपालन व्यापक रूप से** होता है।
    - उदाहरण के लिये, एकल-उपयोग प्लास्टिक पर देशव्यापी प्रतिबंध के बावजूद, **120 माइक्रोन से कम के कैरी बैग की बिक्री जारी** है, आँकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2023 में 775,577 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक ज़ब्त किया गया, लेकिन व्यापक बाज़ार अभी भी यह व्याप्त है।
        - उदाहरण के लिये, **महाराष्ट्र में समुद्र तटों पर 80% से अधिक प्लास्टिक मलबे में अभी भी प्रतिबंधित SUP** शामिल हैं, जो इन **प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने में विफलता** को दर्शाता है।
- **प्लास्टिक के विकल्पों में अपर्याप्त विकल्प और नवाचार:** हालाँकि भारत ने **प्लास्टिक प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का प्रयास** किया है, लेकिन शोध से पता चलता है कि **प्लास्टिक के विकल्पों का बाज़ार सीमित** है तथा लागत प्रभावी एवं **व्यापक रूप से उपलब्ध विकल्प बहुत कम** हैं।
    - **मध्य प्रदेश में साल-पत्तों से बनी प्लेटें एक सफल विकल्प** हैं, लेकिन **ऐसे समाधान पूरे देश में उपलब्ध नहीं** हैं।
    - **वैकल्पिक उद्योगों को प्रोत्साहित करने में विफलता** का अर्थ है कि प्लास्टिक की खपत में वृद्धि जारी है तथा प्लास्टिक अपशिष्ट में वार्षिक रूप से केवल **9% की वृद्धि** हो रही है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **खंडित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) प्रणाली:** भारत में EPR प्रणाली, हालाँकि अग्रणी है, लेकिन कमज़ोर **अनुपालन निगरानी** और **स्व-रिपोर्टिंग पर निर्भरता के कारण बहुत हद तक अकुशल** है।
  - उत्पादकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने द्वारा उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट के बराबर मात्रा में प्लास्टिक एकत्र करें तथा उसका पुनर्चक्रण करें, लेकिन **तृतीय पक्ष द्वारा ऑडिटिंग** और **डेटा पारदर्शिता के अभाव के कारण परिणाम निम्न स्तर पर** पहुँच गए हैं।
  - हालिया रिपोर्टों से पता चलता है कि **केवल कुछ उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों ने ही EPR लक्ष्यों का पालन किया** है तथा **70% से अधिक पंजीकृत कंपनियाँ** प्लास्टिक **संग्रहण एवं पुनर्चक्रण लक्ष्यों को पूरा करने में विफल** रही हैं।
- **जन जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन में कमी: व्यापक जन जागरूकता का अभाव** भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को कमज़ोर करने वाला एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारक है।
  - हालाँकि स्वच्छ भारत मिशन जैसे छिटपुट अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन वे समुदायों को शामिल करने और दीर्घकालिक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने में बहुत हद तक विफल रहे हैं।
  - **प्लास्टिक पर राष्ट्रीय प्रतिबंध** के बावजूद, क्षेत्र सर्वेक्षणों से पता चलता है कि वर्ष 2023 में **प्लास्टिक प्रतिबंध के प्रति जनता का पालन केवल 50-60%** था और **प्लास्टिक के हानिकारक पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में जागरूकता भी कम** थी।
    - **दिल्ली** से प्राप्त आँकड़ों से पता चलता है कि प्रतिदिन **690 टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न** होता है, जो **दर्शाता है कि साधारण जागरूकता अभियानों से उपभोक्ता की आदतों में बदलाव लाने में सीमित सफलता** मिली है।
- **शासन और नीति कार्यान्वयन में विखंडन:** भारत का प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन स्थानीय नगर निकायों से लेकर राज्य और राष्ट्रीय एजेंसियों तक कई स्तरों पर **विखंडित शासन से ग्रस्त** है।
  - भारत के अपशिष्ट क्षेत्र की विविधतापूर्ण प्रकृति, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के हितधारक शामिल हैं, **नीति कार्यान्वयन में भ्रम एवं विलंब का कारण** बनती है।
  - उदाहरण के लिये, **पुणे और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जैसी नगरपालिकाओं ने प्रगति की** है, लेकिन **राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय का प्रायः अभाव** रहता है तथा स्थानीय निकाय केंद्रीय समर्थन के बिना रणनीतियों को लागू करने में असमर्थ रहते हैं।
    - चूँकि **60% रीसाइक्लिंग का काम अनौपचारिक श्रमिकों द्वारा** किया जाता है, इसलिये औपचारिक प्रणालियों से उनका अपवर्जन प्रभावशीलता में बाधा डालता है और शासन को जटिल बनाता है।

भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण अवसंरचना:** केवल बड़े पैमाने पर **केंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर निर्भर रहने के बजाय,** समुदाय या वार्ड स्तर पर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ (MRF) जैसे **विकेंद्रीकृत, स्थानीयकृत अवसंरचना के निर्माण पर ध्यान केंद्रित** किया जाना चाहिये।
  - इन MRF को आधुनिक **छंटाई तकनीकों** जैसे **AI-संचालित छंटाई मशीनों से लैस** किया जाना चाहिये, जिससे प्लास्टिक को अन्य प्रकार के अपशिष्ट से पृथक् करना आसान हो जाएगा।
    - इससे **न केवल परिवहन लागत कम होगी,** बल्कि **प्रसंस्करण में भी तेज़ी आएगी** और **पुनर्चक्रण दर भी बढ़ेगी।**
- **सूक्ष्म पृथक्करण के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी में वृद्धि:** स्थानीय अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने का एक महत्त्वपूर्ण तरीका समुदायों में **सूक्ष्म स्तर पर पृथक्करण को बढ़ावा देना** है।
  - इसमें घरों और स्थानीय व्यवसायों को **अपशिष्ट को उत्पन्न होने के स्थान पर ही पृथक् करने के लिये प्रोत्साहित करना** शामिल है, विशेष रूप से प्लास्टिक, खाद्य अपशिष्ट एवं गैर-पुनर्चक्रणीय पदार्थों को।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- स्थानीय **अपशिष्ट संग्रहण प्रणालियों को प्रोत्साहित** किया जा सकता है, इसके लिये **उचित पृथक्करण का लगातार पालन करने वालों को पुरस्कार या मान्यता (इंदौर मॉडल) दी जा सकती है,** जिससे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिये समुदाय-संचालित दृष्टिकोण तैयार हो सकेगा।
- **प्रौद्योगिकी अंगीकरण के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** रीसाइक्लिंग बुनियादी अवसंरचना में सुधार के लिये, सरकार को **उन्नत छंटाई प्रौद्योगिकियों** और अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र प्रणालियों के विकास के लिये **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को प्रोत्साहित करना चाहिये।**
  - सरकार प्लास्टिक अपशिष्ट को उच्च गुणवत्ता वाले 3D प्रिंटिंग फिलामेंट में परिवर्तित करने वाली सुविधाएँ विकसित करके **3D प्रिंटिंग के लिये कच्चे माल के रूप में प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग को प्रोत्साहित** कर सकती है।
  - अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में **स्वच्छ-तकनीक स्टार्टअप** के लिये सरकारी प्रोत्साहन और सब्सिडी संधारणीय समाधानों में वृद्धि को बढ़ावा दे सकती है।
    - वर्ष 2016 में भारत सरकार ने **सड़क निर्माण में प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग को अनिवार्य बनाने की घोषणा** की थी, जिसके बाद से **इस तकनीक का उपयोग करके 100,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया है,** जो सही दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- **व्यवसायों के लिये चक्रीय अर्थव्यवस्था-आधारित प्रोत्साहन:** भारत उन व्यवसायों के लिये **वित्तीय प्रोत्साहन** की पेशकश करके एक **चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल को लागू** कर सकता है जो पुनर्नवीनीकृत सामग्री का उपयोग करते हैं या **पुनः प्रयोज्य पैकेजिंग का उत्पादन** करते हैं।
  - इसमें कर छूट, क्रेडिट या **क्लोज़्ड-लूप उत्पादन प्रणाली के अंगीकरण के लिये अनुदान** शामिल हो सकते हैं।
  - व्यवसायों को **'क्रैडल-टू-क्रैडल'** तक के दृष्टिकोण को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करने से **संसाधन दक्षता** सुनिश्चित होगी, जबकि संधारणीय प्लास्टिक उपयोग और **अपशिष्ट में कमी की दिशा में उद्योग-व्यापी बदलाव को बढ़ावा** मिलेगा।
- **राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट जागरूकता और शिक्षा अभियान: प्लास्टिक के पर्यावरणीय प्रभावों और अपशिष्ट पृथक्करण** के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये, शहरी एवं ग्रामीण दोनों आबादी को लक्षित करते हुए व्यापक **राष्ट्रव्यापी शिक्षा अभियान** शुरू किये जाने चाहिये।
  - इन अभियानों को **व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये,** जिसमें **संधारणीय उपभोग और जिम्मेदार निपटान प्रथाओं के महत्त्व** को शामिल किया जाना चाहिये। **स्कूल-आधारित कार्यक्रम** भी कम उम्र में अपशिष्ट प्रबंधन की संस्कृति उत्पन्न कर सकते हैं।
- **प्लास्टिक के विकल्पों के लिये विनियमित बाज़ार:** भारत को **पादप-आधारित बायोप्लास्टिक्स** और **कंपोस्टेबल पैकेजिंग** जैसी सामग्रियों के उत्पादन को प्रोत्साहित करके **प्लास्टिक के विकल्पों के लिये** एक विनियमित बाजार के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिये।
  - बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक विकल्पों के अनुसंधान और विकास पर केंद्रित नवाचार केंद्र या इनक्यूबेटर स्थापित किया जाना चाहिये।
    - ये केंद्र वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और उद्यमियों को एक साथ लाकर नई सामग्रियों की खोज कर सकते हैं, जैसे कि **पादप-आधारित प्लास्टिक या समुद्री शैवाल या मशरूम से बने प्लास्टिक जैसे पदार्थ,** जो पर्यावरण में विघटित हो सकते हैं।
- **प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्लास्टिक प्रतिबंधों का सशक्त प्रवर्तन:** प्रवर्तन के लिये **अधिक तकनीक-संचालित दृष्टिकोण** अपनाया जाना चाहिये, जिसमें वास्तविक काल में प्लास्टिक के उपयोग और बिक्री पर नज़र रखने के लिये **डेटा एनालिटिक्स** और **AI-संचालित निगरानी** का उपयोग शामिल है।
  - नागरिकों के लिये अवैध प्लास्टिक गतिविधियों की रिपोर्ट करने हेतु **मोबाइल ऐप विकसित** किये जा सकते हैं तथा

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नियामकों और जनता को जोड़ने वाले एक **केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दंड का प्रावधान** किया जा सकता है।

- इससे निगरानी बढ़ेगी और उल्लंघनकर्त्ताओं के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

- **कचरा बीनने वालों को औपचारिक प्रणालियों में शामिल करना: कचरा बीनने वालों को,** जो वर्तमान में रीसाइक्लिंग में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं, औपचारिक रूप से अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में शामिल किया जाना चाहिये।
  - इसमें उन्हें **कानूनी मान्यता, स्वास्थ्य लाभ और उचित वेतन संरचना** प्रदान करना शामिल है।
  - अनौपचारिक क्षेत्र को सशक्त बनाकर और उन्हें औपचारिक **रीसाइक्लिंग श्रृंखलाओं में एकीकृत करके, भारत संग्रहण दक्षता में उल्लेखनीय सुधार** कर सकता है तथा पर्यावरण में प्लास्टिक उत्सर्जन/रिसाव को कम कर सकता है।
- **प्लास्टिक ऑफसेट कार्यक्रमों के लिये प्लास्टिक क्रेडिट का कार्यान्वयन: भारत प्लास्टिक क्रेडिट प्रणाली** शुरू करने के लिये प्रयास शुरू कर सकता है, जिससे व्यवसायों को सत्यापित **प्लास्टिक रिकवरी और रीसाइक्लिंग कार्यक्रमों** से क्रेडिट खरीदकर **अपने प्लास्टिक फुटप्रिंट को ऑफसेट करने में सहायता** मिल सके।
  - इससे कंपनियों को **प्लास्टिक अपशिष्ट पुनर्प्राप्ति में निवेश करने** तथा नवीन अपशिष्ट प्रबंधन पहलों को समर्थन देने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा।
  - **प्लास्टिक क्रेडिट** की शुरूआत से प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ावा मिल सकता है।
- **लघु एवं मध्यम उद्यमों (SME) के लिये प्लास्टिक अपशिष्ट विनियमन को सख्त करना: लघु और मध्यम उद्यमों (SME) को प्लास्टिक के उपयोग से स्थायी विकल्पों की ओर बढ़ने में** मदद करने के लिये एक केंद्रित प्रयास होना चाहिये। सरकारी कार्यक्रम इन व्यवसायों को **सब्सिडी, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी सहायता** प्रदान कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अपने संचालन से समझौता किए बिना **पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाते हैं।**
  - **SME के लिये प्लास्टिक अपशिष्ट विनियमों के अनुपालन** की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने से राष्ट्रीय प्लास्टिक न्यूनीकरण लक्ष्यों में उनकी भागीदारी को सुगम बनाया जा सकेगा।

निष्कर्ष:

विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण को लागू करना और सूक्ष्म पृथक्करण के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना **SDG 12: जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन** को प्राप्त करने के लिये महत्त्वपूर्ण है। **नवाचार के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी को** प्रोत्साहित करना और चक्रीय अर्थव्यवस्था-आधारित प्रोत्साहन स्थापित करना भारत के संधारणीय प्लास्टिक प्रबंधन में बदलाव को गति दे सकता है। ये प्रयास भारत के अपशिष्ट को कम करने, पुनर्चक्रण को बढ़ाने और पर्यावरणीय संवहनीयता को बढ़ावा देने के लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

भारत की समृद्ध जैवविविधता

यह एडिटोरियल 04/06/2025 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित "India's biodiversity is a strategic advantage" पर आधारित है। लेख में भारत की समृद्ध जैवविविधता को वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भरता और आर्थिक समुत्थानशीलता हासिल करने की कुंजी के रूप में उजागर किया गया है तथा राष्ट्रीय और वैश्विक ज़िम्मेदारी के रूप में इसके संरक्षण पर जोर दिया गया है।

भारत की समृद्ध जैव विविधता एक अप्रयुक्त रणनीतिक संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है जो **वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भरता और आर्थिक समुत्थानशीलता** की ओर देश की यात्रा के लिये आधारशिला के रूप में कार्य कर सकती है। भारत की प्राकृतिक पूंजी व्यापार युद्धों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है जबकि प्रत्येक वर्ष अरबों डॉलर की महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ प्रदान करती है। लेकिन यह एक तात्कालिक आवश्यकता भी है: वैश्विक स्तर पर वनों की

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

कटाई तेज़ी से बढ़ रही है और अनेक प्रजातियाँ विलुप्ति के कगार पर हैं, ऐसे में भारत की **जैव विविधता की रक्षा करना न केवल अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों** के तहत एक नैतिक कर्तव्य है, बल्कि दीर्घकालिक समृद्धि के लिये एक रणनीतिक आवश्यकता भी है। यदि हम स्वयं को इस पारिस्थितिक विरासत के **"शेयरधारक" नहीं, बल्कि "ट्रस्टी"** मानें, तो भारत अपनी जैव विविधता को एक विरासती संपत्ति से एक **सतत् आर्थिक लाभकारी विशेषता** में परिवर्तित कर सकता है, खासकर उस विश्व में जो दिन-ब-दिन संसाधनों की कमी से जूझ रही है।

भारत के राष्ट्रीय विकास और समुत्थानशीलता को आकार देने में जैव विविधता का क्या महत्त्व है?

- **प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान:** जैव विविधता भारत की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, जो **कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों के माध्यम से प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्रदान करती है।**
  - जैविक संसाधनों का विशाल भण्डार आजीविका और उद्योगों को सहायता प्रदान करता है।
  - **वानिकी और लकड़ी उद्योग** भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1% का योगदान करते हैं तथा 200 मिलियन से अधिक लोग वनों पर निर्भर हैं।
    - भारतीय **मत्स्य पालन** क्षेत्र न केवल लगभग 30 **मिलियन लोगों** की आजीविका का समर्थन करता है, विशेष रूप से तटीय और ग्रामीण समुदायों में, बल्कि इसमें विकास, रोज़गार सृजन एवं ग्रामीण विकास की भी अपार संभावनाएँ हैं।
- **जलवायु परिवर्तन शमन और कार्बन पृथक्करण:** जैव विविधता कार्बन को पृथक करके जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे पर्यावरणीय जोखिम कम होता है।
  - भारत के वन वर्तमान में **देश के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 11%** को बेअसर करते हैं, जो पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) में योगदान देता है। कार्बन पृथक्करण में वनों की भूमिका सीधे जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों और राष्ट्रीय समुत्थानशीलता का समर्थन करती है।
    - **हरित भारत मिशन** का उद्देश्य भारत के वन क्षेत्र की सुरक्षा, पुनर्स्थापन और संवर्द्धन करना तथा **पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापन गतिविधियों** के माध्यम से जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना है।
- **स्वास्थ्य देखभाल और औषधीय संसाधन:** जैव विविधता स्वास्थ्य देखभाल का अभिन्न अंग है, जो स्वदेशी और आधुनिक चिकित्सा के लिये औषधीय संसाधन उपलब्ध कराती है।
  - औषधीय गुणों वाली प्रजातियों सहित 45,000 से अधिक **पौधों की प्रजातियाँ आयुर्वेद** जैसी भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की रीढ़ हैं।
  - भारत के राष्ट्रीय जीन बैंक **में 0.47 मिलियन एक्सेसियन (प्रजनन के लिये संग्रहीत** और प्रयुक्त पौध सामग्री) हैं, जो पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण को सुनिश्चित करता है।
    - यह **समृद्ध जैव विविधता आधार नवीन औषधि समाधानों** की खोज में सहायक है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल नवाचार को बढ़ावा मिलता है।
- **कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि: जैव विविधता फसल की समुत्थानशीलता और उत्पादकता को बढ़ाकर** कृषि को समृद्ध बनाती है, जो भारत की खाद्य सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - भारत फसल विविधता का केंद्र है, जहाँ **चावल की 50,000 तथा ज्वार की 5,000** से **अधिक किस्में** हैं।
  - यह **आनुवंशिक विविधता जलवायु परिवर्तन और कीटों के प्रति फसल अनुकूलता सुनिश्चित करती है,** जिससे खाद्य सुरक्षा में सुधार होता है।
    - कृषि में जैव विविधता की भूमिका महतत्त्वपूर्ण है, भारत **दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है,** जो अपनी कृषि जैव विविधता पर बहुत अधिक निर्भर करता है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ और आजीविका:** जैव विविधता सीधे तौर पर पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं जैसे **परागण, मृदा उर्वरता और जल विनियमन का समर्थन करती है,** जो मानव कल्याण और आर्थिक स्थिरता के लिये आवश्यक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **उदाहरण के लिये, आर्द्रभूमियाँ मत्स्य पालन, जल शुद्धिकरण और बाढ़ शमन में सहायक होती हैं**, जबकि वन जल चक्र को बनाए रखते हैं।
- **भारत के 4,991.68 वर्ग किमी मैंग्रोव तटीय समुदायों** को तूफानी लहरों से बचाते हैं, तथा लचीलेपन में योगदान देते हैं।
  - **भारत के समुद्र तट से 50 किलोमीटर के भीतर 250 मिलियन लोग रहते हैं,** अतः पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ आर्थिक स्थिरता के लिये आवश्यक हैं।
- **पर्यटन और संरक्षण पहल को सुदृढ़ बनाना:** भारत की समृद्ध जैव विविधता इसके बढ़ते पारिस्थितिकी पर्यटन क्षेत्र की आधारशिला है, जो सतत् राष्ट्रीय विकास में योगदान दे देती है।
  - **पारिस्थितिकी-पर्यटन स्थानीय समुदायों के लिये आय उत्पन्न** करता है तथा संरक्षण जागरूकता को बढ़ावा देता है।
  - **पश्चिमी घाट और सुंदरवन प्रमुख पारिस्थितिकी** पर्यटन स्थल हैं, जहाँ प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक स्थानीय और विदेशी पर्यटक आते हैं, जिससे पर्याप्त राजस्व प्राप्त होता है।
    - इस तरह की पहल स्थानीय संरक्षण को भी बढ़ावा देती है, जैसा कि नगालैंड में अमूर फाल्कन **संरक्षण परियोजना** में देखा गया है, **विशेष रूप से पंगती और दोयांग जैसे क्षेत्रों में।**
- **सामाजिक-सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य:** जैव विविधता भारत की सांस्कृतिक में निहित है, जो परंपराओं, अनुष्ठानों और आध्यात्मिक प्रथाओं को प्रभावित करती है।
  - पवित्र उपवन **(जैसे बिहार में सरना, हिमाचल प्रदेश में देव वन, कर्नाटक में देवराकाडु),** जिन्हें अक्सर स्थानीय समुदायों द्वारा संरक्षित किया जाता है, सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के साथ-साथ जैवविविधता संरक्षण में भी योगदान करते हैं।
  - अनुमान है कि भारत में 1,00,000 से 1,50,000 पवित्र उपवन विविध वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण में मदद करते हैं।
    - **ऐसे क्षेत्र न केवल जैव विविधता को बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण** हैं, बल्कि सांस्कृतिक महत्त्व भी रखते हैं तथा समुदाय-संचालित संरक्षण प्रयासों को समर्थन प्रदान करते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक उत्तरदायित्व:** भारत की जैव विविधता इसे **अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शासन के केंद्र** में रखती है, जैसा कि **जैव विविधता पर कन्वेंशन (CBD)** जैसे वैश्विक समझौतों में इसकी सक्रिय भूमिका से देखा जा सकता है।
  - भारत ने वैश्विक **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचे** के **अनुरूप महत्वाकांक्षी जैव विविधता लक्ष्य निर्धारित किये हैं, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक अपनी भूमि, अंतर्देशीय जल और समुद्री क्षेत्रों के 30%** हिस्से को संरक्षित करना है।
    - यह वैश्विक ज़िम्मेदारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देती है तथा वैश्विक जैवविविधता संरक्षण प्रयासों में भारत की भूमिका को मज़बूत करती है।

भारत की जैव विविधता के लिये प्रमुख उभरते खतरे क्या हैं?

- **जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका प्रभाव:** जलवायु परिवर्तन भारत के पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव बढ़ा रहा है, वर्षा के पैटर्न, तापमान में बदलाव ला रहा है तथा चरम मौसम की घटनाएँ उत्पन्न कर रहा है।
  - **बढ़ते तापमान के कारण प्रजातियों की प्राकृतिक सीमा** में बदलाव आ रहा है, जिससे हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र विशेष रूप से असुरक्षित हो गया है।
  - उदाहरण के लिये **पश्चिमी घाट के दुर्लभ नृत्य करने वाले मेंढक** अब बदलते सूक्ष्म जलवायु के कारण खतरे में हैं।
    - IPC की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि भारतीय जैवविविधता वाले हॉटस्पॉट, विशेषकर **पश्चिमी घाट क्षेत्र की जैवविविधता, जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2050 तक 33% तक** नष्ट हो सकती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ: आक्रामक प्रजातियाँ** भारत की जैवविविधता के लिये सबसे बड़े खतरों में से एक के रूप में उभर रही हैं, जो संसाधनों के लिये देशी प्रजातियों से प्रतिस्पर्द्धा कर रही हैं जिससे बीमारियाँ फैला रही हैं।
  - उदाहरण के लिये, **राजस्थान में एक आक्रामक वृक्ष प्रजाति** प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा **का प्रसार** स्थानीय वनस्पति समुदायों को बाधित कर रहा है तथा वन्यजीवों के लिये चारागाह की भूमि कम हो रही है।
    - यह अनुमान लगाया गया है कि **भारतीय वनस्पतियों की 40% प्रजातियाँ** विदेशी हैं, जिनमें से **25% आक्रामक** हैं, इनके कारण कृषि उत्पादकता में कमी आ रही है तथा आवास का क्षरण हो रहा है।
    - **अफ्रीकी सेब घोंघा** जैसी आक्रामक प्रजातियाँ भी मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिये खतरा हैं।
- **आवास विखंडन और क्षति: शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और कृषि** का तेजी से विस्तार भारत के महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों को विखंडित तथा उनके संचलन में बाधा उत्पन्न कर रहा है।
  - विखंडन से पारिस्थितिकीय संपर्क बाधित होता है, जिससे प्रजातियों के विलुप्त होने की संभावना बढ़ जाती है।
  - उदाहरण के लिये, **ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों** में बड़े पैमाने पर चाय के विस्तार और कृषि के कारण अतीत में **वनों की क्षति और विखंडन** देखा गया है।
- **प्रदूषण और संदूषक:** कृषि, औद्योगिक अपशिष्ट और प्लास्टिक कचरे से निकलने वाले रासायनिक अपवाह सहित प्रदूषण भारत की जैवविविधता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है।
  - **जलीय जीवन, विशेषकर गंगा और यमुना नदियों में,** विषाक्तता के बढ़ते स्तर का सामना कर रहा है, जिससे **गंगा डॉल्फिन जैसी प्रजातियाँ प्रभावित** हो रही हैं।
  - भारत के **एक तिहाई से भी कम शहरी अपशिष्ट जल और सीवेज़** का उपचार किया जाता है, जिससे **70% से अधिक** अनुपचारित अपशिष्ट जल नदियों, झीलों और भूमि में प्रवाहित हो जाता है (विज्ञान और पर्यावरण केंद्र)।
    - यह प्रदूषण प्रजनन पैटर्न को बाधित तथा प्रजातियों की आबादी को कम करता है, तथा खाद्य शृंखला में विषाक्त पदार्थों को शामिल करता है।
- **प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन: लकड़ी के लिये वनों की कटाई, अत्यधिक मत्स्य संग्रहण और अवैध वन्यजीव व्यापार** जैसे संसाधनों का असंवहनीय दोहन भारत की जैव विविधता के लिये खतरा बना हुआ है।
  - उदाहरण के लिये **हाथीदांत के लिये हाथियों** का तथा खाल के लिये बाघों का अवैध शिकार एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है।
    - वर्ष 2021 और 2023 के बीच, **अवैध शिकार से पूरे भारत में 32 बाघों की** मृत्यु हुई है, जिससे मध्य प्रदेश के जंगल प्रभावित हुए हैं।
    - **इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017 के प्रतिबंध के बावजूद,** भारत की 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा अवैध रूप से मत्स्य संग्रहण के कारण खतरे में है, जिससे जैवविविधता और मत्स्य पालन पर निर्भर स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों प्रभावित हो रही है।
- **असंवहनीय विकास परियोजनाएँ और अनियमित बुनियादी ढाँचे का विस्तार: बाँध, राजमार्ग और खनन परिचालन** जैसी बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर रही हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को स्थायी नुकसान हो रहा है।
  - शहरी विस्तार और बुनियादी ढाँचे के विकास के कारण हर प्रत्येक वर्ष 500,000 एकड़ से अधिक **वन्यजीव आवास** नष्ट हो जाते हैं।
  - **ग्रेट निकोबार द्वीप** में प्रस्तावित **80,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढाँचा परियोजना से उष्णकटिबंधीय वर्षावनों** के नष्ट होने का खतरा है, जिनमें **निकोबार स्क्रबफाउल और लेदरबैक कछुए** जैसी दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- **कृषि गहनता और भूमि उपयोग परिवर्तन:** बढ़ती जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने की आवश्यकता से प्रेरित कृषि गहनता, भारत की जैवविविधता पर भारी दबाव डाल रही है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **एकल फसल उत्पादन, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, तथा खेती के लिये भूमि परिवर्तन** जैसी प्रथाएँ प्राकृतिक आवासों को नष्ट करती हैं।
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड **और लेसर फ्लोरिकन** जैसी प्रजातियों की कमी, जो घास के मैदानों पर निर्भर हैं, कृषि विस्तार से जुड़ी हुई है।

जैव विविधता संरक्षण दृष्टिकोण के अनुसार सरकारी पहलों की रैंकिंग

- **प्रभावी प्रवर्तन और कानूनी ढाँचे का अभाव: यद्यपि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम** सहित एक मज़बूत कानूनी ढाँचा है, फिर भी प्रवर्तन कमज़ोर बना हुआ है, जिसके कारण अवैध गतिविधियाँ जारी हैं।
  - जैवविविधता अपराधों के लिये पर्याप्त निगरानी और दंड का अभाव अक्सर **अवैध कटाई, खनन और अवैध शिकार** को बढ़ावा देता है।
  - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, **वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में वन्यजीव अपराधों में 20%** की वृद्धि हुई, जो कानून प्रवर्तन में अपर्याप्तता को उज़ागर करता है।
    - यह कमज़ोर शासन संरक्षण प्रयासों को कमज़ोर करता है, जिससे कई प्रजातियाँ खतरे में पड़ जाती हैं।
- **अति-पर्यटन और मानव-वन्यजीव संघर्ष: भारत के वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों** में अति-पर्यटन के कारण पर्यावरण क्षरण और मानव-वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि हो रही है।
  - **रणथम्भौर** जैसे बाघ अभयारण्यों में पर्यटकों की आमद से आवास प्रभावित होते हैं, जिससे पशुओं के व्यवहार और प्रजनन पर असर पड़ा है।
    - **मानव-वन्यजीव संघर्षों** में भी तेजी से वृद्धि हुई है **(वर्ष 2022 में अकेले उत्तराखंड में 700 मामले दर्ज किये गए)**, वन क्षेत्रों में बाघों द्वारा पशुओं और मनुष्यों पर हमला करने की घटनाएँ बढ़ गई हैं।

भारत जैवविविधता का सतत् संरक्षण सुनिश्चित करते हुए इसे आर्थिक रूप से कैसे अलग कर सकता है?

- **राष्ट्रीय नीति में हरित अर्थव्यवस्था का एकीकरण: भारत प्राकृतिक पूंजी लेखांकन को राष्ट्रीय और राज्य सकल घरेलू उत्पाद गणनाओं** में एकीकृत करके जैव विविधता को अपने आर्थिक ढाँचे में शामिल कर सकता है।
  - इससे **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं** को मूल्य प्रदान किया जाएगा तथा कृषि, वानिकी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में उनके योगदान को मान्यता मिलेगी।
  - जैवविविधता को आर्थिक मॉडल में शामिल करके, सरकार उद्योगों को संरक्षण में निवेश करने के लिये प्रोत्साहित कर सकती है, साथ ही आर्थिक परिसंपत्ति के रूप में स्थिरता को बढ़ावा दे सकती है।
    - इस तरह के एकीकरण से **अधिक समावेशी हरित अर्थव्यवस्था** का निर्माण होगा, जहाँ जैव विविधता वैश्विक बाज़ार में एक प्रमुख विभेदक के रूप में कार्य करेगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये प्रकृति-आधारित समाधानों को बढ़ावा देना:** पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाने वाली पारंपरिक बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं पर निर्भर रहने के बजाय, **भारत प्रकृति-आधारित समाधानों** को अपना सकता है **जो लचीले विकास के लिये जैवविविधता** का उपयोग करते हैं।
  - **इसमें कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर शहरी वन, बाढ़ प्रबंधन के लिये आर्द्रभूमि पुनरुद्धार** तथा तटीय संरक्षण के लिये मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र जैसे हरित बुनियादी ढाँचे का निर्माण शामिल हो सकता है।
  - ये परियोजनाएँ जैव विविधता को बढ़ाने के साथ-साथ **कार्बन पृथक्करण, जल शोधन** जैसे कई सह-लाभ प्रदान कर सकती हैं।
- **जैव विविधता-संचालित पारिस्थितिकी-पर्यटन मॉडल: भारत जैव विविधता-संचालित पारिस्थितिकी-पर्यटन** को विकसित और बढ़ावा दे सकता है, जो कम ज्ञात लेकिन पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण प्रजातियों और आवासों के संरक्षण पर ज़ोर देता है।
  - इसमें प्रमुख प्रजातियों पर केंद्रित पारंपरिक वन्यजीव पर्यटन से हटकर आर्द्रभूमि, घास के मैदान और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे जैव विविधता वाले आकर्षण केंद्रों पर **ध्यान केंद्रित** करना शामिल है।
  - ऐसा मॉडल सतत् पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से आय उत्पन्न करेगा तथा विविध पारिस्थितिक प्रणालियों में संरक्षण को प्रोत्साहित करेगा।
    - इससे **विकेंद्रित रोज़गार के अवसर** भी सृजित होंगे तथा ग्रामीण विकास सीधे जैवविविधता संरक्षण से जुड़ जाएगा।
- **जैव विविधता अनुकूल कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना:** भारत **जैविक खेती के लिये सब्सिडी, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं हेतु भुगतान** और जैव विविधता-प्रमाणित बाज़ारों तक पहुँच जैसे प्रोत्साहन प्रदान करके **किसानों को जैव विविधता अनुकूल कृषि पद्धतियों** को अपनाने के लिये प्रोत्साहित कर सकता है।
  - **कृषि पारिस्थितिकी**, सतत् भूमि उपयोग प्रथाओं और पारंपरिक फसल किस्मों के संरक्षण को बढ़ावा देकर, भारत जैवविविधता हानि को कम करते हुए खाद्य सुरक्षा को बढ़ा सकता है।
  - **इन प्रथाओं को राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन** जैसी सरकारी योजनाओं में शामिल किया जा सकता है, जिससे दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता के लिये खाद्य उत्पादन को जैवविविधता संरक्षण के साथ जोड़ा जा सके।
- **जैव प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स के माध्यम से जैव-आधारित अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना: भारत की सतत् जैव-पूर्वेक्षण** को बढ़ावा देकर अपनी समृद्ध जैवविविधता का लाभ उठाकर अपनी जैव-आधारित अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से जैव प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स को बढ़ावा दे सकता है।
  - औषधीय पौधों, समुद्री जीवों और कृषि जैव विविधता के लिये आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने से **भारत को सतत् जैव विनिर्माण** में अग्रणी स्थान मिल सकता है।
  - **जैव विविधता संरक्षण प्रयासों के साथ एकीकृत जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्रों** की स्थापना से वैश्विक जैव-फार्मास्युटिकल बाज़ार में भारत की स्थिति मज़बूत होगी।
- **जैव विविधता आधारित बौद्धिक संपदा के लिये कानूनी ढाँचे में सुधार:** भारत अपनी जैव विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा, विशेष रूप से पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों की **रक्षा के लिये वर्तमान कानूनी ढाँचे** में सुधार कर सकता है।
  - आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण को **जैव विविधता पर वैश्विक कन्वेंशन के पहुँच और लाभ-साझाकरण (ABS)** प्रावधानों के साथ संरेखित करके, भारत अनुसंधान और विकास के लिये आनुवंशिक संसाधनों के लाइसेंस के माध्यम से राजस्व उत्पन्न कर सकता है।
  - यह ढाँचा न केवल स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि **वैश्विक जैव व्यापार क्षेत्र से राजस्व का एक नया स्रोत** भी बनाएगा, जिससे वैश्विक मंच पर देश की आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

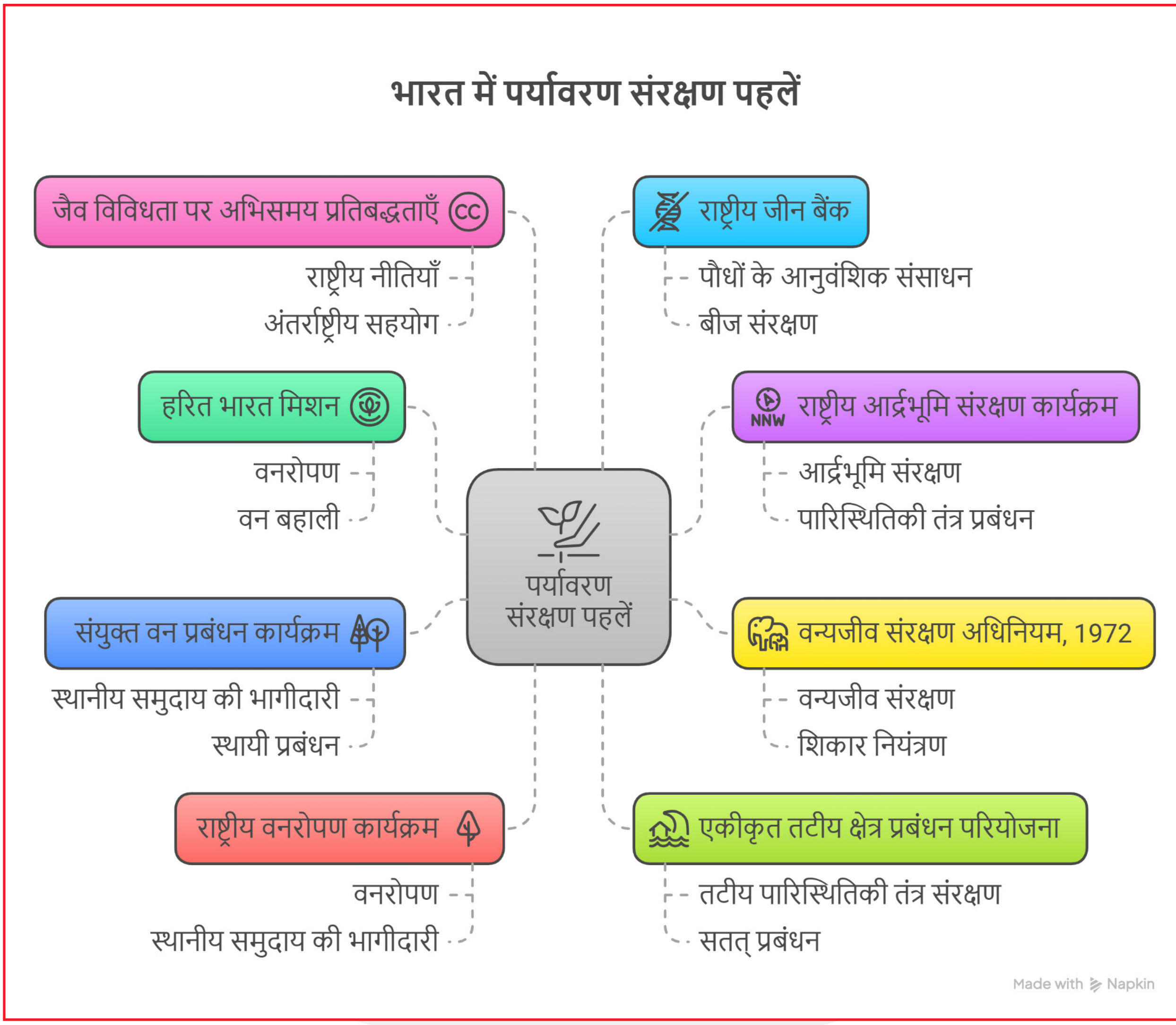

- **जैवविविधता को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) में एकीकृत करना:** भारत CSR पहलों के माध्यम से जैवविविधता संरक्षण में निवेश करने के लिये कॉर्पोरेट क्षेत्र को प्रोत्साहित कर सकता है, कंपनियों को **उनके पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) रणनीतियों में जैव विविधता को एकीकृत करने के लिये** प्रोत्साहित कर सकता है।
  - कॉर्पोरेट्स को जैवविविधता संरक्षण परियोजनाओं में निवेश करने के लिये कर लाभ या मान्यता प्रदान की जा सकती है, जैसे कि आवास पुनर्स्थापन या सतत् आपूर्ति शृंखलाओं को बढ़ावा देना।
- **जैव विविधता पर आधारित वृत्ताकार अर्थव्यवस्था का क्रियान्वयन:** भारत वृत्ताकार अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण अपना सकता है, जो न केवल अपशिष्ट को न्यूनतम करेगा, बल्कि जैवविविधता संरक्षण को भी बढ़ावा देगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **सतत् उत्पादन और उपभोग पैटर्न** पर ध्यान केंद्रित करके, संसाधन निष्कर्षण को कम करके तथा जैविक सामग्रियों के पुनर्चक्रण द्वारा, भारत अपने पारिस्थितिक पदचिह्न को कम कर सकता है।
- ऐसी अर्थव्यवस्था उन उत्पादों और प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देगी जो पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करती हैं तथा **जैविक वस्त्र, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग और पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री जैसे सतत् उद्योगों** को बढ़ावा देती हैं, जो सभी स्वस्थ, क्रियाशील जैव विविधता पर निर्भर होंगे।

निष्कर्ष:

भारत की जैव विविधता एक **नैतिक ज़िम्मेदारी और आर्थिक विकास तथा समुत्थानशीलता के लिये एक रणनीतिक अवसर दोनों** का प्रतिनिधित्व करती है। अपनी नीतियों को जैवविविधता पर कन्वेंशन (CBD) जैसे अंतर्राष्ट्रीय ढाँचे के साथ जोड़कर, भारत अपनी प्राकृतिक संपत्तियों को स्थायी आर्थिक चालकों में बदल सकता है। एक समग्र दृष्टिकोण जो जैवविविधता को राष्ट्रीय विकास, पारिस्थितिकी पर्यटन और कृषि में एकीकृत करता है, दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित करेगा।

भारत की माध्यमिक शिक्षा में सुधार

यह एडिटोरियल 06/06/2025 को बिज़नेस लाइन में प्रकाशित "Secondary education needs to improve" लेख पर आधारित है। लेख में उन्नीकृष्णन निर्णय के बाद भारत में माध्यमिक और व्यावसायिक शिक्षा की उपेक्षा पर प्रकाश डाला गया है, जबकि एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने विकास के लिये इन चरणों पर ध्यान केंद्रित किया है।

माध्यमिक शिक्षा पर सार्वजनिक रिपोर्ट (PROSE) 2024 से पता चलता है कि प्राथमिक नामांकन में वृद्धि के बावजूद **भारत में माध्यमिक और व्यावसायिक शिक्षा** की गंभीर उपेक्षित है। **जबकि सिंगापुर और जापान जैसी उच्च प्रदर्शन वाली एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने विकास को गति देने के लिये मज़बूत माध्यमिक स्कूली शिक्षा** का लाभ उठाया, भारत के कम निवेश ने **कौशल-रोज़गार** योग्यता में गंभीर असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। चिंताजनक रूप से, शिक्षक भर्ती, बुनियादी ढाँचे और शासन प्रणाली में व्याप्त कमियाँ जनसांख्यिकीय लाभांश को बर्बाद करने का खतरा पैदा कर रही हैं, जिससे **"अमीर बनने से पहले बूढ़े हो जाने"** का संकट उत्पन्न हो सकता है। आर्थिक स्थिरता के लिये मानव पूंजी को सशक्त बनाने हेतु गुणवत्ता, समानता और उद्योग-अनुरूप कौशल विकास पर तत्काल ध्यान देना अत्यावश्यक है।

माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **शिक्षकों की रिक्तियाँ और तदर्थवाद:** कई राज्य रिक्त स्थायी पदों, विशेष रूप से विज्ञान के लिये, को भरने के लिये **अनुबंध या अतिथि शिक्षकों** पर निर्भर हैं। **शिक्षा मंत्रालय** ने भारत भर के **सरकारी स्कूलों में 8.4 लाख** से अधिक शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना दी है, जिसमे प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तर शामिल हैं।
- **बुनियादी ढाँचे में भारी असमानता: विभिन्न स्कूलों में प्रति छात्र व्यय में असमानता** चौंका देने वाली है। उदाहरण के लिये, तेलंगाना के आवासीय विद्यालयों को प्रति छात्र 2 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि **केंद्रीय विद्यालयों** को केवल 65,000 रुपए आवंटित किये जाते हैं।
  - इसके अलावा, PROSE 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, **47% स्कूलों में पेयजल की सुविधा** नहीं है तथा 53% स्कूलों में लड़कियों के लिये अलग शौचालय नहीं हैं।
- **खराब शासन और वित्तपोषण:** स्कूल प्रबंधन समितियाँ (SMC) काफी हद तक अप्रभावी हैं, उन्हें **न्यूनतम वित्तीय सहायता** प्राप्त होती है। स्थानीय सरकारों को अक्सर दरकिनार कर दिया जाता है, जिससे खराब प्रबंधन और निरीक्षण प्राप्त होता है।
  - **नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट** के अनुसार, 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में किये गए ऑडिट से पता चला है कि 3% से 88% **स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समितियाँ (SMC)** नहीं हैं तथा कई समितियों का गठन काफी देरी के बाद किया गया।
  - पीएम श्री योजना के तहत आवंटित धनराशि, नवोदय और केंद्रीय विद्यालयों जैसे स्थापित स्कूलों के लिये भी अपर्याप्त

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

है, जबकि केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिये समग्र शिक्षा योजना (SSA) के तहत केंद्र के हिस्से से कोई धनराशि नहीं मिली है।

- **व्यावसायिक शिक्षा-रोज़गार अंतर:** व्यावसायिक शिक्षा और उद्योग की मांग के बीच लगातार अंतर बना हुआ है, जैसा कि हाल ही में मर्सर-मेटल अध्ययन में उजागर किया गया है, **केवल 45% भारतीय स्नातक ही रोज़गार** योग्य माने जाते हैं, जिससे अच्छे वेतन वाली नौकरियों तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है।
- **डिजिटल उपकरणों का गलत उपयोग:** शिक्षा में डिजिटल उपकरणों का अक्सर दुरुपयोग किया जाता है, जिसमें **पूर्व-रिकॉर्ड की गई सामग्री का उपयोग शिक्षण** को बढ़ाने के लिये वैचारिक सहायता के रूप में करने के बजाय शिक्षकों के स्थान पर किया जाता है।
  - केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, **भारत में केवल 57.2% स्कूलों** में कंप्यूटर तथा केवल **53.9% स्कूलों** में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है।
- **सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ:** लगातार आर्थिक और सामाजिक असमानताएँ समावेशी शिक्षा में बाधा डालती हैं तथा वंचित, ग्रामीण और आदिवासी पृष्ठभूमि के बच्चों के लिये **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा** तक पहुँच को सीमित करती हैं।
  - **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS)** में आदिवासी छात्रों को भाषा संबंधी बाधाओं के कारण शैक्षिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अंग्रेज़ी या तेलुगु जैसी उनकी मूल भाषाओं के बजाय हिंदी में पढ़ाया जाता है। यह **समस्या केंद्रीय भर्ती नीतियों** के कारण और भी बदतर हो जाती है, जो छात्रों की भाषाई विविधता को नजरअंदाज करती हैं।
- **शिक्षण विधियों में कमियाँ:** भारत की शिक्षा प्रणाली अभी भी विश्लेषणात्मक और समस्या-समाधान कौशल विकसित करने की तुलना में याद करने को प्राथमिकता देती है, जिससे छात्रों का संज्ञानात्मक विकास सीमित हो जाता है।
  - यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 योग्यता-आधारित शिक्षा का समर्थन करती है, लेकिन पुरानी परीक्षा-आधारित पद्धतियों से बदलाव धीमा है, सर्वेक्षणों से पता चलता है कि कक्षा 3 के अधिकांश छात्र बुनियादी पठन-बोध (**रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन**) में भी संघर्ष कर रहे हैं।

भारत में स्कूली शिक्षा की संरचना

- भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली NEP, 2020 के तहत चरणबद्ध तरीके से **10+2 प्रारूप से 5+3+3+4 संरचना में परिवर्तित हो रही है।**
- यह नया मॉडल **3-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये है,** जिसमें प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा को एकीकृत किया गया है। इसमें शामिल हैं:
  - **आधारभूत चरण (5 वर्ष):** 3 वर्ष प्री-स्कूल + कक्षा 1-2
  - **प्रारंभिक चरण (3 वर्ष):** कक्षा 3-5
  - **मध्य चरण (3 वर्ष):** कक्षा 6-8
  - **माध्यमिक चरण (4 वर्ष):** कक्षा 9-12

शिक्षा प्रणाली के बीच तुलना

	पुरानी 10+2 प्रणाली	नई 5-3-3-4 प्रणाली
संरचना	10 वर्ष विद्यालय + 2 वर्ष उच्च माध्यमिक	5 (आधारभूत) + 3 (प्रारंभिक चरण) + 3 (मध्य) + 4 (माध्यमिक)
केंद्रबिंदु	स्मरण शक्ति, सैद्धांतिक ज्ञान	आयु-उपयुक्त, व्यावहारिक, समग्र और रचनात्मक शिक्षा
परीक्षा प्रणाली	रटने पर आधारित, व्यावहारिक ज्ञान की कमी	कौशल आधारित, समग्र और निरंतर मूल्यांकन
विशेषताएँ	आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और कौशलों की कमी	आलोचनात्मक सोच, लचीलापन, आधुनिक कौशल (जैसे कोडिंग)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भारत की शिक्षा प्रणाली में सरकारी पहल के परिणाम क्या हैं?

- **समानता आधारित नामांकन वृद्धि:** माध्यमिक शिक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों और लड़कियों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसका मुख्य कारण सर्व शिक्षा अभियान (SSA), लड़कियों के लिये साइकिल योजना और विभिन्न छात्रवृत्तियाँ जैसी पहल हैं।
  - शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, 2014-15 से **महिला ST छात्राओं के नामांकन में 80.1% की वृद्धि** हुई है तथा अतिरिक्त **7.5 लाख छात्राएँ** इसमें शामिल हुई हैं।
  - यद्यपि कई पिछड़े क्षेत्रों में लैंगिक समानता हासिल कर ली गई है, फिर भी कम उम्र में विवाह का मुद्दा किशोरियों की शैक्षिक प्रगति में एक महत्त्वपूर्ण बाधा बना हुआ है।
- **मिश्रित शिक्षण का उदय:** स्मार्ट बोर्ड और यूट्यूब वीडियो जैसी पूर्व-रिकॉर्ड की गई डिजिटल सामग्री के उपयोग ने पारंपरिक शिक्षण विधियों को पूरक बनाकर **सीखने के अनुभव को समृद्ध** किया है।
  - हालाँकि, ये डिजिटल उपकरण **अक्सर अनुपस्थित शिक्षकों** के विकल्प के रूप में कार्य करते हैं, जिससे छात्रों की प्रमुख अवधारणाओं की समझ सीमित हो सकती है तथा सामग्री के साथ गहन जुड़ाव में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
  - **समग्र शिक्षा** का **आईसीटी और डिजिटल पहल** घटक कक्षा VI से XII तक के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों को ICT प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **नवप्रवर्तन अवसंरचना:** अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना छात्रों में रचनात्मकता और प्रयोगशीलता को बढ़ावा देने के लिये की गई है, फिर भी जिन विद्यालयों में योग्य विज्ञान शिक्षकों का अभाव है, वहाँ उनकी क्षमता का बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं हो पाया है।
  - यह कम उपयोग स्कूलों के सामने नवाचार-केंद्रित बुनियादी ढाँचे को पूरी क्षमता तक उपयोग करने में आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है।

सरकारी शिक्षा कार्यक्रम

- **प्रज्ञाता** — प्रज्ञाता नामक एक पहल या कार्यक्रम।
- **मध्याह्न भोजन योजना** — स्कूलों में भोजन प्रदान करने वाला कार्यक्रम।
- **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ** — लड़की शिक्षा पर केंद्रित एक अभियान।
- **पीएम श्री स्कूल** — मॉडल स्कूलों के विकास के लिए एक योजना।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति** — 2020 में लागू की गई शिक्षा नीति।
- **STAR कार्यक्रम** — STAR नामक एक पहल या कार्यक्रम।

- **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) का विस्तार:** वर्ष 2004 में शुरू की गई KGBV योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समूहों सहित वंचित समुदायों की लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।
  - वर्ष 2025 तक, 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 2,578 केजीबीवी स्वीकृत किये गए हैं। ये आवासीय विद्यालय **इन समुदायों की लड़कियों के लिये न्यूनतम 75% आरक्षण** प्रदान करते हैं, जिससे उन लड़कियों के लिये शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित होती है जो अन्यथा वंचित रह सकती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 — SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

- **शिक्षक भर्ती और लिंग संवेदनशीलता: अधिक महिला शिक्षकों की भर्ती करने और लिंग-संवेदनशील प्रशिक्षण प्रदान करने** के प्रयास किये गए हैं। इसमें शिक्षकों के लिये संवेदनशीलता कार्यक्रम और लड़कियों के लिये अलग शौचालय ब्लॉक का निर्माण शामिल है, जिसने **सामूहिक रूप से स्कूलों में लड़कियों के नामांकन** और प्रतिधारण दर में सुधार करने में योगदान दिया है।

भारत के लिये वैश्विक मॉडल

देश	मुख्य शक्ति	भारत के लिये आपनाने योग्य मॉडल
जापान	शिक्षक स्वायत्तता और नवाचार	शिक्षकों को पाठ्यक्रम तैयार करने और प्रयोग करने में सशक्त बनाना।
जर्मनी	व्यावसायिक-रोज़गार एकीकरण	स्कूलों में उद्योग प्रशिक्षुता को मज़बूत करना।
फिनलैंड	व्यावसायिक विकास	सतत् व्यावसायिक विकास में निवेश करना।
सिंगापुर	परियोजना-आधारित शिक्षण (PBAL)	समस्या समाधान कौशल और रचनात्मकता को बढ़ाने के लिये PBAL को अपनाना।
एस्टोनिया	डिजिटल शिक्षण अवसंरचना	डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाना और प्रौद्योगिकी तक समान पहुँच सुनिश्चित करना।
दक्षिण कोरिया	छात्र-केंद्रित शिक्षा	विविध छात्र आवश्यकताओं के लिये अधिक वैयक्तिकृत शिक्षण पथ लागू करना।

माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन के लिये क्या उपाय आवश्यक हैं?

- **शिक्षक क्षमता निर्माण:** शिक्षण पदों के लिये रिक्तियों, **विशेष रूप से विज्ञान जैसे विशिष्ट क्षेत्रों** में, को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाना चाहिये, यह सुनिश्चित करते हुए कि योग्य और कुशल शिक्षकों की भर्ती की जाए।
  - इसके अतिरिक्त, सभी विज्ञान शिक्षकों के लिये **शैक्षणिक प्रशिक्षण अनिवार्य करना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया** जा सके कि वे कक्षा में अपनी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये नवीनतम शिक्षण रणनीतियों और पद्धतियों से लैस हों।
- **समुदाय-संचालित शासन:** स्कूल समितियाँ, जहाँ वे अभी तक मौजूद नहीं हैं, स्थापित की जानी चाहिये। एक बार गठित होने के बाद, उन्हें **अपने वित्त का प्रबंधन करने की स्वायत्तता के साथ सशक्त बनाया जाना चाहिये,** जिससे वे बजट की देखरेख कर सकें और अपने संस्थानों के विकास के लिये प्रभावी ढंग से संसाधन आवंटित कर सकें।
  - हालाँकि, इस स्वतंत्रता को **स्थानीय सरकारी निकायों** की कड़ी निगरानी के साथ संतुलित किया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धनराशि का उपयोग बुद्धिमानी से और शैक्षिक लक्ष्यों के अनुरूप किया जाए।
- **समतामूलक अवसंरचना निधि:** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच को बढ़ावा देने के लिये, संसाधनों को **अच्छी तरह से वित्तपोषित "मॉडल स्कूलों"** से हटाकर साधारण राजकीय स्कूलों की ओर पुनर्निर्देशित किया जाना चाहिये, जहाँ आवश्यकता अधिक है।
  - इस बदलाव से **शैक्षिक बुनियादी ढाँचे में असमानताओं को दूर करने में मदद मिलेगी** तथा यह सुनिश्चित होगा कि सभी छात्रों को, चाहे उनका स्थान या सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, समान स्तर की सहायता प्राप्त हो।
  - इसके अतिरिक्त, **स्कूलों में प्रति-छात्र व्यय को मानकीकृत** किया जाना चाहिये ताकि प्रत्येक छात्र को सरकारी निवेश से समान लाभ मिल सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **व्यावसायिक-रोज़गार गलियारे: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) और पॉलिटेक्निक** में पाठ्यक्रम को उद्योग की ज़रूरतों के साथ ज़्यादा निकटता से संरेखित करने के लिये पुनर्गठित किया जाना चाहिये। यह संरेखण छात्रों को कार्यबल के लिये बेहतर ढंग से तैयार करेगा, यह सुनिश्चित करेगा कि उनके पास नियोक्ताओं द्वारा आवश्यक कौशल हैं।
  - इसके अलावा, इन संस्थानों में **प्रयोगशालाओं और उपकरणों के आधुनिकीकरण को** प्राथमिकता दी जानी चाहिये तथा इसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
  - यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि **ये संस्थान अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित** हों तथा विद्यार्थियों को सर्वोत्तम शिक्षण अनुभव प्रदान करें।
- **पाठ्यक्रम में संशोधन: रटने की शिक्षा से योग्यता-आधारित शिक्षा** की ओर बदलाव आवश्यक है, जिसमें एक अद्यतन पाठ्यक्रम शामिल हो जो छात्रों को समकालीन चुनौतियों के लिये तैयार करने हेतु **आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान, रचनात्मकता और अंत:विषयक शिक्षा** पर जोर देता हो।
- **मिश्रित शिक्षण ढांचा: प्रमुख अवधारणाओं को सुदृढ़ करने** और शिक्षण अनुभव को बढ़ाने के लिए डिजिटल उपकरणों को **कक्षा में एकीकृत किया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कभी भी शिक्षकों का स्थान नहीं लेना चाहिए।**
  - डिजिटल उपकरणों की भूमिका शिक्षक के प्रयासों का **समर्थन और पूरक** होना चाहिये, **जिससे शिक्षण अधिक आकर्षक और प्रभावी हो सके। इस तरह से प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, शिक्षक कक्षा में अपनी केंद्रीय भूमिका बनाए रख सकते हैं** और साथ ही डिजिटल संसाधनों द्वारा प्रदान किये जाने वाले लाभों का लाभ उठा सकते हैं।

निष्कर्ष

भारत की माध्यमिक शिक्षा एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। जहाँ एक ओर समानता के क्षेत्र में प्रगति नीतिगत प्रतिबद्धता को दर्शाती है, वहीं गुणवत्ता, शासन और व्यावसायिक शिक्षा के साथ समन्वय की उपेक्षा '**जनसांख्यिकीय लाभांश**' को संकट में बदल सकती है। PISA में अग्रणी देशों से सबक लेते हुए, भारत को "**अमीर बनने से पहले बूढ़े हो जाने**" के खतरे से बचने के लिये शिक्षक सशक्तीकरण, सामुदायिक स्वामित्व और कौशल समन्वय को प्राथमिकता देनी चाहिये।

■■■

भारत में न्यायिक उत्तरदायित्व का सुदृढ़ीकरण

यह एडिटोरियल 05/06/2025 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित "Impeachment motion against Allahabad High Court judge Yashwant Varma in Monsoon session" पर आधारित है। इस लेख में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को सामने लाया गया है, जो व्यावहारिक न्यायिक उत्तरदायित्व में कमियों को उजागर करता है।

वित्तीय कदाचार के आरोपों के बाद **इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ केंद्र सरकार के आसन्न महाभियोग प्रस्ताव** ने न्यायिक उत्तरदायित्व **के महत्त्व को लेकर ध्यान आकर्षित** किया है। हालाँकि भारत का संविधान न्यायिक निगरानी की व्यवस्था प्रदान करता है, परंतु ऐसे प्रकरणों की विरलता (यह संभवत: किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पहला महाभियोग हो सकता है) इन व्यवस्थाओं की व्यावहारिक प्रभावशीलता पर प्रश्न खड़े करती है। लोकतांत्रिक शासन की तीन प्रमुख शाखाओं में से एक होने के कारण **न्यायपालिका को भी कार्यपालिका और विधायिका के समान ही उत्तरदायित्व की कठोर कसौटियों पर परखा जाना चाहिये।** वर्तमान मामला इस बात की जाँच का अवसर प्रस्तुत करता है कि **भारत में न्यायिक उत्तरदायित्व की मौजूदा प्रणालियाँ वास्तव में कितनी प्रभावी** हैं।

भारत में न्यायिक उत्तरदायित्व के लिये वर्तमान तंत्र क्या है?

- **महाभियोग प्रक्रिया:** न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय **के न्यायाधीशों को हटाने के लिये महाभियोग प्रक्रिया** की रूपरेखा तैयार करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025
SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

- प्रस्ताव पर कम से कम 100 **लोक सभा सदस्यों** या 50 **राज्य सभा सदस्यों के हस्ताक्षर** होने चाहिये और फिर न्यायाधीशों एवं न्यायविदों की तीन सदस्यीय समिति द्वारा इसकी जाँच की जानी चाहिये।
- यदि यह मामला दोषी पाया जाता है तो इसे संसद के दोनों सदनों में **दो-तिहाई बहुमत** से अनुमोदित किया जाना चाहिये।

- **इन-हाउस तंत्र: सर्वोच्च न्यायालय की इन-हाउस प्रक्रिया** न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों, मुख्यत: कदाचार से संबंधित शिकायतों को निपटाने के लिये स्थापित की गई थी।
  - **शिकायतों की समीक्षा** भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) या **संबंधित उच्च न्यायालय के CJI** द्वारा की जाती है।
  - अगर शिकायत विश्वसनीय पाई जाती है, तो एक आंतरिक समिति इसकी जाँच करती है। हालाँकि इस तंत्र को सुरक्षा के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इसमें वैधानिक समर्थन और पारदर्शिता का अभाव है, जिससे प्राय: इसकी प्रभावशीलता पर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **न्यायिक मानक एवं जवाबदेही विधेयक, 2010 (व्यपगत):** इस विधेयक में **शिकायतों और जाँच के लिये** अन्य निकायों के साथ-साथ एक बाह्य निरीक्षण निकाय, **राष्ट्रीय न्यायिक निरीक्षण समिति की स्थापना करने की मांग** की गई थी।
  - यह विधेयक लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा में निरस्त हो गया, जिससे न्यायिक उत्तरदायित्व औपचारिक विधायी चैनलों के माध्यम से बड़े पैमाने पर पारित नहीं हो सका।
- **न्यायिक समीक्षा और सार्वजनिक जाँच:** न्यायपालिका **उच्च न्यायालयों द्वारा** न्यायिक समीक्षा **के अधीन** है, लेकिन न्यायिक आचरण की देखरेख के लिये कोई स्वतंत्र बाह्य निकाय या व्यापक वैधानिक कार्यढाँचा नहीं है।
  - न्यायाधीशों के विरुद्ध आरोपों के कारण प्राय: **आंतरिक जाँच या त्यागपत्र की स्थिति** आ जाती है, लेकिन ऐसी कार्रवाइयाँ सदैव पारदर्शी या सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं होतीं।

भारत में न्यायिक उत्तरदायित्व की बढ़ती अनिवार्यता को रेखांकित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?

- **न्यायपालिका में मज़बूत उत्तरदायित्व तंत्र का अभाव:** न्यायिक उत्तरदायित्व के लिये मौजूदा कार्यढाँचे, जैसे न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968, बोझिल और अप्रभावी हैं।
  - इसके महत्त्व के बावजूद, **न्यायिक कदाचार के लिये महाभियोग प्रस्ताव सफल नहीं हुए हैं,** जिसके कारण **न्यायपालिका की स्व-नियमन की क्षमता में जनता का अविश्वास** बढ़ रहा है।
  - उदाहरण के लिये, अनेक आरोपों के बावजूद, वर्ष 1993 **के बाद से किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया** है।
- **न्यायिक स्वतंत्रता बनाम न्यायिक उत्तरदायित्व: न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के बीच संतुलन एक मुख्य मुद्दा** बना हुआ है।
  - आलोचकों का तर्क है कि बहुत अधिक स्वायत्तता से बाह्य जाँच में कमी आती है, जिससे **दंड से मुक्ति की संस्कृति को बढ़ावा** मिलता है।
    - न्यायिक स्वतंत्रता जवाबदेही के विरुद्ध एक ढाल बन गई है, जिससे व्यवस्था में जनता का विश्वास कम हो रहा है।
  - भ्रष्टाचार के आरोपी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का मुद्दा तथा **न्यायिक अनुशासन के लिये सर्वोच्च न्यायालय की आंतरिक प्रक्रिया,** गंभीर आरोपों के बावजूद बाह्य जाँच की कमी को दर्शाती है।
- **न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में अस्पष्टता: कॉलेजियम प्रणाली के तहत न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया** में पारदर्शिता की कमी न्यायिक उत्तरदायित्व पर चिंता को बढ़ाती है।
  - आलोचकों का तर्क है कि यह **अस्पष्टता न केवल वंशवाद को जन्म** देती है, बल्कि **न्यायिक कार्य की जाँच में भी बाधा** डालती है।
  - इसके अलावा, पात्रता मानदंड और चयन प्रक्रिया के संबंध में **निर्धारित मानदंडों का अभाव परोक्ष मामला होने की धारणा को और बढ़ावा** देता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **अपर्याप्त बाह्य निरीक्षण तंत्र: न्यायिक आचरण की निगरानी के लिये एक वैधानिक**, स्वतंत्र निकाय की अनुपस्थिति जवाबदेही के मुद्दों को बढ़ाती है।
  - यद्यपि न्यायपालिका आंतरिक तंत्र पर निर्भर रहती है, फिर भी पारदर्शिता और जनसहभागिता के अभाव के कारण उन्हें प्रायः अपर्याप्त माना जाता है।
  - वर्ष 2010 का **न्यायिक सुधार विधेयक**, जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक निरीक्षण समिति का प्रस्ताव था, वर्ष **2014 में निरस्त हो गया,** जिससे न्यायिक निरीक्षण का दायित्व स्व-नियमन पर आ गया, जो प्रायः अपारदर्शी और अप्रभावी रहा है।
- **न्यायिक सक्रियता और अतिक्रमण की चुनौतियाँ:** न्यायिक सक्रियता के कारण न्यायपालिका को उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना पड़ा है जो पारंपरिक रूप से कार्यपालिका और विधायिका के लिये आरक्षित थे।
  - यद्यपि **कुछ मामलों में इसे आवश्यक माना जाता है,** लेकिन इससे **नीतिगत निर्णय लेने वाले अनिर्वाचित न्यायाधीशों की जवाबदेही के बारे में चिंताएँ** उत्पन्न होती हैं।
  - हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **राज्यपाल के विचार के लिये आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा कार्रवाई करने हेतु विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित करने के मामले में किये गए हस्तक्षेप** की **कार्यकारी कार्यों में अतिक्रमण के रूप में आलोचना** की गई है, जिससे **न्यायिक उत्तरदायित्व पर प्रश्न** उठ रहे हैं।
- **न्यायिक पारदर्शिता की ओर वैश्विक बदलाव:** वैश्विक स्तर पर **न्यायिक पारदर्शिता और जवाबदेही की ओर रुझान बढ़ रहा है** तथा **कई राष्ट्र बाह्य निरीक्षण तंत्र लागू कर रहे हैं।**
  - **ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों ने स्वतंत्र न्यायिक पर्यवेक्षण निकाय स्थापित किये हैं।**
    - ऐसे सुधारों को लागू करने में भारत की विफलता वैश्विक मानकों के विपरीत है, जिससे यह प्रणाली अस्पष्टता की आलोचनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो गई है।

न्यायिक उत्तरदायित्व लागू करने से जुड़े संभावित जोखिम क्या हैं?

- **न्यायिक स्वतंत्रता को खतरा:** सख्त न्यायिक उत्तरदायित्व लागू करने से **न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत को नुकसान पहुँचने का खतरा** है, जो संविधान की आधारशिला है।
  - यदि उत्तरदायित्व तंत्र अत्यधिक कठोर या राजनीतिक हो, तो वे **कार्यपालिका या विधायी अतिक्रमण के कारण बन सकते हैं,** जिससे **निष्पक्ष निर्णय लेने में बाधा** उत्पन्न हो सकती है।
  - लोकपाल के हालिया निर्णय से पता चलता है कि **न्यायाधीश भी लोकपाल** (जो एक भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है, जो सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों का समाधान करने के लिये स्थापित किया गया है) **के अधिकार क्षेत्र में आ सकते हैं।**
    - इस प्रस्ताव से न्यायिक स्वतंत्रता के हनन की चिंताएँ उत्पन्न हुईं। **हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वायत्तता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये इस फैसले पर रोक लगा दी।**
- **न्यायपालिका में राजनीतिक हस्तक्षेप:** महाभियोग प्रक्रिया और अन्य जवाबदेही उपाय प्रायः राजनीतिक गतिशीलता से काफी प्रभावित होते हैं, जिससे न्यायपालिका के कामकाज में **राजनीतिक हस्तक्षेप का खतरा** उत्पन्न होता है।
  - यदि **पक्षपातपूर्ण उद्देश्यों के लिये प्रयोग** किया जाता है, तो ऐसे उपायों का उपयोग उन न्यायाधीशों को निशाना बनाने के लिये किया जा सकता है जो सत्तारूढ़ सरकार के प्रतिकूल निर्णय देते हैं।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 1993 में **न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव मुख्य रूप से लोकसभा** में राजनीतिक दलों के अनुपस्थित रहने के कारण विफल हो गया था, जिससे यह पता चलता है कि स्पष्ट आरोपों के बावजूद राजनीतिक विचार न्यायिक उत्तरदायित्व को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं।
- **जनता के विश्वास में कमी:** जवाबदेही तंत्र के अति उत्साहपूर्ण कार्यान्वयन से **न्यायपालिका के संदर्भ में जनता की धारणा प्रभावित** हो सकती है, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता में जनता का विश्वास कम हो सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025
SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

- यदि **न्यायाधीशों को लगातार जाँच का सामना करना पड़ता है या राजनीतिक कारणों से उन्हें पद से हटाये जाने का भय रहता है,** तो वे **यथास्थिति को चुनौती देने वाले निर्णय देने में हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं,** जिससे **निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में उनकी भूमिका कम हो सकती है।**
- इसके अलावा, न्यायपालिका की आलोचना करने वाले **मीडियाकर्मियों या कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ लगाए गए न्यायालय की अवमानना-आरोप** यह दर्शाते हैं कि न्यायपालिका किस प्रकार बाह्य आलोचना को दबा सकती है, जिससे इसकी जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

- **एकसमान मानकों का अभाव:** स्पष्ट, एकसमान दिशानिर्देशों के बिना न्यायिक उत्तरदायित्व लागू करने से **कदाचार के मामलों से निपटने के तरीके में असंगतता** हो सकती है।
  - मानकीकृत कार्यढाँचे के अभाव के परिणामस्वरूप न्यायिक व्यवहार की भिन्न व्याख्याएँ हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुछ न्यायाधीशों को अनुचित तरीके से निशाना बनाया जा सकता है या पक्षपातपूर्ण जाँच हो सकती है।
  - उदाहरण के लिये, न्यायिक कदाचार की जाँच के लिये **आंतरिक प्रक्रिया विभिन्न न्यायालयों में असंगत** बनी हुई है, जिसमें कोई वैधानिक कार्यढाँचा नहीं है, जिसके कारण अस्पष्ट निर्णय सामने आते हैं, जैसा कि **इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा से जुड़े मामलों में देखा गया है।**

भारत में सुदृढ़ और पारदर्शी न्यायिक उत्तरदायित्व कार्यढाँचे को सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **एक स्वतंत्र न्यायिक निगरानी निकाय की स्थापना:** एक **राष्ट्रीय न्यायिक निगरानी समिति की** स्थापना की जानी चाहिये, जिसमें **सेवानिवृत्त न्यायाधीश, विधि विशेषज्ञ और न्यायपालिका के बाहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति** शामिल हों तथा उन्हें न्यायिक कदाचार की जाँच करने का अधिकार हो।
  - यह निकाय **न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों की समीक्षा के लिये एक निष्पक्ष, पारदर्शी तंत्र** उपलब्ध कराएगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायपालिका पर बाह्य राजनीतिक दबाव न पड़े।
  - ऐसे स्वतंत्र निकाय को कानूनी दर्जा प्रदान करने से एक विश्वसनीय और तटस्थ निरीक्षण प्रणाली स्थापित होगी, जिससे न्यायिक उत्तरदायित्व में जनता का विश्वास बढ़ेगा।
- **महाभियोग प्रक्रिया में सुधार: महाभियोग प्रक्रिया में सुधार** किया जाना चाहिये ताकि इसे अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया जा सके।
  - जाँच के लिये स्पष्ट समयसीमा लागू करना, **कार्यवाही का सार्वजनिक प्रकटीकरण** सुनिश्चित करना तथा अधिक सुलभ शिकायत तंत्र की आवश्यकता, प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण सुधार ला सकती है।
  - इससे यह सुनिश्चित होगा कि राजनीतिक दाँव-पेंच के कारण जवाबदेही में विलंब या बाधा न आए तथा न्यायिक कदाचार के विरुद्ध एक मज़बूत निवारक उपलब्ध हो।
- **न्यायिक परिसंपत्तियों और देनदारियों का सार्वजनिक प्रकटीकरण: लोक सेवकों के लिये अपेक्षित वार्षिक सार्वजनिक घोषणाओं** के समान न्यायिक परिसंपत्तियों और देनदारियों की घोषणा को अनिवार्य करने से पारदर्शिता बढ़ेगी तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक निवारक के रूप में कार्य होगा।
  - इसके अतिरिक्त, इन खुलासों को **एक स्वतंत्र निकाय या मीडिया द्वारा जाँच के अधीन** करने से **जवाबदेही में उल्लेखनीय वृद्धि** हो सकती है, **विशेष रूप से अनुपातहीन धन संचय के मामलों में।**
  - ऐसी पारदर्शिता से **न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा में जनता का विश्वास** और बढ़ेगा।
    - वर्ष 1997 में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत **न्यायाधीशों को अपने जीवनसाथी और आश्रितों सहित सभी संपत्तियों की घोषणा** भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष करने की आवश्यकता थी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

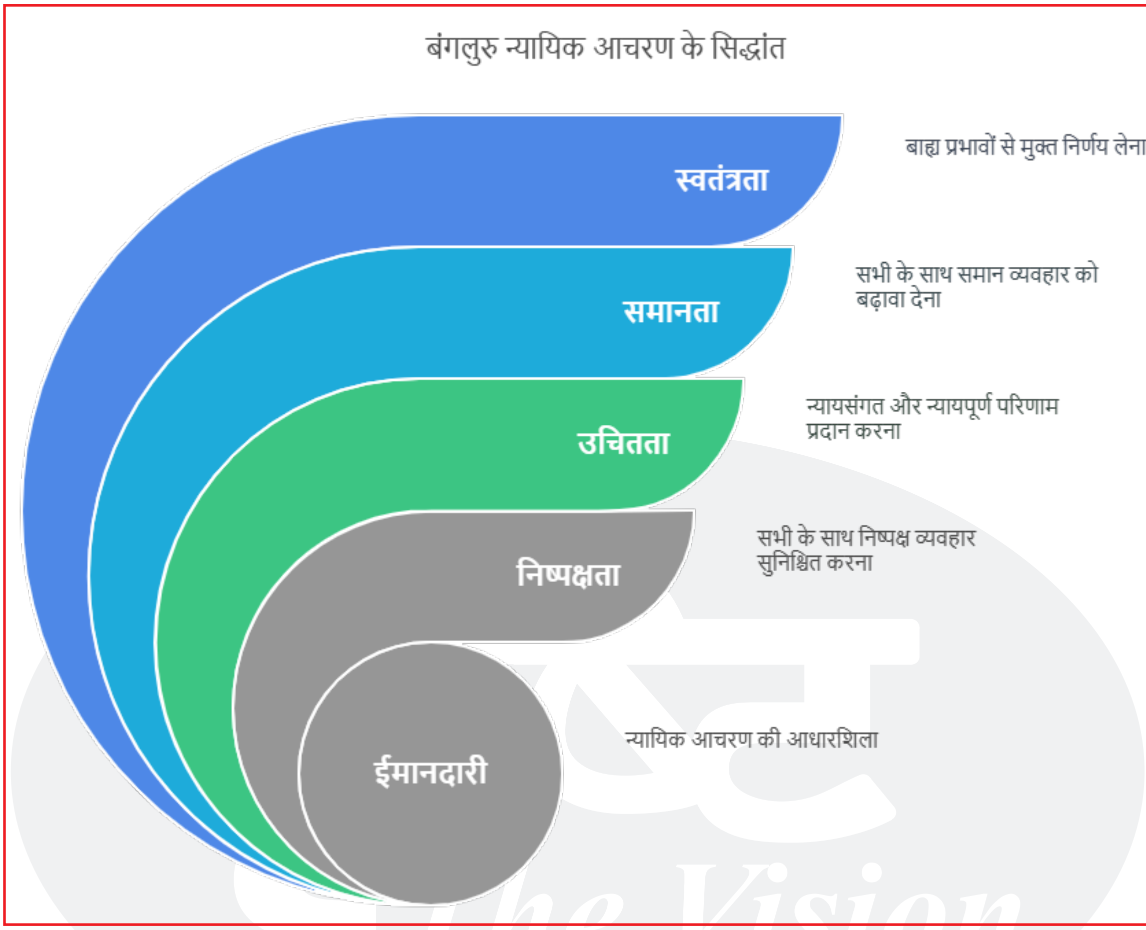

- **पारदर्शिता के साथ आंतरिक तंत्र को सुदृढ़ करना:** यद्यपि न्यायिक कदाचार से निपटने के लिये **आंतरिक प्रक्रिया मूल्यवान** है, तथापि अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये इसमें सुधार किया जाना चाहिये।
  - औपचारिक **रिपोर्टिंग तंत्र** लागू करने से, न्यायिक गोपनीयता से समझौता किये बिना, जाँच के परिणामों तक जनता की पहुँच सुनिश्चित होगी, जिससे प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ेगी।
  - यह सुनिश्चित करना कि अनुशासनात्मक निर्णयों को जनता तक स्पष्ट रूप से पहुँचाया जाए, इससे न्यायपालिका की जवाबदेही मज़बूत होगी, साथ ही न्यायिक स्वतंत्रता भी बनी रहेगी।
- **राष्ट्रीय न्यायिक आचार संहिता का कार्यान्वयन:** एक स्वतंत्र निकाय द्वारा लागू की जाने वाली **राष्ट्रीय न्यायिक आचार संहिता** से **नैतिक व्यवहार, हितों के टकराव और न्यायिक उत्तरदायित्व के अन्य पहलुओं पर स्पष्ट दिशानिर्देश** उपलब्ध होंगे।
  - यह संहिता **मौजूदा अनौपचारिक दिशा-निर्देशों से कहीं अधिक व्यापक** होगी और न्यायाधीशों के लिये स्पष्ट मानक तय करेगी। यह सुनिश्चित करेगी कि न्यायाधीशों को सुसंगत नैतिक मानकों का पालन करना होगा, जिससे अनुशासनात्मक मामलों में स्पष्टता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025
SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

- **न्यायिक निष्पादन समीक्षा और रिपोर्टिंग:** न्यायाधीशों के लिये एक **निष्पादन समीक्षा प्रणाली** शुरू की जानी चाहिये, जहाँ उनके **निर्णयों की गुणवत्ता और नैतिक मानकों के पालन का समय-समय पर मूल्यांकन** किया जाता है, इससे जवाबदेही की एक और कड़ी जुड़ जाएगी।
  - ये **समीक्षाएँ पारदर्शी** होंगी तथा समग्र परिणाम सार्वजनिक रूप से साझा किये जाएंगे, जबकि व्यक्तिगत मामलों की गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी।
  - इससे **न्यायपालिका की प्रभावशीलता और निष्ठा की निगरानी करने में सहायता** मिलेगी तथा यह सुनिश्चित होगा कि **न्यायाधीश व्यावसायिकता के उच्च मानकों के प्रति प्रतिबद्ध** रहें।
- **न्यायिक कदाचार के लिये मुखबिर संरक्षण:** न्यायिक कदाचार की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिये, न्यायपालिका के भीतर मज़बूत **मुखबिर संरक्षण तंत्र** लागू किया जाना चाहिये।
  - इससे यह सुनिश्चित होगा कि जो लोग **दुर्व्यवहार की रिपोर्ट** करते हैं, चाहे वे **न्यायालय के कर्मचारी हों या अन्य हितधारक, उन्हें प्रतिशोध से बचाया जा सके।** मुखबिरों की सुरक्षा करके, यह प्रणाली पारदर्शिता की संस्कृति को प्रोत्साहित करेगी और न्यायपालिका को आवश्यकता पड़ने पर स्वयं को सुधारने की अनुमति देगी।

निष्कर्ष:

वर्तमान में न्यायिक उत्तरदायित्व से संबंधित जो तंत्र प्रचलित हैं, जैसे कि **'न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम'**, वे **प्रायः अप्रभावी सिद्ध** होते हैं तथा इनमें **राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना** बनी रहती है। **न्यायिक उत्तरदायित्व** को सुदृढ़ करने के लिये **स्वतंत्र निगरानी निकाय की स्थापना, परिसंपत्तियों की पारदर्शी घोषणा तथा न्यायिक कार्यप्रणाली की नियमित समीक्षा** जैसी संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। ये प्रयास न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखेंगे बल्कि जनता के विश्वास को भी सशक्त करेंगे। जैसा कि **पूर्व CJI डी. वाई. चंद्रचूड़** ने रेखांकित किया है, ***"सच्ची न्यायिक स्वतंत्रता किसी गलत आचरण को ढकने का आवरण नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्यों की पूर्ति का माध्यम है।"***

■■■

भारतीय कृषि में सुधार

यह एडिटोरियल 03/06/2025 को द फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित "Irrigation and cropping must be in sync" पर आधारित है। यह लेख बुनियादी ढाँचे पर आधारित कृषि नीतियों और किसानों के वास्तविक समय, आवश्यकता-आधारित निर्णयों के बीच असमानता को सामने लाता है, एक समुत्थानशील और समावेशी कृषि क्षेत्र बनाने के लिये विकेंद्रीकृत, उत्तरदायी सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

भारत की कृषि नीति लंबे समय से इस धारणा पर कार्य करती रही है कि **बुनियादी ढाँचे-आधारित विकास**—विशेष रूप से बड़े और लंबे समय में पूरे होने वाले सिंचाई परियोजनाओं के जरिये, कृषि पद्धतियों में बदलाव लाया जा सकता है। हालाँकि, हाल के **ज़मीनी स्तर के साक्ष्य** दिखाते हैं कि **किसान फसल चक्र, सिंचाई और आदानों के उपयोग जैसे निर्णय तात्कालिक जरूरतों,** जलवायु परिवर्तनशीलता और स्थानीय संसाधनों के आधार पर लेते हैं। इससे **टॉप-टू-डाउन योजना और जमीनी स्तर के अनुकूलनशील निर्णय-निर्माण** के बीच एक अंतर सामने आता है। एक अधिक समुत्थानशील और समावेशी कृषि प्रणाली बनाने के लिये, भारत को रीयल-टाइम सहायता, विकेंद्रीकृत योजना और ऐसे समुत्थानशील नीतिगत उपायों पर ध्यान देना होगा जो कृषि चक्र और जोखिमों के साथ तालमेल बिठा सकें।

भारत में कृषि सुधारों को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?

- **तकनीकी उन्नति और डिजिटल कृषि: AI, GIS, ड्रोन और रिमोट सेंसिंग** जैसी डिजिटल कृषि प्रौद्योगिकियों में उन्नति उत्पादकता, संसाधन प्रबंधन और बाज़ार पहुँच में सुधार करके इस क्षेत्र में क्रांति ला रही है।
  - ये प्रौद्योगिकियाँ परिशुद्ध खेती को संभव बनाती हैं, जिससे लागत कम होती है और उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ती है।
  - **कृषि में** राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NEGP-A) का शुभारंभ और डिजिटल कृषि मिशन जैसी पहल तकनीक अपनाने में सहायता कर रही हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इसके अतिरिक्त, कृषि प्रौद्योगिकी निवेश में वृद्धि, जिसके **वर्ष 2025 तक 30-35 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने** का अनुमान है, बढ़ती हुई प्रौद्योगिकी-संचालित कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाती है।

- **जलवायु समुत्थानशील और जल प्रबंधन:** जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की बढ़ती संवेदनशीलता के मद्देनजर जलवायु-अनुकूल फसलों और जल-कुशल सिंचाई प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
  - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल पहल, जो 95 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करती है, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा देती है तथा जल उपयोग दक्षता को बढ़ाती है।
  - **वर्ष 2015-2021 के बीच** सिंचाई तीव्रता 144.2% से बढ़कर 154.5% हो गई है, यह फोकस सतत् विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है।
    - वित्त वर्ष 2025 में इस पहल के तहत राज्यों को 21,968 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं, जिससे महत्त्वपूर्ण जल संरक्षण सुनिश्चित हुआ है।

- **उच्च मूल्य वाली फसलों और संबद्ध क्षेत्रों में विविधीकरण:** बागवानी, पशुधन और मत्स्य पालन की ओर विविधीकरण ने कृषि विकास को पर्याप्त गति प्रदान की है, क्योंकि इन उत्पादों की मांग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है।
  - **वित्त वर्ष 2013 से वित्त वर्ष 2023 तक 13.67% की सीएजीआर** के साथ मत्स्य पालन ऐसे विविधीकरण की सफलता को दर्शाता है।
  - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (6,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य) जैसी योजनाओं के माध्यम से संबद्ध क्षेत्रों में सरकार के निवेश ने इन क्षेत्रों के किसानों को सशक्त बनाया है।
    - **वित्त वर्ष 2024 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात 29.7% बढ़कर 60,523 करोड़** रुपए हो गया, जो इस क्षेत्र की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति को दर्शाता है।

- **ऋण और वित्तीय सहायता तक बेहतर पहुँच:** किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जैसी योजनाओं के कारण संस्थागत ऋण तक पहुँच में काफी सुधार हुआ है, जो किसानों को इनपुट और परिचालन के लिये समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सहायता करता है।
  - वित्त वर्ष 22 में कृषि क्षेत्र को संस्थागत ऋण के रूप में **18.6 लाख करोड़ रुपए** मंजूर किए गए, जिससे किसानों की वित्तीय क्षमता में वृद्धि हुई।
  - **पीएम-किसान** योजना ने भी किसानों को प्रत्यक्ष रूप से **3.7 लाख करोड़ रुपए वितरित किये** हैं, जिससे वित्तीय सहायता संरचना मज़बूत हुई है।
    - ऐसे उपाय वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं, जिससे किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिये बेहतर प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों को अपनाने में मदद मिलती है।

- **बुनियादी ढाँचे का विकास और भंडारण क्षमता:** कृषि बुनियादी ढाँचे का विकास, विशेष रूप से भंडारण और परिवहन में, फसल-उपरांत नुकसान को कम करने और किसानों के लिये बेहतर बाज़ार पहुँच सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - कृषि अवसंरचना कोष (AIF) ने **अवसंरचना परियोजनाओं को समर्थन देने के लिये ₹10,000 करोड़** के ऋण को मंजूरी दी है।
  - वित्त वर्ष 2025 में भारत का कुल **खाद्यान्न उत्पादन 347.44 मिलियन टन** तक पहुँचने की उम्मीद है, जो बुनियादी ढाँचे में निवेश के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

- **बाज़ार सुधार और डिजिटल प्लेटफॉर्म: ई-राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम)** की स्थापना किसानों के लिये मूल्य निर्धारण, पारदर्शिता और बाज़ार तक पहुँच में सुधार लाने में महत्त्वपूर्ण रही है।
  - **1.74 करोड़ किसानों** और **2.39 लाख व्यापारियों की भागीदारी** के साथ, ई-नाम ने ग्रामीण उत्पादकों और शहरी बाज़ारों के बीच के अंतर को कम करने में मदद की है।
  - एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड सुनिश्चित करने के सरकार के कदम से खाद्यान्न वितरण भी सुव्यवस्थित हुआ है और एकीकृत कृषि बाज़ार प्रणाली बनी है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- ये सुधार बिचौलियों पर निर्भरता को कम करते हैं, किसानों के लिये उचित मूल्य सुनिश्चित करते हैं, जो उनकी आय में सुधार के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **सतत् और जैविक खेती:** जैविक और सतत् कृषि पद्धतियों की बढ़ती मांग के साथ, सरकार ने किसानों को जैविक खेती की ओर रुख करने के लिये प्रोत्साहन प्रदान किया है।
  - भारत का जैविक खाद्य बाज़ार वित्त वर्ष 2022-27 के बीच **25.25% की CAGR** से बढ़ने की उम्मीद है।
  - **राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA)** जैसी पहल अधिक सतत् कृषि पद्धतियों पर ज़ोर देती हैं।
  - इसके अतिरिक्त, भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान के नेतृत्व में मिलेट क्रांति, **भारत को श्री अन्न** उत्पादन में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कर रही है।

भारत में कृषि उत्पादकता और स्थिरता में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **अपर्याप्त जल प्रबंधन और सिंचाई अवसंरचना:** भारत का कृषि क्षेत्र अपर्याप्त जल प्रबंधन और असंगत सिंचाई अवसंरचना के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है।
  - **प्रति बूंद अधिक फसल पहल** जैसे सरकारी प्रयासों के बावजूद, जल की कमी एक सतत् समस्या बनी हुई है, विशेष रूप से वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में।
  - सिंचाई कवरेज सकल फसल क्षेत्र के **49.3% से बढ़कर 55% हो गया** है, **फिर भी झारखंड जैसे राज्यों में महत्त्वपूर्ण** अंतर बना हुआ है।
  - जल संसाधनों का यह असमान वितरण कृषि उत्पादकता को प्रभावित (विशेषकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में) करता है।
- **जलवायु परिवर्तन और मौसम संबंधी अनिश्चितता:** जलवायु परिवर्तन कृषि उत्पादकता को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है, अनियमित वर्षा पैटर्न और बढ़ते तापमान से फसल की उत्पादकता को खतरा उत्पन्न हो रहा है।
  - किसानों को अप्रत्याशित मौसम की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिससे पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ कम विश्वसनीय हो जाती हैं।
  - वर्तमान में, केवल चरम मौसम की घटनाओं के कारण होने वाली वार्षिक औसत फसल हानि **भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.25 प्रतिशत** के बराबर है।
  - इसका असर चावल जैसी फसलों पर भी पड़ सकता है। उदाहरण के लिये भारत में **तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस** की वृद्धि और **वर्षा में 2 मिमी** की कमी से चावल की उत्पादकता में 3 से 15% की कमी आ सकती है।
- **छोटी भूमि जोत और खंडित कृषि:** भारत में छोटी भूमि जोतों का प्रभुत्व अकुशल कृषि पद्धतियों और सीमित पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को जन्म देता है।
  - **भारत में 96% भूमि जोत सीमांत या छोटी होने** के कारण किसानों को उन्नत प्रौद्योगिकी और मशीनीकरण में निवेश करने में कठिनाई होती है।
  - जैसे-जैसे भूमि का आकार घटता है, उत्पादन की प्रति इकाई लागत बढ़ती है, जिससे उत्पादकता कम होती जाती है।
  - उदाहरण के लिये **वर्ष 2047 तक औसत कृषि आकार** घटकर **0.6 हेक्टेयर** रह जाने की उम्मीद है, जिससे आधुनिक कृषि तकनीकों को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।
- **आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार तक पहुँच का अभाव:** उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता के बावजूद, उनके दोहन की गति मंद है, विशेष रूप से छोटे किसानों के बीच।
  - **डिजिटल प्लेटफॉर्म, ड्रोन** और **AI-संचालित कृषि तकनीकों** तक पहुँच में अंतर उत्पादकता में सुधार में बाधा डालता है।
  - सरकार के **डिजिटल कृषि मिशन** ने कई तकनीक आधारित योजनाएँ शुरू की हैं, लेकिन **30% किसान अभी भी** ऐसी तकनीकों का उपयोग नहीं कर रहे हैं।
    - तकनीक अपनाने की धीमी गति, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, उत्पादन बढ़ाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिये भारत की कृषि क्षमता को सीमित करती है।
- **अकुशल कृषि नीतियाँ और बाज़ार विनियमन:** यद्यपि कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिये कई नीतियाँ शुरू की गई हैं,

The Vision

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

लेकिन उनके कार्यान्वयन में अक्सर सामंजस्य का अभाव रहता है और वे किसानों की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं।

- उदाहरण के लिये **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** प्रणाली, हालाँकि किसानों की आय की रक्षा करने के लिये बनाई गई थी, लेकिन **सभी फसलों को इसमें शामिल नहीं किये जाने तथा इसके खराब क्रियान्वयन** के कारण इसकी आलोचना की गई है।
- **ई-नाम मंच,** जिसका उद्देश्य बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करना है, अभी तक केवल **1.74 करोड़ किसानों** को ही इससे जोड़ा जा सका है, जिससे कई किसान औपचारिक बाज़ार प्रणाली से बाहर रह गए हैं।
  - यह **खंडित नीति दृष्टिकोण कृषि बाज़ारों के सुचारू संचालन** में बाधा डालता है तथा उन्हें अकुशल और अपारदर्शी बनाता है।
- **मृदा क्षरण और सीमित सतत् प्रथाएँ:** रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग और जैविक प्रथाओं पर अपर्याप्त ध्यान देने के कारण भारत में मृदा की गुणवत्ता में कमी आ रही है।
  - 30% से अधिक **भारतीय मृदा क्षरित** हो जाने के कारण कृषि स्थायित्व खतरे में है, जिसके परिणामस्वरूप फसल की पैदावार में गिरावट आ रही है।
  - **राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (NMSA)** जैसी योजनाओं के बावजूद, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 5% से भी कम भारतीय किसान सतत् कृषि पद्धतियों को अपना पाए हैं।
    - रासायनिक निविष्टियों पर निर्भरता के कारण **मृदा क्षरण** हो रहा है, जिसके लिये दीर्घावधि मृदा स्वास्थ्य बहाली प्रक्रियाओं में गहन निवेश की आवश्यकता है, साथ ही पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है।
- **अपर्याप्त भंडारण और कटाई के बाद का बुनियादी ढाँचा:** भारत में कटाई के बाद होने वाली हानि खराब भंडारण और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे के कारण चिंताजनक रूप से अधिक बनी हुई है।
  - कुशल शीत भंडारण और परिवहन नेटवर्क के अभाव में, लगभग **40 % खाद्यान्न बर्बाद** हो जाता है, जो लगभग 92,000 करोड़ रुपए/वर्ष के बराबर है।

    - यह **सकल घरेलू उत्पाद** के लगभग 1% के बराबर है जो भारत में खाद्यान्न की बर्बादी के रूप में नष्ट हो जाता है।
  - **कृषि अवसंरचना कोष (AIF)** जैसी योजनाओं के तहत अधिक भंडारण क्षमता बनाने पर सरकार के फोकस से कुछ परिणाम सामने आए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी काफी कमी है।
    - उदाहरण के लिये **खरीफ फसल की खरीद 467.9 मिलियन टन** (2004-14) से बढ़कर **787.1 मिलियन टन** (2015-25) हो गई है, लेकिन **अपर्याप्त भंडारण** के कारण अभी भी नुकसान हो रहा है।
- **ऋण और वित्तीय सहायता तक सीमित पहुँच: हालाँकि** किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और **पीएम-किसान** जैसी पहलों ने कुछ वित्तीय राहत प्रदान की है, लेकिन समय पर और पर्याप्त ऋण तक पहुँच कई किसानों के लिये बाधा बनी हुई है।
  - कई किसान अभी भी ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं, जो प्राय: शोषणकारी होते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025
SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

- RBI की एक हालिया रिपोर्ट में **ग्रामीण भारत में अनौपचारिक वित्त के फलते-फूलते** स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है, जहाँ 31% ऋण अनौपचारिक माध्यमों से प्राप्त किये जाते हैं।

कृषि उत्पादकता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **कृषि मशीनीकरण में तेजी लाना:** भारत को सब्सिडीयुक्त पहुँच, कस्टम हायरिंग केंद्रों और किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से कृषि मशीनरी को व्यापक रूप से अपनाने को प्राथमिकता देनी चाहिये।
  - **दलवई समिति के निष्कर्ष** दर्शाते हैं कि मशीनीकरण से **खेती की लागत में 25%** की कमी आ सकती है तथा उत्पादकता में 20% की वृद्धि हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि आय में **25-30% की पर्याप्त वृद्धि** हो सकती है।
  - यह दोहरा लाभ कृषि दक्षता और किसान समृद्धि दोनों को बढ़ाने के लिये मशीनीकरण को एक महत्त्वपूर्ण मार्ग बनाता है।
- **जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना: भारत को जलवायु-अनुकूल फसल किस्मों के विकास तथा संवर्द्धन** पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जो सूखा, बाढ़ और उच्च तापमान जैसी चरम मौसम स्थितियों का सामना कर सकें।
  - मौसम पूर्वानुमान उपकरणों और वास्तविक समय पर निर्णय लेने के लिये AI-संचालित मॉडल जैसी सतत् कृषि तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने से किसानों को बदलते जलवायु पैटर्न के अनुरूप अपनी प्रथाओं को अनुकूलित करने में मदद मिल सकती है।
  - **वर्ष 2024** में फसलों की 109 उच्च उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल और जैव-सशक्त किस्मों को जारी करना सही दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
  - **एमकिसान, किसान सुविधा और पूसा कृषि** जैसे मौजूदा डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग **किसानों को फसल की किस्मों, उपलब्ध सब्सिडी और तकनीकी मार्गदर्शन** के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिये किया जाना चाहिये।
- **स्मार्ट प्रौद्योगिकियों के साथ सिंचाई बुनियादी ढाँचे का पुनरुद्धार:** यद्यपि सिंचाई बुनियादी ढाँचे में प्रगति हुई है, भारत को स्मार्ट, अधिक सतत् सिंचाई प्रणालियों की ओर बढ़ना होगा।
  - **ड्रिप सिंचाई** और **सेंसर आधारित सिंचाई प्रबंधन** जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों में निवेश से जल उपयोग में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है तथा दक्षता में भी सुधार किया जा सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, **कृषि-IoT-आधारित** प्रणालियों को एकीकृत करने से **मिट्टी की नमी के स्तर पर वास्तविक समय के आँकड़ों, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अति-स्थानीय मौसम पूर्वानुमान और फसल की जल आवश्यकताओं का पता चलता है,** जिससे सिंचाई कार्यक्रम को अनुकूलित किया जा सकता है, अपव्यय को कम किया जा सकता है साथ ही जल संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है।
- **कृषि अनुसंधान एवं विकास (R & D) को मज़बूत करना:** भारत को कृषि अनुसंधान में निवेश बढ़ाना चाहिये तथा **आनुवंशिकी, कीट प्रबंधन और सतत् कृषि तकनीकों में नवाचारों** पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
  - **डिजिटल प्लेटफार्मों और विस्तार सेवाओं के माध्यम** से किसानों तक अनुसंधान निष्कर्षों की पहुँच को बढ़ाना, अत्याधुनिक अनुसंधान को व्यावहारिक ज़मीनी अनुप्रयोगों में परिवर्तित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाज़ार पहुँच बढ़ाना:** E-NAM जैसे डिजिटल कृषि बाज़ारों की पहुँच और दक्षता का विस्तार पारदर्शी मूल्य निर्धारण, बिचौलियों को खत्म करने तथा बाज़ार पहुँच का विस्तार करके किसानों को सशक्त बना सकता है।
  - ट्रेसिबिलिटी के लिये **ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी** में और अधिक निवेश से **उचित मूल्य निर्धारण** सुनिश्चित हो सकता है तथा शोषण कम हो सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष किसान-उपभोक्ता संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिये मोबाइल-आधारित प्लेटफार्मों को मज़बूत किया जाना चाहिये (**विशेष रूप से जल्दी खराब होने वाले सामानों के लिये**), जो फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम कर किसानों की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ा सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **उच्च मूल्य वाली फसलों में विविधीकरण को प्रोत्साहित करना: पारंपरिक अनाज और दालों पर निर्भरता कम करने के लिये, भारत को फलों, सब्जियों, मसालों और जड़ी-बूटियों** जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को प्रोत्साहित करना चाहिये, जिनकी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च मांग है।
  - **MSP व्यवस्था का पुनर्गठन करके फसल विविधीकरण** को बढ़ावा देना चाहिये, ताकि किसानों को गेहूँ और चावल से आगे बढ़ने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके तथा एकल कृषि से जुड़े जोखिम को कम करते हुए उच्च लाभ प्राप्त करने में उनकी मदद की जा सके।
  - इस बदलाव को नीतिगत उपायों द्वारा समर्थित किया जा सकता है, जिसमें इनपुट के लिये सब्सिडी, गुणवत्ता वाले बीजों तक बेहतर पहुँच और बाज़ार संपर्क सहायता शामिल है।
- **एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य में सुधार:** मृदा क्षरण भारत की कृषि उत्पादकता के लिये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
  - इससे निपटने के लिये, सरकार को **एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन** (IANM) प्रथाओं को प्रोत्साहित करना चाहिये, जिसमें जैविक उर्वरकों, जैव-उर्वरकों और रासायनिक उर्वरको को संतुलित तरीके से संयोजित किया जाए।
  - **कम्पोस्ट**, **हरी खाद** और **फसल चक्र** के उपयोग को प्रोत्साहित करने से मिट्टी की उर्वरता बहाल हो सकती है, **जल धारण क्षमता में सुधार हो सकता है** तथा रासायनिक इनपुट पर निर्भरता कम हो सकती है, जिससे उत्पादकता में सतत् वृद्धि सुनिश्चित हो सकती है।
- **कृषि अवसंरचना में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना:** कृषि अवसंरचना, जैसे **शीत भंडारण सुविधाएँ, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ और गोदाम नेटवर्क** विकसित करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी से फसल-पश्चात मूल्य शृंखला में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।
  - सरकार को **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** को सुविधाजनक बनाना चाहिये, जिससे बुनियादी ढाँचे में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिल सके तथा छोटे किसानों के लिये समान लाभ सुनिश्चित हो सके।
    - ये साझेदारियाँ परिवहन लागत और फसल-उपरांत नुकसान को कम करने के लिये **रसद सुधार** पर भी ध्यान केंद्रित कर सकती हैं।
- **किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को मज़बूत करना:** किसान उत्पादक संगठन (FPO) किसानों की बाज़ार, प्रौद्योगिकी और वित्त तक पहुँच बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
  - FPO को मज़बूत करके, किसान आधारित अर्थव्यवस्था, बेहतर संवाद और ऋण तक बेहतर पहुँच से लाभान्वित हो सकते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, डिजिटल उपकरणों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के साथ FPO को सशक्त बनाने से वे सामूहिक कृषि प्रथाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने तथा **अपनी उपज को अधिक संरचित और लाभदायक** तरीके से विपणन करने में सक्षम होंगे।
- **ग्रामीण उद्यमिता और कृषि-तकनीक स्टार्टअप को सुविधाजनक बनाना:** ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करना तथा **कृषि-तकनीक स्टार्टअप को बढ़ावा देना**, कृषि पद्धतियों, उत्पाद विकास और सेवा वितरण में नवाचार को बढ़ावा दे सकता है।
  - सरकार द्वारा कृषि-तकनीक के लिये समर्पित **इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित किये जाने चाहिये** है, जो इच्छुक उद्यमियों को प्रशिक्षण, वित्त पोषण और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
  - इस तरह की पहल से प्रौद्योगिकी अंतर को कम किया जा सकता है, विशेष रूप से **स्वचालित खेती, ड्रोन सेवाओं** और **AI-आधारित विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में**, साथ ही रोज़गार उत्पन्न करने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी।
    - उदाहरण के लिये, **एंबीटैग** एक स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर है जिसे कोल्ड चेन प्रबंधन के लिये IIT रोपड़ द्वारा विकसित किया गया है।
- **सतत् और जैविक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना: वैश्विक बाज़ार के रुझान और बढ़ती उपभोक्ता मांग के साथ संतुलन स्थापित करने हेतु भारत को जैविक इनपुट पर**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन और **प्रमाणन** प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाकर जैविक खेती को बड़े पैमाने पर अपनाने पर जोर देना चाहिये।

- **शून्य-बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF)** जैसी **प्राकृतिक कृषि पद्धतियों** के लिये समर्थन बढ़ाया जाना चाहिये, जिसमें मृदा स्वास्थ्य में सुधार, रसायनों पर निर्भरता कम करने तथा जैविक उपज के लिये प्रीमियम मूल्य प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
- सब्सिडी और प्रमाणन सहायता के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देते हुए, **भारत को यह सुनिश्चित** करना होगा कि इस बदलाव से उत्पादकता बनी रहे, ताकि श्रीलंका के मामले में देखी गई बाधाओं को रोका जा सके।

निष्कर्ष:

भारतीय कृषि को वास्तव में पुनर्जीवित करने के लिये, **नीति को दीर्घकालिक बुनियादी ढाँचे से आगे बढ़कर किसानों की तात्कालिक और स्थानीय ज़रूरतों** के साथ संतुलन स्थापित करना होगा। जलवायु-अनुकूल पद्धतियों, डिजिटल समाधानों और विविध मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर, सुधार उत्पादकता और समुत्थानशीलता बढ़ा सकते हैं। FPO, कृषि-तकनीक और समावेशी ऋण प्रणालियों को मज़बूत करने से छोटे किसानों को सशक्त बनाया जा सकेगा। भारत के खाद्य और आय सुरक्षा लक्ष्यों को सुरक्षित करने के लिये एक **उत्तरदायी, तकनीक-सक्षम और सतत् दृष्टिकोण** महत्त्वपूर्ण है।

भारत के फार्मास्युटिकल परिदृश्य का पुनरुद्धार

यह एडिटोरियल 10/06/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "Pharma opportunity" लेख पर आधारित है। यह लेख भारत के 50 बिलियन डॉलर के फार्मास्युटिकल उद्योग के रणनीतिक महत्त्व को सामने लाता है, जिसे अमेरिकी टैरिफ से छूट दी गई है, जो वैश्विक स्वास्थ्य सेवा की भूमिका और नवाचार-संचालित विकास की क्षमता को रेखांकित करता है।

भारत का दवा उद्योग (**फार्मास्युटिकल क्षेत्र**), जिसका मूल्य **वर्ष 2024 में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और वर्ष 2030 तक 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँचने का अनुमान है, वहनीय दवाओं की आपूर्ति में एक वैश्विक महाशक्ति बना हुआ है। हालाँकि, अमेरिकी प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों पर लगाए गए हाल के व्यापक **पारस्परिक शुल्कों (Reciprocal Tariffs)** के बावजूद, फार्मास्यूटिकल्स को महत्त्वपूर्ण छूट प्राप्त हुई है, जो इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्त्व को रेखांकित करती है। व्यापारिक तनावों से यह छूट, **वैश्विक स्तर पर सस्ती स्वास्थ्य सेवा बनाए रखने में भारत की अपरिहार्य भूमिका** को दर्शाती है, साथ ही नवाचार और गुणवत्ता सुधार के माध्यम से आगे के विकास के अवसर भी प्रस्तुत करती है।

भारत में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला वर्तमान नियामक ढाँचा क्या है?

- **केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO):** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन CDSCO **भारत में फार्मास्यूटिकल्स की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार शीर्ष** नियामक निकाय है।
  - **यह नई दवाओं के अनुमोदन, नैदानिक परीक्षणों, विनिर्माण लाइसेंसों** तथा चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के विनियमन की देखरेख करता है।
  - CDSCO औषधि परीक्षण और लेबलिंग के लिये मानक निर्धारित करता है, तथा दवा उत्पादन के लिये **अच्छे विनिर्माण अभ्यास (GMP)** के कार्यान्वयन में भी शामिल है।
- **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940:** औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम भारत के औषधि विनियामक ढाँचे की आधारशिला है।
  - यह देश में दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों के निर्माण, बिक्री और वितरण को नियंत्रित करता है।
  - यह सुनिश्चित करता है कि केवल सुरक्षा और प्रभावकारिता मानकों को पूरा करने वाली दवाओं को ही अनुमोदित किया जाए और बाज़ार में बेचा जाए।
- **राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA):** NPPA एक सरकारी एजेंसी है, जो भारत में आवश्यक दवाओं की कीमतों को विनियमित करने के लिये ज़िम्मेदार है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह **सुनिश्चित करता है कि आवश्यक दवाएँ जनता को किफायती** कीमतों पर उपलब्ध हों तथा निर्माता और आपूर्तिकर्त्ता बाज़ार का शोषण न कर सकें।
- NPPA नियमित रूप से आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची **(हाल ही में 1.74% की वृद्धि) के अंतर्गत** दवाओं की कीमतों में संशोधन करता है तथा मूल्य नियंत्रण तंत्र का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

- **राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरण:** केंद्रीय प्राधिकरणों के अतिरिक्त, भारत में अलग-अलग राज्यों के अपने औषधि नियंत्रण विभाग हैं, जो क्षेत्रीय स्तर पर औषधि कानूनों के प्रवर्तन के लिये ज़िम्मेदार हैं।
- **क्लिनिकल परीक्षणों का विनियमन:** भारत में क्लिनिकल परीक्षणों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अनुपालन में CDSCO द्वारा विनियमित किया जाता है।
  - भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) नैदानिक परीक्षणों के संचालन के लिये नैतिक दिशा-निर्देश प्रदान करता है, जिसमें अच्छे नैदानिक अभ्यास (GCP) मानकों का पालन किया जाना चाहिये।
- **फार्मास्युटिकल विज्ञापन और प्रचार:** फार्मास्युटिकल विज्ञापन और प्रचार का विनियमन भारत के फार्मा क्षेत्र विनियमन का एक और महत्त्वपूर्ण पहलू है।
  - ओषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 औषधियों के विज्ञापन को नियंत्रित करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि विपणन में किये गए दावे सत्य हों तथा भ्रामक न हों।
- **हाल ही के सुधार:** भारतीय फार्मा क्षेत्र में भी विनियामक दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से हाल ही में कई सुधार किये गए हैं।
  - राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 और **औषधि प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना** महत्त्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों तथा दवाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।

भारत के फार्मास्युटिकल क्षेत्र की वृद्धि को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारक कौन-से हैं?

- **विनिर्माण में लागत दक्षता: भारत का फार्मास्युटिकल क्षेत्र विनिर्माण में महत्त्वपूर्ण लागत लाभ** के कारण आगे बढ़ रहा रहा है।
  - देश को सस्ते श्रम और कच्चे माल सहित निम्न परिचालन लागत का लाभ मिलता है, जिससे यह वैश्विक बाज़ार में अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धी बन जाता है।
  - उदाहरण के लिये, भारत की दवा निर्माण लागत **अमेरिका और यूरोप की तुलना में लगभग 30-35%** कम है।
    - यह मूल्य निर्धारण लाभ, **जेनेरिक दवाओं के विश्व के सबसे बड़े प्रदाता** के रूप में भारत की स्थिति को मज़बूत करता है, जो वैश्विक निर्यात में **लगभग 20% का योगदान** देता है।
- **सरकारी सहायता और नीतिगत पहल:** उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकारी सहायता विकास को बढ़ावा देती है।
  - भारत सरकार ने **PIL योजना के लिये 15,000 करोड़ रुपए (2.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर) आवंटित किये** हैं, जिसका उद्देश्य क्षेत्र की विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देना है।
  - इसके अतिरिक्त, PMBJP का विस्तार 15,000 से अधिक केंद्रों तक हो गया है, जो **80% तक कम कीमत पर जेनेरिक दवाइयाँ** उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे पहुँच और सामर्थ्य दोनों में वृद्धि हुई है।
- **जेनेरिक दवाओं की बढ़ती वैश्विक मांग:** वैश्विक जेनेरिक दवाओं के बाज़ार में भारत की प्रमुख स्थिति, विशेष रूप से अमेरिका जैसे विकसित देशों में, इसकी वृद्धि का आधार है।
  - **अमेरिका में खपत होने वाली जेनेरिक दवाओं** में भारतीय फार्मा कंपनियों की हिस्सेदारी 40% है, जिसका बाज़ार मूल्य **वर्ष 2024 में 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर** से अधिक होगा।
  - इसके अलावा, **अमेरिकी FDA ने 262 से अधिक भारतीय संयंत्रों को मंज़ूरी** प्रदान किया है, जो अमेरिका के बाहर सबसे अधिक संख्या है और भारत की मज़बूत आपूर्ति क्षमताओं को दर्शाता है।
- **जैव प्रौद्योगिकी और बायोलॉजिक्स में प्रगति:** भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र, जिसमें **बायोलॉजिक्स,** बायोसिमिलर और **टीके** शामिल हैं, प्रगति कर रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **भारत का बायोसिमिलर बाज़ार 22% की CAGR से बढ़कर** वर्ष 2025 तक **12 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँचने की उम्मीद है।
- इसके अतिरिक्त, **भारत विश्व के 60% से अधिक टीकों** की आपूर्ति करता है, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल नवाचार में, विशेष रूप से कैंसर और मधुमेह उपचार जैसे क्षेत्रों में, इसकी भूमिका मज़बूत होती है।

- **अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों का विस्तार:** भारत का फार्मा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विशेष रूप से **यूरोपीय संघ और जापान जैसे विनियमित बाज़ारों में अपनी उपस्थिति** का विस्तार जारी रखे हुए हैं।
  - वैश्विक मानकों का पालन करने वाली सुविधाओं की बढ़ती संख्या के साथ, भारतीय कंपनियाँ इन बाज़ारों में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही हैं।
  - वित्त वर्ष 2024 में, **भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात 200 से अधिक देशों को निर्यात के साथ 27.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच गया।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और वैश्विक भागीदारी:** विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी भारत के फार्मा उद्योग के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। FDI के सरल मानदंडों ने भारत के फार्मा क्षेत्र में अधिक वैश्विक निवेश को प्रोत्साहित किया है।
  - **भारत ग्रीनफील्ड फार्मा परियोजनाओं में 100% तक FDI** की अनुमति प्रदान करता है तथा वर्ष 2000 से अब तक **23.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का FDI आकर्षित कर चुका है।
  - हाल के उदाहरणों में **हैदराबाद में अपने वैश्विक क्षमता केंद्र के विस्तार में सनोफी** द्वारा किया गया **435 मिलियन अमेरिकी डॉलर** का निवेश शामिल है, जो भारत की फार्मास्युटिकल क्षमता में बढ़ती वैश्विक रुचि को दर्शाता है।
- **चिकित्सा उपकरण और डिजिटल स्वास्थ्य क्षेत्र का विस्तार: फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा प्रौद्योगिकी और डिजिटल स्वास्थ्य** का अभिसरण भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विकास को गति दे रहा है।
  - चिकित्सा उपकरणों और डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों में प्रगति के साथ, भारत अपने स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार कर रहा है।
  - भारत का **चिकित्सा प्रौद्योगिकी बाज़ार 2030 तक 15% की CAGR** से बढ़ते हुए **50 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँचने की उम्मीद है।
    - इसके अतिरिक्त, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को बदल रहा है, डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों की सुविधा प्रदान कर रहा है तथा देश भर में पहुँच सुनिश्चित कर रहा है।

भारत के फार्मास्युटिकल क्षेत्र के समक्ष प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **गुणवत्ता नियंत्रण और विनियामक अनुपालन:** भारत को निरंतर गुणवत्ता नियंत्रण बनाए रखने और वैश्विक विनियामक मानकों का पालन सुनिश्चित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
  - फार्मा क्षेत्र के तेजी से विस्तार और बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा के कारण कभी-कभी गुणवत्ता मानकों में खामियाँ आ जाती हैं।
  - अमेरिका के बाहर USFDA-अनुपालन करने वाले संयंत्रों की सबसे अधिक संख्या होने के बावजूद, भारत में निर्मित **कफ सिरप** पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी जैसी हालिया घटनाएँ अनुपालन में संभावित अंतराल को दर्शाती हैं।
- **बौद्धिक संपदा और पेटेंट संबंधी चुनौतियाँ: भारत के फार्मा क्षेत्र, विशेष रूप से जेनेरिक दवाओं के क्षेत्र बौद्धिक संपदा (IP) अधिकार और पेटेंट संबंधी** महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करते हैं।
  - **अनिवार्य लाइसेंसिंग पर भारत का रुख**, जैसा कि दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को जेनेरिक एंटीरेट्रोवायरल दवाओं के प्रावधान के मामले में देखा गया है, अक्सर वैश्विक दवा कंपनियों के साथ तनाव का कारण बनता है।
  - उदाहरण के लिये, **भारत ने महत्त्वपूर्ण कैंसर दवाओं के लिये अनिवार्य लाइसेंस** प्रदान किये हैं, जिसके कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ कानूनी प्रतिस्पर्द्धा शुरू हो गई है, जिसमें **बौद्धिक संपदा अधिकारों** के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **सक्रिय फार्मास्युटिकल अवयवों (API) के लिये आयात पर निर्भरता: भारत महत्त्वपूर्ण सक्रिय फार्मास्युटिकल अवयवों (API)** के लिये आयात पर अत्यधिक निर्भर (विशेष रूप से चीन से) है।
  - यह निर्भरता आपूर्ति शृंखला स्थिरता के लिये जोखिम, विशेष रूप से भू-राजनीतिक तनावों या व्यापार में व्यवधानों के संदर्भ, में उत्पन्न करती है।
  - भारत का लगभग **70-80%** API आयात चीन से होता है, जिससे इस क्षेत्र को आपूर्ति शृंखला संबंधी महत्त्वपूर्ण जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
    - **वर्ष 2021** में, वैश्विक आपूर्ति शृंखला में व्यवधान, विशेष रूप से चीन से, आवश्यक API की कमी का कारण बना, जिसने भारत की दवा उत्पादन क्षमता की भेद्यता को उजागर किया।
- **जेनेरिक दवाओं पर अत्यधिक निर्भरता:** भारत का फार्मा उद्योग जेनेरिक दवाओं पर बहुत अधिक निर्भर है, जो इसके निर्यात का एक बड़ा हिस्सा है।
  - यद्यपि जेनेरिक दवाएँ वैश्विक स्वास्थ्य सेवा के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन उन पर अत्यधिक निर्भरता से इस क्षेत्र में **नवाचार और दीर्घकालिक स्थिरता** को खतरा हो सकता है।
  - यद्यपि जेनेरिक दवाएँ अमेरिकी बाज़ार का 40% हिस्सा हैं तथा भारत वैश्विक जेनेरिक निर्यात में 20% की हिस्सेदारी रखता है, फिर भी **उद्योग को बायोलॉजिक्स और विशिष्ट दवाओं** जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पादों की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।
    - इसके बावजूद, भारत का जेनेरिक बाज़ार पर प्रभुत्व, फार्मास्यूटिकल मूल्य शृंखला में विविधता लाने और उच्च मार्जिन हासिल करने की इस क्षेत्र की क्षमता को सीमित करता है।
- **प्रतिभा की कमी और कौशल अंतराल:** भारत के फार्मा क्षेत्र को कुशल प्रतिभा की बढ़ती कमी का सामना (विशेष रूप से **बायोलॉजिक्स, उन्नत चिकित्सा और नियामक मामलों जैसे उभरते क्षेत्रों में**) करना पड़ रहा है।
  - प्रतिभा का यह अंतर उद्योग की प्रभावी ढंग से विस्तार करने और नवप्रवर्तन करने की क्षमता में बाधा डालता है।
  - PWC की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि **43% फार्मा कंपनियों** को कौशल की कमी के कारण डिजिटल परिवर्तन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
  - इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र का लक्ष्य **वर्ष 2047 तक 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँचना है, अनुसंधान एवं विकास तथा नैदानिक परीक्षणों में उन्नत विशेषज्ञता की मांग आपूर्ति से अधिक होने की उम्मीद है, जो विकास के लिये एक बड़ी बाधा उत्पन्न करेगी।
- **पर्यावरणीय स्थिरता के मुद्दे:** भारत के फार्मास्युटिकल उद्योग का पर्यावरण पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से **अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा खपत** और उत्पादन सुविधाओं से कार्बन उत्सर्जन के संबंध में।
  - जैसे-जैसे वैश्विक स्थिरता मानक बढ़ रहे हैं, इन मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
  - उदाहरण के लिये, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों के आँकड़ों से पता चलता है कि **वर्ष 2020 में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 656 टन जैव-चिकित्सा अपशिष्ट में से केवल 590 टन** का ही उपचार किया गया।
    - यह **रोगाणुरोधी प्रतिरोध** की बढ़ती समस्या में योगदान दे रहा है।

भारत के फार्मा क्षेत्र में सुधार के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **नवाचार और अनुसंधान एवं विकास (R&D) निवेश पर ध्यान केंद्रित करना:** जेनेरिक दवाओं पर निर्भरता से हटकर उच्च मूल्य वाले उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने के लिये भारत को **अनुसंधान एवं विकास (अ&D) में अपने निवेश को महत्त्वपूर्ण** रूप से बढ़ाना होगा।
  - **नवाचार को प्राथमिकता देने से भारतीय फार्मा कंपनियों को बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स और व्यक्तिगत चिकित्सा** जैसे उभरते चिकित्सीय क्षेत्रों में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी ।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- शैक्षिक संस्थानों के साथ निजी क्षेत्र की साझेदारी को प्रोत्साहित करने से तालमेल उत्पन्न हो सकता है, जिससे अभूतपूर्व अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा और नई औषधि खोजों और प्रौद्योगिकियों का परिणाम सामने आएगा।

- **API विनिर्माण क्षमताओं को मज़बूत करना: भारत को सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (API)** के लिये विदेशी आयात, विशेष रूप से चीन से, पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिये।
  - सरकारी प्रोत्साहनों (जैसे कि PIL योजना) के माध्यम से आत्मनिर्भर API विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने से इस क्षेत्र को आपूर्ति शृंखला व्यवधानों से बचाया जा सकेगा।
  - **समर्पित API पार्कों की स्थापना और मौजूदा सुविधाओं** को वैश्विक अनुपालन मानकों के अनुरूप उन्नत करने से यह भी सुनिश्चित होगा कि भारत में निर्मित दवाएँ लगातार उच्च गुणवत्ता वाली होंगी।

- **हरित एवं सतत् विनिर्माण प्रथाओं का कार्यान्वयन:** भारत के फार्मास्युटिकल उद्योग के लिये वैश्विक पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने और प्रतिस्पर्द्धी बने रहने के लिये हरित एवं अधिक सतत् विनिर्माण प्रथाओं को अपनाना आवश्यक है।
  - सतत् उत्पादन पद्धतियों को अपनाने से **ऊर्जा खपत, अपशिष्ट और कार्बन उत्सर्जन** में कमी आएगी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप होगा।
  - **पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और शून्य अपशिष्ट** प्रक्रियाओं को अपनाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
    - **भारत पर्यावरण संबंधी नियमों पर अपने बढ़ते जोर का लाभ उठाकर पर्यावरण अनुकूल दवा** विनिर्माण में अग्रणी बन सकता है, जिससे उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी।

- **डिजिटल स्वास्थ्य और एआई एकीकरण का विस्तार:** भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग सहित डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों को **फार्मास्युटिकल अनुसंधान, उत्पादन और वितरण** प्रणालियों में पूरी तरह से एकीकृत करना चाहिये।
  - AI का उपयोग करके, दवा की खोज और विकास प्रक्रियाओं में तेजी लाई जा सकती है तथा रोगी देखभाल को अधिक कुशलतापूर्वक वैयक्तिकृत किया जा सकता है।
  - दवा विकास, नैदानिक परीक्षण और पूर्वानुमान विश्लेषण को **कारगर बनाने के लिये AI-संचालित प्लेटफार्मों** के उपयोग से न केवल परिचालन दक्षता बढ़ेगी, बल्कि नए उपचार मार्गों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी।
    - इसके अतिरिक्त, **AI गुणवत्ता नियंत्रण** को बढ़ा सकता है, त्रुटियों को कम कर सकता है तथा समग्र आपूर्ति शृंखला प्रबंधन में सुधार कर सकता है।

- **स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** घरेलू और वैश्विक दोनों मांगों को पूरा करने के लिये, भारत को फार्मास्युटिकल अवसंरचना को बढ़ाने के लिये मज़बूत **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** को बढ़ावा देना चाहिये।
  - **सरकार, निजी फार्मा कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों** के बीच सहयोग से आवश्यक दवाओं के उत्पादन, वितरण और पहुँच को बढ़ाने के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा उपलब्ध होगा।
  - **ऐसी साझेदारियाँ उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिये बेहतर संसाधन आवंटन,** ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पहुँच में सुधार तथा वंचित आबादी तक टीके और महत्त्वपूर्ण उपचार पहुँचाने में तेजी लाने में भी सक्षम होंगी।

- **उन्नत चिकित्सा में कौशल और प्रतिभा विकास: जैसे-जैसे फार्मा उद्योग अधिक जटिल औषधि** विकास में आगे बढ़ रहा है, भारत को कौशल और प्रतिभा विकास में भारी निवेश करना चाहिये, विशेष रूप से जैविक और व्यक्तिगत चिकित्सा जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में।
  - **शैक्षणिक संस्थानों, फार्मा कंपनियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं** के बीच सहयोग, नई प्रौद्योगिकियों को संभालने में सक्षम कुशल कार्यबल विकसित करने में महत्त्वपूर्ण होगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- सरकार को उन कंपनियों को प्रोत्साहन देना चाहिये जो उन्नत फार्मास्युटिकल प्रौद्योगिकियों में कर्मचारियों के कौशल उन्नयन में निवेश करती हैं, ताकि भविष्य के लिये एक स्थायी प्रतिभा पाइपलाइन सुनिश्चित हो सके।

- **पुरानी बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए घरेलू दवा बाज़ार को पुनर्जीवित करना:** मधुमेह, हृदय संबंधी बीमारियों और कैंसर जैसी गैर-संचारी बीमारियों (NCD) के बढ़ते बोझ को पूरा करने के लिये, **भारत को अपने घरेलू दवा बाज़ार** को पुरानी बीमारियों के उपचार पर केंद्रित करना होगा।
  - भारत में NCD तेजी से रुग्णता और मृत्यु दर का प्रमुख कारण बन रहा है, इसलिये **फार्मा कंपनियों को इन चिकित्सीय क्षेत्रों में अनुसंधान और उत्पादन** को प्राथमिकता देनी चाहिये।
  - दीर्घकालिक, उच्च-मूल्य चिकित्सा पर ध्यान केन्द्रित करने से न केवल घरेलू स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताएँ पूरी होंगी, बल्कि बढ़ते वैश्विक दीर्घकालिक रोग बाजार में निर्यात के अवसर भी उत्पन्न होंगे।

- **सस्ती दवाओं तक पहुँच को सुव्यवस्थित करना:** विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में सस्ती दवाओं तक व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये, भारत को **जन औषधि योजना** और अन्य सरकारी पहलों के विस्तार सहित वितरण नेटवर्क को बढ़ाना होगा।
  - सस्ती दवा दुकानों की पहुँच बढ़ाकर भारत लागत और पहुँच संबंधी उन समस्याओं का समाधान कर सकता है, जो अनेक नागरिकों को समय पर देखभाल प्राप्त करने से रोकती हैं।

- **अगली पीढ़ी की फार्मा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना:** भारत को अगली पीढ़ी की फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकियों, जैसे **कोशिका-आधारित चिकित्सा और जीन थेरेपी** में निवेश करना चाहिये, ताकि जेनेरिक दवाओं से आगे बढ़ा जा सके और वैश्विक उच्च-मूल्य वाली दवा बाज़ार में नेतृत्व की स्थिति स्थापित की जा सके।
  - **CRISPR जीन एडिटिंग और RNA-आधारित चिकित्सा** जैसी तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने से भारत की फार्मास्यूटिकल पेशकश में विविधता आएगी तथा नए वैश्विक बाज़ार खुलेंगे।
  - यह दूरदर्शी दृष्टिकोण भारत को नवीन चिकित्सा के केंद्र के रूप में स्थापित करेगा तथा इसके निर्यात प्रोफाइल और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाएगा।

निष्कर्ष:

भारत का **फार्मास्यूटिकल क्षेत्र एक निर्णायक मोड़** पर खड़ा है, जहाँ यह "विश्व की फार्मेसी" होने से आगे बढ़कर उच्च-मूल्य नवाचार में वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर हो रहा है। **अनुसंधान एवं विकास (R&D),** डिजिटल स्वास्थ्य और कौशल विकास में रणनीतिक सुधार और मजबूत सार्वजनिक-निजी साझेदारी इस क्षेत्र के अगले चरण को अनलॉक करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आत्मनिर्भरता और वैश्विक उत्कृष्टता की दृष्टि के साथ, भारत सस्ती और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के भविष्य को आकार देने की दिशा में सुदृढ़ स्थिति में है।

■■■

समावेशी आर्थिक विकास के लिये भारत की नीति

यह एडिटोरियल 11/06/2025 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "India's economic growth is not inclusive. It is a concentrated accumulation of wealth" पर आधारित है। इस लेख में भारत की 3.9 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और व्याप्त असमानता के बीच के गहरे अंतर को उजागर किया गया है, जो सभी नागरिकों के लिये वास्तविक प्रगति सुनिश्चित करने की दिशा में समावेशी विकास की आवश्यकता पर बल देता है।

3.9 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की प्रशंसित स्थिति अत्यधिक असमानता और व्यापक अभाव की कठोर वास्तविकता को छुपाए हुए है। यद्यपि **शीर्ष 1% के पास राष्ट्रीय संपत्ति का 40% से अधिक नियंत्रण** है, **औसत भारतीय** कुलीन वर्ग की संपत्ति को छोड़कर 5,600 रुपए प्रति माह से कम पर गुजारा करता है। मानव विकास संकेतकों पर भारत की रैंकिंग निराशाजनक है, **HDI पर 134वें** और **ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर 111वें स्थान पर,** यह दर्शाता है कि GDP संख्या आम नागरिकों के लिये

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

वास्तविक समृद्धि में परिवर्तित नहीं होती है। आगे बढ़ते हुए, भारत को यह सुनिश्चित करने के लिये समर्पित प्रयासों की आवश्यकता है कि इसकी आर्थिक उपलब्धियाँ सार्थक अवसर और समावेशी विकास उत्पन्न करें।

समावेशी विकास हेतु भारत की प्रगति का पथ क्या रहा है?

- **स्वतंत्रता-उपरांत युग (वर्ष 1947-1970):** स्वतंत्रता के बाद के आरंभिक वर्षों में, भारत ने **राज्य-नेतृत्व वाले औद्योगीकरण,** भूमि सुधार **और गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित समाजवादी-उन्मुख आर्थिक मॉडल** अपनाया।
  - इसका उद्देश्य योजनाबद्ध आर्थिक विकास के माध्यम से सीमांत वर्ग के लोगों की स्थिति में सुधार लाना था, जिसमें हरित क्रांति ने खाद्य उत्पादन और ग्रामीण रोज़गार बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - पंचवर्षीय योजनाओं, **विशेषकर 11वीं और 12वीं में** समावेशी विकास पर ज़ोर दिया गया।
- **आर्थिक सुधार (वर्ष 1991-2000):** वर्ष 1991 के आर्थिक उदारीकरण ने भारत के विकास पथ में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया।
  - यद्यपि **अर्थव्यवस्था के उदारीकरण ने तीव्र विकास को बढ़ावा** दिया, लेकिन इसने **असमानता के अंतराल को भी बढ़ा** दिया।
  - आर्थिक विकास का लाभ शहरी क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट रहा तथा ग्रामीण एवं गरीब क्षेत्र पीछे रह गए।
  - हालाँकि, इन **सुधारों ने व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** और **औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिये मंच तैयार किया,** जिससे समग्र राष्ट्रीय विकास में योगदान मिला।
- **अधिकार-आधारित दृष्टिकोण (वर्ष 2005-2015):** 2000 के दशक के मध्य में, भारत विकास के लिये अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की ओर अग्रसर हुआ।
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) **और** शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम जैसे कार्यक्रम सामाजिक समावेशन को प्रत्यक्ष रूप से सुनिश्चित करने के लिये आरंभ किये गए थे।
  - सरकार का लक्ष्य गरीबी को कम करना तथा रोज़गार और शिक्षा तक पहुँच की गारंटी के माध्यम से सीमांत वर्गों को सशक्त बनाना है, हालाँकि कार्यान्वयन में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- **वर्तमान युग (2015-वर्तमान): हाल के वर्षों में, प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY),** डिजिटल इंडिया अभियान **और** आयुष्मान भारत जैसी पहलों के साथ, डिजिटल एवं वित्तीय समावेशन की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - ये कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिये तैयार किये गए हैं।
  - इसके अतिरिक्त, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से **नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी अवसंरचना के विकास और उद्यमिता के लिये भारत का प्रयास,** व्यापक आर्थिक भागीदारी पर सरकार के ज़ोर को दर्शाता है।

भारत में समावेशी विकास में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **निरंतर गरीबी और असमानता:** आर्थिक विकास के बावजूद, भारत में असमानता काफी बढ़ गई है, जिससे लाखों लोग गरीबी में फँसे हुए हैं।
  - देश की **कुल संपत्ति का 53% केवल शीर्ष 1% जनसंख्या के पास** है, जबकि निचले 50% भारतीयों के हिस्से में मात्र 4.1% संपत्ति आती है।
  - धन-संपत्ति का यह बड़ा अंतर यह दर्शाता है कि विकास का लाभ अधिकांश आबादी तक नहीं पहुँचा है।
  - यद्यपि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) जैसे सरकारी कल्याण कार्यक्रमों से **80 करोड़ लोग लाभान्वित** होते हैं, फिर भी धन का वितरण असमान रूप से विषम बना हुआ है, जो समतामूलक समृद्धि के लिये प्रणालीगत बाधाओं को उजागर करता है।
- **विशाल अनौपचारिक कार्यबल:** भारत में समावेशी विकास में एक बड़ी बाधा **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का प्रभुत्व** है, जो **कुल कार्यबल का 90% हिस्सा** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, उचित वेतन और औपचारिक रोज़गार लाभ तक पहुँच नहीं है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) **ने इस बात पर प्रकाश** डाला है कि **अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक शोषण और आर्थिक झटकों के प्रति संवेदनशील** होते हैं तथा उनके पास पेंशन या स्वास्थ्य देखभाल जैसी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती।
  - वास्तविक समावेशन के लिये, नीतियों को इस विशाल कार्यबल को औपचारिक बनाने और बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये श्रम कानूनों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** भारत की आर्थिक वृद्धि असमान रही है तथा **राज्यों के बीच पर्याप्त असंतुलन** है।
  - उदाहरण के लिये, **बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) महाराष्ट्र का लगभग 5वाँ हिस्सा** है, जो **क्षेत्रीय आर्थिक अंतर** को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
  - ये असमानताएँ देश की राष्ट्रव्यापी समावेशी विकास को बढ़ावा देने की क्षमता में बाधा डालती हैं, क्योंकि **गरीब राज्यों को बुनियादी अवसंरचना और सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने में संघर्ष** करना पड़ता है।
- **लैंगिक असमानता:** लैंगिक असमानता **भारत के समावेशी विकास पथ में एक महत्त्वपूर्ण बाधा** बनी हुई है।
  - विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ अनौपचारिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में कार्यरत हैं, जहाँ पारिश्रमिक कम है और नौकरी की सुरक्षा भी नहीं है।
  - विश्व असमानता रिपोर्ट (2022) के अनुसार, श्रम बल का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा होने के बावजूद, **महिलाएँ पुरुषों की तुलना में केवल 18% आय अर्जित करती हैं।**
    - **ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स (2022) में 146 देशों में से भारत का 135वाँ स्थान** इस मुद्दे की गहराई को उजागर करता है, जिससे महिलाओं के लिये रोज़गार और ऋण तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिये नीतियों की आवश्यकता होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **कम वित्तीय साक्षरता: RBI के अनुसार,** भारत में वित्तीय साक्षरता अभी भी कम है, **केवल 27% जनसंख्या ही वित्तीय रूप से साक्षर** है।
  - ज्ञान की कमी व्यक्तियों की वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में पूर्ण रूप से भाग लेने की क्षमता को सीमित कर देती है, जिससे **बचत, निवेश और ऋण तक पहुँच में बाधा** उत्पन्न होती है।
  - **प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी वित्तीय समावेशन पहलों** ने प्रगति की है, लेकिन आम जनता को, विशेष रूप से ग्रामीण एवं सीमांत समुदायों को, सूचित वित्तीय निर्णय लेने के लिये शिक्षित तथा उन्हें सशक्त बनाने के लिये और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।
- **बुनियादी अवसंरचना में अंतराल:** बुनियादी अवसंरचना में महत्त्वपूर्ण सुधार के बावजूद, भारत को अभी भी बिजली, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं में काफी अंतराल का सामना करना पड़ रहा है।
  - लगभग **25% भारतीयों के पास अभी भी बिजली नहीं** है तथा कई ग्रामीण क्षेत्रों में **स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सुविधाएँ अपर्याप्त** हैं।
  - यद्यपि **प्रधानमंत्री सौभाग्य** और **आयुष्मान भारत** जैसी पहलों का उद्देश्य इन मुद्दों का समाधान करना है, फिर भी बुनियादी अवसंरचना की गुणवत्ता एवं पहुँच, विशेष रूप से ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में, असंगत बनी हुई है।

भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **MSME और कौशल विकास के माध्यम से रोज़गार के अवसरों का विस्तार: बेरोज़गारी और अल्परोज़गार से निपटने के लिये भारत को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME)** के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये, जो रोज़गार सृजन के प्रमुख चालक हैं।
  - ऋण, प्रौद्योगिकी और बुनियादी अवसंरचना तक आसान पहुँच के माध्यम से MSME को सुदृढ़ करने से लाखों नौकरियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, विशेषकर ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में।
  - इसके अतिरिक्त, **PMKVY (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना) जैसे कौशल विकास कार्यक्रमों** पर ध्यान केंद्रित करने तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार करने से कार्यबल को उभरती बाज़ार आवश्यकताओं के अनुकूल ढलने में मदद मिलेगी, जिससे सीमांत समूहों के लिये रोज़गार एवं आय के स्तर में वृद्धि होगी।
- **सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं को सुदृढ़ करना:** अनौपचारिक कार्यबल को कवर करने के लिये **सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ किया जाना चाहिये,** जो भारतीय श्रम बाज़ार का 90% हिस्सा है।
  - इसके अतिरिक्त, **JAM ट्रिनिटी (जन धन, आधार, मोबाइल)** के माध्यम से लक्षित सब्सिडी और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रभावी रूप से सीमांत आबादी तक पहुँच सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक लचीलापन में सुधार हो सकता है।
- **बुनियादी अवसंरचना के विकास के माध्यम से क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना:** विशाल क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिये, भारत को वंचित राज्यों में बुनियादी अवसंरचना और सामाजिक सेवाओं में निवेश को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
  - **गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति** जैसे कार्यक्रम कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, जबकि ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं ऊर्जा अभिगम पर केंद्रित बुनियादी अवसंरचना का विकास आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देगा।
  - राज्यों के बीच बुनियादी अवसंरचना के अंतर को कम करके, भारत रोज़गार और उद्यम के लिये अधिक संतुलित अवसर उत्पन्न कर सकता है, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में।
- **कार्यबल में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना:** सभी आर्थिक क्षेत्रों में लैंगिक समावेशन को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
  - इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये **नीतियों में महिलाओं के लिये समान वेतन, वित्त की सुगम्यता और कॅरियर के अवसर** सुनिश्चित किये जाने चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इसके अतिरिक्त, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाओं, जैसे बाल **देखभाल सहायता एवं कार्यस्थल सुरक्षा,** को दूर करने से महिलाओं को अधिक औपचारिक व पारिश्रमिक वाली भूमिकाएँ निभाने में मदद मिलेगी, जिससे समावेशी विकास में योगदान मिलेगा।

- **प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटल और वित्तीय समावेशन:** सीमांत समुदायों को सशक्त बनाने और अर्थव्यवस्था में समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये डिजिटल पहुँच एवं साक्षरता का विस्तार आवश्यक है।
    - **डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिये PMGDISHA (प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान)** जैसी पहलों को सुदृढ़ करना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी-ग्रामीण विभाजन के बीच के अंतराल को समाप्त कर सकता है।
    - इसके अतिरिक्त, **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना** के माध्यम से ऋण सुगम्यता बढ़ाने से लघु उद्यमों और व्यक्तिगत उद्यमियों के विकास में सुविधा होगी।

- **विकास के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को मज़बूत करना:** सरकार को **स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी अवसंरचना** जैसे क्षेत्रों में **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा** देना चाहिये।
    - रणनीतिक PPP मॉडल के माध्यम से इन क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने से **वंचित क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण सेवाओं की उपलब्धता में तेज़ी** आ सकती है, जिससे **अधिक समावेशी विकास को बढ़ावा** मिलेगा।
    - इसके अलावा, सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग से नवाचार, संसाधन एवं विशेषज्ञता लाई जा सकती है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि देश के सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास संधारणीय और समतापूर्ण हो।

- **क्लाइमेट-स्मार्ट और सतत् विकास मॉडल:** भारत के सामने मौजूद पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए, सतत् और समावेशी विकास को बढ़ावा देने का अर्थ है **आर्थिक नियोजन में जलवायु अनुकूलन को एकीकृत करना।**
    - **कृषि, विनिर्माण और ऊर्जा** में हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने से न केवल नये आर्थिक अवसर उत्पन्न होंगे, बल्कि पर्यावरणीय क्षरण एवं संसाधनों की कमी के मुद्दों का भी समाधान होगा।
        - सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये प्रोत्साहन के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के अंगीकरण को प्रोत्साहित करना तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, समावेशी, पर्यावरण-अनुकूल विकास को बढ़ावा देते हुए जलवायु प्रभावों को कम करने में मदद करेगा।

- **शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना:** भ्रष्टाचार और अकुशलता प्रायः कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं समावेशी विकास की पहुँच में बाधा डालते हैं।
    - **जन विश्वास विधेयक और सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण** जैसे उपायों के माध्यम से **पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं शासन के लिये संस्थागत कार्यढाँचे** को सुदृढ़ करने से यह सुनिश्चित होगा कि आर्थिक विकास के लाभ अधिक व्यापक रूप से वितरित हों।
    - **सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार, अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना और प्रशासनिक बाधाओं को कम करना** कल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी एवं समावेशी बनाएगा।

निष्कर्ष:

भारत के आर्थिक विकास के साथ-साथ **समावेशिता पर भी स्पष्ट ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि समृद्धि समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे।** जबकि GDP और कल्याणकारी योजनाओं में हाल ही में हुई प्रगति सराहनीय है, लेकिन बढ़ती असमानता, गरीबी एवं सामाजिक विषमताओं पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। वास्तविक विकास हासिल करने के लिये नीतियों में **समान धन वितरण, रोज़गार सृजन और सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ क्षेत्रीय एवं लैंगिक अंतराल की पूर्ति करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025
SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025
SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम: आर्थिक समृद्धि के स्तंभ

यह एडिटोरियल 10/06/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "Enduring growth of the MSME credit landscape" पर आधारित है। इस लेख में भारत के MSME क्षेत्र की मज़बूत वृद्धि को रेखांकित करता है, जिसे ऋण प्रवाह में 13% की वृद्धि से दर्शाया गया है, वहीं यह सीमित ऋण सुगम्यता और विनियामक बाधाओं जैसी निरंतर चुनौतियों को भी उजागर करता है जो त्वरित नीतिगत सुधारों की माँग करती हैं।

भारत का MSME क्षेत्र **तीव्र गति से प्रगति** कर रहा है, जहाँ **ऋण प्रवृत्ति में वार्षिक 13% की वृद्धि** दर्ज की गयी है और यह वृद्धि स्तर उल्लेखनीय रूप से बढ़ चुके हैं। इस **वृद्धि को नये उधारकर्त्ताओं की मज़बूत माँग से बल मिला है,** जो कुल नये ऋणों के लगभग आधे हिस्से के लिये उत्तरदायी हैं। इस उत्साहजनक प्रवृत्ति के बावजूद, MSME क्षेत्र अब भी **औपचारिक ऋण की सीमित उपलब्धता और जटिल नियामक प्रक्रियाओं जैसी दीर्घकालिक चुनौतियों** से जूझ रहा है। भारत के लिये आवश्यक है कि यह इन संरचनात्मक समस्याओं का समाधान शीघ्रतापूर्वक समग्र नीतिगत सुधारों तथा व्यवसाय-हितैषी प्रक्रियाओं के सरलीकरण के माध्यम से करे, ताकि MSME क्षेत्र सतत् आर्थिक विकास की रीढ़ के रूप में प्रभावी रूप से स्थापित हो सके।

भारत का MSME क्षेत्र किस प्रकार भारत की आर्थिक संवृद्धि को गति दे रहा है?

- **रोज़गार सृजन और नौकरियों का निर्माण:** MSME भारत में सबसे बड़े रोज़गार प्रदाता हैं, जो **कार्यबल में लगभग 60% का योगदान** करते हैं।
  - अनुमानत: 7.34 करोड़ MSME के साथ, यह क्षेत्र भारत की युवा, विस्तारित श्रम शक्ति को समाहित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - अकेले प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) ने सत्र 2023-24 में 89,118 उद्यमों को समर्थन दिया, जिससे 7.1 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन हुआ।
- **निर्यात और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा:** MSME क्षेत्र भारत के निर्यात प्रदर्शन का एक प्रमुख चालक है, जिसने सत्र 2024-25 तक भारत के कुल निर्यात में **45.79% का योगदान** दिया है।
  - वैश्विक व्यापार में उनकी बढ़ती भागीदारी भारत के व्यापार संतुलन को सुधारने तथा वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में इसकी स्थिति को मज़बूत करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - एक प्रमुख नीतिगत पहल, **सार्वजनिक क्रय नीति** ने MSME की सरकारी खरीद तक पहुँच को बढ़ाया है तथा निर्यात क्षमताओं को बढ़ावा दिया है।
- **वित्तीय समावेशन और ऋण सुलभता:** MSME के लिये ऋण सुगम्यता सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों में से एक है, लेकिन मुद्रा योजना और ऋण गारंटी कोष (CGTMSE) **जैसी हालिया सरकारी पहल** इस अंतर को समाप्त कर रही हैं।
  - मुद्रा ऋण योजना ने MSME को **5.41 लाख करोड़ रुपए** (वित्त वर्ष 24) वितरित किये हैं, जिससे व्यवसायों को विस्तार और नवाचार करने में सशक्त बनाया गया है।
    - संपार्श्विक-मुक्त ऋण की पेशकश और ऋण गारंटी का विस्तार करके, ये उपाय MSME को अत्यंत आवश्यक वित्त समर्थन प्रदान करते हैं।
- **डिजिटल परिवर्तन और प्रौद्योगिकी का अंगीकरण:** यह क्षेत्र डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है, जो दक्षता और बाज़ार पहुँच में सुधार के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - लगभग **72% MSME अब डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता देते हैं,** जिससे पारदर्शिता बढ़ती है और लेन-देन लागत कम होती है।
    - UPI इकोसिस्टम ने **वर्ष 2024 में 23.48 लाख करोड़ रुपए** मूल्य के लेन-देन संसाधित किये, जो इस क्षेत्र की बढ़ती डिजिटल भागीदारी और भविष्य में विकास की इसकी क्षमता को दर्शाता है।
- **सरकारी सहायता और नीतिगत सुधार:** सरकार ने MSME के लिये अपने आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की है, विकास को समर्थन देने के लिये **वित्त वर्ष 2026 में 23,168 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया** गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- निवेश और टर्नओवर सीमा बढ़ाने तथा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू करने जैसे सुधारों से कारीगरों, विशेषकर महिलाओं एवं ग्रामीण उद्यमियों को विशेष सहायता मिलेगी।
- **क्षेत्रीय विकास और समावेशी वृद्धि:** MSME क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में।
  - SFURTI (पारंपरिक उद्योगों के निधि पुनरुद्धार की योजना) जैसी योजनाओं ने पारंपरिक क्षेत्रों में बदलाव लाकर ग्रामीण कारीगरों की उत्पादकता बढ़ाई है।
  - इसके अलावा, अकेले **जम्मू और कश्मीर ने PMEGP** के तहत **3.56 लाख नौकरियाँ उत्पन्न कीं,** जिससे क्षेत्रीय असमानताओं में काफी कमी आई।
- **संवहनीयता और हरित पहल:** संवहनीयता MSME विकास के लिये केंद्रीय बन रही है, हरित प्रौद्योगिकी के अंगीकरण और पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण में तेज़ी आ रही है।
  - **आत्मनिर्भर भारत** ने MSME को सौर ऊर्जा, EV बैटरी और पवन टर्बाइन में स्वच्छ तकनीक पहल सहित हरित विनिर्माण प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिये प्रोत्साहित किया है।
  - राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का ध्यान स्वच्छ प्रौद्योगिकी, जैसे **सौर PV सेल** और **EV बैटरी पर केंद्रित** है।

भारत के MSME क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **औपचारिक ऋण तक सीमित पहुँच:** MSME के लिये सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों में से एक **औपचारिक ऋण तक उनकी सीमित पहुँच** है, जो उनके विस्तार की क्षमता को बाधित करती है।
  - यद्यपि **मुद्रा योजना** और **CGTMSE** जैसी योजनाओं ने **महत्त्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की** है, फिर भी **बड़ी संख्या में MSME अभी भी अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भर** हैं।
    - केवल **2.5 करोड़ MSME** (कुल 6.3 करोड़ में से) ने औपचारिक ऋण स्रोतों तक पहुँच बनाई है।
- **विनियामक और अनुपालन बोझ:** MSME क्षेत्र को विशेष रूप से छोटे उद्यमों के लिये महत्त्वपूर्ण विनियामक और अनुपालन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - **कर, श्रम और पर्यावरण संबंधी नियमों** की जटिलता के कारण प्राय: MSME पर उच्च अनुपालन लागत एवं प्रक्रियागत विलंब का बोझ पड़ता है।
    - ये चुनौतियाँ विशेष रूप से **ऑटो कम्पोनेंट्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे विनिर्माण क्षेत्रों में गंभीर हैं,** जहाँ कड़े मानकों की आवश्यकता होती है।
  - MSME ने **उच्च अनुपालन लागत** को वैश्विक बाज़ारों में उत्पादकता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में बाधा बताया है।
- **कुशल श्रम की कमी:** कुशल श्रम की कमी एक बड़ी बाधा बनी हुई है, विशेष रूप से श्रम-गहन क्षेत्रों जैसे **वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण और रक्षा उपकरण में।**
  - व्यावसायिक प्रशिक्षण बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद, उद्योग की ज़रूरतों और उपलब्ध कौशल के बीच असंगतता, MSME में उत्पादकता एवं नवाचार को सीमित करता है।
  - **लगभग 25% MSME कुशल श्रमिकों की कमी को एक महत्त्वपूर्ण चुनौती मानते हैं**, विशेष रूप से वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में।
    - **PMEGP** और अन्य योजनाओं का उद्देश्य इस समस्या का समाधान करना है, लेकिन **कौशल अंतराल अभी भी काफी बड़ा** है, जो **MSME के विकास में बाधा** डाल रहा है।
- **तकनीकी अंतर और डिजिटल डिवाइड:** यद्यपि MSME तेज़ी से डिजिटल भुगतान को अपना रहे हैं, वे अभी भी उद्योग 4.0, **AI और स्वचालन जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाने में पीछे** हैं।
  - तकनीकी अवसंरचना की कमी तथा किफायती अनुसंधान एवं विकास तक सीमित पहुँच के कारण MSME को उत्पाद की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार करने में बाधा आती है।
  - यद्यपि **90% MSME ने डिजिटल भुगतान का अंगीकरण** कर लिया है, केवल **18% डिजिटल ऋण**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं और केवल 13% ही ग्राहकों तक पहुँचने के लिये **सक्रिय रूप से डिजिटल मार्केटिंग या ई-कॉमर्स का उपयोग** करते हैं।

- **अनुसंधान एवं विकास** तथा **तकनीकी अवसंरचना** में सीमित निवेश MSME की कुशलतापूर्वक विस्तार करने की क्षमता में बाधा डालता है।

- **बाज़ार तक पहुँच और प्रतिस्पर्द्धा:** बड़े भागीदारों से प्रतिस्पर्द्धा और विपणन विशेषज्ञता की कमी के कारण MSME को बड़े, उच्च मूल्य वाले बाज़ारों तक पहुँचने में संघर्ष करना पड़ता है।
  - यह विशेष रूप से निर्यात क्षेत्र में स्पष्ट है, जहाँ सशक्त प्रदर्शन के बावजूद MSME भारत के कुल निर्यात में 45.79% का योगदान करते हैं, फिर भी कई इकाइयाँ वैश्विक दिग्गज कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा झेलती हैं।
    - **उद्यम पोर्टल पर 5.7 करोड़ पंजीकरण** होने के बावजूद, इस क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में पहुँच अब भी सीमित बनी हुई है।

- **अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना और रसद: खराब सड़कें, अपर्याप्त बिजली आपूर्ति और अविश्वसनीय रसद** सहित बुनियादी अवसंरचना की बाधाएँ MSME उत्पादकता को प्रभावित करती रहती हैं।
  - ये मुद्दे **ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रमुख** हैं, जहाँ MSME को परिवहन एवं कच्चे माल की खरीद में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे परिचालन लागत में काफी वृद्धि होती है।
  - भारत की लॉजिस्टिक्स लागत **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 14-18% (आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23) होने का अनुमान** है, जो **8% के वैश्विक बेंचमार्क से लगभग दोगुना** है। यह स्थिति संरचनात्मक अक्षमताओं को एक गंभीर समस्या के रूप में प्रस्तुत करती है।

- **उद्यमिता में लैंगिक असमानताएँ:** यद्यपि सरकार ने **महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिये पहल** की है, फिर भी उन्हें अपने **पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक चुनौतियों का सामना** करना पड़ता है, जिसमें ऋण तक सीमित पहुँच, बाज़ार संपर्क एवं व्यावसायिक नेटवर्क शामिल हैं।
  - **महिलाओं के नेतृत्व वाले MSME कुल MSME उद्यमों का 26.2% हिस्सा** हैं, लेकिन उन्हें पुरुषों की तुलना में **ऋण तक पहुँच में अधिक चुनौतियों का सामना** करना पड़ता है।
  - ASUSE (2023-24) के अनुसार, अब **महिला-नेतृत्व के लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम** (MSME) **स्वामित्व वाले उद्यमों का 26.2% हिस्सा** हैं। हालाँकि इनमें से 76% को ऋण सुलभ है, फिर भी 41% उद्यमों ने सीमित वित्तपोषण और तीव्र प्रतिस्पर्द्धा को अपनी वृद्धि के प्रमुख अवरोधों के रूप में चिह्नित किया है।

भारत के MSME क्षेत्र की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **नियामक कार्यढाँचे का सरलीकरण:** भारत को MSME पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिये नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना होगा।
  - इसमें **कर दाखिल करने को सरल बनाना,** प्रक्रियागत विलंब को कम करना और एकल खिड़की निकासी प्रणाली बनाना शामिल है।
  - **एक-क्लिक अनुपालन प्लेटफॉर्म** शुरू करने और नियमित सरकारी समन्वय के लिये डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाने से MSME को अधिक कुशलतापूर्वक अनुपालन करने में सहायता मिलेगी।

- **डिजिटल ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता को सुदृढ़ करना:** ऋण सुगम्यता और सामर्थ्य MSME के लिये प्रमुख बाधाएँ बनी हुई हैं।
  - **डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्मों का विस्तार** करना और ऋण प्रदान करने में **NBFC (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) की अधिक भागीदारी** सुनिश्चित करना MSME को सशक्त करेगा, विशेष रूप से दूरदराज़ के क्षेत्रों में।
  - **संपार्श्विक-मुक्त ऋण की पेशकश** और **ऋण गारंटी निधि का विस्तार** वित्तीय लचीलापन प्रदान करेगा, साथ ही MSME में नवाचार को भी बढ़ावा देगा।

- **कौशल एवं कार्यबल विकास पहल:** MSME के लिये प्रतिस्पर्द्धी बने रहने हेतु कौशल अंतर को भरना आवश्यक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- सरकार को स्वचालन, AI और डेटा एनालिटिक्स सहित **उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एकीकृत** करना चाहिये।
- **निजी क्षेत्र की कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी** करके अनुकूलित कौशल विकास कार्यक्रम बनाने से कार्यबल को क्षेत्र की उभरती ज़रूरतों के अनुरूप बनाया जा सकेगा।
  - इससे MSME में उत्पादकता और नवाचार को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
- **MSME के लिये ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा देना:** बाज़ार पहुँच बढ़ाने के लिये MSME को **ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और डिजिटल मार्केटिंग टूल** अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - **MSME को ऑनलाइन स्टोर स्थापित करने** या GEM (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) जैसे बड़े **डिजिटल मार्केटप्लेस के साथ एकीकृत करने** के लिये प्रोत्साहन प्रदान करने से MSME को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर व्यापक बाज़ारों तक पहुँचने में मदद मिल सकती है।
  - इस परिवर्तन के लिये डिजिटल प्रशिक्षण का समर्थन और **उपयोगकर्त्ता-अनुकूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का विकास** महत्त्वपूर्ण है।
- **उन्नत अवसंरचना विकास:** MSME के समक्ष आने वाली अवसंरचना संबंधी बाधाओं को दूर करना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, महत्त्वपूर्ण है।
  - सरकार को वंचित क्षेत्रों में **औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक्स हब और सामान्य सुविधा केंद्र (CFC) विकसित करने को प्राथमिकता** देनी चाहिये।
  - इसके अतिरिक्त, **परिवहन नेटवर्क और बिजली आपूर्ति विश्वसनीयता में सुधार** से परिचालन लागत कम होगी तथा वैश्विक बाज़ारों में MSME की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार होगा।
- **महिला उद्यमियों के लिये केंद्रित नीति:** MSME क्षेत्र में **महिला उद्यमियों को वित्तीय प्रोत्साहन, नेटवर्किंग के अवसर और मार्गदर्शन** प्रदान करने वाली लक्षित योजनाओं की आवश्यकता है।
  - इसमें महिलाओं के समक्ष आने वाली विशिष्ट चुनौतियों से निपटने के लिये **बढ़ी हुई ऋण गारंटी, विशेष ऋण उत्पाद और क्षमता निर्माण कार्यक्रम** शामिल हो सकते हैं।
  - महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने से आर्थिक समावेशिता और क्षेत्र के समग्र विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान मिल सकता है।
- **हरित एवं संधारणीय प्रथाओं को प्रोत्साहित करना:** भारत को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके और **पर्यावरण ऋण तक आसान पहुँच की सुविधा** प्रदान करके MSME को हरित प्रौद्योगिकियों और **संधारणीय उत्पादन विधियों** को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।
  - **आयात प्रतिस्थापन** पर लक्षित नीतियाँ, जैसे टिकाऊ सामग्रियों के स्थानीय स्रोत के लिये समर्थन, MSME को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार प्रथाओं की ओर संक्रमण में भी मदद करेगी।
  - इससे MSME न केवल वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप कार्य कर सकेंगे, बल्कि आयात पर उनकी निर्भरता भी कम होगी।
- **क्षेत्र-विशिष्ट ऋण कार्यक्रम:** NITI आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वस्त्र, रक्षा विनिर्माण और खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्योगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये **क्षेत्र-विशिष्ट ऋण कार्यक्रम** स्थापित करना महत्त्वपूर्ण है।
  - इन कार्यक्रमों को विशेष रूप से इन उच्च विकास वाले क्षेत्रों में MSME के लिये **कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं, प्रौद्योगिकी अंगीकरण और बाज़ार अभिगम** जैसी चुनौतियों के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
  - इस तरह के विशेष वित्तपोषण से उनकी उत्पादकता और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- **बेहतर बाज़ार आसूचना और निर्यात सहायता:** MSME निर्यात को बढ़ावा देने के लिये, भारत को **बाज़ार आसूचना** कार्यक्रमों को लागू करना चाहिये जो वैश्विक बाज़ार के रुझान, व्यापार बाधाओं और उपभोक्ता वरीयताओं के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- MSME **क्लस्टरों में समर्पित निर्यात सहायता प्रकोष्ठों की स्थापना** के साथ-साथ **निर्यात प्रक्रियाओं में MSME को प्रशिक्षण** देने से यह सुनिश्चित होगा कि वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बेहतर ढंग से शामिल होने के लिये तैयार हैं।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी** MSME को निर्यात अनुपालन और विनियमनों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहायता कर सकती है।

- **सार्वजनिक-निजी सहयोग के माध्यम से नवाचार और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना: शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान निकायों के सहयोग से नवाचार केंद्रों का निर्माण** MSME के लिये अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दे सकता है।
  - अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों तक पहुँच को सब्सिडी देना तथा अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने वाले MSME को **कर प्रोत्साहन प्रदान करना नवाचार को प्रोत्साहित करेगा।**
  - इसके अतिरिक्त, अनुसंधान एवं विकास में **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** को सुविधाजनक बनाने से यह सुनिश्चित होगा कि MSME उत्पादन दक्षता और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिये अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकें।
- **कानूनी और बौद्धिक संपदा समर्थन में सुधार:** नवाचार को बढ़ावा देने के लिये MSME के लिये **IPR (बौद्धिक संपदा अधिकार) समर्थन** को मज़बूत करना महत्त्वपूर्ण है।
  - सरकारी एजेंसियों को MSME को उनकी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिये **रियायती IPR पंजीकरण और कानूनी सहायता** प्रदान करनी चाहिये।
  - पेटेंट अधिकारों, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट पर प्रशिक्षण प्रदान करने से MSME को अपने नवाचारों की रक्षा करने तथा क्षेत्र में अधिक रचनात्मक उपक्रमों को प्रोत्साहित करने में भी सशक्त बनाया जाएगा।

निष्कर्ष:

भारत की आर्थिक महाशक्ति बनने तक की यात्रा में, **भारत का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र अभूतपूर्व वृद्धि की क्षमता** रखता है। वित्तीय सुगम्यता व कौशल की कमी और नियामकीय जटिलताओं जैसी चुनौतियों का समाधान करके, ये उद्यम नवाचार तथा बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन के प्रमुख वाहक बन सकते हैं। इन व्यवसायों को **डिजिटल उपकरणों, लक्षित ऋण योजनाओं तथा उन्नत बुनियादी अवसंरचना** से सशक्त बनाना, उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाएगा। समावेशिता और संधारणीयता को केंद्र में रखकर, MSME वास्तव में भारत की भावी समृद्धि की रीढ़ बन सकते हैं।

चुनावी प्रक्रिया में सुधार

यह एडिटोरियल 10/06/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "Tighten the process: On the Election Commission of India, election processes" पर आधारित है। यह लेख 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कथित मतदाता सूची विसंगतियों और मतदान अनियमितताओं और CCTV फुटेज तक सीमित पहुँच पर चिंताओं के बारे में प्रकाश डालता है तथा चुनावी प्रक्रिया में बेहतर पारदर्शिता की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।

चुनाव भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला हैं, जो नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने और सार्वजनिक शासन को आकार देने का अवसर प्रदान करते हैं। **96.88 करोड़** से अधिक पंजीकृत मतदाताओं के साथ, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जो एक मज़बूत **संवैधानिक और कानूनी ढाँचे** द्वारा संचालित होता है। हालाँकि, **चुनावी प्रक्रिया धनबल, राजनीति के अपराधीकरण, मतदान धोखाधड़ी और अभियान संबंधी अनियमितताओं** जैसी समस्याओं से लगातार प्रभावित हो रही है। ऐतिहासिक सुधारों और न्यायिक हस्तक्षेपों के बावजूद, व्यवस्थागत चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

भारत में चुनावों के संचालन को कौन-से प्रमुख प्रावधान विनियमित करते हैं?

- **ECI का संवैधानिक अधिकार: अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग** को भारत में चुनावों का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने का अधिकार प्रदान करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह **स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संसदीय** और **राज्य चुनाव** कराने के लिये संस्थागत प्राधिकरण की स्थापना करता है।
- **मतदाता सूची तैयार करना: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,** 1950 मतदाता सूची को तैयार और संशोधनों को नियंत्रित करता है।
  - इसमें **निर्वाचन अधिकारियों** की नियुक्ति और **निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता** सूचियों का प्रबंधन शामिल है।
- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की नियामक भूमिका:** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 **चुनाव-पूर्व प्रक्रिया और चुनावों के संचालन** को नियंत्रित करता है।
  - इसमें योग्यता, अयोग्यता और **चुनाव विवाद प्रक्रियाओं** के साथ-साथ अपराध एवं दंड का भी उल्लेख किया गया है।
- **मतदाता सूची प्रबंधन के नियम: मतदाता पंजीकरण नियम, 1960, मतदाता सूची में सुधार और नाम हटाने** से संबंधित 1950 के अधिनियम को लागू करता है ।
  - इससे राज्यों में प्रक्रियात्मक एकरूपता सुनिश्चित होती है तथा मतदाता डेटाबेस की **सटीकता और** अखंडता मज़बूत होती है।
- **परिसीमन:** परिसीमन अधिनियम, 2002 आयोगों को जनगणना के बाद **संसदीय और विधानसभा** की सीमाओं को पुन: निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है।
  - यह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के आधार पर निष्पक्ष और आनुपातिक **प्रतिनिधित्व सुनिश्चित** करता है।
- **आदर्श आचार संहिता (MCC):** यद्यपि **कानूनी रूप** से लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन आदर्श आचार संहिता नैतिक चुनाव आचरण का मार्गदर्शन करती है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) और RPA 1951 के तहत कानूनों द्वारा समर्थित कई प्रावधान हैं।
  - **1960 में शुरू की गई इस नीति को चुनावी अनुशासन और शिष्टाचार** सुनिश्चित करने के लिये दशकों तक मज़बूत किया गया है।
- **न्यायिक निगरानी और जवाबदेही:** भारत का **सर्वोच्च न्यायालय चुनावी नियमों को बरकरार रखने और चुनाव कानूनों के प्रगतिशील** व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है।
  - न्यायिक हस्तक्षेप चुनावी प्रक्रिया की लोकतांत्रिक अखंडता सुनिश्चित करने के लिये आज भी एक अनिवार्य तत्त्व है।
- **डिजिटल प्लेटफॉर्म एकीकरण:** भारत निर्वाचन आयोग की **ईरोनेट (ERONET - इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट) प्रणाली** राज्यों में मतदाता सूचियों के प्रबंधन के लिये एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है।
  - यह तकनीकी समाधान पहले के विकेंद्रीकरण संबंधी मुद्दों का समाधान करता है, जिनके कारण डुप्लिकेट EPIC नंबर की समस्या उत्पन्न होती थी।

चुनाव प्रक्रिया से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **VVPAT मिलान का सीमित दायरा:** वर्तमान VVPAT सत्यापन में विवाद के स्तर के बावजूद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में केवल पाँच EVM को ही शामिल किया जाता है।
  - वर्ष 2024 में, सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण **वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT)** मिलान को खारिज कर दिया।
    - हालाँकि, उम्मीदवार **5% मशीनों का सत्यापन** निर्माता के इंजीनियरों से करा सकते हैं।
  - आलोचकों का तर्क है कि इससे **जनता के विश्वास और चुनाव की पारदर्शिता** कमें कमी आती है, इसलिये व्यापक रूप से क्रॉस-वेरिफिकेशन की मांग की जाती है।
- **मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोप:** चुनावी चक्रों के दौरान मतदाता सूचियों में छेड़छाड़ को लेकर समय-समय पर चिंताएँ सामने आती रहती हैं।
  - हालाँकि, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाता पहचान पत्रों की दोहराव की समस्या पूर्ववर्ती विकेंद्रीकृत **मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) प्रणाली** के कारण हुई, जिसे बाद में ERONET प्लेटफॉर्म के साथ मानकीकृत कर दिया गया है।
- विभिन्न राज्यों में एक समान EPIC संख्या वाले मतदाताओं के **कारण मतदान में धोखाधड़ी** की आशंका बढ़ जाती है।
  - चुनाव आयोग ने जवाब में कहा कि **मतदाता केवल निर्धारित मतदान केंद्रों पर ही मतदान कर** सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 — SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

भारत में चुनाव सुधार

चुनाव सुधार, निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये किये गये बदलाव हैं।

वर्ष 1996 से पूर्व में हुए चुनाव सुधार

- **आदर्श आचार संहिता (1969):** राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिये चुनाव संबंधी दिशा-निर्देश
- **61वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1988):** मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना
- **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) (1989):** अलग-अलग रंगीन मतपेटियों से मतपत्रों में और बाद में EVM में परिवर्तन
- **बूथ कैप्चरिंग (1989):** ऐसे मामलों में मतदान स्थगित करने या चुनाव रद्द करने का प्रावधान
- **मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) (1993):** मतदाता सूची पंजीकृत मतदाताओं को EPIC जारी करने का आधार है।
- **भारत का निर्वाचन आयोग- एक बहु-सदस्यीय निकाय (1993):** मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आलावा अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति

वर्ष 1996 का चुनाव सुधा

- **उप-चुनाव के लिये समय-सीमाः** विधानसभा में किसी भी रिक्ति के 6 माह के अंदर चुनाव को अनिवार्य किया गया
- **उम्मीदवारों के नामों की सूची:** चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को लिस्टिंग के लिये 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है:
  - मान्यता प्राप्त और पंजीकृत-गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल
  - अन्य (स्वतंत्र)
- **राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के आधार पर अपमान करने पर अयोग्यता:** 6 वर्ष के लिये चुनाव में अयोग्यता हो सकती है:
  - भारत के राष्ट्रीय ध्वज, संविधान का अपमान करना या राष्ट्रगान गाने से रोकना

वर्ष 1996 के पश्चात् चुनाव सुधार

- **प्रॉक्सी वोटिंग (2003):** सेवा मतदाता सशस्त्र बलों और सेना अधिनियम के अंतर्गत आने वाले बल चुनाव में प्रॉक्सी वोट डाल सकते हैं।
- **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का आवंटन (2003):** जनता को संबोधित करने के लिये चुनावों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का समान बंटवारा।
- **EVM में ब्रेल संकेत विशेषताओं का परिचय (2004):** दृष्टिबाधित मतदाताओं को बिना किसी परिचारक के अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान करना

वर्ष 2010 के चुनाव सुधार

- विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार (2010)
- मतदाता सूची में ऑनलाइन नामांकन (2013)
- नोटा विकल्प का परिचय (2014)
- **मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) (2013):** स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये EVM के साथ VVPAT की शुरूआत
- **EVM और मतपत्रों पर उम्मीदवारों की तस्वीरें (2015):** उन निर्वाचन क्षेत्रों में भ्रम से बचने के लिये जहाँ उम्मीदवारों के नाम एक समान होते हैं
- **चुनाव बॉन्ड की शुरूआत (2017 बज़ट):** राजनीतिक दलों के लिये नकद दान का एक विकल्प
  - SC द्वारा असंवैधानिक घोषित (2024)
- इलेक्ट्रॉनिक मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) का आरंभ (2021)
- दिव्यांगजनों और 85 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिये होम वोटिंग (2024)

महत्त्वपूर्ण समितियाँ/आयोग

समितियाँ/आयोग	वर्ष	उद्देश्य
तारकुंडे समिति	1974	जय प्रकाश नारायण (जेपी) द्वारा "संपूर्ण क्रांति" आंदोलन के दौरान।
दिनेश गोस्वामी समिति	1990	चुनाव सुधार
वोहरा समिति	1993	अपराध और राजनीति के बीच गठजोड़ पर
इन्द्रजीत गुप्ता समिति	1998	चुनावों का राज्य वित्त पोषण
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग	2007	शासन में नैतिकता पर रिपोर्ट (वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में)
तन्खा समिति (कोर कमेटी)	2010	निर्वाचन विधि और चुनाव सुधारों के संपूर्ण पहलू पर विचार करना।

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **प्रचारकों द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन:** स्टार प्रचारक अक्सर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए घृणास्पद भाषण और सांप्रदायिक बयानबाजी करते हैं।
  - दंडात्मक परिणाम के अभाव के कारण बिना किसी रोक-टोक के बार-बार **अभियान उल्लंघन संभव** हो जाता है।
- **राजनीतिक दलों का अनियमित व्यय:** उम्मीदवारों के लिये व्यय सीमा निर्धारित होती है, जबकि राजनीतिक दलों के लिये चुनाव व्यय पर कोई आधिकारिक सीमा नहीं होती है।
  - अनुमान है कि वर्ष 2024 के आम चुनाव में अकेले पार्टियों द्वारा **₹1.35 लाख करोड़ खर्च किये** गए।
- **राजनीति का अपराधीकरण निरंतर बना हुआ है:** वर्ष 2024 में, निर्वाचित सांसदों में से 46% पर आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराध भी शामिल थे।
  - यह स्थिति **लोकतांत्रिक वैधता को कमज़ोर** करती है तथा उम्मीदवारों की छानबीन करने वाली प्रणालियों की विफलता को उजागर करती है।
- **प्रौद्योगिकी और फर्जी समाचार का दुरुपयोग:** डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल **गलत सूचना फैलाने और मतदाताओं के व्यवहार** को प्रभावित करने के लिये खतरनाक तरीके से किया जा रहा है। नियमों के बावजूद, डीपफेक्स और झूठे प्रचार के खिलाफ कार्रवाई अभी भी कमज़ोर और देरी से होती है।
- **एकाधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का मुद्दा:** वर्तमान सांसदों और विधायकों द्वारा एकाधिक सीटों पर चुनाव लड़ने से महगे और अनावश्यक उपचुनावों कराए जाते है।
  - इससे शासन व्यवस्था बाधित होती है और मतदाता जवाबदेही पर राजनीतिक स्वार्थसिद्धि प्रतिबिंबित होती है ।
  - इसके अलावा, कई सीटें जीतने के बाद इस्तीफों के कारण बार-बार उपचुनाव होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मतदाता थक जाते हैं और उनमें अरुचि उत्पन्न हो जाती है।
- **बढ़ती चुनावी लागत और बोझ:** चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2024 के आम चुनावों में पार्टी और उम्मीदवार के व्यय को छोड़कर लगभग ₹6,931 करोड़ खर्च किये गए।
  - उच्च चुनावी लागत से सार्वजनिक वित्त पर दबाव पड़ता है और अभियान की निष्पक्षता कम हो जाती है।
- **पार्टियों में कमज़ोर आंतरिक लोकतंत्र:** अधिकांश पार्टियों में पारदर्शी आंतरिक चुनाव या **नेतृत्व की कार्यकाल** सीमा का अभाव है, जिससे जवाबदेही कमज़ोर होती है।
  - अलोकतांत्रिक पार्टी संरचनाएँ **समावेशी राजनीतिक भागीदारी और उम्मीदवार विविधता** में बाधा डालती हैं ।
- **FPTP प्रणाली के माध्यम से अल्प प्रतिनिधित्व:** जीतने वाले उम्मीदवार अक्सर 50% से कम वोट प्राप्त करते हैं, जिससे **प्रतिनिधि वैधता** पर सवाल उठते हैं।
  - FPTP प्रणाली अत्यधिक विविध निर्वाचन क्षेत्रों में **मतदाता बहुलता** को प्रतिबिंबित नहीं कर सकती है।
- **प्रतिनिधित्व में क्षेत्रीय असमानताएँ:** इस बात पर चिंता व्यक्त की गई है कि परिसीमन में **दक्षिणी या छोटे राज्यों की तुलना में अधिक जनसंख्या वाले राज्यों** को प्राथमिकता दी जाएगी।
  - **इससे संघीय संतुलन और राजनीतिक समता** में संभावित रूप से परिवर्तन आ सकता है ।

लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिये कौन से चुनाव सुधार आवश्यक हैं?

- **वैज्ञानिक VVPAT मिलान तंत्र:** वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए नमूना-आधारित VVPAT सत्यापन के लिये क्षेत्र बनाए जाने चाहिये।
  - यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस क्षेत्र के लिये पूर्णतः **मैन्युअल VVPAT गणना अनिवार्य** की जानी चाहिये।
- **टोटलाइज़र मशीनों की शुरूआत:** मतदाता की गोपनीयता बनाए रखने के लिये, **टोटलाइज़र मशीनें** (ECI का 2016 का प्रस्ताव) कई मतदान केंद्रों के वोटों का मिलन कर सकती हैं।
  - इस प्रणाली से मतदान केंद्र-वार परिणाम विश्लेषण कम होता है और **चुनाव-पश्चात धमकी या भेदभाव की घटनाओं** पर अंकुश लगता है।
- **डुप्लिकेट EPIC नंबर को खत्म करना: आधार को ईपीआईसी** नंबर से जोड़ने से **डुप्लिकेट या फर्जी** मतदाता प्रविष्टियों को हटाने में मदद मिल सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **गोपनीयता संबंधी चिंताओं को डेटा संरक्षण उपायों और विधायी निगरानी** के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिये।
- **स्टार प्रचारक के विशेषाधिकार रद्द करना:** चुनाव आयोग को बार-बार आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिये **स्टार प्रचारक** का दर्जा रद्द कर देना चाहिये।
  - इससे व्यय छूट समाप्त हो जाएगी तथा नैतिक अभियान मानदंडों का अनुपालन बढ़ जाएगा।
- **व्यय सीमा के लिये जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन:** संशोधनों में राजनीतिक दलों के व्यय को सीमित किया जाना चाहिये, न कि केवल उम्मीदवार स्तर के व्यय को।
  - इससे **अनियंत्रित चुनावी वित्त पर अंकुश लगाया** तथा चुनाव के दौरान समान अवसर सुनिश्चित किया जा सकेगा।
  - एक राष्ट्र, एक चुनाव से चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके चुनावी व्यय को कम किया जा सकता है तथा अलग-अलग समय पर कई चुनाव कराने से जुड़ी दोहरावपूर्ण लागतों में कटौती की जा सकती है।
- **आपराधिक पृष्ठभूमि का अनिवार्य प्रकटीकरण:** वर्ष 2018 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में यह अनिवार्य किया गया है कि आपराधिक रिकॉर्ड तीन बार घोषित किया जाए।
  - मतदाताओं को सूचित करने के लिये इसे **निर्वाचन आयोग की निगरानी और मीडिया प्रसार के** माध्यम से सख्ती से लागू किया जाना चाहिये।
  - वर्ष 1993 की **वोहरा समिति** ने अपराधियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला तथा आपराधिक-राजनीतिक गठजोड़ एवं काले धन पर अंकुश लगाने के लिये एक नोडल एजेंसी का प्रस्ताव रखा।
  - शासन में नैतिकता पर द्वितीय **प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC)** ने आपराधिक उम्मीदवारों के लिये फास्ट-ट्रैक अदालतों की सिफारिश की।
  - **विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट** में आरोप तय होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने, झूठे हलफनामों के लिये दंड तथा अयोग्यता के लिये कड़े नियमों और मज़बूत कानूनी रोकथाम का समर्थन किया गया है।
- **राजनीतिक अपराध मामलों में तेजी लाना:** सर्वोच्च न्यायालय ने (कई अवसरों पर) **उच्च न्यायालयों** को निर्देश दिया है कि वे सांसदों-विधायकों के विरुद्ध आपराधिक मामलों की निगरानी के लिये विशेष पीठ स्थापित करें तथा चुनाव से पहले राजनेताओं से संबंधित गंभीर आपराधिक मामलों को प्राथमिकता दें।
  - इसका उद्देश्य जनता का विश्वास बढ़ाना तथा प्रक्रियागत देरी के माध्यम से अपराधियों को राजनीति में प्रवेश करने से रोकना है।
- **एकाधिक सीटों के लिये त्यागपत्र नियम:** किसी नई सीट के लिये नामांकन दाखिल करने से पहले मौजूदा विधायकों को त्यागपत्र देना होगा।
  - इससे **अनावश्यक उपचुनावों** को रोका जा सकता है तथा अभियान संसाधनों की बर्बादी को कम किया जा सकता है।
  - रिक्तियाँ सृजित करने वाले उम्मीदवारों को उप-चुनाव लागत का कुछ हिस्सा वहन करना चाहिये, अवसरवादिता को हतोत्साहित करना चाहिये तथा **वित्तीय उत्तरदायित्व** को बढ़ावा देना चाहिये।
- **उम्मीदवारों के परिवर्तन और पैराशूटिंग को विनियमित करना:** संवैधानिक संशोधनों द्वारा सीटों और निर्वाचन क्षेत्रों के बीच परिवर्तन को प्रतिबंधित किया जा सकता है।
  - चुनावों के बाद **कूलिंग-ऑफ अवधि** लागू करने से विधायकों को जल्दी से **निर्वाचन क्षेत्र बदलने** से रोका जा सकेगा।
  - इससे **स्थानीय प्रतिनिधित्व सुरक्षित** रहता है तथा जनता के विश्वास में कमी आती है।
- **आंतरिक पार्टी लोकतंत्र अधिदेश:** राजनीतिक दलों को आंतरिक चुनाव कराना चाहिये तथा नेतृत्व की भूमिकाओं के लिये कार्यकाल सीमा लागू की जानी चाहिये।
  - इससे **राजनीतिक बहुलवाद** को बढ़ावा मिलता है तथा नये एवं सक्षम नेतृत्व का विकास होता है।
  - **शासन में नैतिकता पर द्वितीय ARC** ने स्वच्छ और कुशल चुनावी शासन के व्यापक लक्ष्य के साथ संरेखित करते हुए, दलों में आंतरिक लोकतंत्र की सिफारिश की है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **चुनावी पारदर्शिता:** राजनीतिक दलों को RTI अधिनियम के अंतर्गत लाने से वित्तपोषण में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, लोकतांत्रिक निगरानी मज़बूत होगी तथा चुनावी वित्त में जनता का विश्वास बढ़ेगा।
  - इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दलों पर **आयकर विनियमन लागू करने** से अवैध वित्तपोषण पर अंकुश लगाने तथा राजनीतिक दान में जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
- **मतदाता शिक्षा को मज़बूत करना:** SVEEP (व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी) कार्यक्रम का विस्तार किया जाना चाहिये ताकि इसमें नैतिक मतदान और फेक न्यूज़ (फर्जी समाचार) साक्षरता को शामिल किया जा सके।
  - इससे मतदाताओं को **सूचित और सहभागी लोकतंत्र** में शामिल होने का अधिकार मिलता है।
- **डिजिटल अभियान और गलत सूचना को विनियमित करना:** घृणापूर्ण भाषण और डीप फेक के खिलाफ सोशल मीडिया कोड को सख्ती से लागू किया जाना चाहिये।
  - **पूर्व-निवारक मॉडरेशन और सामग्री ट्रेसिंग** के लिये प्लेटफार्मों के साथ सहयोग आवश्यक है।
- **राज्य वित्तपोषण: टी.एस. कृष्णमूर्ति (भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त)** ने अभियानों के सार्वजनिक वित्तपोषण को सुव्यवस्थित करने, अपारदर्शी निजी दान को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिये एक **राष्ट्रीय चुनाव कोष** की स्थापना की सिफारिश की।
  - इसी प्रकार, **इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998)** ने निष्पक्ष **प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित** करने के लिये आंशिक राज्य वित्तपोषण का प्रस्ताव रखा तथा चुनावी मुकाबलों में समान अवसर और वित्तीय समानता की आवश्यकता पर बल दिया।

निष्कर्ष:

भारत की लोकतांत्रिक वैधता, नागरिक विश्वास और संस्थागत अखंडता को मज़बूत करने के लिये चुनावी सुधार अपरिहार्य हैं। **प्रणालीगत खामियों को दूर करके, पारदर्शिता** को अपनाकर और स्वतंत्र संस्थानों को सशक्त बनाकर, **भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसके चुनाव वास्तव** में प्रतिनिधित्वपूर्ण और निष्पक्ष रहें। चुनावी न्याय के वादे को साकार करने के लिये एक प्रतिबद्ध, बहु-हितधारक दृष्टिकोण आवश्यक है।

■■■

भारत-यूरोपीय संघ (EU) की रणनीतिक साझेदारी का भविष्य

यह संपादकीय 16/06/2025 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "यूरोप का पुनः सैन्यीकरण: भारत को निर्यात और संयुक्त अनुसंधान के अवसरों का लाभ उठाना चाहिये" पर आधारित है। यह लेख भारत-यूरोपीय संघ की विकसित होती रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित करता है, जहाँ यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप की रक्षा पहल भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात के साथ मेल खाती है, जिससे सहयोग के नये आयाम खुलते हैं।

भारत और यूरोपीय संघ अपनी रणनीतिक साझेदारी में एक परिवर्तनकारी अवस्था देखी जा रही है, जो उच्च स्तरीय राजनयिक आदान-प्रदान और **यूक्रेन संघर्ष के बाद यूरोप की तत्काल रक्षा तत्परता लक्ष्यों द्वारा संचालित है।** यूरोपीय संघ के महत्त्वाकांक्षी संयुक्त श्वेत पत्र में वर्ष 2030 तक रक्षा निवेश में 800 बिलियन यूरो का लक्ष्य रखा गया है, जो भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात के लिये अभूतपूर्व अवसर प्रस्तुत करता है, जो हाल ही में रिकॉर्ड 2.76 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है। **भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता और यूरोप की रणनीतिक स्वायत्तता** आकांक्षाओं का यह अभिसरण दोनों पक्षों को वैश्विक सहयोग की गतिशीलता को नया आकार देने की स्थिति में लाता है।

समय के साथ भारत-यूरोपीय संघ के संबंध कैसे विकसित हुए?

- **प्रारंभिक राजनयिक जुड़ाव (1947-1990 का दशक):** यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) और यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंध वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद औपचारिक राजनयिक मान्यता के साथ शुरू हुए।
  - शीत युद्ध के काल में **भारत की विदेश नीति मुख्यत:** गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के साथ जुड़ी हुई थी

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

और CEE देशों के साथ उसके संबंध मुख्यत: **संप्रभुता, उपनिवेशवाद-विरोध और वैश्विक शांति में साझा हितों से प्रेरित थे।**
 - भारत ने पश्चिमी ब्लॉक और पूर्वी यूरोप के समाजवादी राज्यों दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे।
- **शीत युद्धोत्तर संक्रमण (1990-2000 का दशक):** शीत युद्ध की समाप्ति और वर्ष 1990 के दशक के प्रारंभ में सोवियत संघ के विघटन ने वैश्विक भूराजनीति में बदलाव को चिह्नित किया और भारत ने अधिक आर्थिक उदारीकरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण की **दिशा में अपनी विदेश नीति को पुनः उन्मुख करना आरंभ कर दिया।**
  - वर्ष 1990 के दशक में भारत ने CEE देशों के साथ आर्थिक कूटनीति पर अधिक ध्यान देना शुरू किया।
  - यह परिवर्तन **भारत द्वारा सोवियत संघ जैसे पारंपरिक साझेदारों से परे अपने व्यापार और निवेश संबंधों में विविधता लाने के प्रयासों के कारण हुआ।**
  - यद्यपि आर्थिक साझेदारी स्थापित करने में रुचि थी, लेकिन राजनीतिक संबंध गौण बने रहे, क्योंकि भारत ने अपनी "पूर्व की ओर देखो" नीति **और दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया।**
- **भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी (2000 से वर्तमान तक): 2000 के दशक में भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों में महत्त्वपूर्ण बदलाव आया, विशेष रूप से 2004 में** भारत-EU रणनीतिक साझेदारी की स्थापना के बाद।
  - **इस अवधि में भारत का मध्य एवं पूर्वी यूरोपीय (CEE) देशों के साथ संबंध** अधिक क्षेत्रीय दृष्टिकोण से विकसित हुआ, जिसमें रक्षा, ऊर्जा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिला।
    - **पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य** जैसे देश भारत के लिये **प्रमुख व्यापार और निवेश साझेदार** के रूप में उभरे, विशेष रूप से **उद्योग, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा** क्षेत्रों में।
- **2010 के बाद: संबंधों का विस्तार और विविधीकरण:** 2010 के दशक में भारत की विदेश नीति ने **विविधीकरण और बहुपक्षीयता** की ओर रुख किया, जिससे भारत और CEE देशों के साथ-साथ EU के साथ संबंधों को वैश्विक रणनीति के हिस्से के रूप में शामिल किया गया।
  - EU के भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार बनने के साथ, भारत ने व्यक्तिगत CEE देशों के साथ संबंधों का लाभ उठाकर यूरोप में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया।
  - **भारत और EU ने जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई और** सतत् विकास जैसे वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाया। 2016 में दोनों ने 'स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी' शुरू की, जो स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा निवेश और जलवायु अनुकूलन उपायों पर केंद्रित है।
- **हालिया घटनाक्रम और भविष्य की संभावनाएं:** हाल के वर्षों में भारत और EU के संबंध अधिक **रणनीतिक और बहुआयामी साझेदारी** में बदल गये हैं।
  - G20, संयुक्त राष्ट्र (UN), और विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका ने EU की भारत में साझेदारी की रुचि को और सशक्त किया है।
  - भारत ने CEE देशों के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मज़बूत किया है, विशेष रूप से रूस पर निर्भरता कम करने के दृष्टिकोण से।
    - EU की "भूराजनीतिक रणनीति" और चीन के प्रभाव को संतुलित करने की मंशा ने भारत को EU की इंडो-पैसिफिक रणनीति में एक महत्त्वपूर्ण साझेदार के रूप में स्थापित किया है।

भारत-यूरोपीय संघ सामरिक साझेदारी को आगे बढ़ाने वाली प्रमुख शक्तियाँ कौन-सी हैं?

- **भूराजनीतिक बदलाव और साझा रणनीतिक हित: चीन के आक्रामक रुख और अमेरिकी विदेश नीति** की अनिश्चितता जैसे वैश्विक कारकों ने भारत और EU को आपसी रणनीतिक साझेदारी मज़बूत करने की दिशा में प्रेरित किया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **दोनों पक्ष चीन के उदय और** रूस की गतिविधियों को लेकर चिंतित हैं **(हालाँकि दृष्टिकोण में कुछ अंतर है)।**
- **EU जहाँ** चीन को एक प्रणालीगत प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखता है, वहीं भारत इंडो-पैसिफिक में चीन के प्रभाव को संतुलित करने हेतु एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है।
- उदाहरणस्वरूप, **2023 में भारत ने EU के इंडो-पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव (IPOI)** और **समुद्री सुरक्षा रणनीति** में भागीदारी की, जो साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है।
  - यह साझेदारी दोनों के बीच संयुक्त सुरक्षा ढाँचे के बढ़ते महत्त्व को रेखांकित करती है।

डिजिटल परिवर्तन और तकनीकी सहयोग: भारत का तीव्र डिजिटल परिवर्तन यूरोपीय संघ के साथ उसके संबंधों के लिये एक प्रमुख उत्प्रेरक बन गया है, क्योंकि दोनों ही देश डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देते हुए तकनीकी संप्रभुता को मज़बूत करना चाहते हैं।

- **डेटा संरक्षण और विनियामक ढाँचे पर ज़ोर देने वाले यूरोपीय संघ** और **इंडिया स्टैक जैसे विशाल डिजिटल बुनियादी ढाँचे के साथ भारत,** डिजिटल शासन को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में साझा कार्य का एक उदाहरण है।
- वर्ष 2022 में शुरू की गई भारत-**यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC)** डिजिटल शासन, AI और साइबर सुरक्षा की चुनौतियों के प्रबंधन में संयुक्त प्रयास का एक उदाहरण है।
  - **वैश्विक स्तर पर 50% डिजिटल लेन-देन भारत की UPI प्रणाली के माध्यम से होने के कारण,** EU भारत को फिनटेक क्षेत्र में अग्रणी मानता है।

जलवायु परिवर्तन और हरित संक्रमण सहयोग: भारत और यूरोपीय संघ दोनों ही जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिये प्रतिबद्ध हैं, जिसमें **शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने और सतत् ऊर्जा समाधानों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।**

- यूरोपीय **संघ की महत्त्वाकांक्षी ग्रीन डील भारत के सतत् विकास उद्देश्यों के अनुरूप है तथा यह** स्वच्छ ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकियों और जलवायु वित्तपोषण पर सहयोग के लिये एक मंच प्रदान करती है।
- वर्ष 2021 में, हरित हाइड्रोजन और ऊर्जा-कुशल समाधानों पर ज़ोर देते हुए **भारत-यूरोपीय संघ स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी को सुदृढ़ किया गया।**
  - **संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से भारत के इस्पात क्षेत्र को कार्बन मुक्त बनाने में सहायता करने की यूरोपीय संघ की प्रतिबद्धता,** उत्सर्जन कम करने पर साझा दृष्टिकोण का उदाहरण है।

सुरक्षा और रक्षा सहयोग: भारत-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा परिदृश्य तेजी से महत्त्वपूर्ण हो गया है, भारत और यूरोपीय संघ दोनों समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद-रोध को प्राथमिकता दे रहे हैं।

- वैश्विक सुरक्षा गतिशीलता में बदलाव के कारण भारत ने अपनी रक्षा साझेदारियों में विविधता ला दी है, जिसमें उन्नत प्रौद्योगिकी और सैन्य सहयोग प्रदान करने में यूरोपीय संघ ने प्रमुख भूमिका निभाई है।
  - वर्ष 2023 में एक उल्लेखनीय विकास **अदन की खाड़ी में इसी प्रकार के अभियानों के बाद गिनी की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास था।**
- **वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात लगभग 2.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ जाने के** साथ, यूरोपीय संघ को रक्षा प्रौद्योगिकी और उपकरण सह-उत्पादन में एक महत्त्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखा जा रहा है।

बढ़ता व्यापार और निवेश: भारत और यूरोपीय संघ दोनों अपने आर्थिक संबंधों को मज़बूत करना चाहते हैं।

- यूरोपीय **संघ भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है,** जबकि भारत यूरोपीय वस्तुओं और सेवाओं के लिये एक महत्त्वपूर्ण बाज़ार बनता जा रहा है।
- **प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) जैसे** व्यापार समझौते इन संबंधों को बढ़ाने का केंद्र बिंदु हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ने** मार्च 2024 में एक **व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) पर हस्ताक्षर किये, जो महत्त्वपूर्ण प्रगति का संकेत है।**

भारत और यूरोपीय संघ के बीच टकराव के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं?

- **व्यापार बाधाएँ और एफटीए पर धीमी प्रगति: भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की वार्ता कई व्यापार बाधाओं के कारण बाधित** हुई है।
  - भारत को यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए गैर-टैरिफ अवरोधों (NTBs) का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से **श्रम और पर्यावरण मानकों के संबंध में।**
  - पिछले दशक में यूरोपीय संघ और भारत के बीच वस्तुओं के व्यापार में लगभग 90% की वृद्धि हुई है, **फिर भी भारत यूरोपीय संघ का नौवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो यूरोपीय संघ के कुल व्यापार का मात्र 2.2% है**, जो व्यापार प्रवाह में असंतुलन का संकेत देता है जिसे एफटीए के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है।
- **पर्यावरणीय मानक बनाम आर्थिक विकास:** यूरोपीय संघ की कठोर पर्यावरणीय नीतियाँ, जैसे कार्बन सीमा समायोजन तंत्र **(CBAM),** भारत के औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं।
  - भारत के इस्पात क्षेत्र को यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए कार्बन टैरिफ के कारण बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
  - वर्ष 2023 में, **यूरोपीय संघ द्वारा वनों की कटाई-मुक्त उत्पाद विनियमन लागू करने से भारत के लगभग 1.3 बिलियन डॉलर मूल्य के निर्यात पर** प्रभावित हो सकता है, **जिसमें पाम ऑयल और कोको जैसी वस्तुएँ भी शामिल हैं।**
- **वैश्विक संघर्ष के प्रति भिन्न दृष्टिकोण: रूस-यूक्रेन संघर्ष पर भारत का तटस्थ रुख** यूरोपीय संघ के साथ टकराव का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत रहा है।
  - जबकि **यूरोपीय संघ यूक्रेन की संप्रभुता का समर्थन करता है,** भारत कूटनीति पर जोर देता है तथा रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने से परहेज करता है।
  - भारतीय विदेश मंत्री का यह वक्तव्य, ***"कहीं न कहीं यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि यूरोप की समस्याएँ विश्व की समस्याएँ हैं, लेकिन विश्व की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं हैं,"*** वैश्विक मुद्दों के प्रति व्यापक, अधिक समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- **बौद्धिक संपदा और डेटा अभिशासन तनाव: भारत के डिजिटल क्षेत्र को यूरोपीय संघ के कड़े बौद्धिक संपदा (IP) कानूनों और डेटा गोपनीयता नियमों,** विशेष रूप से **सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन के** कारण काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है ।
  - यूरोपीय संघ की नियामक बाधाओं ने भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनियों के यूरोपीय बाजारों में प्रवेश को धीमा कर दिया है।
  - इसके अलावा, इसके **बौद्धिक संपदा नियम भारतीय दवा निर्यात को भी प्रभावित करते हैं,** विशेष रूप से जेनेरिक दवाओं के निर्यात को, जो भारत के दवा व्यापार का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
- **वैश्विक शासन प्राथमिकताओं में भिन्नता: भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)** जैसी वैश्विक संस्थाओं में सुधार का प्रबल समर्थक रहा है तथा अपने लिये स्थायी सीट चाहता है, जबकि यूरोपीय संघ, हालाँकि कुछ सुधारों का समर्थक है, परन्तु वह हमेशा भारत के विशिष्ट सुधार एजेंडे के साथ संरेखित नहीं रहा है।
  - **भारत का बढ़ता वैश्विक प्रभाव यूरोपीय संघ की स्थिति के विपरीत है,** जिसके कारण कभी-कभी वैश्विक शासन के लिये भिन्न दृष्टिकोण सामने आते हैं।

यूरोप के साथ संबंध सुदृढ़ करने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **भारत को यूरोपीय संघ (EU) के साथ एक संतुलित एवं व्यावहारिक** मुक्त व्यापार समझौता (FTA) करने के लिए विशेष रूप से गैर-शुल्कीय बाधाओं, कृषि और सेवाओं से संबंधित नियामक मानकों में लचीलापन अपनाते हुए वार्ताओं को गति प्रदान करनी चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- भारत को स्थिरता एवं श्रम संबंधी मानकों को चरणबद्ध ढंग से लागू करने का प्रस्ताव रखना चाहिये, ताकि वह अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बनाए रखते हुए धीरे-धीरे EU मानकों के अनुरूप हो सके।
- यह रणनीति भारतीय वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए यूरोपीय बाज़ार तक आसान पहुँच सुनिश्चित करेगी तथा दीर्घकालिक आर्थिक स्थायित्व एवं द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती में सहायक होगी।

- **प्रौद्योगिकी साझेदारी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र पर बल:** भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा जैसी उभरती एवं संवेदनशील प्रौद्योगिकियों में EU के साथ सहयोग को तीव्र करना चाहिये।
  - EU के साथ एक मजबूत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके, भारत अपने प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रगति का लाभ उठाते हुए डिजिटल आधारभूत संरचना को सुदृढ़ कर सकता है और वैश्विक प्रौद्योगिकी शासन में योगदान दे सकता है।
  - प्रमुख क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान केंद्रों और नवाचार हब की स्थापना आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ भारत की प्रौद्योगिकीय संप्रभुता को भी सुदृढ़ करेगी और EU-भारत रणनीतिक साझेदारी को नया आयाम देगी।

- **हरित परिवर्तन एवं संयुक्त जलवायु कार्रवाई पहल को बढ़ावा देना:** संबंधों को मजबूत करने के लिये, भारत को स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा निवेश तथा जलवायु लचीलापन परियोजनाओं में सहयोग को गहरा करके यूरोपीय संघ के साथ संयुक्त जलवायु कार्रवाई का नेतृत्व करना चाहिये।
  - यूरोपीय संघ के **ग्रीन डील** के साथ तालमेल स्थापित करके, भारत अत्याधुनिक हरित प्रौद्योगिकी तथा ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसे वित्तीय तंत्रों तक पहुँच प्राप्त कर सकता है, जिससे अपने जलवायु लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
  - यह सहयोग **यूरोपीय संघ को शून्य उत्सर्जन (net-zero emissions) प्राप्त करने में सहयोग** देगा, साथ ही भारत को अपनी विकासात्मक तथा सतत् प्राथमिकताओं को संबोधित करने में भी सक्षम बनाएगा।

- **एक समग्र प्रवासन एवं गतिशीलता ढाँचा विकसित करना:** भारत को यूरोपीय संघ के साथ एक दूरदर्शी प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर बातचीत करनी चाहिये, जो श्रम बाज़ार की आवश्यकताओं के साथ भारत की जनसांख्यिकीय विशेषताओं के बीच संतुलन स्थापित करे।
  - कुशल भारतीय श्रमिकों, पेशेवरों एवं छात्रों के लिये समझौते सुनिश्चित करके **भारत, यूरोप की कौशल की कमी को दूर करने में सहायता प्रदान कर** सकता है, साथ ही अपने विदेशी मुद्रा प्रेषण स्रोतों को भी सशक्त बना सकता है।
  - योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता, वीजा जारी करने में सरलता तथा अस्थायी श्रमिकों की आवाजाही में वृद्धि के लिये एक संरचित ढाँचे की स्थापना आर्थिक सहयोग को मज़बूत करेगी और साथ ही सामाजिक-सांस्कृतिक संबंधों को भी प्रगाढ़ बनाएगी।

- **यूरोपीय संघ के साथ ऊर्जा एवं संपर्क पहलों का समेकन करना:** भारत को यूरोपीय संघ के साथ ऊर्जा अवसंरचना, विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट ग्रिड्स तथा भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) जैसे क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं को शीघ्र गति देने में सहयोग को गहरा करना चाहिये।
  - **ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में यूरोपीय संघ (EU) के साथ सहयोग** करते हुए, **भारत सीमापार ऊर्जा ढाँचे के विकास एवं हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने** जैसे उपायों के माध्यम से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, साथ ही यूरोप की ऊर्जा संक्रमण प्रक्रिया में भी योगदान दे सकता है।
  - ये प्रयास **भारत की यूरोप के साथ कनेक्टिविटी को भी विस्तार** देंगे तथा ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की भूमिका को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में और अधिक सशक्त करेंगे।

- **संयुक्त रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा:** भारत को यूरोपीय संघ के साथ मज़बूत रक्षा औद्योगिक सहयोग की दिशा में प्रयास करना चाहिये, विशेष रूप से एयरोस्पेस, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा साइबर क्षमताओं जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सह-उत्पादन एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर ज़ोर देना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- एक ऐसा मंच बनाकर जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास (R&D) सहयोगों को प्रोत्साहित करे और संयुक्त रक्षा खरीद प्रक्रियाओं को सरल बनाए, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी रक्षा उद्योग को उन्नत तकनीकों तक पहुँच मिले। साथ ही, यह यूरोपीय संघ (EU) की रक्षा पहलों में भी योगदान देगा।
- यह दृष्टिकोण विशेषकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका को EU की रक्षा रणनीति में एक साझेदार के रूप में सुदृढ़ करेगा।

- **सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग:** भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को सुरक्षित रखते हुए, EU के साथ रक्षा एवं सुरक्षा मामलों में घनिष्ठ सहयोग करना चाहिये।
  - संयुक्त **सैन्य अभ्यासों, समुद्री सुरक्षा पहलों और साझा सुरक्षा खतरों पर खुफिया जानकारी** साझा कर रक्षा सहयोग को प्रगाढ़ किया जा सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- एक व्यापक सुरक्षा समझौते की स्थापना से **भारत EU की हिंद-प्रशांत रणनीति में एक प्रमुख साझेदार की भूमिका निभा सकेगा, जो भू-राजनीतिक हितों** और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था दोनों को संतुलित करेगा।

निष्कर्ष:

भारत-EU रणनीतिक साझेदारी एक निर्णायक मोड़ पर है, जिसे साझा **भू-राजनीतिक हितों, आर्थिक सहयोग और तकनीकी नवाचार** की गति प्राप्त है। जैसे-जैसे दोनों पक्ष वैश्विक चुनौतियों की जटिलताओं से जूझ रहे हैं, उनके सहयोग की यह प्रगति क्षेत्रीय और वैश्विक परिदृश्यों को पुन: परिभाषित करने की सामर्थ्य रखती है। **रक्षा, व्यापार और जलवायु कार्यवाही** जैसे क्षेत्रों में संबंधों को सुदृढ़ करके, भारत और यूरोपीय संघ एक समावेशी समृद्धि और सुरक्षा के भविष्य की नींव रख सकते हैं।

पश्चिम एशिया संघर्ष और भारत के हित

यह एडिटोरियल 17/06/2025 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "Fallouts of Iran-Israel conflict: Disruptions in oil supplies, raised prices" पर आधारित है। यह लेख ईरान पर इज़रायल के हमलों के प्रभाव को रेखांकित करता है, जिसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल की कीमतों में 7% की वृद्धि हुई और होर्मुज़ जलडमरूमध्य को लेकर जोखिम बढ़ गए। यह भारत के सामने उभरती ऊर्जा सुरक्षा, मुद्रास्फीति नियंत्रण और इज़रायल एवं ईरान के साथ कूटनीतिक संबंधों सहित चाबहार बंदरगाह परियोजना से जुड़ी चुनौतियों को उजागर करता है।

हाल ही में इज़रायली हमलों ने ईरान के साथ तनाव को बढ़ा दिया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाज़ार में आघात लगे हैं और कच्चे तेल की कीमतों में 7% की तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। जबकि ईरान की तेल उत्पादन क्षमता **3.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन** है, लेकिन मौजूदा प्रतिबंधों के चलते उसका निर्यात घटकर केवल 1.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया है। हालाँकि सबसे बड़ी चिंता होर्मुज़ जलडमरूमध्य के संभावित अवरोध को लेकर है, जिसके माध्यम से विश्व की लगभग एक-पाँचवीं तेल आपूर्ति पारगमन होती है। पश्चिम एशिया में बढ़ता यह संघर्ष भारत के लिये ऊर्जा सुरक्षा, मुद्रास्फीति नियंत्रण और कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने जैसी बहुआयामी चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से जब भारत को इज़राइल और ईरान के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना है और चाबहार बंदरगाह परियोजना जैसे रणनीतिक हितों की रक्षा भी सुनिश्चित करनी है।

पश्चिम एशिया में संघर्ष के प्रमुख कारक क्या हैं?

- **इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष:** चलता आ रहा इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष क्षेत्र में अस्थिरता का एक केंद्रीय कारण बना हुआ है, जो गहरे **राजनीतिक, धार्मिक** और **क्षेत्रीय विवादों** से जुड़ा हुआ है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्धविराम की अपीलों (जिसमें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थायी युद्धविराम की मांग भी शामिल है)** के बावजूद, **गाज़ा में इज़राइली सैन्य कार्रवाइयों ने तनाव को और अधिक बढ़ा दिया है।**
    - इससे व्यापक क्षेत्रीय हस्तक्षेप की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें **हिज़्बुल्ला** और **हमास** ने इज़रायल पर अपने हमलों को तेज़ कर दिया है, जिससे संकट और गहरा हो गया है।
- **ईरान-इज़रायल प्रतिद्वंद्विता और प्रॉक्सी/छद्म युद्ध:** विचारधारात्मक मतभेदों से प्रेरित ईरान और इज़रायल के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता ने क्षेत्रीय अस्थिरता को और गहरा किया है। **हिज़्बुल्ला, हमास और अन्य मिलिशिया समूहों** को ईरान का समर्थन, इज़रायल की क्षेत्रीय श्रेष्ठता के लिये एक चुनौती बन गया है।
  - उदाहरण के लिये, **सितंबर 2024 में ईरान द्वारा इज़रायल के सैन्य अड्डे पर किया गया मिसाइल हमला (जो हिज़्बुल्ला नेता की हत्या के प्रतिशोध में था)** उसके बढ़ते युद्धक इरादों को दर्शाता है।
  - ईरान का क्षेत्रीय प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि इसके सहयोगी समूह लगातार अमेरिका और इज़रायल के हितों को निशाना बना रहे हैं, जिससे **लेबनान, सीरिया** और **यमन** में तनाव लगातार बढ़ रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **सांप्रदायिक विभाजन और प्रॉक्सी/छद्म संघर्ष:** धार्मिक आधार पर गहराता विभाजन पश्चिम एशिया में अस्थिरता का एक प्रमुख कारण बन गया है, जहाँ **सऊदी अरब और ईरान जैसे देश क्षेत्र भर में विरोधी गुटों का समर्थन कर रहे हैं।**
  - **यमन** में ईरान द्वारा समर्थित हूती विद्रोही लगातार सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के हितों को निशाना बना रहे हैं, जबकि **सऊदी अरब सीरिया और इराक में एक प्रतिद्वंद्वी गुट का समर्थन करता है।**
  - यमन में चल रहे युद्ध ने अब तक 2,50,000 से अधिक लोगों की जान ले ली है और यह लगातार अस्थिरता को बढ़ावा दे रहा है, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा प्रभावित हो रही है।
- **अमेरिका और पश्चिमी प्रभाव बनाम बढ़ती चीनी भूमिका:** पश्चिम एशिया में अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्द्धा ने प्रभाव के परस्पर प्रतिस्पर्द्धी क्षेत्र निर्मित कर दिये हैं।
  - **इज़रायल के प्रति अमेरिका के समर्थन और खाड़ी क्षेत्र में उसकी सैन्य उपस्थिति विशेषकर ईरान के विरुद्ध,** जो ऐतिहासिक संघर्ष का परिणाम है और हाल ही में वर्श 2019 में ईरान द्वारा होर्मुज़ जलडमरूमध्य में एक अमेरिकी ग्लोबल हॉक ड्रोन को मार गिराने की घटना के चलते ईरान के साथ तनाव और अधिक बढ़ गया है।
  - वहीं दूसरी ओर, वर्ष **2023 में चीन द्वारा सफलतापूर्वक कराई गई सऊदी-अरब और ईरान के बीच शांति समझौते की मध्यस्थता क्षेत्रीय** शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत देती है।
    - चीन की राजनयिक सफलता अमेरिका की नीतियों के विपरीत है, जिन्हें अक्सर एकपक्षीय माना गया है, जिससे क्षेत्र की भू-राजनीति और अधिक जटिल हो गई है।
- **संसाधनों की प्रतिस्पर्द्धा और ऊर्जा सुरक्षा:** क्षेत्र के विशाल ऊर्जा भंडार संघर्ष का एक प्रमुख कारक बने हुए हैं, जहाँ तेल-समृद्ध क्षेत्रों पर प्रभाव जमाने के लिये वैश्विक शक्तियाँ प्रतिस्पर्द्धा कर रही हैं।
  - वर्ष **2024 में ईरान का कच्चे तेल का उत्पादन प्रतिदिन 3.4 मिलियन बैरल है,** जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 3% है। किसी भी प्रकार की आपूर्ति में बाधा से तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हो सकती है, जिससे वैश्विक आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है।
- **आर्थिक अस्थिरता और बढ़ती बेरोज़गारी:** प्रतिबंधों और युद्ध से बढ़ी आर्थिक कठिनाइयों ने पश्चिम एशिया के कई देशों में अशांति को बढ़ावा दिया है।
  - उदाहरण के लिये, **लेबनान की आर्थिक व्यवस्था के गिरने का कारण वहाँ मुद्रास्फीति 200% तक पहुँचना है,** जिससे यह देश विरोध प्रदर्शनों का केंद्र बन गया है।
  - इसी प्रकार, **सऊदी अरब और इराक जैसे देशों में युवाओं की बेरोज़गारी दर 30-35% के बीच है,** जिससे उग्रवाद और कट्टरपंथीकरण की प्रवृत्तियों में वृद्धि हुई है।
    - आर्थिक अस्थिरता से जनसंख्या चरमपंथी विचारधाराओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है, जिससे समग्र संघर्ष का जोखिम बढ़ जाता है।
- **परमाणु प्रसार और हथियारों की होड़:** ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएँ अब भी क्षेत्र में तनाव का प्रमुख कारण बनी हुई हैं।
  - अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों, जिनमें वर्ष **2015 का परमाणु समझौता** भी शामिल है, के बावजूद ईरान ने अपनी परमाणु क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि की है और वर्ष **2024 की शुरुआत तक यूरेनियम को 60% शुद्धता तक संवर्द्धित** कर लिया है।
  - ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने की संभावना ने क्षेत्रीय शक्तियों, जैसे **सऊदी अरब, को अपने स्वयं के परमाणु कार्यक्रमों पर पुनर्विचार** करने के लिये प्रेरित किया है, जिससे एक संभावित हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है जो क्षेत्र को और अधिक अस्थिर बना सकती है।

पश्चिम एशियाई संघर्ष का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

- **कूटनीतिक और रणनीतिक दुविधाएँ:** भारत को इस क्षेत्र में एक जटिल कूटनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उसके इज़राइल और ईरान दोनों से गहरे संबंध हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **एक गुटनिरपेक्ष शक्ति या बहु-गठबंधन शक्ति के रूप में भारत की स्थिति का परीक्षण इज़रायल-फिलिस्तीन मुद्दे और इज़रायल तथा ईरान के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता से होता है।**
- **वर्ष 2024 में तनाव बढ़ने** पर, जब इज़राइल ने ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया, भारत को **दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील करनी पड़ी**, जबकि उसे दोनों देशों से अपने **मज़बूत संबंध भी बनाए रखने पड़े।**
  - भारत के रणनीतिक हित, विशेषकर **चाबहार बंदरगाह परियोजना,** इस अस्थिर स्थिति से सावधानीपूर्वक निपटने की मांग करते हैं।

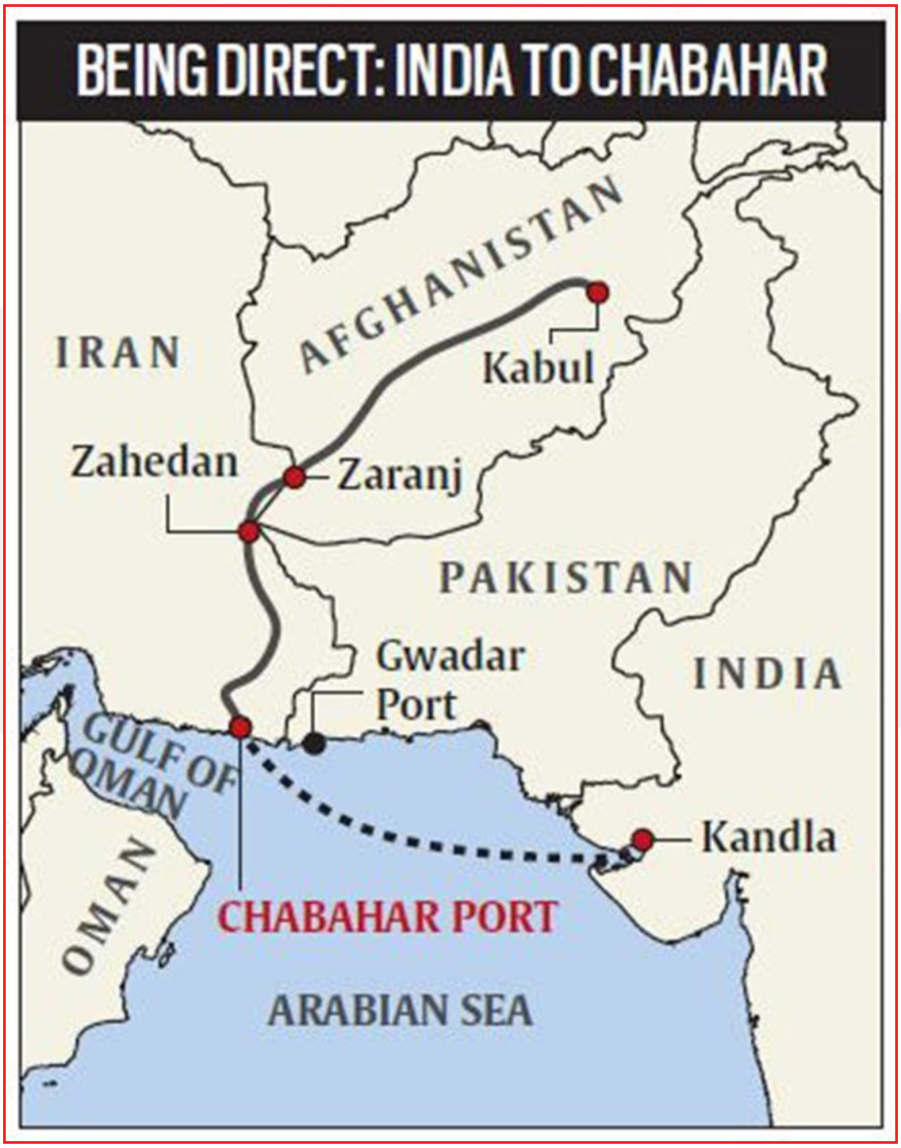

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **ऊर्जा सुरक्षा मुद्दा और तेल की बढ़ती कीमतें:** पश्चिम एशियाई संघर्षों, विशेषकर इज़रायल और ईरान के बीच तनाव का भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
  - चूँकि भारत अपनी **80% से अधिक कच्चे तेल की आवश्यकता आयात के माध्यम से** पूरी करता है, इसलिये इस क्षेत्र से तेल आपूर्ति में कोई भी बाधा **भारत की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव** डाल सकती है।
  - बढ़ते संघर्ष, विशेषकर **हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य** के संभावित बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति लाइनों को खतरा उत्पन्न हो गया है।
    - ईरानी ठिकानों पर इज़रायल के हवाई हमलों के बाद **ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में 9% की वृद्धि हुई,** जो अस्थिरता में वृद्धि का संकेत है।
- **उच्च माल ढुलाई और शिपिंग लागत के कारण आर्थिक तनाव:** संघर्ष ने महत्त्वपूर्ण व्यापार मार्गों को बाधित कर दिया है, जिससे शिपिंग लागत में वृद्धि हुई है और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में देरी हुई है।
  - **भारतीय निर्यात के लिये एक महत्त्वपूर्ण मार्ग लाल सागर** अब सुरक्षा खतरों का सामना कर रहा है, जिससे माल की शिपिंग लागत बढ़ सकती है।
  - **लाल सागर के लिये वैकल्पिक मार्ग केप ऑफ गुड होप** के आसपास चक्कर लगाने से शिपिंग समय में 10-14 दिन की वृद्धि हो सकती है, जिससे माल ढुलाई लागत में 20% की वृद्धि हो सकती है।
    - **इससे भारतीय निर्यात की कीमतें बढ़ने की संभावना है,** जिसका प्रभाव **वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स** जैसे क्षेत्रों पर पड़ेगा।
- **इज़राइल और ईरान के साथ व्यापार पर प्रभाव:** संघर्ष के कारण इज़राइल और ईरान दोनों के साथ भारत के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
  - आर्थिक उथल-पुथल के कारण दोनों देशों को **भारतीय निर्यात में गिरावट आई है** और **वर्ष 2024 की पहली छमाही में इज़राइल के निर्यात में 63.5% की गिरावट आई थी।**
  - इसी तरह, **ईरान के साथ व्यापार में भी भारी गिरावट आई है।** चूँकि भारत दोनों देशों के साथ विशेष रूप से रक्षा और तेल के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण व्यापार संबंध रखता है, इसलिये यह गिरावट उसके रणनीतिक आर्थिक संबंधों के लिये एक गंभीर झटका है।
- **भारतीय प्रवासियों और विप्रेषणों के लिये खतरा:** खाड़ी और पश्चिम एशिया में लाखों भारतीय कार्य कर रहे हैं, ऐसे में इस क्षेत्र की अस्थिरता प्रवासी श्रमिकों के लिये प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न करती है।
  - **लेबनान और सऊदी अरब** जैसे देशों में कार्यरत भारत के प्रवासी बढ़ती हिंसा के प्रति संवेदनशील हैं, जिससे बड़े पैमाने पर निकासी की आवश्यकता पड़ सकती है।
  - यहाँ यदि संघर्ष और गहराता है, तो इससे उनकी सुरक्षा और आय बाधित हो सकती है, जो भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि **विप्रेषण GDP का लगभग 3% हिस्सा बनाते हैं।**
- **मुद्रास्फीति का दबाव और आर्थिक मंदी:** तेल की कीमतों में वृद्धि के साथ, भारत को मुद्रास्फीति के दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जो आर्थिक वृद्धि को धीमा कर सकता है।
  - वैश्विक तेल कीमतों में **10 डॉलर प्रति बैरल** की वृद्धि से भारत का चालू खाता घाटा लगभग **10 बिलियन डॉलर** बढ़ जाता है।
  - **भारत की मुद्रास्फीति दर और अधिक बढ़ सकती है,** जिससे खाद्यान्न और ईंधन की कीमतें प्रभावित होंगी, जो इसकी बड़ी आबादी के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
    - इन तनावों के बीच वैश्विक वृद्धि की संभावनाएँ कमज़ोर होने से भारत की विकास संभावनाएँ भी प्रभावित हो सकती हैं, जैसा कि **विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2025 के लिये संशोधित वैश्विक GDP वृद्धि अनुमान 2.3% में परिलक्षित होता है।**
- **भू-राजनीतिक बदलाव और चीन का प्रभाव:** बीजिंग द्वारा मध्यस्थता किये गए सऊदी-ईरान शांति समझौते सहित पश्चिम एशिया में बढ़ते चीनी प्रभाव ने भारत की रणनीतिक गणना को प्रभावित किया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025
SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

- जैसे-जैसे चीन आर्थिक और कूटनीतिक माध्यमों से अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, भारत पर अपने क्षेत्रीय संबंधों की पुनर्समीक्षा करने का दबाव बढ़ रहा है।
- चीन की **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** और ईरान के साथ उसके बढ़ते संबंध, जिनमें ऊर्जा समझौते भी शामिल हैं, नई भू-राजनीतिक परिस्थितियाँ उत्पन्न कर रहे हैं, जिनसे निपटना भारत के लिये आवश्यक है ताकि वह इस क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा कर सके, विशेषकर इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) जैसे क्षेत्रों में।

संघर्षों के बीच पश्चिम एशिया में अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **क्षेत्रीय शक्तियों के साथ कूटनीतिक संवाद को दृढ़ करना:** भारत को एक सक्रिय कूटनीतिक रणनीति अपनानी चाहिये तथा अपने **रणनीतिक एवं आर्थिक हितों** की रक्षा के लिये इज़रायल और ईरान दोनों के साथ संवाद को बढ़ाना चाहिये।
  - **भारत को अपने रणनीतिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा हेतु इज़राइल और ईरान दोनों के साथ प्रत्यक्ष वार्ता करनी चाहिये।**
    - हाल ही में **भारतीय विदेश मंत्री** ने दोनों देशों के साथ क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा की है, जिसमें **तनाव बढ़ने से बचने, संयम बरतने और कूटनीति की राह पर लौटने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।**
  - **सऊदी अरब और UAE** जैसे प्रमुख **खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)** देशों के साथ भारत की बढ़ी हुई राजनयिक पहुँच, न केवल भारत के आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने में सहायता करेगी, बल्कि क्षेत्रीय तनाव को कम करने में भी भारत की रचनात्मक भूमिका को मज़बूत करेगी।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग और आतंकवाद-रोधी पहल का विस्तार:** भारत को पश्चिम एशिया में, विशेष रूप से **इज़रायल, जॉर्डन और मिस्र जैसे देशों के साथ अपनी आतंकवाद-रोधी साझेदारी को दृढ़ करना चाहिये।**
  - खुफिया जानकारी साझा करने के ढाँचे को बढ़ाकर और संयुक्त सुरक्षा पहलों की स्थापना करके, भारत क्षेत्र में सक्रिय उग्रवादी समूहों द्वारा उत्पन्न खतरों को कम कर सकता है।
- **ऊर्जा आयात में विविधता लाना तथा रणनीतिक भंडार का निर्माण करना:** पश्चिम एशिया से तेल और गैस की आपूर्ति पर निर्भरता कम करने के लिये, भारत को अपने ऊर्जा आयात में विविधता लानी चाहिये। इसके लिये **अफ्रीका, मध्य एशिया और लैटिन अमेरिका** जैसे नए आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ संबंध बढ़ाने होंगे। साथ ही, रणनीतिक ऊर्जा भंडार को दृढ़ करके दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।
  - **गैर-खाड़ी देशों** के साथ दीर्घकालिक ऊर्जा समझौते स्थापित करने से **आपूर्ति में व्यवधान के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त होगी।**
  - **इसके साथ ही, भारत को रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों** के विकास में तेज़ी लानी चाहिये, ताकि क्षेत्रीय संघर्षों के कारण अचानक मूल्य में उतार-चढ़ाव या आपूर्ति शृंखला में बाधाओं से बचा जा सके।
- **समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करना और व्यापार मार्गों की रक्षा:** फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ती अस्थिरता को देखते हुए, भारत को इन महत्त्वपूर्ण जल क्षेत्रों में **अपनी नौसैनिक उपस्थिति और समुद्री सुरक्षा अभियानों को सुदृढ़ करना चाहिये।**
  - **अमेरिका, रूस और जापान** जैसी वैश्विक शक्तियों तथा प्रमुख क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग को दृढ़ करने से भारत के ऊर्जा आयात और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये महत्त्वपूर्ण शिपिंग मार्गों को सुरक्षित करने में सहायता मिलेगी।
  - अपनी समुद्री रणनीति का विस्तार करके **भारत वाणिज्य और ऊर्जा के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित कर सकता है,** साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा मामलों में अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा सकता है।
- **क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिये आर्थिक कूटनीति का प्रभावी उपयोग:** भारत को पश्चिम एशिया में अपने हितों की रक्षा के लिये आर्थिक कूटनीति को एक उपकरण के रूप में सक्रिय रूप से उपयोग करना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को प्रबल करना, निवेश साझेदारी का विस्तार करना तथा बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं (**जैसे चाबहार बंदरगाह**) को आगे बढ़ाना, इस क्षेत्र में भारत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा।
- **पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक सहयोग** पर ध्यान केंद्रित करके, भारत क्षेत्रीय शक्तियों और छोटे राज्यों दोनों के साथ गहन संबंध विकसित कर सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि **क्षेत्र में इसकी उपस्थिति को चल रहे संघर्षों के बीच एक स्थिरताकारी शक्ति के रूप में देखा जाए।**

- **लोगों के बीच संबंधों और सॉफ्ट पावर कूटनीति को प्रोत्साहन: भारत को क्षेत्रीय राज्यों के साथ सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंध स्थापित करने** के लिये पश्चिम एशिया में अपने सशक्त प्रवासी समुदाय और लोगों के बीच संबंधों का लाभ उठाना चाहिये।
  - शैक्षिक आदान-प्रदान, सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ाकर तथा **प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में भारतीय विशेषज्ञता को बढ़ावा देकर** भारत अपनी सॉफ्ट पावर को दृढ़ कर सकता है।
  - यह दृष्टिकोण न केवल भारत के प्रभाव को बढ़ाएगा, बल्कि गैर-सैन्य साधनों के माध्यम से संघर्षों को हल करने का एक मार्ग भी प्रदान करेगा, जिससे भारत शांति और सहयोग के लिये एक वैश्विक समर्थक के रूप में स्थापित होगा।
- **कनेक्टिविटी परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को प्रोत्साहन:** भारत को पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और भारत के बीच व्यापार और परिवहन संपर्क बढ़ाने के लिये **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC)** जैसी विस्तारित कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर ज़ोर देकर क्षेत्रीय एकीकरण पहलों में तेज़ी लानी चाहिये।
  - ये परियोजनाएँ न **केवल सुगम और अधिक सुरक्षित व्यापार मार्गों की सुविधा प्रदान करेंगी,** बल्कि आर्थिक अंतरनिर्भरता को प्रोत्साहन प्रदान करके क्षेत्रीय स्थिरता को भी बढ़ावा देंगी।
  - बुनियादी ढाँचे के विकास को सुविधाजनक बनाकर, भारत चल रहे संघर्षों के बीच क्षेत्र के आर्थिक भविष्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- **मानवीय सहभागिता और संकट प्रतिक्रिया तंत्र को दृढ़ करना:** भारत को पश्चिम एशिया में संघर्ष से प्रभावित जनसंख्या की सहायता के लिये संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ सहयोग में एक व्यापक मानवीय प्रतिक्रिया ढाँचा स्थापित करना चाहिये।
  - **चिकित्सा सहायता, राहत सामग्री और पुनर्निर्माण सहयोग** प्रदान करके भारत न केवल क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान दे सकता है, बल्कि एक शांतिदूत के रूप में अपनी छवि को भी सशक्त बना सकता है।
  - **सक्रिय शांति स्थापना प्रयासों में संलग्न** होने से भारत को मानवीय पीड़ा को कम करने के लिये प्रतिबद्ध एक तटस्थ अभिनेता के रूप में देखा जा सकेगा, जिससे पूरे क्षेत्र में उसकी कूटनीतिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

निष्कर्ष:

पश्चिम एशिया के जटिल संघर्ष भारत के लिये **ऊर्जा सुरक्षा से लेकर कूटनीतिक संतुलन** तक अनेक गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। **कूटनीतिक संवाद, सुरक्षा सहयोग और आर्थिक कूटनीति** के माध्यम से एक सक्रिय रणनीति अपनाकर भारत न केवल अपने हितों की रक्षा कर सकता है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता को भी प्रोत्साहन दे सकता है। क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संबंधों को दृढ़ करना और **ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना भारत** की **रणनीतिक स्थिति को और अधिक सुदृढ़** करेगा। अंततः इस क्षेत्र में एक स्थिरकारी शक्ति के रूप में भारत की भूमिका उसकी **दीर्घकालिक सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण** होगी।

स्वच्छ-प्रौद्योगिकी के माध्यम से आर्थिक विकास का मार्ग

यह एडिटोरियल 18/06/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "Gaining clean-tech edge" पर आधारित है। इस लेख में भारत के लिये हरित प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और परीक्षण बुनियादी अवसंरचना एवं मानकों को बढ़ाकर वैश्विक स्वच्छ तकनीक विनिर्माण अग्रणी बनने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भारत वैश्विक **स्वच्छ तकनीक** **महाशक्ति के** रूप में उभरने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है, **राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन** **का** **हरित प्रौद्योगिकी** पर ध्यान इस महत्त्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिये एक रणनीतिक मार्ग प्रदान करता है। स्वच्छ-तकनीक विनिर्माण में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मकता के लिये **सुदृढ़ परीक्षण बुनियादी ढाँचा और उन्नत मानक विकास आवश्यक** है। यदि प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाता है, तो यह स्वच्छ विनिर्माण भारत को **स्वच्छ-तकनीक व्यापार में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित** कर सकता है, जिससे इसके औद्योगिक परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दोनों में बदलाव आएगा।

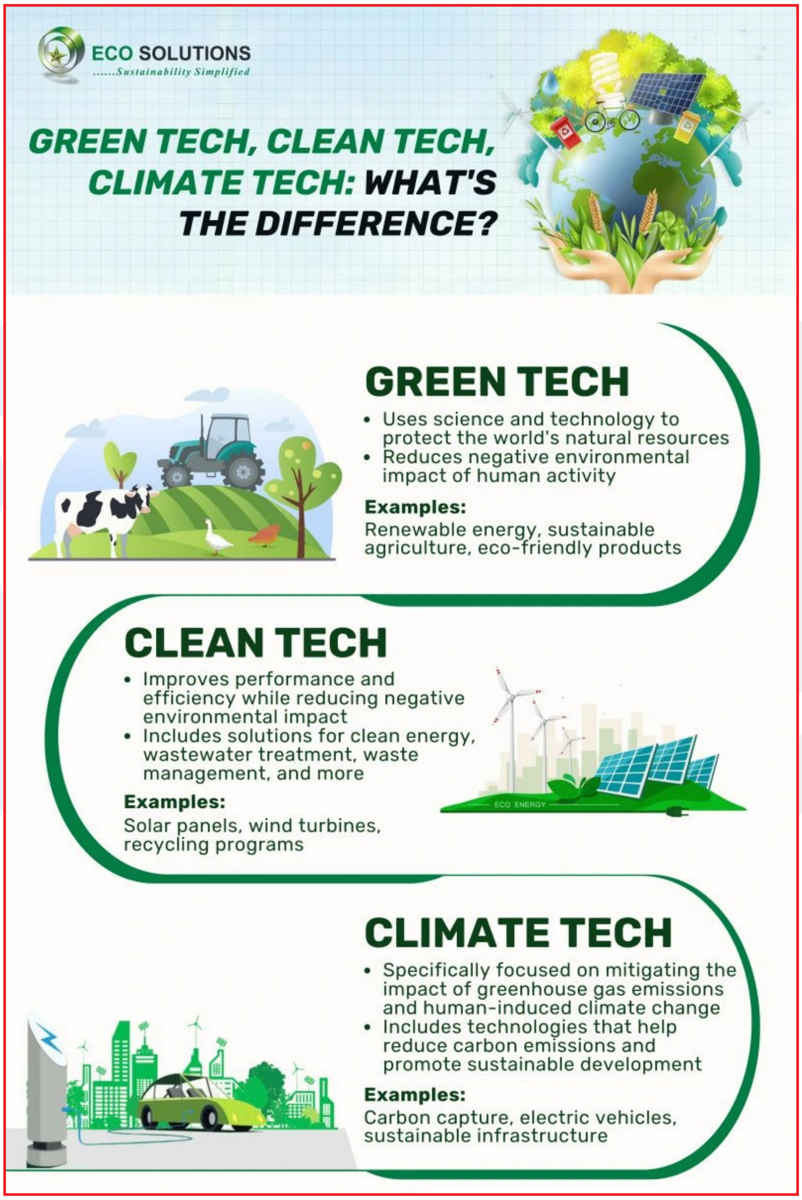

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025
SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

भारत के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में स्वच्छ प्रौद्योगिकी क्या भूमिका निभा सकती है?

- **रोज़गार सृजन के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना:** जैसे-जैसे भारत स्वच्छ-तकनीक उद्योगों की ओर अग्रसर हो रहा है, **सौर, पवन,** इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और बैटरी भंडारण जैसे क्षेत्र लाखों रोज़गार सृजित करेंगे, जो भारत के युवा कार्यबल के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - अकेले ऊर्जा परिवर्तन से वर्ष 2030 तक **5-6 मिलियन तथा वर्ष 2047 तक 9-10 मिलियन नौकरियाँ सृजन** हो सकती हैं।
    - यह बदलाव भारत के संवहनीय अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने से समर्थित है, जो स्वच्छ-प्रौद्योगिकी क्षेत्र को रोज़गार-संपन्न विकास इंजन के रूप में देखता है, विशेष रूप से विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास तथा परियोजना क्रियान्वयन में।
- **ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना:** स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने से **प्रत्यक्ष रूप से आयातित जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता कम** हो जाती है, जिससे ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है।
  - **सौर पैनलों, पवन टर्बाइनों और बैटरी भंडारण के घरेलू उत्पादन** को बढ़ाकर भारत ऊर्जा आयात में उल्लेखनीय कटौती कर सकता है, जो वर्तमान में अर्थव्यवस्था पर बोझ है।
    - वर्ष 2023 में, **घरेलू मांग को पूरा करने के लिये भारत की सौर मॉड्यूल क्षमता चार गुना बढ़ जाएगी**, जो सौर और बैटरी उत्पादन के लिये PLI योजनाओं के साथ संरेखित होगी, जिससे चीनी आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी।
- **तकनीकी नवाचार और अनुसंधान एवं विकास वृद्धि को उत्प्रेरित करना:** भारत की स्वच्छ-तकनीक क्रांति तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा दे रही है, विशेष रूप से **ऊर्जा भंडारण, हाइड्रोजन और बैटरी प्रौद्योगिकियों** में।
  - **राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन और इलेक्ट्रिक वाहनों** तथा सौर घटकों के लिये PLI योजनाएँ भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाए रखने के लिये अनुसंधान एवं विकास पर ज़ोर देती हैं।
    - ये नवाचार न केवल विनिर्माण को बढ़ावा देंगे, बल्कि ऐसे सफलताओं की ओर भी ले जाएंगे जो भारत को स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित कर सकते हैं, तथा स्टार्ट-अप्स, विश्वविद्यालयों और कॉर्पोरेट साझेदारियों का एक मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार कर सकते हैं।
  - वर्ष 2025 में लॉन्च किये जाने वाले **भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का उद्देश्य हरित प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास सहयोग को बढ़ावा** देना, **उन्नत ऊर्जा भंडारण और सौर प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण को सुविधाजनक बनाना** है।
- **वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति शृंखलाओं में भारत की स्थिति को मज़बूत करना:** स्वच्छ-प्रौद्योगिकी विनिर्माण पर भारत का ध्यान इसे नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण उत्पादन के लिये वैश्विक केंद्र में बदल रहा है।
  - **श्रम और इस्पात, तांबा और एल्युमीनियम** जैसे कच्चे माल में लागत लाभ का लाभ उठाकर, भारत स्थ्ररणीय उत्पादों की बढ़ती मांग वाले बाज़ारों में अपना स्थान बनाकर, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में एक रणनीतिक साझेदार के रूप में अपनी स्थिति बना सकता है।
  - चाइना+1 रणनीति, जिसके तहत **राष्ट्र चीन-आधारित आपूर्ति शृंखलाओं के विकल्प तलाशते** हैं, भारत के लिये स्वच्छ-प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का एक अवसर प्रस्तुत करती है।
    - भारत का स्वच्छ प्रौद्योगिकी निर्यात, **विशेष रूप से सौर PV मॉड्यूल, वर्ष 2023 में 5 गीगावाट तक बढ़ गया,** जिससे अमेरिका और यूरोप में बाज़ार हिस्सेदारी का विस्तार हुआ, जो हरित ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण आधार के रूप में भारत के उदय का संकेत है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **चक्रीय अर्थव्यवस्था और अपशिष्ट पुनर्चक्रण उद्योग को बढ़ावा देना:** भारत में स्वच्छ प्रौद्योगिकी का तात्पर्य केवल नवीकरणीय ऊर्जा से नहीं है, बल्कि अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण के लिये स्थायी समाधान तैयार करना भी है।
  - रीसायक्लिंग पर ज़ोर देते हुए, **स्वच्छ-तकनीक उद्योग** सौर पैनलों और बैटरियों जैसे जीवन-अंत उत्पादों से मूल्यवान सामग्रियों को पुन: प्राप्त करके पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकता है।
  - **राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन** जैसी पहलों के साथ, भारत बैटरी और सौर प्रौद्योगिकियों के लिये आवश्यक क्रिटिकल मिनरल्स की कमी को दूर करने के लिये पुनर्चक्रण का उपयोग कर सकता है।
- **शहरी संधारणीयता और हरित अवसंरचना विकास में तेज़ी लाना: स्वच्छ प्रौद्योगिकियाँ भारत के शहरी भविष्य को आकार देने, ऊर्जा मांगों को संबोधित करने और प्रदूषण को कम करने** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
  - **हरित निर्माण सामग्री, इलेक्ट्रिक वाहन और संधारणीय निर्माण विधियों** को अपनाकर भारत पर्यावरण अनुकूल शहरों के निर्माण में अग्रणी हो सकता है।
  - भारत हरित भवन प्रथाओं में महत्त्वपूर्ण प्रगति कर रहा है, जो **सरकारी नीतियों, ऊर्जा और पर्यावरण डिज़ाइन** में नेतृत्व तथा **एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिये हरित रेटिंग** जैसी हरित भवन रेटिंग प्रणालियों और सतत् विकास की आवश्यकता के बारे में बढ़ती जागरूकता से प्रेरित है।
- **पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों में कमी:** स्वच्छ प्रौद्योगिकी के अंगीकरण से प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में कमी आने से सार्वजनिक स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार होता है, जो भारत जैसे देश के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, जहाँ **वायु प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष 1.2 मिलियन से अधिक मौतें** होती हैं।
  - **ऊर्जा, परिवहन और अपशिष्ट प्रबंधन** में स्वच्छ प्रौद्योगिकी नवाचार कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं तथा लाखों लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं।
  - भारत में **इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में वृद्धि वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कटौती** की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जो देश के वायु प्रदूषण में **लगभग 30% का योगदान** देता है।

भारत में स्वच्छ प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **आयातित कच्चे माल पर निर्भरता:** भारत का स्वच्छ-प्रौद्योगिकी क्षेत्र आयात पर अत्यधिक निर्भर है, विशेष रूप से **बैटरी के लिये लिथियम, सौर पैनलों के लिये सिलिकॉन और पवन टर्बाइनों के लिये दुर्लभ मृदा तत्त्वों** जैसी महत्त्वपूर्ण सामग्रियों के लिये।
  - यह निर्भरता **मूल्य अस्थिरता और आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के संदर्भ में कमज़ोरियाँ** उत्पन्न करती है, जो भारत के स्वच्छ-प्रौद्योगिकी लक्ष्यों की मापनीयता को प्रभावित कर सकती है।
    - घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के प्रयासों के बावजूद, **भारत अभी भी अपने सौर घटकों का 80% और बैटरियों का 75-85% आयात** करता है, जिससे आत्मनिर्भरता सीमित हो जाती है।
  - इसके अलावा, हाल ही में **चीन ने सात दुर्लभ मृदा तत्त्वों और चुंबककों पर निर्यात प्रतिबंध** लगा दिया है, जो भारत के लिये आपूर्ति शृंखला जोखिम उत्पन्न करते हैं।
- **तकनीकी अंतराल और नवाचार चुनौतियाँ:** भारत को स्वच्छ प्रौद्योगिकी में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से **हरित हाइड्रोजन और उच्च दक्षता वाले सौर पैनलों** जैसे उन्नत क्षेत्रों में।
  - यद्यपि देश ने विनिर्माण के क्षेत्र में प्रगति की है, फिर भी वह उन **महत्त्वपूर्ण नवाचारों के मामले में पीछे** है जो दीर्घकालिक संधारणीयता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता को सक्षम बनाएंगे।
    - उदाहरण के लिये, **हाइड्रोजन उत्पादन के लिये भारत की इलेक्ट्रोलाइज़र तकनीक** अभी भी अविकसित है, जिससे हरित हाइड्रोजन लक्ष्यों की दिशा में प्रगति में विलंब हो रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **स्वच्छ-प्रौद्योगिकी एकीकरण के लिये अपर्याप्त बुनियादी कार्यढाँचा:** जबकि भारत का स्वच्छ-प्रौद्योगिकी क्षेत्र तेज़ी से बढ़ रहा है, पर्याप्त बुनियादी अवसंरचना की कमी (विशेष रूप से ग्रिड एकीकरण और ऊर्जा भंडारण के लिये) **एक बड़ी बाधा** बनी हुई है।
  - सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रबंधन के लिये भारत को **मज़बूत भंडारण समाधान और स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियाँ विकसित करने की आवश्यकता** है।
    - अभी तक **भारत का ग्रिड बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के मामले में अविकसित** है, जिससे अकुशलता और बर्बादी का खतरा बना हुआ है।
  - **भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता वर्ष 2024 में 209 गीगावाट तक पहुँच** गई है, फिर भी अपर्याप्त ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ इस क्षमता के इष्टतम उपयोग में बाधा डालती हैं। इसका पूरा उपयोग करने के लिये, **भारत को वर्ष 2030 तक 336 गीगावाट घंटे भंडारण की आवश्यकता** होगी।
- **उच्च पूंजीगत व्यय और वित्तपोषण संबंधी मुद्दे:** स्वच्छ-तकनीक विनिर्माण की पूंजी-गहन प्रकृति के लिये महत्त्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है, जो **कई व्यवसायों, विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यमों (SME) के लिये एक महत्त्वपूर्ण बाधा** रही है।
  - PLI योजना जैसी पहलों के बावजूद, फंडिंग की कमी एक सतत् मुद्दा बनी हुई है, विशेषकर **ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिये।** यह वित्तपोषण अंतर उत्पादन को बढ़ाने और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने को चुनौतीपूर्ण बनाता है।
  - वित्त वर्ष 2024 में, **भारत ने स्वच्छ-तकनीक सौदों में 2.4 बिलियन डॉलर हासिल किये,** फिर भी वर्ष 2070 तक **शुद्ध-शून्य उत्सर्जन हासिल करने के लिये** अभी भी अनुमानित 12.4 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता है, जो फंडिंग की कमी को उजागर करता है।
- **स्वच्छ-तकनीक विनिर्माण के लिये कुशल कार्यबल की कमी:** भारत का स्वच्छ-तकनीक क्षेत्र कुशल श्रमिकों की कमी से बाधित है, विशेष रूप से **सौर पैनल उत्पादन, EV बैटरी असेंबली और कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियों जैसी उन्नत विनिर्माण प्रक्रियाओं में।**
  - यद्यपि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन इनमें से कुछ चिंताओं का समाधान करता है, फिर भी **कुशल श्रमिकों की संख्या बढ़ाने में उसे अभी भी चुनौतियों का सामना** करना पड़ रहा है।
  - अकेले नवीकरणीय उद्योग को **लगभग 1.2 मिलियन के कौशल अंतराल का सामना** करना पड़ रहा है, जिसकी **मांग 26% बढ़ने की उम्मीद** है, जिससे वर्ष 2027 तक 1.7 मिलियन कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी।
- **स्वच्छ-प्रौद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन का पर्यावरणीय प्रभाव:** जबकि स्वच्छ-प्रौद्योगिकी का उद्देश्य उत्सर्जन को कम करना और संधारणीयता को बढ़ावा देना है, सौर पैनलों, पवन टर्बाइनों और EV बैटरी जैसे उत्पादों के जीवन-काल के अंत का प्रबंधन एक महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौती पेश करता है।
  - CEEW के अनुसार, भारत में वर्ष 2030 तक **600 किलोटन सौर अपशिष्ट उत्पन्न होने की उम्मीद** है, लेकिन सुदृढ़ पुनर्चक्रण प्रणालियों के बिना, यह अपशिष्ट पर्यावरणीय क्षरण को बढ़ा सकता है।
  - सरकार का **चक्रीयता पर ध्यान अभी भी प्रारंभिक चरण में** है तथा अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन स्वच्छ-प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दीर्घकालिक संधारणीयता को कमज़ोर कर सकता है।
- **स्वच्छ प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिये सीमित बाज़ार मांग:** यद्यपि स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में रुचि बढ़ रही है, फिर भी **इलेक्ट्रिक वाहन, सौर पैनल और बैटरी भंडारण प्रणालियों जैसे उत्पादों की घरेलू मांग बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये अपर्याप्त** है।
  - **राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की सफलता सतत् घरेलू मांग के सृजन पर निर्भर** करती है, जो वर्तमान में उच्च अग्रिम लागत और सीमित उपभोक्ता जागरूकता के कारण चुनौतियों का सामना कर रही है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास में तेज़ी लाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **स्वच्छ-प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को मज़बूत करना:** भारत को स्वच्छ-प्रौद्योगिकी नवाचारों में तेज़ी लाने के लिये सरकार, निजी क्षेत्र और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग के लिये एक मज़बूत कार्यढाँचा बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
  - सार्वजनिक-निजी भागीदारी **उच्च जोखिम वाले अनुसंधान एवं विकास में निवेश को बढ़ावा** दे सकती है, **व्यावसायीकरण की समयसीमा को कम कर सकती है** तथा अत्याधुनिक समाधानों को तेज़ी से बाज़ार में ला सकती है।
  - **कर लाभ या मिलान वित्त पोषण** के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने के लिये निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करके, भारत **ग्रीन हाइड्रोजन, उन्नत बैटरी और कार्बन कैप्चर** जैसी नेक्स्ट जेनरेशन की प्रौद्योगिकियों के लिये एक गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र बना सकता है।
    - IIT-मद्रास द्वारा हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिये क्षारीय समुद्री जल इलेक्ट्रोलाइज़र का विकास सही दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- **सर्कुलर इकोनॉमी कार्यढाँचे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण:** भारत को एक सर्कुलर इकोनॉमी के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिये जो अपशिष्ट को कम करने, सामग्रियों का पुनः उपयोग करने और **सौर पैनलों, पवन टर्बाइनों एवं EV बैटरी जैसे स्वच्छ-तकनीक उत्पादों के पुनर्चक्रण पर केंद्रित** हो।
  - व्यापक पुनर्चक्रण और रिवर्स लॉजिस्टिक्स प्रणालियों की स्थापना से स्वच्छ प्रौद्योगिकी उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभाव में कमी आएगी, जबकि संसाधन पुनर्प्राप्ति को अधिकतम किया जा सकेगा।
  - सरकार **निर्माताओं के लिये अनिवार्य पुनर्चक्रण कोटा** बना सकती है और **व्यवसायों को विघटन एवं सामग्री पुनर्प्राप्ति के लिये डिज़ाइन करने के लिये प्रोत्साहित** कर सकती है, जिससे दीर्घावधि में स्वच्छ प्रौद्योगिकी अधिक समुत्थानशील बन सकेगी।
- **स्वच्छ-तकनीक उद्योगों के लिये कौशल विकास में सुधार:** स्वच्छ-तकनीक क्षेत्र के विकास को समर्थन देने के लिये, भारत को अपने कार्यबल को उन्नत बनाने और पुनः कौशल प्रदान करने में तत्काल निवेश करना चाहिये, विशेष रूप से उच्च-तकनीक विनिर्माण एवं रखरखाव क्षेत्रों में।
  - **विशिष्ट व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, उद्योग-विशिष्ट प्रमाणपत्र और विश्वविद्यालय साझेदारी** स्थापित करने से **सौर विनिर्माण, बैटरी प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रिक वाहन सर्विसिंग** जैसे क्षेत्रों में कौशल अंतर को पाटने में मदद मिलेगी।
  - इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उद्योग की आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने से कुशल कार्यबल का सृजन सुनिश्चित होगा, जो स्वच्छ-प्रौद्योगिकी क्रांति को शक्ति प्रदान कर सकेगा।
- **एकीकृत स्वच्छ-तकनीक वित्तपोषण तंत्र का निर्माण:** भारत को **स्वच्छ प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स और बड़े पैमाने पर विनिर्माण परियोजनाओं में वित्तपोषण की कमी को दूर करने के लिये एक समर्पित स्वच्छ-तकनीक वित्तपोषण तंत्र** विकसित करने की आवश्यकता है।
  - **सरकार समर्थित ऋण, उद्यम पूंजी और ग्रीन बॉण्ड का संयोजन** उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश को जोखिम मुक्त करने में मदद कर सकता है।
  - **ग्रीन बैंक या स्वच्छ-तकनीक निवेश कोष** के निर्माण से विशेष रूप से **स्वच्छ-तकनीक उद्यमों** के लिये पूंजी जुटाई जा सकेगी, जिससे दीर्घकालिक विकास और नवाचार को समर्थन मिलेगा तथा स्टार्टअप्स के लिये वित्तीय बाधाएँ कम होंगी।
- **सरकारी और कॉर्पोरेट स्तर पर हरित खरीद नीतियों को लागू करना:** सरकार और बड़े निगमों को **हरित खरीद नीतियों को अपनाना चाहिये** जो उनके क्रय निर्णयों में स्वच्छ-तकनीक उत्पादों एवं सेवाओं को प्राथमिकता देती हैं।
  - **घरेलू स्वच्छ-तकनीक स्टार्टअप्स** को बढ़ावा देने और उन्हें सरकारी अनुबंधों तक तरजीही पहुँच प्रदान करने से अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन मिलेगा तथा वैश्विक बाज़ारों में भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त मज़बूत होगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- ये नीतियाँ न केवल हरित प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण में तेज़ी लाएंगी, बल्कि **विनिर्माताओं के लिये स्थिर बाज़ार स्थितियाँ भी उत्पन्न** करेंगी, जिससे उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने में मदद मिलेगी।

- **टियर-2 और टियर-3 शहरों में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना:** देश भर में स्वच्छ-तकनीक विकास को बढ़ावा देने के लिये, भारत को **छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित** करना चाहिये, जहाँ विनिर्माण लागत कम है तथा अप्रयुक्त क्षमता मौजूद है।
  - स्वच्छ-प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर स्थापित करके, **स्थानीय स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करके** तथा **उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक बाज़ारों से जोड़कर,** भारत क्षेत्रीय प्रतिभा की रचनात्मक क्षमता का दोहन कर सकता है।
  - नवाचार का यह विकेंद्रीकरण समावेशी विकास को प्रोत्साहित करेगा तथा स्वच्छ-प्रौद्योगिकी विनिर्माण के लिये क्षेत्रीय केंद्रों का निर्माण करेगा।

- **स्वच्छ-प्रौद्योगिकी निर्यात के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मज़बूत करना:** भारत को वैश्विक स्वच्छ-प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्त्ता के रूप में **अपनी स्थिति को मज़बूत करने के लिये यूरोपीय संघ, अमेरिका और जापान** जैसे अग्रणी स्वच्छ-प्रौद्योगिकी बाज़ारों के साथ रणनीतिक गठबंधन बनाना चाहिये।
  - यह लक्ष्य **मुक्त व्यापार समझौते स्थापित करके प्राप्त किया जा सकता है,** जिसमें स्वच्छ प्रौद्योगिकी घटक और प्रौद्योगिकियाँ शामिल हों, जिससे भारतीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक आसान पहुँच सुनिश्चित हो सके।
  - इसके अलावा, **संयुक्त उद्यमों, ज्ञान के आदान-प्रदान और बुनियादी अवसंरचना के विकास के लिये सहयोग को बढ़ावा** देने से भारत को अपनी स्वच्छ-प्रौद्योगिकी महत्त्वाकांक्षाओं में तेज़ी लाने के लिये वैश्विक विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

- **ऊर्जा भंडारण और स्मार्ट ग्रिड नवाचारों को बढ़ावा देना:** नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के लिये, भारत को **उन्नत ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों के विकास एवं तैनाती को प्राथमिकता** देनी चाहिये।
  - **ग्रिड-स्केल बैटरी, पंप हाइड्रो स्टोरेज और थर्मल ऊर्जा भंडारण** जैसे ऊर्जा भंडारण समाधान, सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की रुकावट संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे।
  - स्मार्ट ग्रिड अवसंरचना में निवेश करना, जो ऊर्जा वितरण को अनुकूलित करता है, हानियों को कम करता है तथा ग्रिड लचीलेपन को बढ़ाता है, एक स्थिर एवं कुशल ऊर्जा प्रणाली को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण होगा।

- **राष्ट्रीय स्वच्छ-तकनीक प्रमाणन प्रणाली की स्थापना: भारत को स्वच्छ-तकनीक उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को मानकीकृत और विनियमित करने के लिये** एक राष्ट्रीय स्वच्छ-तकनीक प्रमाणन प्रणाली शुरू करनी चाहिये।
  - यह प्रमाणन यह सुनिश्चित कर सकता है कि उत्पाद कठोर पर्यावरणीय और प्रदर्शन मानकों को पूरा करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को उनके खरीद निर्णयों में विश्वास मिलेगा।
  - एक विश्वसनीय प्रमाणन प्रक्रिया बनाकर, भारत वैश्विक बाज़ारों में अपनी अलग पहचान बना सकता है और भारतीय कंपनियों को **यूरोपीय संघ के इकोडिजाइन मानकों** जैसे सख्त पर्यावरणीय नियमों वाले **अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँच बनाने में मदद** कर सकता है।

- **निम्न-कार्बन निर्माण और हरित सामग्रियों में अनुसंधान को बढ़ावा देना:** चूँकि निर्माण क्षेत्र उत्सर्जन में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है, इसलिये भारत को निम्न-कार्बन निर्माण सामग्रियों और ऊर्जा-कुशल निर्माण विधियों में अनुसंधान में तेज़ी लानी चाहिये।
  - **जैवप्लास्टिक, भांग आधारित कंक्रीट और बाँस** जैसी हरित सामग्रियों के विकास के लिये सरकारी समर्थन से अधिक संधारणीय शहरीकरण को बढ़ावा मिल सकता है।
  - भौतिक नवाचार के साथ-साथ **ऊर्जा-कुशल भवन डिज़ाइन, रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम** और हरित भवन प्रमाणन को बढ़ावा देने से भारत के तेज़ी से बढ़ते शहरी परिदृश्य में सतत् विकास को बढ़ावा मिलेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निष्कर्ष:

भारत का स्वच्छ-तकनीक परिवर्तन संवहनीय आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने का एक अभूतपूर्व अवसर प्रस्तुत करता है, साथ ही **सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा (SDG 7) एवं उत्कृष्ट श्रम और आर्थिक विकास (SDG 8) जैसे सतत् विकास लक्ष्य की उपलब्धि में महत्त्वपूर्ण योगदान** देता है। **बुनियादी अवसंरचना के विकास, कौशल वृद्धि और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करके, भारत एक आत्मनिर्भर एवं विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी स्वच्छ-तकनीक क्षेत्र** बना सकता है।

■■■

लैंगिक समानता की ओर भारत का मार्ग

यह संपादकीय 19/06/2025 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित "Unfinished business of gender parity in India" पर आधारित है। इस लेख में भारत में लैंगिक समानता से जुड़ी जारी चुनौतियों को केंद्र में रखा गया है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की 2025 की रिपोर्ट में भारत को 148 देशों में से 131वाँ स्थान दिया गया है, जो इस दिशा में और अधिक संगठित प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

लैंगिक समानता की दिशा में भारत के प्रयासों में प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी आगे की राह कठिन है। महिलाओं की शिक्षा का स्तर सुधर रहा है, फिर भी **संसद में राजनीतिक प्रतिनिधित्व मात्र 14% पर स्थिर** है। आर्थिक असमानता बहुत अधिक है, **महिलाएँ सकल घरेलू उत्पाद में 20% से भी कम योगदान** देती हैं, और **पुरुषों की तुलना में बहुत कम कमाती हैं।** विश्व आर्थिक मंच की वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट- 2025 एक निराशाजनक परिदृश्य प्रस्तुत करती है, जिसमें **भारत को 148 देशों में से 131वें स्थान पर रखा गया है,** जो अपने **BRICS समकक्षों और दक्षिण एशियाई पड़ोसियों से भी पीछे** है। वास्तविक लैंगिक समानता हासिल करने के लिये, **भारत को सभी क्षेत्रों में ठोस, समावेशी प्रगति** पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

लैंगिक समानता प्राप्त करने में भारत की प्रमुख प्रगति क्या है?

- **महिला शिक्षा में प्रगति:** भारत ने शिक्षा में लैंगिक समानता प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है।
  - प्राथमिक स्तर पर **लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 94.32%** है, जो **लड़कों के 89.28% से थोड़ा अधिक** है। इसी तरह, **माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का नामांकन अनुपात 81.32%** है, जबकि **लड़कों का 78%** है।
  - भारत में **महिलाओं की साक्षरता दर में 68% की वृद्धि** हुई है, जो स्वतंत्रता के समय 9% से बढ़कर **वर्तमान में 77%** हो गई है तथा यह लैंगिक शिक्षा के अंतर को कम करने की दृढ़ प्रतिबद्धता का संकेत है।
- **वित्तीय समावेशन के माध्यम से आर्थिक सशक्तीकरण:** प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) जैसी पहल महिलाओं के वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण रही है।
  - जनवरी 2025 तक, **56% PMJDY खाते महिलाओं के पास होंगे,** जिससे उन्हें बैंकिंग, बचत और ऋण तक बेहतर पहुँच प्राप्त होगी।
    - इस वित्तीय स्वतंत्रता ने महिलाओं को (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में) महत्त्वपूर्ण **वित्तीय निर्णय लेने और उद्यमशीलता में संलग्न होने की क्षमता** प्रदान की है।
  - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली ने भी महिलाओं को सशक्त बनाया है, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि सरकारी सब्सिडी (जैसे: **मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना**) और कल्याण निधि सीधे उन तक पहुँचे तथा बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़े।
- **महिला अधिकारों और सुरक्षा के लिये कानूनी सुधार:** भारत ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्त्वपूर्ण कानूनी सुधार पेश किये हैं।
  - आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 ने यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न के लिये दंड को कड़ा कर दिया है, जो **महिलाओं के खिलाफ हिंसा के प्रति शून्य-सहिष्णुता के दृष्टिकोण** को दर्शाता है।
  - इसके अलावा, वर्ष 2017 में **26 सप्ताह के सवेतन मातृत्व अवकाश की शुरूआत** एक महत्त्वपूर्ण कदम था, जिसने महिलाओं के लिये बेहतर कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा दिया तथा उन्हें अपनी नौकरी खोने के भय के बिना कार्यबल में बने रहने में सक्षम बनाया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- ये कानूनी कदम महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
- **नेतृत्वकारी भूमिकाओं में महिलाओं की बढ़ती भूमिका:** भारत में महिलाएँ विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व की बाधाओं को तोड़ रही हैं, जिनमें **CRPF के चार सेक्टरों का नेतृत्व करने वाली पहली महिला— चारु सिन्हा** तथा भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली— **न्यायमूर्ति नागरत्ना** जैसी हस्तियाँ शामिल हैं।
  - **कर्नल सोफिया कुरैशी ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह** के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग का नेतृत्व किया, जो सेना में महिलाओं के लिये एक और महत्त्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुआ।
  - इसके अलावा, कॉर्पोरेट जगत में, NSE-सूचीबद्ध लगभग 97% कंपनियों ने मार्च 2025 तक कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति की है।
- **आरक्षण के माध्यम से राजनीतिक सशक्तीकरण:** भारत में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, विशेष रूप से ज़मीनी स्तर पर।
  - 73 वें और 74वें संविधान संशोधनों ने पंचायतों और स्थानीय शासन निकायों में महिलाओं के लिये एक तिहाई सीटें आरक्षित कर दीं, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय शासन के 40% से अधिक पद महिलाओं के पास हैं।
  - महिला आरक्षण अधिनियम 2023, जो संसद और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है, राष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- **स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधार:** भारत ने महिलाओं के स्वास्थ्य परिणामों, विशेषकर मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाने में काफी प्रगति की है।
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम** (JSSK) जैसे कार्यक्रमों ने पिछले दशक में मातृ मृत्यु दर को 50% से अधिक कम करने में मदद की है।
  - **आयुष्मान भारत योजना** ने स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच का विस्तार किया है, जिससे लाखों महिलाएँ मुफ्त स्वास्थ्य जाँच और उपचार से लाभान्वित हो रही हैं।
    - **स्वास्थ्य बीमा योजना AB-PMJAY के लाभार्थियों में लगभग 49% महिलाएँ** हैं, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुँच सुनिश्चित होती है।
- **ग्रामीण भारत में महिला कार्यबल में भागीदारी में वृद्धि:** भारत के प्रमुख रोज़गार कार्यक्रम, MGNREGA ने श्रम बल में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला भागीदारी को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - **MGNREGA श्रमिकों में 57.47% से अधिक महिलाएँ हैं** (सत्र 2022-23 तक) जो कार्यक्रम के समान वेतन प्रावधानों से लाभान्वित हो रही हैं।
  - ये वेतन महिलाओं को स्वतंत्र आय प्रदान करते हैं, जिससे उनकी स्वायत्तता बढ़ती है।
    - **कार्यक्रम का प्रभाव राजस्थान जैसे राज्यों में भी** दिखाई दे रहा है, जहाँ ग्रामीण महिलाओं में महत्त्वपूर्ण आर्थिक सशक्तीकरण हुआ है।
- **महिला उद्यमिता को बढ़ावा:** स्टैंड अप इंडिया और MUDRA (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) जैसी सरकार समर्थित योजनाएँ महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में सहायक रही हैं।
  - वर्ष 2021 में स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत **68% ऋण महिलाओं को** दिये गए, जो महिलाओं के **व्यवसाय में संलग्न होने की बढ़ती प्रवृत्ति** को दर्शाता है।
  - इसके अलावा, स्वयं सहायता समूह (SHG) ग्रामीण महिलाओं को बचत, ऋण और वित्तीय साक्षरता तक पहुँच प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
    - **स्वयं सहायता समूह वित्तीय और सामाजिक नेटवर्क** के रूप में कार्य करते हैं, जो महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने तथा उसे बढ़ाने में सहायता करते हैं, साथ ही **लखपति दीदी योजना के साथ मिलकर वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा** देते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025
SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025
SCAN ME
IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

भारत में लैंगिक समानता में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **राजनीतिक अल्प प्रतिनिधित्व:** भारत का राजनीतिक परिदृश्य महिलाओं को हाशिये पर रखता है, **संसद में केवल 13.8% महिला प्रतिनिधित्व** है, जो वर्ष 2023 में **14.7% से कम** है।
  - **वर्ष 2023 में महिला आरक्षण अधिनियम** पारित होने के बावजूद, राजनीतिक इच्छाशक्ति और संरचनात्मक बाधाओं के कारण इसका **पूर्ण कार्यान्वयन वर्ष 2029 तक विलंबित** है।
  - यह गतिरोध शासन में महिलाओं की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयासों को कमज़ोर करता है।
    - उदाहरण के लिये, **केवल 5.6% मंत्री पद पर महिलाएँ** हैं, जो निर्णय लेने के स्तर पर उनके अल्प प्रतिनिधित्व को उजागर करता है।
- **श्रम बल में महिलाओं की कम भागीदारी:** हाल की प्रगति के बावजूद, भारत में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी **अभी भी लगभग 41.7% के निम्न स्तर पर** बनी हुई है।
  - पिछले कुछ वर्षों में महिला रोज़गार में वृद्धि के बावजूद, **सामाजिक मानदंड, बाल देखभाल की कमी और वेतन अंतर** महिलाओं को अनौपचारिक क्षेत्र की ओर धकेलते हैं, जहाँ सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षण न्यूनतम हैं।
  - इसके अलावा, वर्ष 2020 में ऑक्सफैम इंडिया द्वारा किये गए शोध में भारत में महिलाओं द्वारा किये गए **अवैतनिक कार्यों का आर्थिक मूल्य लगभग 19 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान** लगाया गया था।
    - मैकिन्से की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि लैंगिक रोज़गार अंतर को कम करने से वर्ष 2025 तक **भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 770 बिलियन डॉलर की वृद्धि** हो सकती है, फिर भी प्रगति धीमी है।
- **सांस्कृतिक बाधाएँ और पितृसत्तात्मक मानदंड:** गहराई से व्याप्त पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण शिक्षा, रोज़गार और सामाजिक गतिशीलता में महिलाओं की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करते हैं।
  - ये सांस्कृतिक बाधाएँ महिलाओं के लिये कॅरियर में प्रगति और नेतृत्व की भूमिकाओं (**ग्लास सीलिंग और ग्लास क्लिफ**) जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विकल्पों को सीमित करती हैं, विशेषकर ग्रामीण भारत में।
  - महिलाओं में वित्तीय जागरूकता के बारे में हाल ही में किये गए सर्वेक्षण से पता चला है कि **59% महिलाएँ अपने वित्तीय मामलों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं** लेती हैं, जिससे उनकी स्वतंत्रता और कम हो जाती है।
    - इस प्रणालीगत पूर्वाग्रह ने वर्ष 2025 के वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक के अनुसार, लैंगिक समानता के मामले में भारत को दक्षिण एशिया में सबसे निचले पायदान पर ला खड़ा किया है, जहाँ **लैंगिक समानता केवल 64.1%** है।
- **लैंगिक वेतन अंतर:** भारत में लैंगिक वेतन अंतर अभी भी काफी महत्त्वपूर्ण है। जब महिलाएँ कार्यबल में प्रवेश करती हैं, तब भी उनकी आय समान भूमिकाओं में अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में लगातार कम होती है, विशेषकर उच्च-कुशल क्षेत्रों में।
  - उदाहरण के लिये, शहरी भारत में लैंगिक वेतन अंतर आँकड़ों में प्रतिबिंबित होता है, जो दर्शाता है कि **महिलाएँ तुलनीय भूमिकाओं के लिये पुरुषों की तुलना में 30-40% कम कमाती हैं।**
  - यह असमानता अनौपचारिक क्षेत्रों तक फैली हुई है, जहाँ महिलाएँ प्रायः समान कार्य के लिये अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कम कमाती हैं, जैसे कृषि और घरेलू कार्य।
- **शैक्षिक उपलब्धि बनाम रोज़गार के अवसर:** यद्यपि महिलाओं की शैक्षिक उपलब्धि में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, लेकिन शिक्षा से आर्थिक भागीदारी तक की छलांग **प्रासंगिक रोज़गार के अवसरों की कमी के कारण बाधित** है।
  - उदाहरण के लिये, महिला STEM स्नातकों के उच्च अनुपात के बावजूद, **भारत में STEM कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी एक तिहाई से भी कम** (ORF) यानी 27% है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

लैंगिक समानता के लिये भारत सरकार की पहल

- यह विरोधाभास दर्शाता है कि शिक्षा प्रणाली, अपनी सफलताओं के बावजूद, सार्थक रोज़गार के अवसर उत्पन्न करने में विफल रही है, जिसका मुख्य कारण सांस्कृतिक और अवसंरचनात्मक अंतराल है।

- **अपर्याप्त मातृत्व लाभ और शिशु देखभाल सहायता:** यद्यपि भारत ने 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश प्रदान करने में प्रगति की है, फिर भी पर्याप्त शिशु देखभाल अवसंरचना का अभाव महिलाओं की कार्यबल भागीदारी के लिये एक प्रमुख बाधा बनी हुई है।
  - **शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किफायती, सुलभ बाल देखभाल सेवाओं का अभाव** कई महिलाओं को या तो कार्यबल छोड़ने या कम वेतन वाली, अंशकालिक नौकरियों को स्वीकार करने के लिये मज़बूर करता है।
  - उदाहरण के लिये, 'द बेटर इंडिया' की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 73% महिलाएँ मातृत्व के पश्चात अपनी नौकरियाँ छोड़ देती हैं, जबकि वे पूर्णकालिक रोज़गार को सँभालने का प्रयास करती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इससे न केवल उनके कॅरियर विकास एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता की संभावनाएँ सीमित होती हैं बल्कि यह लिंग आधारित असमानता को भी और अधिक मज़बूत करता है।

- **वित्तीय सेवाओं में सीमित उपयोग:** यद्यपि प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी पहलों ने महिला खाता स्वामित्व में वृद्धि की है, फिर भी इन खातों का उपयोग सीमित है, **32% महिलाओं के खाते निष्क्रिय (विश्व बैंक का वर्ल्ड फाइंडेक्स सर्वे-2021) हैं।**
  - आर्थिक सशक्तीकरण के लिये वित्तीय समावेशन महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाएँ अधिक बचत करती हैं और परिवार की खुशहाली में पुनर्निवेश करती हैं।

लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति को गति देने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **महिलाओं के लिये व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम लागू करना:** औपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये, भारत को **प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल सेवाओं जैसे उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम** लागू करना चाहिये।
  - इन कार्यक्रमों में व्यावहारिक कौशल, उद्यमशीलता प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता पर ज़ोर दिया जाना चाहिये, ताकि **महिलाओं को उच्च वेतन वाली, कुशल नौकरियां प्राप्त करने में सशक्त बनाया जा सके।**
  - विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के कौशल विकास पर ज़ोर देने से **शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटा जा सकता है तथा महिलाओं को उभरते नौकरी बाज़ारों में एकीकृत करने में सहायता** मिल सकती है। व्यावसायिक अलगाव के चक्र को तोड़ने के लिये **गैर-पारंपरिक क्षेत्रों पर विशेष ज़ोर** दिया जाना चाहिये।

- **लिंग-संवेदनशील श्रम कानूनों को बढ़ाव देना और लागू करना:** भारत को ऐसे श्रम कानूनों के प्रवर्तन (विशेष रूप से समान वेतन, कार्यस्थल उत्पीड़न और सवेतन पारिवारिक अवकाश से संबंधित कानून) को सुदृढ़ करना चाहिये जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं।
  - एक राष्ट्रीय कार्यढाँचा होना चाहिये जो यह सुनिश्चित करे कि सभी कार्यस्थल लचीले कार्य घंटों और बाल देखभाल सहायता संबंधी नीतियों का अनुपालन करें तथा महिलाओं की उन्नति के लिये समावेशी वातावरण को बढ़ावा दें।
  - लैंगिक समानता मानदंडों के अनुपालन का आकलन करने के लिये **कंपनियों का नियमित ऑडिट** तथा **गैर-अनुपालन के लिये दंडात्मक उपाय** अपनाने से बेहतर प्रथाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।
    - **इससे कार्यस्थल पर प्रणालीगत परिवर्तन** आएगा तथा औपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की दीर्घकालिक भागीदारी सुनिश्चित होगी।

- **स्थानीय नेतृत्व पहल के माध्यम से राजनीतिक सशक्तीकरण को मज़बूत करना:** स्थानीय शासन में आरक्षण की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, भारत उच्च राजनीतिक नेतृत्व की भूमिकाओं के लिये महिलाओं को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देने के लिये लक्षित कार्यक्रम बना सकता है।
  - इसमें **पंचायत, नगरपालिका और राज्य स्तर पर महिला राजनेताओं के लिये क्षमता निर्माण पहल** शामिल हो सकती है, जिससे उन्हें लोक प्रशासन, शासन एवं नेतृत्व कौशल से लैस किया जा सके।
    - इस संदर्भ में, **पंचायत जैसी वेब सीरीज** ने जागरूकता बढ़ाने और महत्त्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - **व्यावहारिक अनुभव वाली महिला नेताओं** की एक पीढ़ी को बढ़ावा देकर, भारत धीरे-धीरे उच्च राजनीतिक कार्यालयों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा सकता है, जिससे **राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नीति निर्धारण में उनका प्रभाव** बढ़ सकता है।

- **लिंग-संवेदनशील बजट और नीति निर्माण को बढ़ावा देना:** भारत को **सरकार के सभी स्तरों पर लिंग-संवेदनशील बजट (वर्ष 2005 में शुरू) को संस्थागत** बनाना चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि **लिंग संबंधी विचारों को प्रत्येक नीति, कार्यक्रम और बजट आवंटन में एकीकृत** किया जाए।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इसमें किसी भी प्रमुख नीति या कल्याणकारी पहल को लागू करने से पहले लैंगिक प्रभाव आकलन करना शामिल होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाओं की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाए।
- वित्तीय संसाधनों को विशेष रूप से उन योजनाओं के लिये आवंटित किया जाना चाहिये जो **शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त** बनाती हैं, जिससे सार्वजनिक धन का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित हो सके।
  - यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि लैंगिक समानता सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नीति-निर्माण का मुख्य केंद्र बिंदु बन जाए।
- **अनुकूलित वित्तीय सेवाओं के माध्यम से महिला उद्यमियों के लिये समर्थन बढ़ाना:** महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिये, भारत को एक विशेष वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता है जो महिलाओं को **पूंजी, सूक्ष्म ऋण और उद्यम निधि तक आसान पहुँच** प्रदान करे।
  - बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को महिला उद्यमियों के लिये ब्याज दरें कम करने तथा **संपार्श्विक आवश्यकताओं में ढील देने के लिये प्रोत्साहित** किया जाना चाहिये, जिससे उनके लिये अपना व्यवसाय स्थापित करना एवं उसे बढ़ाना आसान हो सके।
  - महिला उद्यमियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जाना चाहिये, ताकि उन्हें मार्गदर्शन, नेटवर्किंग अवसर और लक्षित व्यवसाय विकास कार्यक्रम जैसी अनुरूप सहायता सेवाएँ प्रदान की जा सकें।
- **लैंगिक मानदंडों को चुनौती देने के लिये शैक्षिक पाठ्यक्रम में सुधार:** सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने और लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिये, भारत को **स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में लैंगिक समानता** को शामिल करना चाहिये।
  - इसमें न केवल महिलाओं की उपलब्धियों को बढ़ावा देना शामिल होगा, बल्कि **लड़के और लड़कियों दोनों को लैंगिक समानता, सम्मान एवं साझा जिम्मेदारी जैसी अवधारणाओं पर शिक्षित करना** भी शामिल होगा।
  - विषय चयन में पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती देने पर ध्यान केंद्रित करने से (जैसे: लड़कियों को STEM एवं लड़कों को देखभाल करने वाले व्यवसायों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना) गहरी जड़ें जमाए बैठी सामाजिक बाधाओं को तोड़ने में मदद मिलेगी।
    - यह शैक्षिक बदलाव एक ऐसी नई पीढ़ी को आकार देगा जो जीवन के सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता के प्रति अधिक खुली होगी।
- **सुदृढ़ डेटा संग्रहण और लैंगिक-विभाजन को लागू करना:** भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी क्षेत्रों में लिंग-विभाजन डेटा को व्यवस्थित रूप से एकत्रित किया जाए और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिये उसका उपयोग किया जाए।
  - इसमें **रोज़गार, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में लैंगिक अंतर पर नज़र रखना** शामिल होगा, ताकि प्रगति का आकलन किया जा सके तथा हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान की जा सके।
  - **महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और नेतृत्वकारी भूमिकाओं के लिये** एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनाने से नीति निर्माताओं को संसाधनों एवं हस्तक्षेपों को प्रभावी ढंग से आवंटित करने में मदद मिलेगी।
    - डेटा-संचालित दृष्टिकोण से भारत वास्तविक काल में प्रगति की निगरानी कर सकेगा तथा नीतियों और रणनीतियों में आवश्यक समायोजन कर सकेगा।
- **घरेलू कामगारों और अनौपचारिक मजदूरों के लिये सहायता प्रणालियों को मज़बूत बनाना:** चूँकि महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करता है, इसलिये भारत को घरेलू कामगारों और अनौपचारिक मजदूरों के लिये **सख्त कानूनी सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा तंत्र विकसित** करना चाहिये।
  - इसमें **श्रमिक संघों की स्थापना, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच प्रदान करना तथा उचित वेतन और कार्य स्थितियाँ** लागू करना शामिल है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **घरेलू कामगारों के लिये न्यूनतम मज़दूरी कानून का कार्यान्वयन** और बाल देखभाल सुविधाओं का प्रावधान इस क्षेत्र को महिलाओं के लिये अधिक संधारणीय एवं लाभकारी बना सकता है तथा उन्हें **आर्थिक निर्भरता से बाहर निकालकर अधिक सुरक्षित कार्य स्थितियों में ला सकता है।**
- **महिला-केंद्रित पहलों के लिये जेंडर इम्पैक्ट बॉण्ड की शुरुआत:** महिला-केंद्रित परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने के लिये, भारत **जेंडर इम्पैक्ट बॉण्ड** (GIB) की शुरुआत कर सकता है जो लैंगिक अंतर को कम करने के उद्देश्य से सामाजिक प्रभाव पहलों के लिये निजी पूंजी को आकर्षित करता है।
  - इस बॉण्ड से वंचित क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के लिये उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र और महिला स्वास्थ्य सेवाओं जैसी पहलों को वित्तपोषित किया जा सकेगा।
  - **निवेशकों को लिंग-विशिष्ट परिणामों की सफलता से जुड़ा रिटर्न** मिलेगा, जैसे कि महिला साक्षरता दर में वृद्धि या महिला कार्यबल में भागीदारी में सुधार, जिससे लैंगिक समानता के लिये एक स्थायी वित्तपोषण तंत्र का निर्माण होगा।

निष्कर्ष:

"लैंगिक समानता केवल महिलाओं से जुड़ा विषय नहीं है, यह एक मानवीय विषय है। यह हम सभी को प्रभावित करता है।"

भारत ने लैंगिक समता की दिशा में सराहनीय प्रगति की है, परंतु यह **यात्रा अब भी अधूरी** है। शिक्षा, आर्थिक भागीदारी तथा नेतृत्व में व्याप्त अंतरालों को पाटने की दिशा में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ-साथ सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ने, समान अवसर सुनिश्चित करने तथा समावेशी नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करने पर भी संगठित ध्यान देना आवश्यक है।

वास्तविक लैंगिक समानता तब ही प्राप्त होगी जब पुरुषों और महिलाओं, दोनों को सफलता के लिये समान मंच उपलब्ध कराये जायेंगे।

भारत में एक विश्वसनीय कार्बन बाज़ार का निर्माण

यह एडिटोरियल 18/06/2025 को बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित "India needs to build a credible carbon market, minus an offset mechanism" पर आधारित है। इस लेख के तहत भारत की कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना (जो वर्ष 2026 में शुरू होने वाली है) के समक्ष मौजूद चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। इसमें स्वैच्छिक ऑफसेट्स से उत्पन्न जोखिमों की ओर संकेत करते हुए यह आवश्यक बताया गया है कि इस योजना की विश्वसनीयता बनाये रखने के लिये अनिवार्य भागीदारी और सुदृढ़ निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS), जिसका कारोबार वर्ष 2026 में शुरू होने वाला है, देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसकी सफलता मौलिक अभिकल्पना में निहित दोषों को दूर करने पर निर्भर करती है। **स्वैच्छिक ऑफसेट तंत्र को शामिल करने से डेटा इंटिग्रिटी और योजना की विश्वसनीयता से समझौता** होने का जोखिम है, जो स्वच्छ विकास तंत्र जैसे कार्यक्रमों की पिछली विफलताओं को दर्शाता है। भारत को वास्तव में विश्वसनीय कार्बन बाज़ार विकसित करने के लिये, उसे सभी उच्च-उत्सर्जन क्षेत्रों में अनिवार्य भागीदारी का विस्तार करना चाहिये और आरंभ से ही सुदृढ़ निगरानी और प्रवर्तन तंत्र स्थापित करना चाहिये।

भारत में कार्बन बाज़ार के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?

- **वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता:** भारत का कार्बन बाज़ार का विकास मुख्य रूप से पेरिस समझौते **के तहत वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता** से प्रेरित है।
  - देश का लक्ष्य वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने **ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन की तीव्रता को 45% तक कम करना** है, जिसके लिये कार्बन बाज़ार जैसे मज़बूत तंत्र की आवश्यकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह लक्ष्य वर्ष 2070 तक **शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप** है, जिसके लिये सभी क्षेत्रों में उत्सर्जन में महत्त्वपूर्ण कमी की आवश्यकता होगी।
- वर्ष 2023 में **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS)** की शुरूआत (जिसके वर्ष 2026 तक आरंभ होने की उम्मीद है) इन महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जो **उत्सर्जन को सीमित करने और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा** देने के लिये बाज़ार आधारित तंत्र का निर्माण करेगा।
- **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) का प्रभाव:** यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) के आसन्न कार्यान्वयन ने भारत को राष्ट्रीय कार्बन बाज़ार के विकास में तेज़ी लाने के लिये प्रेरित किया है।
  - यह CBAM तंत्र **कार्बन-गहन आयातों पर टैरिफ** लगाएगा, जिससे भारतीय निर्यात कम प्रतिस्पर्द्धी हो जाएंगे (यदि वे अंतर्राष्ट्रीय कार्बन मानकों को पूरा नहीं करते हैं)।
  - भारतीय उद्योग, विशेषकर इस्पात और सीमेंट जैसे उच्च उत्सर्जन वाले क्षेत्रों में, **निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण के लिये प्रेरित** हो रहे हैं।
    - **भारत के कुल CO_2 उत्सर्जन में 12% के लिये जिम्मेदार इस्पात क्षेत्र** को इन चुनौतियों का प्रत्यक्ष रूप से सामना करना पड़ रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कार्बन कार्यढाँचे के अनुपालन के लिये कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की आवश्यकता बढ़ गई है।
- **स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और हरित निवेश को बढ़ावा देना:** भारत के कार्बन बाज़ार के लिये एक महत्त्वपूर्ण चालक **स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा** देना और **हरित निवेश को प्रोत्साहित करना** है।
  - प्रमुख क्षेत्रों के लिये उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य निर्धारित करके, सरकार उद्योगों को ऊर्जा-कुशल और निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण के लिये प्रोत्साहित करती है।
  - ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2022 ने CCTS के लिये विधायी आधार तैयार किया, जिससे उत्सर्जन में कटौती के लिये कार्बन क्रेडिट जारी करना संभव हो गया।
    - रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जैसी कंपनियाँ **हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश** कर इस बदलाव का उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं, जिससे भारत संधारणीय औद्योगिक प्रथाओं में अग्रणी बन रहा है तथा वैश्विक हरित निवेश आकर्षित हो रहा है।
- **उद्योग के लिये आर्थिक अवसर और वित्तीय प्रोत्साहन:** कार्बन बाज़ार, **कार्बन क्रेडिट अर्जित करने और बेचने की क्षमता** प्रदान करके, **उत्सर्जन को न्यूनतम करने की दिशा में उद्योगों के लिये वित्तीय प्रोत्साहन** उत्पन्न करता है।
  - यह बाज़ार-आधारित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि **व्यवसाय अपने उत्सर्जन में कमी का मुद्रीकरण करके डीकार्बोनाइज़ेशन की लागतों की भरपाई** कर सकते हैं।
  - यह मानते हुए कि वैश्विक औसत मूल्य 4 डॉलर प्रति क्रेडिट है, भारत का कार्बन बाज़ार **1.2 बिलियन डॉलर** का है, जो नवीकरणीय ऊर्जा और संधारणीय परियोजनाओं में वित्तीय विकास के लिये रास्ते खोलता है।
- **क्षेत्र-विशिष्ट उत्सर्जन और औद्योगिक उत्तरदायित्व:** भारत का **कार्बन बाज़ार विकास क्षेत्र-विशिष्ट उत्सर्जन, विशेष रूप से सीमेंट, इस्पात और रसायन** जैसे ऊर्जा-गहन उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन में कटौती करने की आवश्यकता से प्रेरित है।
  - अलग-अलग क्षेत्रों के लिये उत्सर्जन तीव्रता मानदंड तय करने के लिये सरकार का लक्षित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि **उत्सर्जन में कटौती** प्रत्येक उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों के अनुरूप हो।
  - उदाहरण के लिये, **सीमेंट, जो औद्योगिक CO_2 उत्सर्जन में 6% का योगदान** देता है, को **CCTS के तहत दो वर्षों में 3.4% की मामूली कमी का लक्ष्य** दिया गया है, जो इस क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण लेकिन प्रबंधनीय प्रभाव को दर्शाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025
SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

  - इस प्रकार का क्षेत्रीय फोकस यह सुनिश्चित करता है कि कार्बन बाज़ार सबसे अधिक दबाव वाले उत्सर्जन की कटौती करेगा, साथ ही उद्योगों में वृद्धिशील सुधारों को भी प्रोत्साहित करेगा।
- **घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों की बढ़ती भागीदारी:** कार्बन बाज़ार के लिये प्रयास घरेलू उद्योगों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों की ओर से हितधारकों की बढ़ती भागीदारी से भी प्रेरित है।
  - अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) **और प्रमुख भारतीय निगम** जैसे हितधारक एक पारदर्शी, कुशल कार्बन बाज़ार की स्थापना के लिये दबाव डाल रहे हैं **जो वैश्विक व्यापार में भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाएगा।**
  - वर्ष 2023 तक, **1,400 से अधिक कार्बन क्रेडिट परियोजनाएँ वेरा जैसे वैश्विक प्रमाणन कार्यक्रमों के तहत पंजीकृत** की गईं, जिनमें से एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा भारत का है, जो भारत के उभरते कार्बन बाज़ार में मज़बूत घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय रुचि का संकेत देता है।

भारत में कार्बन बाज़ार के विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **प्रमुख उत्सर्जकों का सीमित दायरा और अपवर्जन:** जबकि CCTS ने **सीमेंट, एल्यूमीनियम और वस्त्र जैसे ऊर्जा-गहन क्षेत्रों को लक्षित किया** है, इस्पात एवं ताप विद्युत क्षेत्र इसके दायरे से बाहर हैं।
  - **इस्पात, जो भारत के कुल CO_2 उत्सर्जन में लगभग 12% का योगदान** देता है, को शीर्ष उत्सर्जक होने के बावजूद CCTS से बाहर रखा गया है।
    - इसी प्रकार, TERI के अनुसार, भारत में विद्युत क्षेत्र ईंधन-संबंधी उत्सर्जन में लगभग 50% का योगदान देता है तथा कार्बन बाज़ार कार्यढाँचे से भी गायब है, जिससे उत्सर्जन में कमी लाने के लिये आवश्यक कदम कमज़ोर पड़ रहे हैं।
- **कमजोर उत्सर्जन कटौती लक्ष्य:** आलोचकों का तर्क है कि CCTS के तहत कुछ क्षेत्रों के लिये निर्धारित उत्सर्जन कटौती लक्ष्य कमज़ोर प्रतीत होते हैं तथा दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिये पर्याप्त महत्त्वाकांक्षा का अभाव है।
  - उदाहरण के लिये, **सीमेंट क्षेत्र के लिये दो वर्षों में 3.4% की कटौती का अपेक्षाकृत मामूली लक्ष्य** रखा गया है, जो भारत के औद्योगिक आधार को कार्बन मुक्त करने की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए अपर्याप्त प्रतीत होता है।
    - यद्यपि ये लक्ष्य राजनीतिक रूप से व्यवहार्य हो सकते हैं, लेकिन इनसे भारत की शुद्ध-शून्य प्रतिबद्धता के लिये आवश्यक पर्याप्त उत्सर्जन कटौती में विलंब होने का खतरा है।
- MSME **पर अपर्याप्त वित्तीय सहायता और अनुपालन बोझ: लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को उच्च अनुपालन लागत, अपर्याप्त वित्तीय सहायता और तकनीकी क्षमता की कमी** के कारण कार्बन बाज़ार में भाग लेने में महत्त्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
  - ये क्षेत्र, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, प्रायः कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की कठोर नियामक मांगों को पूरा करने के लिये संघर्ष करते हैं।
  - **भारतीय कार्बन बाज़ार (ICM)** द्वारा किये गए शोध से पता चलता है कि **MSME को 5-20% तक की अनुपालन लागत का सामना** करना पड़ सकता है, जिससे कार्बन बाज़ारों से जुड़ना अत्यधिक महंगा हो जाएगा।
    - लक्षित समर्थन के बिना, **MSME को बाज़ार से बाहर** रखा जा सकता है, जिससे इसकी समावेशिता कम हो सकती है तथा देश के समग्र डीकार्बोनाइज़ेशन प्रयासों में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- **मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन (MRV) प्रणालियों की जटिलता:** कार्बन क्रेडिट की विश्वसनीयता सख्त निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन (MRV) प्रणालियों पर निर्भर करती है, जो भारत के कार्बन बाज़ार में एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।
  - देश का मौजूदा **MRV बुनियादी अवसंरचना,** जो काफी हद तक पुराने नियामक कार्यढाँचे पर आधारित है, **में सटीक और पारदर्शी उत्सर्जन ट्रैकिंग के लिये आवश्यक परिष्कार का अभाव** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इससे निवेशकों का विश्वास कम हो सकता है तथा गैर-अनुपालन के लिये रास्ते खुल सकते हैं।
- जैसा कि **पिछली ऊर्जा दक्षता योजनाओं में देखा गया** है, सुसंगत और सत्यापन योग्य रिपोर्टिंग मानकों का अभाव कार्बन क्रेडिट आवंटन में विसंगतियों को जन्म दे सकता है तथा बाज़ार की विश्वसनीयता में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- **PAT जैसी मौजूदा योजनाओं के साथ विखंडन:** भारत के कार्बन बाज़ार विकास को प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) कार्यक्रम जैसी मौजूदा योजनाओं के साथ ओवरलैप के कारण विखंडन के मुद्दे का सामना करना पड़ रहा है।
  - PAT योजना, जो पहले से ही उच्च उत्सर्जन वाले क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता में सुधार को अनिवार्य बनाती है, से प्रयासों के दोहराव का खतरा है तथा **अनुपालन आवश्यकताओं के बारे में उद्योगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न** हो सकती है।
  - इन कार्यढाँचों के बीच एकीकरण की कमी से अकुशलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं तथा डीकार्बोनाइज़ेशन के लिये एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के अवसर चूक सकते हैं।
- **स्वैच्छिक भागीदारी और ऑफसेट तंत्र जोखिम:** CCTS के ऑफसेट तंत्र में स्वैच्छिक भागीदारी को शामिल करने से बाज़ार की अखंडता के लिये महत्त्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न होता है।
  - **गैर-बाध्यकारी संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट का व्यापार करने की अनुमति** देने से क्रेडिट आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है तथा डेटा में हेरफेर हो सकता है, जिससे योजना की समग्र विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है।
  - **स्वच्छ विकास तंत्र (CDM)** जैसे स्वैच्छिक कार्बन बाज़ारों के साथ पिछले अनुभव, **दोहरी गणना और त्रुटीपूर्ण सत्यापन** जैसे मुद्दों को उजागर करते हैं।
- **असंगत मूल्य संकेत और बाज़ार में अस्थिरता: स्पष्ट मूल्य संकेतों का अभाव और बाज़ार में अस्थिरता** भारत के कार्बन बाज़ार के लिये एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।
  - एक प्रभावी कार्बन बाज़ार के लिये उत्सर्जन न्यूनीकरण प्रौद्योगिकियों में दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु कार्बन क्रेडिट के लिये स्थिर मूल्य की आवश्यकता होती है।
    - हालाँकि, **भारत में कार्बन क्रेडिट की कीमत अनिश्चित** बनी हुई है तथा उत्सर्जन लक्ष्यों में विसंगति एवं बाज़ार में वित्तीय भागीदारों के आने के कारण इसमें उतार-चढ़ाव की संभावना है।
  - अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, जैसे कि **यूरोपीय संघ** उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (EU ETS) में देखी गई अस्थिरता, एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है।
- **हरित प्रौद्योगिकी अंगीकरण के लिये क्षेत्र-विशिष्ट प्रोत्साहनों का अभाव:** हालाँकि कार्बन बाज़ार का लक्ष्य उत्सर्जन में कमी लाना है, लेकिन हरित प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण के लिये क्षेत्र-विशिष्ट प्रोत्साहनों का अभाव एक बड़ी चुनौती है।
  - सीमेंट और इस्पात जैसे **औद्योगिक क्षेत्रों को स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण के लिये उच्च प्रारंभिक लागतों का सामना** करना पड़ता है, लेकिन **कार्बन बाज़ार इन निवेशों के लिये प्रत्यक्ष सब्सिडी या प्रोत्साहन प्रदान नहीं करता** है।
    - ऐसे प्रोत्साहनों के बिना, **उद्योग महंगी डीकार्बोनाइज़ेशन प्रौद्योगिकियों में निवेश करने में संकोच** कर सकते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, CCTS **कार्यढाँचा स्वच्छ प्रौद्योगिकी के अंगीकरण के लिये वित्तपोषण अंतराल को पर्याप्त रूप से कम नहीं करता है,** जो बाज़ार की दीर्घकालिक स्थिरता को कमज़ोर कर सकता है।

भारत अपने कार्बन बाज़ार के प्रोत्साहन और इसके सुदृढ़ीकरण के लिये क्या उपाय अपना सकता है?

- **निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों में हरित वित्तपोषण और निवेश को बढ़ावा देना:** निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों और बुनियादी अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देने के लिये एक समर्पित हरित वित्तपोषण तंत्र बनाया जाना चाहिये।
  - इसमें **ग्रीन बॉण्ड जारी करना, हरित स्टार्टअप के लिये कर प्रोत्साहन** तथा प्रदूषण-मुक्त ऊर्जा परियोजनाओं हेतु पूंजीगत बोझ को कम करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कोषों के साथ साझेदारी शामिल हो सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

        - **वित्तीय बाधाओं को कम करके,** भारत निजी क्षेत्र को नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और संवहनीय प्रथाओं में नवाचारों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित कर सकता है।
- **क्षेत्रीय रोडमैप के साथ स्पष्ट दीर्घकालिक कार्बन लक्ष्य स्थापित करना:** भारत को विशिष्ट क्षेत्रीय रोडमैप द्वारा समर्थित **स्पष्ट, बाध्यकारी दीर्घकालिक कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य** स्थापित करने की आवश्यकता है।
    - ये रोडमैप अगले दो से तीन दशकों में उद्योगों को अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक प्रौद्योगिकियों, निवेशों और पहलों की रूपरेखा तैयार करेंगे।
    - इससे व्यवसायों को आगामी योजना बनाने और **डीकार्बोनाइज़ेशन में निवेश करने की निश्चितता** मिलेगी, साथ ही भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिये एक मापनीय एवं संरचित मार्ग तैयार होगा।
- **निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन (MRV) प्रणालियों को मज़बूत करना:** कार्बन क्रेडिट की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिये, भारत को एक मज़बूत, डिजिटल MRV प्रणाली लागू करनी चाहिये जो उच्च परिशुद्धता के साथ उत्सर्जन पर नज़र रखती हो।
    - एक **पारदर्शी, मानकीकृत रिपोर्टिंग प्रक्रिया** तथा स्वतंत्र सत्यापनकर्त्ताओं का नेटवर्क कार्बन क्रेडिट की अखंडता सुनिश्चित करेगा।
    - इस प्रणाली को **अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, जैसे कि AI और ब्लॉकचेन द्वारा समर्थित** किया जाना चाहिये, ताकि कार्बन ऑफसेट की पुष्टि करने तथा अनुपालन सुनिश्चित करने में पारदर्शिता, पता लगाने की क्षमता एवं दक्षता की गारंटी हो सके।
- **कार्बन बाज़ार शिक्षा और क्षमता निर्माण कार्यक्रम:** कार्बन बाज़ार के सफल कार्यान्वयन के लिये व्यवसायों, नियामकों और जनता सहित हितधारकों के बीच व्यापक जागरूकता एवं विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
    - भारत को व्यवसायों, विशेषकर MSME को **कार्बन बाज़ारों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने के बारे में शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिये समर्पित कार्यक्रम** स्थापित करने चाहिये।
    - इसमें **कार्यशालाएँ, प्रमाणन कार्यक्रम और तकनीकी परामर्श सेवाओं का विकास** शामिल होगा, ताकि सुचारू बाज़ार भागीदारी सुनिश्चित की जा सके तथा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की क्षमता को अधिकतम किया जा सके।
- **बाज़ार स्थिरता तंत्र लागू करना:** कार्बन बाज़ार की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये, भारत को **मूल्य न्यूनतम, कार्बन क्रेडिट बैंकिंग में लचीलापन एवं स्थिरीकरण भंडार** जैसे बाज़ार स्थिरता तंत्र लागू करने चाहिये।
    - इन उपायों से **अस्थिर कार्बन कीमतों के जोखिम को कम किया जा सकेगा,** जो निवेश और भागीदारी को हतोत्साहित कर सकता है।
    - इस तरह के तंत्र बाज़ार में उतार-चढ़ाव को संतुलित करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कार्बन की कीमतें पूर्वानुमान योग्य बनी रहेंगी और उद्योग जगत के भागीदार आत्मविश्वास के साथ निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों में दीर्घकालिक निवेश कर सकेंगे।
- **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के दायरे का विस्तार:** भारत सभी प्रमुख उत्सर्जक क्षेत्रों को शामिल करके अपने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के दायरे का विस्तार कर सकता है, विशेष रूप से **वर्तमान में अपवर्जित क्षेत्रों जैसे इस्पात और ताप विद्युत** को।
    - इन क्षेत्रों को शामिल करने से कार्बन बाज़ार में प्रतिभागियों का आधार बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे इसकी तरलता बढ़ेगी और राष्ट्रीय उत्सर्जन को कम करने में प्रभावशीलता बढ़ेगी।
        - इससे यह सुनिश्चित होगा कि कार्बन बाज़ार में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में **सबसे महत्त्वपूर्ण योगदानकर्त्ताओं को प्रभावित करने की क्षमता है।**
- **सीमा-पार कार्बन व्यापार तंत्र को सुगम बनाना:** भारत इस क्षेत्र और उससे आगे के देशों के साथ सीमा-पार कार्बन व्यापार में संलग्न हो सकता है, जिससे एक अधिक परस्पर संबद्ध एवं तरल वैश्विक कार्बन बाज़ार का निर्माण हो सकेगा।
    - **यूरोपीय संघ ETS जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाज़ारों** के साथ जुड़कर, भारत विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकता है तथा यह सुनिश्चित कर सकता है कि घरेलू व्यवसाय अधिक लागत प्रभावी डीकार्बोनाइज़ेशन मार्गों वाले देशों से सस्ते ऋण खरीदकर उत्सर्जन की भरपाई कर सकें।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इससे भारतीय उद्योगों को सख्त जलवायु नियमों वाले **वैश्विक बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धी बने रहने में भी सहायता** मिलेगी।

- **कार्बन कैप्चर और उपयोग (CCU) नवाचारों को प्रोत्साहित करना:** भारत को अपनी कार्बन बाज़ार रणनीति के हिस्से के रूप में कार्बन कैप्चर और उपयोग (CCU) में नवाचारों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिये।
  - CCU प्रौद्योगिकियाँ, **प्रग्रहण किये गए CO_2 को रसायनों या निर्माण सामग्री जैसे उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित कर सकती हैं,** जिससे उत्सर्जन में कमी लाने के साथ-साथ नए आर्थिक अवसर भी उत्पन्न होंगे।
    - पायलट परियोजनाओं के साथ-साथ अनुसंधान और विकास के लिये प्रोत्साहन, इन प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, जो शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

- **एक व्यापक कार्बन ऑफसेट कार्यढाँचा विकसित करना: भारत को कार्बन ऑफसेट के लिये एक व्यापक कार्यढाँचा विकसित करना चाहिये जो स्वैच्छिक कार्यों, जैसे कि वनरोपण, संधारणीय कृषि एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं** से उच्च गुणवत्ता वाले कार्बन क्रेडिट उत्पादन की गारंटी देता है।
  - स्पष्ट मानक निर्धारित करके और **सख्त प्रमाणन प्रक्रिया** सुनिश्चित करके, देश एक समृद्ध स्वैच्छिक कार्बन बाज़ार बना सकता है।
  - इससे हरित परियोजनाओं में निवेश आकर्षित होगा, जिससे अतिरिक्त कार्बन क्रेडिट उत्पन्न होगा, जिसका घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाज़ारों में कारोबार किया जा सकेगा।

निष्कर्ष:

भारत की 'कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना' (CCTS) देश के जलवायु लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है और संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों, विशेषत: SDG 13 (जलवायु-परिवर्तन कार्रवाई) तथा SDG9 (उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी सुविधाएँ) **के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी** हुई है। इस बाज़ार को सशक्त बनाने के लिये भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि **सभी उच्च-उत्सर्जन क्षेत्रों की व्यापक भागीदारी** हो, एक **सुदृढ़ निगरानी एवं सत्यापन प्रणाली स्थापित की जाये** तथा **बाज़ार में स्थिरता बनाये रखने के उपाय विकसित किये जायें।**

■■■

भारत के पारिस्थितिकी-समुत्थानशीलन का निर्माण

यह एडिटोरियल 19/06/2025 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "Revamped Green India Mission: A matter of vulnerable ecosystems and livelihoods" पर आधारित है। यह लेख संशोधित 'हरित भारत मिशन' पर प्रकाश डालता है, जो अब केवल वृक्षारोपण तक सीमित न रहकर पश्चिमी घाट और हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में समग्र पारिस्थितिक पुनर्स्थापन की दिशा में अग्रसर है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि पारिस्थितिक सुरक्षा और स्थानीय समुदायों के सतत् आजीविका स्रोतों के बीच संतुलन किस प्रकार स्थापित किया जाता है।

भारत का संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन, **वृक्षारोपण-केंद्रित दृष्टिकोण से व्यापक पारिस्थितिक पुनर्स्थापन की ओर** एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो **पश्चिमी घाट, अरावली पर्वतमाला और हिमालय** जैसे संवेदनशील परिदृश्यों को लक्षित करता है। ये जैव विविधता हॉटस्पॉट वनों की कटाई, अवैध खनन, अनियमित विकास और जलवायु-प्रेरित आपदाओं के बढ़ते दबाव का सामना करते हैं, जैसा कि **वायनाड भूस्खलन द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित** किया गया है। **पुनर्गठित मिशन की सफलता अंतत: इस बात पर निर्भर** करेगी कि क्या यह स्थानीय समुदायों के लिये सतत् आजीविका के अवसर उत्पन्न करने के साथ-साथ पारिस्थितिक सुरक्षा को भी मज़बूत बना पाता है, यह वह संतुलन है जो पूर्ववर्ती संरक्षण प्रयासों में प्राय: अनुपस्थित रहा है।

भारत में पर्यावरण शासन के वर्तमान तंत्र क्या हैं?

- **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC):** MoEFCC प्रमुख सरकारी निकाय है जो नीतियाँ बनाने और पर्यावरण कानूनों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिये जिम्मेदार है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) एवं स्वच्छ भारत मिशन जैसी अन्य प्रमुख पहल **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में** आती हैं।
- **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT):** NGT पर्यावरण संरक्षण तथा वनों और वन्यजीवों के संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित एवं प्रभावी निपटान के लिये एक विशेष निकाय है।
  - वर्ष 2010 में स्थापित **NGT पर्यावरण विवादों को निपटाने के लिये एक अर्द्ध-न्यायिक मंच** के रूप में कार्य करता है तथा इसे पर्यावरणीय क्षति से प्रभावित लोगों को राहत और मुआवज़ा प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है।
- **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB):** CPCB भारत में प्रदूषण नियंत्रण उपायों को विनियमित करने के लिये राष्ट्रीय प्राधिकरण है ।
  - यह **SPCB के साथ मिलकर काम करता है**, जो **राज्य स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण की निगरानी** के लिये जिम्मेदार हैं।
  - ये बोर्ड **प्रदूषण मानक** निर्धारित करते हैं, **नियमित निरीक्षण** करते हैं तथा वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।
    - ये उद्योगों, नगर पालिकाओं और अन्य संस्थाओं द्वारा **पर्यावरणीय मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभाते हैं।
- **पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रक्रिया: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रशासित EIA अधिसूचना 2006**, भारत के पर्यावरण शासन में एक महत्त्वपूर्ण तंत्र है।
  - यह अनिवार्य करता है कि कोई भी प्रमुख औद्योगिक परियोजना या बुनियादी अवसंरचना विकास, जो पर्यावरण को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, अनुमोदन से पूर्व एक आकलन प्रक्रिया से गुज़रे।
    - हालाँकि, कुछ मामलों में इस प्रणाली की आलोचना इसके कमज़ोर प्रवर्तन और शिथिल निगरानी के लिये की गई है।
- **वन सलाहकार समिति (FCA) और वन संरक्षण अधिनियम (FCA) कार्यान्वयन: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** के तहत कार्यरत FCA को गैर-वन्य उद्देश्यों के लिये वन भूमि के परिवर्तन के प्रस्तावों को अनुमोदन देने या अस्वीकार करने की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया है।
  - वन संरक्षण अधिनियम (1980) के तहत सरकार औद्योगिक, बुनियादी अवसंरचना या खनन उद्देश्यों के लिये वन भूमि के उपयोग को नियंत्रित करती है।
- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (वर्ष 1972) और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL):** वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972) भारत में वन्यजीवों और उनके आवासों के संरक्षण के लिये कानूनी कार्यढाँचा प्रदान करता है।
  - यह सरकार को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों जैसे **संरक्षित क्षेत्रों (PA) की स्थापना करने का अधिकार** देता है।
  - NBWL इन क्षेत्रों के प्रबंधन की देखरेख करने तथा वन्यजीवों की सुरक्षा के लिये नीतियों की सिफारिश करने के लिये जिम्मेदार है।
- **जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन तंत्र:** भारत ने विभिन्न तंत्रों के माध्यम से **जलवायु परिवर्तन नीति को संस्थागत रूप** दिया है।
  - जलवायु परिवर्तन के लिये राष्ट्रीय अनुकूलन निधि और **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)** भारत की जलवायु अनुकूलन रणनीति के लिये मुख्य रूपरेखा तैयार करते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को क्षेत्र-विशिष्ट जलवायु अनुकूलन रणनीति सुनिश्चित करने के लिये **जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (SAPCC)** बनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

भारत के समक्ष कौन-से प्रमुख पर्यावरणीय खतरे हैं?

- **वायु प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट:** भारत की वायु गुणवत्ता लगातार निम्न होती जा रही है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है और जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ रही है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- निम्न वायु गुणवत्ता के कारण समय से पहले मौतें होती हैं, साथ ही श्वसन एवं हृदय संबंधी बीमारियों में भी वृद्धि होती है। **IQAir रिपोर्ट- 2023 में दिल्ली को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी** बताया गया है, जहाँ **PM2.5 का स्तर WHO के दिशा-निर्देशों से 10 गुना अधिक** है।
    - वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण के कारण **1.26 मिलियन मौतें** हुईं, जिससे वायु गुणवत्ता नियंत्रण के लिये कड़े उपाय किये जाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
- **जल की कमी और प्रदूषण:** अत्यधिक दोहन, प्रदूषण और अकुशल प्रबंधन के कारण भारत में जल की कमी चिंताजनक स्तर पर पहुँच गई है।
    - लगभग **600 मिलियन लोग गंभीर जल संकट का सामना** कर रहे हैं। मार्च 2025 के अंत तक, **भारत के 161 प्रमुख जलाशयों में जल स्तर उनकी क्षमता के 40% से नीचे गिर गया,** इनमें से **65 जलाशयों में उनकी क्षमता का 50% से भी कम जल शेष** है।
    - भारत की पर्यावरण स्थिति पर वर्ष 2025 की रिपोर्ट से पता चला है कि **भारत के 70% जल संसाधन दूषित** हो चुके हैं, जिससे जल संकट बढ़ रहा है तथा खाद्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है।
- **वनों की कटाई और जैव विविधता ह्रास:** भारत में तेज़ी से हो रही वनों की कटाई से जैवविविधता और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ रहा है।
    - देश में वर्ष 2013-2023 के दौरान **1.49 मिलियन हेक्टेयर** वनक्षेत्र का ह्रास हुआ, जिससे आवास का विखण्डन और जलवायु परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हुई।
    - हाल की रिपोर्टों में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि **प्राकृतिक वन,** कार्बन-अवशोषण में वृक्षारोपण की तुलना में 40 गुना अधिक प्रभावी हैं, लेकिन **नष्ट हुए वनों में से 95% प्राकृतिक** थे, जो जैवविविधता और कार्बन-अवशोषण की क्षमता में विनाशकारी क्षति को रेखांकित करता है।
- **जलवायु परिवर्तन और चरम मौसमी घटनाएँ: भारत बाढ़, हीट वेव्स और चक्रवातों** जैसी चरम मौसमी घटनाओं के प्रति तेज़ी से संवेदनशील होता जा रहा है, जिससे सामाजिक-आर्थिक कमज़ोरियाँ बढ़ रही हैं।
    - वर्ष 2024 में, भारत में 366 दिनों में से 322 दिन चरम मौसमी घटनाएँ हुईं और **2.09 मिलियन हेक्टेयर** फसलों की बर्बादी हुई।
    - **UNICEF की वर्ष 2021 की रिपोर्ट** में अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक **20 में से 17 भारतीय 'हाइड्रोमेट आपदाओं'** (जलवायु से जुड़ी आपदाओं) **के प्रति संवेदनशील** हैं। यह आँकड़ा **देश में प्रभावी एवं सुदृढ़ अनुकूलन रणनीतियों की आवश्यकता** को रेखांकित करता है।
    - भारत के तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे: लक्षद्वीप तथा अंडमान द्वीप समूह में स्थित प्रवाल भित्तियाँ जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण तेज़ी से क्षरण की स्थिति में हैं।
        - उदाहरण के लिये, **अंडमान क्षेत्र में प्रवाल भित्तियों के 83.6% तक के हिस्से में विरंजन** (bleaching) देखा गया है, जिसका **मुख्य कारण 'एल-नीनो' जैसी जलवायु घटनाएँ** रही हैं।
- **वन भूमि का गैर-वानिकी प्रयोजनों हेतु अपवर्तन:** अनियंत्रित बुनियादी अवसंरचना का विकास महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर रहा है और भूमि-उपयोग में परिवर्तन में योगदान दे रहा है। अनियंत्रित अवसंरचना विकास के कारण भारत के महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों का क्षरण हो रहा है और भूमि-उपयोग में तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं।
    - वन संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2023 ने 'वन' की परिभाषा को इस प्रकार परिवर्तित किया है जिससे विकास परियोजनाओं के लिये वन भूमि के अपवर्तन की प्रक्रिया सरल हो गई है। यह संशोधन न केवल **वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के मूल उद्देश्य को कमज़ोर करता है,** बल्कि गोडावर्मन बनाम भारत सरकार मामले में **सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये ऐतिहासिक निर्णय के प्रतिकूल** भी है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

        - वर्ष 2023 में ही लगभग **29,000 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन राजमार्गों और खनन परियोजनाओं के लिये** किया गया, जिससे भारत की **पारिस्थितिक संतुलन व्यवस्था पर और अधिक दबाव** पड़ा है। यह प्रवृत्ति भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं तथा **सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) की प्राप्ति के मार्ग में भी एक बड़ी चुनौती** प्रस्तुत करती है।
    - **परसा ईस्ट और कांता बसन कोयला खनन परियोजना** (छत्तीसगढ़), जिसमें लगभग **15,000 पेड़ों की कटाई** शामिल थी, विकास बनाम संरक्षण की लगातार चल रही टकराव का एक उदाहरण है। इस प्रकार की परियोजनाएँ वन्यजीव आवासों के क्षरण, पारिस्थितिक विखंडन तथा **मनुष्य-वन्यजीव संघर्ष** में वृद्धि का कारण बन रही हैं।
- **अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण:** अपशिष्ट का कुप्रबंधन एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है, भारत में **प्रतिवर्ष 62 मिलियन टन अपशिष्ट उत्पन्न** होता है, लेकिन केवल **20% का ही प्रसंस्करण** किया जाता है।
    - सत्र 2022-23 में **आंशिक प्रतिबंध के बावजूद 4.14 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जन** का आँकड़ा दर्ज किया गया, जो **अपशिष्ट निपटान प्रणालियों में विफलता** को रेखांकित करता है।
        - पिछले पाँच वर्षों में **ई-अपशिष्ट में 73% की वृद्धि ने प्रदूषण संकट को और जटिल बना दिया है,** विशेष रूप से शहरी मलिन बस्तियों में, जहाँ **अपशिष्ट को प्रायः सुरक्षा उपायों के बिना संसाधित** किया जाता है।
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष:** बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के कारण वन कम होते जा रहे हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है।
    - उदाहरण के लिये, सत्र 2012-13 से 2023-24 के दौरान बारह वर्षों में **हाथियों के हमलों में 6,015 लोगों की जान गयी।**
    - ये घटनाएँ संघर्ष को कम करने तथा मानव और पशु दोनों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिये बेहतर भूमि-उपयोग नियोजन एवं वन्यजीव गलियारे संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।
- **मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण:** वनों की कटाई और रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा अपरदन बढ़ रहा है, जिससे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल रही है और कृषि-कार्य प्रभावित हो रहा है।
    - **अरावली पर्वतमाला के क्षरण के कारण थार रेगिस्तान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र** के निकट आ गया है, जिससे **वायु प्रदूषण की स्थिति और भी गंभीर** हो गई है।
    - भारत की 160 मिलियन हेक्टेयर **कृषि योग्य भूमि का 60% हिस्सा 'संकटग्रस्त भूमि'** माना जाता है, जिससे लाखों किसानों की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक संधारणीयता को खतरा है (WEF)।
- **विजातीय प्रजातियाँ और पारिस्थितिकी तंत्र व्यवधान:** विजातीय प्रजातियों के प्रवेश से भारत भर में मूल जैवविविधता को खतरा हो रहा है।
    - वर्ष 2023 में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्ययन में पाया गया कि **विजातीय प्रजातियाँ** मूल पादप प्रजातियों को प्रभावित कर रही हैं और वन-पुनर्स्थापन को कम कर रही हैं, जिससे वन पारिस्थितिकी तंत्र का ह्रास हो रहा है तथा स्थानिक प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं।
    - उदाहरण के लिये, **लैंटाना कैमरा और यूकेलिप्टस के पेड़ों** ने स्थानीय वनस्पतियों का स्थान ले लिया है, जिससे जैवविविधता कम हो गई है तथा पारिस्थितिकी तंत्र बाधित हो गया है।

पर्यावरण संरक्षण और संधारणीयता को बढ़ाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **पर्यावरण कानूनों को सुदृढ़ एवं लागू करना:** भारत को अपने मौजूदा पर्यावरण कानूनों में सुधार करने तथा उन्हें सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है।
    - इसमें **वन संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2023 जैसे संशोधनों पर पुनर्विचार** करना शामिल है, जिनके कारण संरक्षण कमज़ोर हुआ है तथा वनों, वन्यजीवों एवं जैवविविधता के लिये कठोर सुरक्षा उपायों को पुनः लागू करना शामिल है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- नियामक निकायों की जवाबदेही में सुधार करके, देश **सतत् विकास को बढ़ावा देते हुए अवैध खनन, वनों की कटाई और प्रदूषण पर अंकुश** लगाने के लिये प्रभावी कानूनी प्रवर्तन सुनिश्चित कर सकता है।

- **चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रथाओं को बढ़ावा देना: चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण** से अपशिष्ट में उल्लेखनीय कमी आ सकती है, संसाधन दक्षता में वृद्धि हो सकती है तथा संधारणीयता को समर्थन मिल सकता है।
  - इसके तहत **पुनर्चक्रण** (recycling), **पुनः उपयोग** (upcycling) और **जैवनिम्नीकरणीय सामग्रियों के प्रयोग** को प्रोत्साहन देकर लैंडफिल पर निर्भरता कम की जा सकती है तथा सतत् उत्पादन प्रणालियाँ विकसित की जा सकती हैं।
  - इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी नीतियों का पुनर्गठन आवश्यक है। साथ ही उद्योगों को 'क्लोज़्ड-लूप प्रणाली' अपनाने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिये और ई-अपशिष्ट, प्लास्टिक व अन्य अजैविक पदार्थों के पुनर्चक्रण हेतु आधारभूत संरचना को मज़बूत किया जाना चाहिये।

- **जल प्रबंधन का विकेंद्रीकरण और संरक्षण में सुधार:** भारत के जल संकट को दूर करने के लिये जल प्रबंधन का विकेंद्रीकरण आवश्यक है।
  - इसमें **वर्षा जल संचयन और जल उपयोग दक्षता** कार्यक्रमों के माध्यम से जल संसाधनों के प्रबंधन के लिये स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना शामिल है।
  - इसके अतिरिक्त, **जलग्रहण क्षेत्रों, आर्द्रभूमियों और प्राकृतिक जलभृतों का संरक्षण एवं पुनर्स्थापन** जल प्रतिधारण व उपलब्धता को बढ़ाने में मदद कर सकता है।
    - राज्यों को स्थानीय जल निकायों और झीलों को जल संरक्षण के लिये समुदाय-संचालित केंद्रों के रूप में कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये, जिससे अस्थिर भूजल निष्कर्षण पर अत्यधिक निर्भरता कम हो सके।

- **संधारणीय कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहन: भारत को संधारणीय कृषि** की ओर बढ़ना होगा जिससे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो।
  - यह **जैविक कृषि, कृषि वानिकी और जैव-आधारित कीटनाशकों** के उपयोग को बढ़ावा देकर हासिल किया जा सकता है।
    - **फसल विविधीकरण को अपनाने और हरी खाद एवं कम्पोस्ट** के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने से मृदा की उर्वरता सुनिश्चित करने तथा पर्यावरणीय क्षरण को कम करने में सहायता मिलेगी।
  - इसके अतिरिक्त, किसानों को **परिशुद्ध कृषि प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण के लिये प्रोत्साहित करने** से संसाधनों का उपयोग न्यूनतम किया जा सकता है तथा उत्पादकता को स्थायी रूप से बढ़ाया जा सकता है।

- **नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता में निवेश:** जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिये, भारत को **सौर, पवन और जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में महत्त्वपूर्ण रूप से निवेश** करना चाहिये।
  - इसमें **राष्ट्रीय ग्रिडों में हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना** और **ऊर्जा भंडारण समाधान में सुधार करना** शामिल है।
  - नवीकरणीय क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ नीतियों में उद्योगों, भवनों और शहरी स्थानों में **ऊर्जा दक्षता उपायों** को प्रोत्साहित करना चाहिये तथा **सभी क्षेत्रों में LED प्रकाश व्यवस्था, स्मार्ट ग्रिड** एवं ऊर्जा-कुशल उपकरणों को अपनाने को प्रोत्साहित करना चाहिये।

- **महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों को पुनर्स्थापित और संरक्षित करना: अरावली पर्वतमाला, पश्चिमी घाट और हिमालय जैसे क्षतिग्रस्त पारिस्थितिक तंत्रों की पुनर्स्थापना** पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये, जो भारत की पारिस्थितिक सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  - इसमें पुनर्वनीकरण और वनरोपण कार्यक्रम शामिल हैं जो मूल प्रजातियों, मृदा संरक्षण तकनीकों एवं **संरक्षित क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन** पर बल देते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **जैवविविधता गलियारों को प्राथमिकता** देकर और महत्त्वपूर्ण आवासों के आसपास बफर ज़ोन सुनिश्चित करके, भारत आवास विखंडन के प्रभावों को कम कर सकता है, लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा कर सकता है तथा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ पारिस्थितिकी तंत्र की समुत्थानशक्ति को सुदृढ़ कर सकता है।

- **हरित शहरीकरण और सतत् शहरों को बढ़ावा देना: भारत को सतत् शहरी नियोजन मॉडल** अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें **शहरी वनों, ग्रीन रूफ और वर्षा उद्यानों** जैसे **हरित बुनियादी अवसंरचना को शामिल किया जाए** ताकि स्टॉर्मवाटर प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके तथा नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव को कम किया जा सके।
  - **सार्वजनिक परिवहन, साइकिल लेन और इलेक्ट्रिक वाहन (EV)** जैसी संधारणीय परिवहन प्रणालियों पर बल देने से शहरों में कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।
  - इसके अतिरिक्त, शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में **चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को एकीकृत करने से,** जैसे कि कम्पोस्ट बनाना और अपशिष्ट-से-ऊर्जा बनाने की तकनीकें, लैंडफिल अपशिष्ट को कम कर सकती हैं तथा **वायु की गुणवत्ता में सुधार** कर सकती हैं।

- **जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को राष्ट्रीय योजना में एकीकृत करना:** जलवायु परिवर्तन अनुकूलन भारत के **राष्ट्रीय विकास कार्यढाँचे का एक मुख्य तत्त्व** होना चाहिये।
  - इसमें कृषि, जल संसाधन और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में **जलवायु-अनुकूल बुनियादी अवसंरचनाओं को मुख्यधारा में लाना** शामिल है।
  - जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिये **जलवायु-स्मार्ट कृषि, बाढ़-रोधी शहरों** और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में भेद्यता को कम करने के लिये **आपदा मोचन प्रणालियों में सुधार** जैसे नवीन समाधानों की आवश्यकता है।
  - **शहरी नियोजन और आपदा मोचन तैयारी में जलवायु जोखिम आकलन** को शामिल करने से चरम मौसमी घटनाओं के लिये बेहतर अनुकूलन सुनिश्चित होगा।

- **इको-टूरिज़्म और पारिस्थितिकी संरक्षण शिक्षा को बढ़ावा देना: भारत को इको-टूरिज़्म मॉडल को बढ़ावा** देकर अपनी समृद्ध प्राकृतिक विरासत का लाभ उठाना चाहिये, जिससे स्थानीय समुदायों को लाभ मिलने के साथ-साथ संरक्षण में भी योगदान मिले।
  - यह लक्ष्य **सतत् पर्यटन प्रथाओं** को स्थापित करके प्राप्त किया जा सकता है जो पर्यावरणीय क्षरण को सीमित करते हैं तथा **स्थानीय संरक्षण प्रयासों का समर्थन** करते हैं।
  - इसके अलावा, स्कूली पाठ्यक्रम में **पर्यावरण शिक्षा को शामिल करने और जन जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देने** से अधिक पर्यावरण-सचेत समाज के निर्माण में सहायता मिलेगी, तथा नागरिकों को संधारणीयता प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिये सशक्त बनाया जा सकेगा।

- **पर्यावरण प्रबंधन में शासन और उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन: प्रभावी पर्यावरण शासन के लिये पारदर्शी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और डेटा-संचालित उत्तरदायित्व तंत्र** के एकीकरण की आवश्यकता होती है।
  - **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और वन सलाहकार समिति** जैसे **पर्यावरण निगरानी संस्थाओं की भूमिका** को मज़बूत करने से यह सुनिश्चित होगा कि पर्यावरणीय अनुमोदन केवल व्यापक आकलन के बाद ही दी जाए।
  - इसके अतिरिक्त, प्रमुख पर्यावरण नीतियों के लिये **सुदृढ़ निगरानी और मूल्यांकन कार्यढाँचे की स्थापना** से दीर्घकालिक संधारणीयता एवं संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष:

भारत की पर्यावरणीय संधारणीयता की दिशा में यात्रा एक संतुलित दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, जो **मज़बूत शासन व्यवस्था, धारणीय प्रथाओं तथा समावेशी विकास** को समेकित करती हो। पारिस्थितिक तंत्रों के **पुनरुत्थान को प्राथमिकता** देकर, **चक्रीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित** करके तथा **स्थानीय समुदायों के लिये न्यायसंगत आजीविका** सुनिश्चित करके भारत ऐसा भविष्य निर्मित कर सकता है जहाँ **'तीन P'** — लाभ (**Profit**), लोग

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025
SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

(People) और पर्यावरण (Planet) में सामंजस्य स्थापित हो। एक समग्र तथा क्रियात्मक पर्यावरणीय रणनीति दीर्घकालिक संधारणीयता एवं समवेत समृद्धि को सुनिश्चित कर सकती है।

भारत में विकास-रोज़गार का अंतर

*यह एडिटोरियल 24/06/2025 को **द हिंदू** में प्रकाशित "Getting to a new level in India's online gaming sector" पर आधारित है, यह लेख भारत की आर्थिक वृद्धि और रोज़गार सृजन के बीच बढ़ते अंतर को दर्शाता है, क्योंकि मुद्रास्फीति कम हो रही है लेकिन बेरोज़गारी बढ़ रही है। क्षेत्रीय सुधारों के बावजूद, अर्थव्यवस्था का विस्तार रोज़गार संकट को दूर करने में विफल रहा है।*

जब **मई 2025 में भारत की महँगाई दर घटकर 2.8%** के स्तर पर पहुँच गई, उसी समय बेरोज़गारी दर **5.1% से बढ़कर 5.8% हो गई**, जो आर्थिक प्राथमिकताओं के बीच एक चिंताजनक असंतुलन को उजागर करता है। कृषि क्षेत्र का अन्य क्षेत्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन खाद्य महँगाई को नियंत्रण में रखने में सहायक रहा, लेकिन इस **क्षेत्रीय पुनर्संतुलन का व्यापक स्तर पर रोज़गार सृजन** में संरेखण नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में **भारत को अपने आर्थिक विकास के साथ-साथ रोज़गार सृजन** पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँच सकें और भविष्य की नीति में रोज़गार निर्माण एक केंद्रीय स्तंभ बन सके।

बेरोज़गारी पर नियंत्रण में भारत की प्रमुख प्रगति क्या है?

- **कौशल भारत मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):** भारत ने अपनी कार्यबल को प्रशिक्षित करने के लिये 'कौशल भारत' और 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)' जैसी पहलों के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति की है।
  - इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार विशिष्ट कौशल प्रदान करना है, जिससे विशेषकर युवाओं और महिलाओं की रोज़गार क्षमता बढ़ाई जा सके।
  - अब तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1.37 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जो बेरोज़गारी को कम करने के प्रयासों को दर्शाता है।
- **मेक इन इंडिया और PIL पहल:** मेक इन इंडिया कार्यक्रम और उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करके रोज़गार के अवसर उत्पन्न करने में आधारशिला रही है।
  - इस पहल से विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में मदद मिली है तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में लाखों नौकरियाँ उत्पन्न हुई हैं।
  - उदाहरण के लिये, **विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार सत्र 2017-18 में 57 मिलियन से बढ़कर सत्र 2019-20 में 62.4** मिलियन हो गया, जो इस पहल के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।
- **डिजिटल साक्षरता और बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देना:** डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से, भारत सरकार ने **विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और बुनियादी ढाँचे** को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है।
  - इस पहल का उद्देश्य डिजिटल विभाजन को कम करना है तथा नागरिकों को ऑनलाइन शिक्षा, नौकरी के अवसरों और सरकारी सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना है।
  - इस प्रयास के एक भाग के रूप में, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल अक्षरा अभियान का लक्ष्य छह करोड़ **ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना** है, जिससे उन्हें आधुनिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिये सशक्त बनाया जा सके।
- **रोज़गार सृजन के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी: भारत ने बुनियादी ढाँचे, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा** जैसे उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों में रोज़गार सृजन के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की ओर तेज़ी से रुख किया है।
  - ये सहयोग स्थायी नौकरियों के सृजन में सहायक होंगे तथा निजी निवेश को भी आकर्षित करेंगे।
    - **111 लाख करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य वाली राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) का लक्ष्य** विभिन्न क्षेत्रों में लाखों रोज़गार सृजित करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **युवाओं के लिये लक्षित रोज़गार सृजन योजनाएँ:** केंद्रीय बजट 2024-25 में, भारत सरकार ने युवा बेरोज़गारी को दूर करने के लिये लक्षित योजनायाँ शुरू कीं, जिसमें **पाँच वर्षों में कौशल विकास और रोज़गार सृजन के लिये 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित** किये गए।
  - इन पहलों में पहली बार रोज़गार करने वाले कर्मचारियों के लिये प्रोत्साहन, विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार सृजन के लिये समर्थन तथा नौकरी की गुणवत्ता एवं कार्य स्थितियों में सुधार के लिये योजनाएँ शामिल हैं।
  - युवा रोज़गार पर ध्यान केंद्रित करके, सरकार का लक्ष्य उभरते कार्यबल के लिये बेहतर अवसर प्रदान करना है।
- **विकासशील श्रम बाज़ार सुधार:** भारत ने रोज़गार की स्थिति में सुधार, श्रम कानूनों को सरल बनाने तथा कार्यबल के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्त्वपूर्ण श्रम सुधार किये हैं।
  - **वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता का उद्देश्य** अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिये रोज़गार की सुरक्षा बढ़ाना, उचित वेतन सुनिश्चित करना एवं सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
    - इन सुधारों का उद्देश्य अधिकाधिक श्रमिकों को औपचारिक रोज़गार तथा नौकरी की गुणवत्ता में सुधार लाना है।

नोट : रोज़गार सृजन में हाल की महत्त्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, **आर्थिक विस्तार और रोज़गार सृजन के बीच के अंतर** देश के लिये एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।

भारत में विकास और रोज़गार सृजन के बीच अंतर उत्पन्न करने वाले कारक क्या हैं?

- **पूंजी-प्रधान विकास मॉडल की ओर बदलाव:** भारतीय अर्थव्यवस्था का पूंजी-प्रधान क्षेत्रों, विशेषकर विनिर्माण और सेवाओं की ओर बदलाव, रोज़गार सृजन को सीमित कर रहा है।
  - जैसे-जैसे **पूंजी बढ़ती है, यह प्रायः श्रम की जगह** ले लेती है, जिससे श्रमिकों की ज़रूरत कम हो जाती है। उदाहरण के लिये, **वर्ष 2014-23 के बीच भारत का पूंजी स्टॉक 74% तथा रोज़गार में केवल 36%** की वृद्धि हुई, जिससे पूंजी-श्रम अनुपात बढ़ गया।
    - यह असंगतता इस बात को उजागर करती है कि विकास के कारण रोज़गार के अवसर उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, विशेष रूप से श्रम-प्रधान क्षेत्रों में।
- **कार्यबल का बढ़ता अनौपचारिकीकरण:** भारत के अनौपचारिक क्षेत्र में वृद्धि **स्थिर, औपचारिक रोज़गार सृजन के लिये अनुकूल नहीं है।**
  - भारत के कार्यबल का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा अनौपचारिक, कम वेतन वाली और असुरक्षित नौकरियों में लगा हुआ है।
  - सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि के बावजूद अनौपचारिक रोज़गार में वृद्धि जारी है, जिससे सीमित लाभ और नौकरी सुरक्षा वाले श्रमिक प्रभावित हो रहे हैं।
  - अनौपचारिक क्षेत्र **अब भारत के कार्यबल का लगभग 80-90% हिस्सा** है। इस क्षेत्र का विस्तार रोज़गार सृजन को दर्शाता है लेकिन कई लोगों के लिये काम की गुणवत्ता या मज़दूरी में सुधार करने में विफल रहता है।
    - इसके अलावा, आर्थिक सर्वेक्षण (2023-24) के अनुसार, **कुल कार्यबल का 57.3 प्रतिशत स्व-नियोजित** है और 18.3 प्रतिशत घरेलू उद्यमों में अवैतनिक श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं।
- **कौशल विकास और बाज़ार की आवश्यकताओं के बीच असंतुलन:** भारत की कौशल विकास पहल, हालाँकि व्यापक है, प्रायः श्रम बाज़ार की उभरती मांगों के साथ संरेखित नहीं होती है।
  - स्किल इंडिया और PMKVY जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किये जाने वाले **कौशल, प्रायः श्रमिकों को उच्च स्तरीय नौकरी बाज़ार, विशेषकर डिजिटल और औद्योगिक क्षेत्रों के लिये तैयार करने में विफल** हो जाते हैं।
  - प्रयासों के बावजूद, **बेरोज़गारी दर बढ़कर 5.8% हो गई,** जो **कौशल अंतराल और अपर्याप्त कुशल कार्यबल** की ओर संकेत करती है।
    - प्रधानमंत्री **कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत** 13.7 मिलियन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन **केवल 18% या 2.4 मिलियन को ही सफलतापूर्वक नौकरी** मिल पाई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **विनिर्माण क्षेत्र में धीमी वृद्धि:** विनिर्माण क्षेत्र, जो ऐतिहासिक रूप से रोज़गार सृजन का प्रमुख क्षेत्र रहा है, भारत की बढ़ती श्रम शक्ति को समाहित करने के लिये आवश्यक स्तर का विस्तार नहीं कर पाया है।
  - **सेवाओं और प्रौद्योगिकी-आधारित विकास पर ध्यान केंद्रित करने से** विनिर्माण से ध्यान हट गया है, जो आमतौर पर अधिक रोज़गार सृजित करता है।
  - मेक इन इंडिया पहल के बावजूद, **विनिर्माण क्षेत्र ने सत्र 2019-20 में 62.4 मिलियन लोगों को रोज़गार दिया,** जो सत्र 2017-18 में 57 मिलियन से मामूली वृद्धि है। यह धीमी वृद्धि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन करने में असमर्थता को दर्शाती है।
  - इसके अलावा, SME क्षेत्र में रोज़गार सृजन की काफी संभावनाएँ हैं, लेकिन दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिये इसे अधिक स्थिर नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है।
    - **नव स्थापित SME में से लगभग 25-30% 5 वर्षों के भीतर विफल हो जाते हैं,** जो इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के समक्ष चुनौतियों का संकेत देता है।
- **कृषि पर निर्भरता और सीमित विविधीकरण:** भारत के कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है, जो अत्यधिक मौसमी है और स्थायी रोज़गार प्रदान नहीं करती है।
  - PLFS 2022-23 के अनुसार, **भारत का 45.76% कार्यबल कृषि में** है, लेकिन यह क्षेत्र अपनी कम उत्पादकता और मौसमी प्रकृति के कारण पर्याप्त स्थिर रोज़गार सृजन करने में असमर्थ है।
- **सरकारी नौकरियों के प्रति उच्च अपेक्षाएँ:** भारत में बड़ी संख्या में लोग अभी भी सरकारी नौकरियों को प्राथमिकता देते हैं तथा इसे सुरक्षित और स्थिर कॅरियर विकल्प मानते हैं।
  - यह आकांक्षा **कभी-कभी बाज़ार में उपलब्ध रोज़गार के प्रकार और कार्यबल की अपेक्षाओं के बीच अंतर** उत्पन्न कर देती है।
  - यद्यपि निजी क्षेत्र का विस्तार हुआ है, तथापि सरकारी नौकरियों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है, जिसके कारण कुछ व्यक्ति इन पदों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तथा व्यापक अर्थव्यवस्था में अन्य अवसरों से वंचित रह जाते हैं।

रोज़गार सृजन के साथ विकास को बढ़ाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **श्रम-प्रधान विनिर्माण को बढ़ावा देना:** विकास को रोज़गार के साथ जोड़ने के लिये, भारत को **वस्त्र, परिधान और खाद्य प्रसंस्करण जैसे श्रम-प्रधान विनिर्माण क्षेत्रों की ओर रुख** करना चाहिये।
  - इस रणनीति में **लघु एवं मध्यम उद्यमों (SME)** तथा **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME)** का विस्तार करना, उन्हें कर प्रोत्साहन, सब्सिडी तथा कम लागत वाले श्रम तक पहुँच प्रदान करना शामिल है।
  - ऐसे क्षेत्रों में **मानव पूंजी पर निर्भरता के कारण बड़े पैमाने पर रोज़गार उत्पन्न होने की अधिक संभावना** होती है।
    - इन क्षेत्रों को लक्ष्य बनाकर भारत पर्याप्त रोज़गार अवसर उत्पन्न कर सकता है और आयात पर निर्भरता कम कर सकता है तथा आत्मनिर्भर, निर्यात-संचालित विकास को बढ़ावा दे सकता है।
- **ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना:** एक प्रमुख उपाय ग्रामीण भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देना है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोज़गार सृजन को बढ़ावा मिलेगा और शहरी केंद्रों की ओर पलायन कम होगा।
  - ऋण तक पहुँच को सरल बनाकर, **बाज़ार संपर्कों में सुधार करके तथा उद्यमिता प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करके,** ग्रामीण समुदाय सतत् व्यवसाय मॉडल तैयार कर सकते हैं।
  - **सरकारी सहायता के साथ-साथ सड़क, विद्युत् और इंटरनेट कनेक्टिविटी** जैसे उन्नत ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के नेटवर्क से ग्रामीण आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि विकास भौगोलिक दृष्टि से समावेशी हो।
- **शिक्षा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ाना:** वर्तमान में तेज़ी से विकसित हो रहे रोज़गार बाज़ार में, भारत को गतिशील **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से शिक्षा और रोज़गार के बीच के अंतर को कम करना** होगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- पाठ्यक्रम डिज़ाइन में उद्योगों को शामिल करके और संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश करके, भारत शैक्षिक उत्पादन को श्रम बाज़ार की मांग के अनुरूप बना सकता है।
- ये सहयोग **AI, स्वचालन और डेटा एनालिटिक्स** से उभरते उद्योगों के अनुरूप कुशल कार्यबल विकसित करने में मदद करेंगे, जिससे स्नातकों के लिये बेहतर नौकरी की व्यवस्था हो सकेगी।

- **हरित रोज़गार और सतत् उद्योगों का विकास:** भारत को **विकास** को बढ़ावा देने के लिये **नवीकरणीय ऊर्जा, सतत् कृषि और इलेक्ट्रिक गतिशीलता जैसे क्षेत्रों में हरित रोज़गार** को प्राथमिकता देनी चाहिये।
  - **जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक ध्यान** के साथ, भारत में **पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा** देने के साथ-साथ **उच्च रोज़गार उत्पन्न करने वाले उद्योगों**, जैसे: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके हरित अर्थव्यवस्था में अग्रणी के रूप में उभरने की क्षमता है।
- **उद्योग-विशिष्ट रोज़गार सृजन नीतियाँ: भारत को स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी और निर्माण** जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों के अनुरूप **क्षेत्रीय रोज़गार सृजन रणनीतियों** को लागू करना चाहिये।
  - नीतियों को इन क्षेत्रों में व्यवसायों के लिये लक्षित प्रोत्साहनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये ताकि स्थानीय स्तर पर भर्ती, कर्मचारियों को उन्नत कौशल तथा रोज़गार बाजार का निर्माण किया जा सके।
  - **कर राहत और सब्सिडीयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम** प्रदान करने से इन क्षेत्रों में श्रम अवशोषण में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
- **समुत्थानशीलन और समावेशिता के लिये श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन में तेज़ी लाना: भारत को अपने श्रम संहिताओं** के कार्यान्वयन में तेज़ी लानी चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे आज के उभरते रोज़गार बाज़ार की आवश्यकताओं के लिये अधिक समावेशी और अनुकूलनीय हों।
  - **इसके अलावा, गिग रोज़गार, संविदा श्रम और अनौपचारिक कार्य** में अधिक **सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल लाभ** एवं **पेंशन योजनाओं** जैसी कानूनी सुरक्षा प्रदान कर सकता है।
  - व्यापार सुगमता हेतु श्रम संहिता को सरल बनाने से, **श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ रोज़गार के औपचारिकीकरण** को बढ़ावा मिलेगा, जिससे नियोक्ताओं के लिये गुणवत्तापूर्ण, अच्छे वेतन वाली नौकरियों का सृजन अधिक आकर्षक हो जाएगा।
- **रोज़गार को बढ़ावा देने के लिये सार्वजनिक अवसंरचना निवेश:** भारत परिवहन, स्वास्थ्य सेवा और शहरी विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में **सार्वजनिक अवसंरचना निवेश** को बढ़ाकर रोज़गार सृजन को बढ़ावा दे सकता है।
  - **उच्च रोज़गार वाली बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं पर ध्यान** होना चाहिये जो **कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिये रोज़गार** उत्पन्न कर सके।
  - इसके अतिरिक्त, सड़कों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों जैसे **लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढाँचे में सुधार** से परिचालन लागत कम होगी, व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाया जा सकेगा तथा उद्योगों में रोज़गार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
- **कृषि से गैर-कृषि नौकरियों में संक्रमण को सुगम बनाना:** भारत को कृषि से गैर-कृषि क्षेत्रों, जैसे **विनिर्माण, सेवा और कृषि प्रसंस्करण में श्रमिकों के संक्रमण** को सुगम बनाना होगा।
  - **निर्माण, वस्त्र और नवीकरणीय ऊर्जा** जैसे क्षेत्रों के लिये अनुकूलित **कौशल उन्नयन कार्यक्रम** प्रदान करने से श्रमिकों को अधिक उत्पादक, उच्च वेतन वाली नौकरियों की ओर संक्रमण में सहायता मिलेगी।
  - **कृषि आधारित लघु एवं मध्यम उद्यमों** के लिये वित्तीय और अवसंरचनात्मक सहायता के साथ-साथ **ग्रामीण युवाओं** के लिये केंद्रित **प्रशिक्षण केंद्रों** से ऐसे रोज़गार सृजित किये जा सकते हैं जो बाज़ार की आवश्यकताओं के अनुरूप हों तथा **कृषि उत्पादकता में भी सुधारात्मक हो**।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **रोज़गार सृजन करने वाले व्यवसायों के लिये कर प्रोत्साहन:** भारत सरकार **रोज़गार सृजन पर ध्यान** केंद्रित करने वाले व्यवसायों के लिये **कर प्रोत्साहन** शुरू कर सकती है, **विशेष रूप से निर्माण, कृषि प्रसंस्करण और विनिर्माण जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों में।**
  - कॉर्पोरेट कर में छूट, कम ब्याज दर पर ऋण और रोज़गार सृजन पर ध्यान केंद्रित करने वाले **लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये अनुदान की पेशकश** से व्यापार विस्तार एवं रोज़गार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा।
  - इस दृष्टिकोण से **न केवल औपचारिक क्षेत्र में नौकरियाँ बढ़ेंगी, बल्कि अविकसित क्षेत्रों में विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा,** जिससे रोज़गार परिदृश्य में संतुलन आएगा।

निष्कर्ष:

भारत की आर्थिक संवृद्धि को रोज़गार सृजन के साथ बेहतर ढंग से जोड़ा जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि समृद्धि से देश की समग्र आबादी को लाभ मिले। यद्यपि कौशल विकास, विनिर्माण और बुनियादी ढाँचे में प्रगति हुई है, तथापि **पूंजी-गहन विकास की ओर बदलाव एवं अनौपचारिक कार्यबल में वृद्धि जैसी चुनौतियाँ बनी हुई** हैं। विकास को पूरक बनाने के लिये भारत को श्रम-गहन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने और **सभी के लिये अवसर उत्पन्न करने वाले सतत् उद्योगों में निवेश करने की आवश्यकता** है।

■■■

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी समन्वय

*यह एडिटोरियल 25/06/2025 को **द लाइवमिंट** में प्रकाशित "Space race: Is competition among Indian startups ready for lift-off ?" लेख पर आधारित है। यह लेख भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के उभरते परिदृश्य को सामने लाता है, जहाँ HAL और स्काईरूट व अग्निकुल जैसे निजी स्टार्टअप के साथ ISRO का सहयोग नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं।*

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र एक परिवर्तनकारी चरण का सामना कर रहा है, जो निजी संस्थाओं की बढ़ती भागीदारी से प्रेरित है। **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)** ने रणनीतिक रूप से उपग्रह लांचर निर्माण को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को आउटसोर्स किया है, जिससे पुन: प्रयोज्य रॉकेट और कक्षीय सुरक्षा जैसी उन्नत तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। **यह कदम स्काईरूट एयरोस्पेस, अग्निकुल कॉसमॉस और पिक्सल** जैसे निजी स्टार्टअप के प्रयासों का पूरक है। चूँकि भारत एक वैश्विक अंतरिक्ष केंद्र बनने का लक्ष्य रखता है, इसलिये सार्वजनिक संस्थानों और निजी उद्यमों के बीच तालमेल **देश की अंतरिक्ष महत्त्वाकांक्षाओं** को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण है।

भारत के अंतरिक्ष उद्योग के विस्तार में निजी क्षेत्र किस प्रकार योगदान दे रहा है?

- **IN-SPACe के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी: वर्ष 2020 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe)** की स्थापना एक ऐतिहासिक बदलाव था, जिससे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ गई।
  - इसरो और गैर-सरकारी संस्थाओं (NGO) के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर, IN-SPACe ने उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को काफी हद तक बढ़ा दिया है।
  - उदाहरण के लिये, एक निजी कंपनी, स्काईरूट एयरोस्पेस, **वर्ष 2022 में सबऑर्बिटल रॉकेट,** विक्रम-एस, लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बन गई।
- **अंतरिक्ष स्टार्टअप और नवाचार:** भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में तीव्र वृद्धि देखी गई है, जिसमें **अग्निकुल कॉसमॉस और ध्रुव स्पेस जैसे स्टार्टअप** प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी, उपग्रह निर्माण और अंतरिक्ष सेवाओं में अग्रणी हैं।
  - **अग्निकुल** का **मोबाइल लॉन्चपैड "धनुष"** तकनीकी प्रगति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सिर्फ **वर्ष 2021** में ही भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप्स ने **68 मिलियन डॉलर का निवेश** प्राप्त किया, जो **वर्ष-दर-वर्ष 196% की वृद्धि** को दर्शाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025
SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

- **बढ़ी हुई सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** महत्त्वपूर्ण अंतरिक्ष अवसंरचना के निर्माण के लिये **इसरो और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), गोदरेज एयरोस्पेस और L&T जैसी उद्योग की दिग्गज कंपनियों** के बीच साझेदारी के माध्यम से सार्वजनिक-निजी सहयोग को और बढ़ावा मिला है।
  - ये कंपनियाँ प्रक्षेपण वाहनों, अंतरिक्ष यान और उपग्रह उप-प्रणालियों के लिये घटकों के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ती है।
  - उदाहरण के लिये **इसरो के साथ HAL की साझेदारी 60 से अधिक सफल प्रक्षेपणों के लिये PSLV रॉकेट घटकों के निर्माण** में सहायक रही है।
- **नये प्रक्षेपण वाहनों और बुनियादी ढाँचे का विकास:** निजी क्षेत्र के साथ भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के सहयोग से प्रक्षेपण वाहनों में नवाचारों को बढ़ावा मिला है, जैसे **लघु उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (SSLV) और पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहन** (RLV) का विकास।
  - **देश भर में अंतरिक्ष पार्कों की स्थापना** छोटे उपग्रह निर्माण और प्रक्षेपण सेवाओं के लिये केंद्र के रूप में भी काम करेगी, जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी को और बढ़ावा मिलेगा।
  - वर्ष 2023 में, **SSLVI प्रौद्योगिकी के सफल परीक्षण हुए,** जो वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिये आवश्यक छोटे उपग्रहों के लिये सस्ती, मांग पर प्रक्षेपण सेवाएँ प्रदान करने की दिशा में एक कदम होगा।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यावसायीकरण:** अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिये खोलने से वैश्विक अंतरिक्ष बाज़ार में भारत की स्थिति मज़बूत हुई है।
  - विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण जैसी पहलों के माध्यम से **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** के साथ, इसरो की वाणिज्यिक शाखा **न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) ने भारत की उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं** के निर्यात में मदद की है।
    - वर्ष 2023 में, इसरो **विदेशी देशों के लिये 42 उपग्रहों को लॉन्च** करेगा, जिससे वैश्विक अंतरिक्ष व्यावसायीकरण में भारत की बढ़ती उपस्थिति में योगदान मिलेगा।
- **अंतरिक्ष-आधारित अनुप्रयोग और सामाजिक प्रभाव:** अंतरिक्ष-आधारित अनुप्रयोगों, विशेषकर संचार, सुदूर संवेदन और पृथ्वी अवलोकन में, इसरो और निजी क्षेत्र दोनों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।
  - ये प्रौद्योगिकियाँ **डिजिटल समावेशन** को बढ़ावा, कृषि में सुधार और आपदा प्रबंधन को बढ़ा रही हैं।
  - इसरो और निजी संस्थाओं द्वारा उपग्रह समूहों और पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के प्रक्षेपण से कृषि, दूरसंचार और शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों में बदलाव आ रहा है।
    - **वर्ष 2025 तक उपग्रह सेवाओं से अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 36%** का योगदान होने की उम्मीद है, जिसमें रिमोट सेंसिंग भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर दर्ज करेगी।
- **तकनीकी उन्नति और हरित प्रणोदन:** भारत का अंतरिक्ष उद्योग रॉकेटों के लिये हरित प्रणोदन प्रणालियों जैसी धारणीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के विकास में भी अग्रणी है।
  - **बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस** जैसी स्टार्टअप कंपनियाँ इन प्रौद्योगिकियों में अग्रणी हैं, जिनका लक्ष्य अंतरिक्ष मिशनों के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है।
    - यह अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह प्रक्षेपण प्रणालियों में पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने की वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप है।
  - **बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस** ने पहले ही ब्रिटेन और फ्राँस की कंपनियों के साथ प्रणोदन प्रणालियों के लिये समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अंतरिक्ष स्थिरता में भारत के नवाचार का परिचायक है।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी संस्थाओं के एकीकरण से संबंधित प्रमुख चिंताएँ क्या हैं?

- **नियामक एवं नीतिगत चुनौतियाँ:** भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी संस्थाओं के एकीकरण से संबंधित प्रमुख चिंताओं में से एक **व्यापक तथा स्पष्ट नियामक ढाँचे का अभाव** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यद्यपि **IN-SPACe की स्थापना निजी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने** के लिये की गई है, फिर भी ऐसी पारदर्शी नीतियों की आवश्यकता है जो अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन के साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों और अंतरिक्ष मिशनों संबंधी मुद्दों को हल करने पर केंद्रित हों।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, **निजी संस्थाओं द्वारा IN-SPACe के समक्ष 300 से अधिक आवेदन** किए गए, जो स्पष्ट दिशानिर्देशों की मांग का संकेत देते हैं।
  - हालाँकि **केवल 51 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर** किए गए हैं, जो नियामक चिंताओं के कारण अनिश्चितता को दर्शाता है।

बौद्धिक संपदा (IP) संबंधी चिंताएँ: निजी कंपनियाँ अक्सर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिये स्वामित्व वाली प्रौद्योगिकियों का विकास करती हैं, लेकिन **इसरो** के साथ मौजूदा सहयोग उनके स्वामित्व अधिकारों को सीमित कर देता है।

- यह प्रतिबंध **निजी अभिकर्त्ताओं को नवाचार में निवेश करने से हतोत्साहित** कर सकता है, क्योंकि उन्हें अपनी प्रौद्योगिकियों पर नियंत्रण खोने का जोखिम रहता है, जिससे दीर्घकालिक विकास सीमित हो सकता है।
- आलोचकों ने इस बात पर चिंता जताई है कि **इसरो का मौजूदा मॉडल निजी कंपनियों को विनिर्माण भूमिकाओं तक सीमित** रखता है। कई स्टार्टअप संस्थापकों के अनुसार, यह मुद्दा निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी में बाधक है।

वित्तीय स्थिरता और निवेश अंतराल: भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी अभिकर्त्ताओं को व्यापक वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें जोखिम पूंजी तक सीमित पहुँच तथा उच्च प्रारंभिक निवेश लागत शामिल हैं।

- सरकार के 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड के बावजूद, अंतरिक्ष संबंधी स्टार्टअप्स को पर्याप्त धन जुटाने में संघर्ष (विशेष रूप से **शुरुआती चरण के विकास में**) करना पड़ रहा है।
- बाज़ार में जोखिम की धीमी स्वीकृति के कारण अंतरिक्ष कंपनियों के लिये स्थायी निवेश हासिल करना कठिन हो जाता है।
  - स्पेस कैपिटल के एक विश्लेषण के अनुसार, अंतरिक्ष उद्योग में निवेश **वर्ष 2021 के 47 बिलियन डॉलर से घटकर वर्ष 2022 में 20 बिलियन डॉलर** रह गया।

राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक चिंताएँ: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में दोहरे उपयोग (**नागरिक और सैन्य दोनों**) की क्षमताएँ हैं, जिससे निजी कंपनियों के शामिल होने से राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

- भारत की अंतरिक्ष गतिविधियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं तथा **GSAT 7 जैसे उपग्रह सैन्य उद्देश्यों** के लिये कार्य करते हैं।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी से **संवेदनशील डेटा या प्रौद्योगिकियों के गलत हाथों** में जाने का जोखिम बढ़ जाता है।
  - इस प्रकार, यह सुनिश्चित करना कि निजी संस्थाएँ राष्ट्रीय सुरक्षा हितों से समझौता न करें, भारत के लिये एक प्रमुख मुद्दा है।

तकनीकी अंतराल और विशेषज्ञता संबंधी बाधाएँ: भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में कई निजी संस्थाओं के पास उस गहन तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है जिसे इसरो ने दशकों में विकसित किया है।

- **यद्यपि स्टार्टअप्स प्रक्षेपण यानों और छोटे उपग्रहों जैसे क्षेत्रों में नवाचार** कर रहे हैं लेकिन उन्नत प्रौद्योगिकियों (जैसे कि अंतरिक्ष कक्षा में ईंधन भरना) तथा अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी उपकरणों के क्षेत्र में अभी भी यह सीमित बने हुए हैं।
  - इस अंतराल से अपने अंतरिक्ष मिशनों को बढ़ावा देने तथा विविधता लाने की निजी कंपनियों की क्षमता सीमित हो जाती है।
  - उदाहरण के लिये, **अग्निकुल और स्काईरूट कम लागत वाले रॉकेटों में अग्रणी हैं,** लेकिन बड़े पैमाने के मिशनों के लिये इनमें क्षमताओं का अभाव है।

विखंडित उद्योग और बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र का अभाव: भारत का अंतरिक्ष उद्योग अभी भी विखंडित है, जिसमें **200 से**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025
SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप उपग्रह उप-प्रणालियों, प्रणोदन तथा प्रक्षेपण यानों जैसे विभिन्न घटकों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

- इस विखंडन के कारण अकुशलताएँ विकसित होती हैं, क्योंकि विभिन्न अभिकर्त्ताओं (विशेषकर सार्वजनिक और निजी संस्थाओं) के बीच समन्वय न होना एक प्रमुख चुनौती है।
- एकीकरण संबंधी चुनौतियों के कारण अंतरिक्ष सेवाओं का व्यावसायीकरण धीमा बना हुआ है।

- **कुशल कार्यबल की कमी:** भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में कुशल कार्यबल की कमी एक प्रमुख चुनौती है।
  - **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की जटिलता** के आलोक में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, प्रणोदन और उपग्रह संचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
    - हालाँकि, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की शिक्षा और प्रशिक्षण अवसंरचना कुशल पेशेवरों की **बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये अपर्याप्त** है।

भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में सक्रिय सार्वजनिक-निजी भागीदारी को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है?

- **निजी अभिकर्ताओं के लिये नियामक ढाँचे को सुव्यवस्थित करना:** भारत को एक स्पष्ट और व्यापक नियामक ढाँचे के विकास में तेज़ी लानी चाहिये जो **उपग्रह लाइसेंसिंग, अंतरिक्ष अपशिष्ट प्रबंधन एवं बौद्धिक संपदा अधिकार जैसी प्रमुख चिंताओं को संबोधित करे।**
  - निजी कम्पनियों के लिये सुव्यवस्थित, **एकल-खिड़की अनुमोदन प्रक्रिया स्थापित करने से विलंब कम होगा** तथा सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं के बीच अधिक कुशल कार्य संबंध को बढ़ावा मिलेगा।
  - **उत्तरदायित्व एवं सुरक्षा मानकों** पर स्पष्ट दिशा-निर्देशों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय विनियमों के अनुपालन को प्रोत्साहित करने से निजी अभिकर्ताओं में आत्मविश्वास उत्पन्न होगा तथा परिचालन संबंधी अनिश्चितताएँ भी कम होंगी।
- **एकीकृत अंतरिक्ष नवाचार पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण:** सरकार अंतरिक्ष नवाचार केंद्रों के निर्माण की सुविधा प्रदान कर सकती है, जहाँ स्टार्टअप, **स्थापित अंतरिक्ष कंपनियाँ तथा शैक्षणिक संस्थान एक सुसंगत पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग करते हैं।**
  - इन केंद्रों को साझा बुनियादी ढाँचे, जैसे **परीक्षण सुविधाएँ, विनिर्माण संयंत्र एवं अनुसंधान प्रयोगशालाएँ स्थापित करानी चाहिये** , जिन्हें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से वित्त पोषण प्राप्त हो।
  - इसके अतिरिक्त, ये केंद्र इसरो से निजी संस्थाओं तक ज्ञान हस्तांतरण को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे वे दोनों क्षेत्रों के बीच तालमेल बनाए रखते हुए अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का निर्माण करने में सक्षम होंगे।
- **वित्तीय सहायता के साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नवाचार को प्रोत्साहित करना: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में निजी क्षेत्र के नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिये, भारत को उच्च जोखिम, उच्च लाभ वाली अंतरिक्ष परियोजनाओं** के लिये समर्पित वित्तपोषण योजनाएँ स्थापित करनी चाहिये ।
  - **इसमें अगली पीढ़ी की प्रणोदन प्रणाली, पुनः प्रयोज्य रॉकेट** तथा उन्नत उपग्रह प्रौद्योगिकियों को विकसित करने वाले स्टार्टअप्स एवं एमएसएमई के लिये कम ब्याज दर वाले ऋण, अनुदान और कर प्रोत्साहन शामिल हैं ।
  - उद्योग जगत के योगदान के बराबर सार्वजनिक-निजी संयुक्त अनुसंधान एवं विकास निधि की स्थापना से निजी क्षेत्र के अभिकर्त्ता अग्रणी प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के लिये प्रेरित होंगे।
- **निजी विकास को प्रोत्साहित करने के लिये सरकारी अनुबंधों का लाभ उठाना: सरकार उपग्रह निर्माण, अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं एवं प्रक्षेपण वाहनों** में शामिल निजी कंपनियों के लिये दीर्घकालिक, गारंटीकृत अनुबंधों की पेशकश करके सक्रिय भूमिका निभा सकती है।
  - **ये अनुबंध संचार, मौसम निगरानी एवं रक्षा** जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकताओं से जुड़े होने चाहिये ।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **अंतरिक्ष सेवाओं के लिये प्राथमिक ग्राहक** बनकर, सरकार निजी कंपनियों को लगातार राजस्व प्रदान कर सकती है, **जिससे उन्हें परिचालन का विस्तार करने, नवाचार करने और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा।**
- **विशिष्ट अंतरिक्ष कार्यबल का विकास:** सार्वजनिक-निजी भागीदारी के विकास को समर्थन देने के लिये, भारत को अत्यधिक कुशल कार्यबल के विकास में निवेश करना चाहिये, जो **शैक्षणिक अनुसंधान, उद्योग की मांग एवं अंतरिक्ष मिशनों के बीच की खाई को पाट सके।**
  - विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं उद्योग-अकादमिक साझेदारियों की स्थापना से इंजीनियरों, वैज्ञानिकों एवं तकनीशियनों को उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के लिये आवश्यक कौशल से लैस किया जा सकेगा ।
  - सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से कुशल कार्यबल को बढ़ावा देकर, भारत भविष्य के अंतरिक्ष प्रयासों को समर्थन देने के लिये प्रतिभा की एक सतत् राह सुनिश्चित कर सकता है।
- **अंतरिक्ष अवसंरचना में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना:** सरकार को स्पेसपोर्ट, उपग्रह परीक्षण सुविधाओं एवं अनुसंधान केंद्रों के विकास के लिये **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (ppp) मॉडल की पेशकश करके अंतरिक्ष अवसंरचना में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना** चाहिये।
  - इसे **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (ppp) वित्तपोषण तंत्र के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जहाँ निजी संस्थाएं साझा स्वामित्व, परिचालन अधिकार या राजस्व-साझाकरण मॉडल** के आश्वासन के साथ बुनियादी ढाँचे के विकास में निवेश करती हैं ।
  - इससे एक स्थायी बुनियादी ढाँचा आधार तैयार होगा जो निजी क्षेत्र के विकास के साथ सरकार के अंतरिक्ष मिशन दोनों को समर्थन देगा।
- **उन्नत बौद्धिक संपदा एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नीति की स्थापना:** भारत को एक मज़बूत बौद्धिक संपदा (IP) और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नीति लागू करनी चाहिये जो निजी कंपनियों को इसरो जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के सहयोग से विकसित नवाचारों का स्वामित्व बनाए रखने में सक्षम बनाती है।
  - ऐसी नीति निजी अभिकर्ताओं को अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने के लिये प्रोत्साहित करेगी, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगी कि वे अपने द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों से व्यावसायिक रूप से लाभान्वित हों।
  - यह दृष्टिकोण **दोनों क्षेत्रों के हितों को संरेखित करके और अधिक साझेदारियों को प्रोत्साहित करेगा** तथा निजी संस्थाओं को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये बौद्धिक संपदा का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
- **भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के निर्यात को बढ़ावा देना:** वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिये, भारत को निजी संस्थाओं द्वारा विकसित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के निर्यात को बढ़ावा देना चाहिये।
  - उपग्रह प्रक्षेपण, पृथ्वी अवलोकन सेवाओं अथवा अंतरिक्ष आधारित संचार प्रणालियों के लिये **भारतीय निजी कम्पनियों और विदेशी सरकारों या निगमों के बीच साझेदारी को सुविधाजनक बनाकर** इसे प्राप्त किया जा सकता है ।
  - सार्वजनिक-निजी भागीदारी भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने और **विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिये मंच बनाने में सहायता प्रदान कर सकती है,** जिससे भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष:

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र बढ़ी हुई सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से महत्त्वपूर्ण वृद्धि के लिये तैयार है । बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967) तथा अंतरिक्ष मलबे शमन दिशा-निर्देशों (2007) के अनुरूप विनियमों को सुव्यवस्थित करके, भारत नवाचार को बढ़ावा दे सकता है और अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है। कार्यबल विकास एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों को प्राथमिकता देने से भारत को राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अधिक प्रभावी ढंग से एकीकरण में सहायता प्राप्त होगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भारत के शैक्षिक भविष्य का निर्माण

यह एडिटोरियल 25/06/2025 को द लाइवमिंट में प्रकाशित "Education crisis: Don't let fads disrupt the fundamentals of learning" लेख पर आधारित है। यह लेख इस विचार को सामने लाता है कि भारत में शैक्षिक सफलता का आधार समृद्धि की तुलना में शिक्षक गुणवत्ता और पाठ्यक्रम मानकों जैसे मूल सिद्धांतों के निरंतर पालन पर अधिक निर्भर करती है। यह अल्पकालिक समाधानों की तुलना में दीर्घकालिक, मापनीय सुधारों की आवश्यकता पर जोर देता है।

भारत के विभिन्न राज्यों में शैक्षणिक परिणाम दर्शाते हैं कि केवल आर्थिक समृद्धि ही **स्कूली सफलता का निर्धारण** नहीं करती। इसके विपरीत, शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता, चाहे प्रशासनिक बदलाव हों या नहीं, परिणामों को आकार देने में **केंद्रीय भूमिका** निभाती है। यह संकेत करता है कि शिक्षक की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम के मानक और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे बुनियादी तत्त्वों पर निरंतर ध्यान **वित्तीय संसाधनों की तुलना में कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण** है। भारत के शैक्षिक परिदृश्य में **गहराई से देखने पर स्पष्ट** होता है कि **सुधारों को तात्कालिक समाधानों की बजाय दीर्घकालिक स्थिरता पर केंद्रित** होना चाहिये और ऐसा सीखने का ढाँचा विकसित करना चाहिये जो मज़बूत हो, व्यावहारिक हो तथा बड़े पैमाने पर लागू किया जा सके।

भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्रमुख सकारात्मक विकास क्या हैं?

- **डिजिटल लर्निंग अवसंरचना का विस्तार:** डिजिटल लर्निंग के तेजी से विकास ने शिक्षा तक पहुँच में काफी सुधार किया है।
  - महामारी के कारण इस बदलाव में तेजी आई है तथा पीएम ई-विद्या और SWAYAM एवं SWAYAM प्रभा जैसी पहलों ने लाखों लोगों को ऑनलाइन पाठ्यक्रमों तक पहुँच बनाने में सक्षम बनाया है।
    - यह डिजिटल क्रांति आजीवन सीखने की सुविधा प्रदान करती है, लेकिन यह डिजिटल समानता की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालती है।
  - वर्ष 2023 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में **400 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्त्ता होंगे**, जिससे ऑनलाइन शिक्षा तक पहुँच बढ़ेगी।
- **कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक ध्यान:** प्रारंभिक अवस्था से ही व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने की दिशा में बदलाव, शिक्षा को नौकरी बाज़ार की मांग के साथ संरेखित करने की देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
  - शैक्षणिक और व्यावसायिक धाराओं के बीच कठोर सीमाओं को समाप्त करके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 **अनुभवात्मक शिक्षा** और **व्यावहारिक कौशल पर** ज़ोर देती है।
  - इसका उद्देश्य कौशल अंतर को कम करना और रोज़गार क्षमता में सुधार लाना है तथा शहरी-ग्रामीण विभाजन और युवा बेरोज़गारी दोनों को दूर करना है।
  - **कक्षा 6 से कौशल-आधारित पाठ्यक्रमों** की शुरूआत तथा **वर्ष 2035 तक 50%** स्नातक नामांकन अनुपात का लक्ष्य भारत की उभरती हुई शैक्षिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है।
- **शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षणिक सुधारों में सुधार:** NEP 2020 और निष्ठा कार्यक्रमों के तहत **शिक्षक प्रशिक्षण** पर ध्यान केंद्रित करना एक महत्त्वपूर्ण विकास है।
  - NEP 2020 में 4 **वर्षीय एकीकृत बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.) डिग्री** को अनिवार्य किया गया है, जिसमें विषय ज्ञान को शैक्षणिक प्रशिक्षण के साथ जोड़ा गया है।
  - इन सुधारों का उद्देश्य पूरे **देश में शिक्षण की गुणवत्ता को मानकीकृत और उन्नत** करना है। शिक्षक प्रशिक्षण में आधुनिक शैक्षणिक तकनीकों का एकीकरण बेहतर परिणाम सुनिश्चित करता है, जो रटने की आदत से हटकर आलोचनात्मक सोच की ओर ले जाता है।
  - निष्ठा कार्यक्रम द्वारा **वर्ष 2024** तक **42 लाख** से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, जिससे **छात्र-केंद्रित शिक्षा** में उनके कौशल में वृद्धि हुई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **मौलिक साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (FLN) की शुरुआत:** FLN मिशन एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य **कक्षा 3 तक के बच्चों में साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान** को मज़बूत करना है।
  - यह प्रारंभिक शिक्षा को भविष्य के समस्त अधिगम का आधार मानते हुए प्रारंभिक चरण में ही सीखने की कमी को दूर करने पर बल देता है।
  - मूलभूत शिक्षा में मौजूद कमियों को दूर करके यह मिशन बच्चों के **संज्ञानात्मक (cognitive) और सामाजिक विकास** को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
  - **वर्ष 2025** भारत में FLN के लिये एक निर्णायक वर्ष साबित होने जा रहा है, क्योंकि निपुण भारत मिशन का लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में **सार्वभौमिक मौलिक साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान** की प्राप्ति है।
- **सार्वजनिक निवेश और बुनियादी ढाँचे के उन्नयन में वृद्धि:** शिक्षा में निवेश बढ़ाने पर सरकार का नया ध्यान, जिसमें **सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक व्यय बढ़ाने की प्रतिबद्धता** शामिल है, एक महत्त्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव है।
  - **समग्र शिक्षा अभियान (SSA)** और पीएम श्री स्कूल जैसी योजनाओं के तहत बुनियादी ढाँचे में सुधार बेहतर शैक्षिक वातावरण को बढ़ावा देने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
    - अधिक धनराशि का उद्देश्य **डिजिटल सुविधाओं को उन्नत करना**, पहुँच और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाना है।
- **बहुभाषी शिक्षा और क्षेत्रीय भाषा एकीकरण पर ध्यान:** NEP, 2023 के तहत बहुभाषिकता पर भारत का ज़ोर इसकी सांस्कृतिक विविधता के अनुरूप है।
  - नीति में **कक्षा 5** तक **मातृभाषा में शिक्षा देने का समर्थन किया गया है, जिससे लाखों बच्चों की समझ और सीखने** के परिणामों में सुधार होगा।
    - यह बदलाव न **केवल समावेशिता** को बढ़ावा देता है, बल्कि भाषाई विविधता का भी सम्मान करता है तथा क्षेत्रीय भाषाओं को बनाए रखने में सहायता करता है।
  - **डिजिटल प्लेटफॉर्म** अब **क्षेत्रीय भाषा पाठ्यक्रम** प्रदान करते हैं, जिससे दक्षिण भारत जैसे गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों में **25 मिलियन** से अधिक छात्र लाभान्वित होते हैं।
- **शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण और वैश्विक सहयोग:** भारत की **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहित करती है तथा **विनिमय कार्यक्रमों** और संयुक्त डिग्री के लिये विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी की अनुमति प्रदान करती है।
  - भारतीय कॉलेज संयुक्त डिग्री, विनिमय कार्यक्रम और इंटर्नशिप प्रदान करने के लिये वैश्विक साझेदारियाँ बना रहे हैं, जिससे छात्रों का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव बढ़ रहा है।
  - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच ट्विनिंग, संयुक्त डिग्री और डबल डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिये अकादमिक सहयोग पर विनियम जारी किये हैं।
- **उच्च शिक्षा प्रशासन और स्वायत्तता में सुधार:** भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) के निर्माण के प्रस्ताव के साथ उच्च शिक्षा प्रशासन का पुनर्गठन एक सकारात्मक सुधार है।
  - कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करके, यह कदम **नवाचार** और **शैक्षिक उत्कृष्टता** को प्रोत्साहित करता है।
  - इसका उद्देश्य सत्ता के केंद्रीकरण को कम करना तथा संस्थाओं को उनके संचालन और पाठ्यक्रम में अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना है।
  - नई प्रत्यायन सुधारों के परिणामस्वरूप भारत के विश्वविद्यालयों की **QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स** में भी सुधार देखा गया है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्रमुख सतत् मुद्दे क्या हैं?

- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक असमान पहुँच:** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच में **शहरी-ग्रामीण अंतर** भारत की शैक्षिक प्रगति में बाधा बन रहा है।
  - विभिन्न पहलों के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों को अभी भी **बुनियादी ढाँचे, योग्य शिक्षकों और संसाधनों के मामले में महत्त्वपूर्ण चुनौतियों** का सामना करना पड़ रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह असमानता असमान शैक्षिक परिणामों को जन्म देती है, विशेष रूप से हाशिये पर पड़े समुदायों के लिये।
- भारत में केवल 18.47% ग्रामीण स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह सुविधा **47.29%** है (शिक्षा मंत्रालय)।
  - इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी **37% ड्रॉपआउट दर (2020-21 के अनुसार)** दर्ज की गई है, जिसमें बुनियादी ढाँचे की कमी इस समस्या को और भी गंभीर बना रही है।

रटने की पद्धति और मानकीकृत परीक्षण पर अत्यधिक जोर: **भारत की शिक्षा प्रणाली रटने की पद्धति** और **मानकीकृत परीक्षण** पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे **समालोचनात्मक सोच** और **रचनात्मकता** के विकास को उपेक्षित किया जाता है।

- इससे **छात्रों की वास्तविक विश्व की स्थितियों में नवाचार करने और समस्याओं को हल करने की क्षमता सीमित हो जाती है।** यह पद्धति समग्र विकास की तुलना में परीक्षा के अंकों को प्राथमिकता देता है, जिससे छात्रों में थकान बढ़ती है।
- **18वीं वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2023**, जो 14–18 वर्ष की आयु के युवाओं को कवर करती है, एक गंभीर शैक्षिक अंतर की ओर इशारा करती है।
  - उदाहरणस्वरूप, लगभग **25% युवा अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 स्तर का पाठ भी धाराप्रवाह नहीं पढ़ सकते**, और केवल **57.3% युवा ही अंग्रेज़ी** में वाक्य पढ़ पाने में सक्षम हैं।

शिक्षक की कमी और अपर्याप्त प्रशिक्षण: सुधारों के बावजूद, शिक्षक गुणवत्ता भारत की शिक्षा प्रणाली में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। देशभर में **प्रशिक्षित शिक्षकों की भारी कमी** है और अधिकांश शिक्षकों को पेशेवर विकास के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते।

- **शिक्षकों के लिये व्यावसायिक विकास के अवसरों** की कमी गुणवत्ता के अंतर को बढ़ाती है। शिक्षकों को अक्सर भीड़भाड़ वाली कक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे प्रभावी शिक्षण और छात्रों की सहभागिता में बाधा आती है।
- **नीति आयोग की 2023 की रिपोर्ट** में बताया गया कि देश में **10 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं**, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी गंभीर है।
  - हालाँकि **NISHTHA कार्यक्रम** के तहत लाखों शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, फिर भी नियमित और अद्यतन प्रशिक्षण की कमी बनी हुई है।

खराब बुनियादी ढाँचे और संसाधन आवंटन: हालाँकि शैक्षिक बुनियादी ढाँचे में निवेश किया गया है, फिर भी कई स्कूलों में अभी भी **स्वच्छ पेयजल, शौचालय और पुस्तकालय जैसी बुनियादी सुविधाओं** का अभाव है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।

- यह खराब बुनियादी ढाँचा छात्रों के समग्र शिक्षण अनुभव को बाधित करता है, जिससे उनकी उपस्थिति और शैक्षणिक प्रदर्शन प्रभावित होता है।
- 13वीं ASER रिपोर्ट के अनुसार, **23% ग्रामीण स्कूलों में शौचालय** उपयोग लायक नहीं हैं और **11.5% स्कूलों में लड़कियों** के लिये अलग शौचालय नहीं हैं।
  - **वेब सीरीज 'पंचायत'** ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की भयावह स्थिति को प्रभावी ढंग से उजागर करती है, जहाँ छात्र अक्सर शौचालय का उपयोग करने से बचते हैं।

माध्यमिक शिक्षा में उच्च ड्रॉपआउट दर और कम प्रतिधारण: माध्यमिक शिक्षा स्तर पर **उच्च ड्रॉपआउट दर भारत की शिक्षा प्रणाली** की एक गंभीर समस्या है।

- आर्थिक तंगी, खराब बुनियादी ढाँचा और अधिगम में रुचि की कमी के कारण छात्र शिक्षा अधूरी छोड़ देते हैं। यह भारत की कुशल कार्यबल बनाने की क्षमता को सीमित करता है।
- **वर्ष 2021-22 में कक्षा 10 की ड्रॉपआउट दर 20.6%** थी, जो अत्यधिक चिंता का विषय है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के अनुसार, इसका मुख्य कारण आर्थिक दबाव और पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ हैं।
  - **समग्र शिक्षा अभियान (SSA)** जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य इस पर अंकुश लगाना है, लेकिन **ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल छोड़ने की दर** अभी भी अधिक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

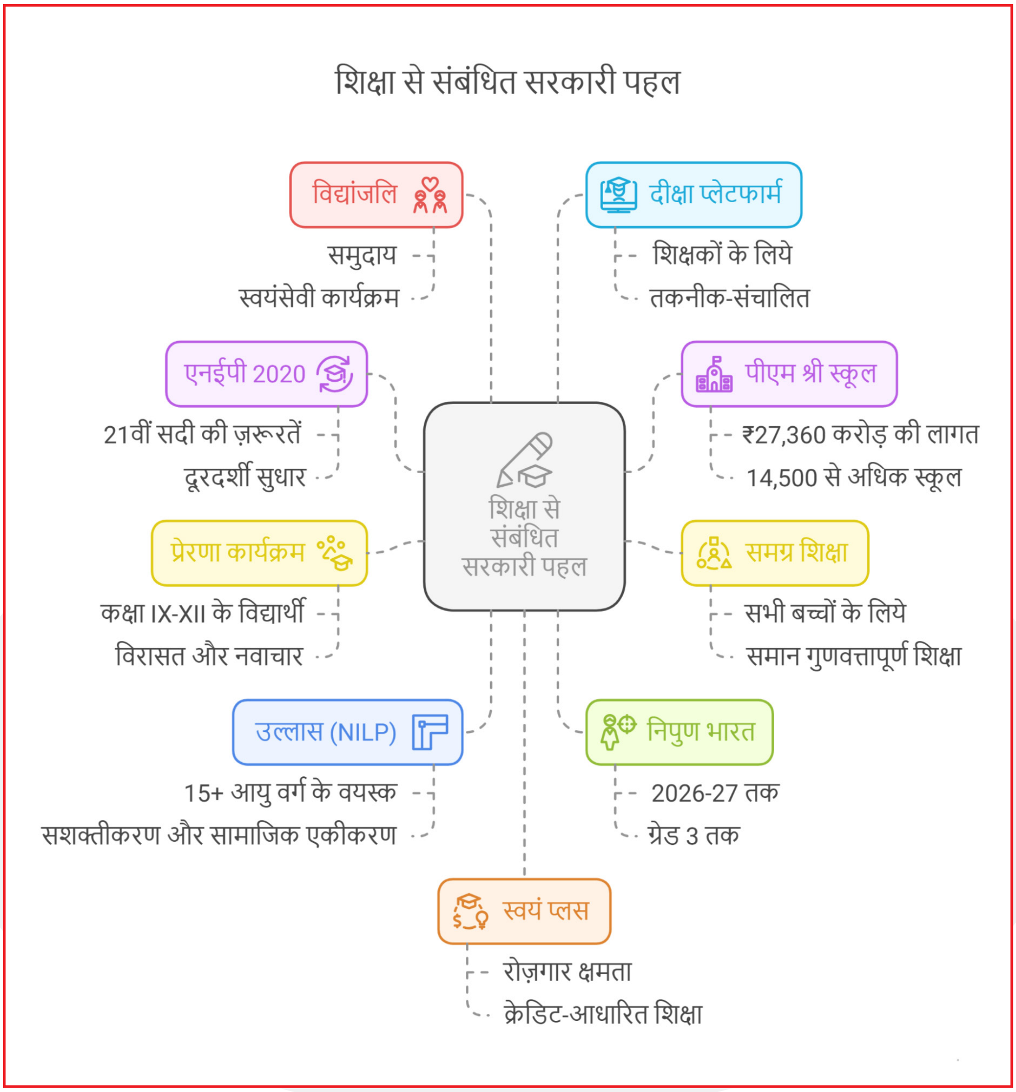

- **शिक्षा में लैंगिक असमानता:** यद्यपि प्रगति हुई है, फिर भी शिक्षा में लैंगिक असमानता एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।
  - लड़कियों को, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में, **कम उम्र में विवाह, सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों और सुरक्षित बुनियादी ढाँचे** की कमी जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो उनकी शिक्षा में भागीदारी और पढ़ाई में बने रहने में बाधा उत्पन्न करते हैं।
  - बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के बावजूद, एक हालिया अध्ययन बताता है कि **छोड़ने वाली लड़कियों में 76% की उम्र 15 से 18 वर्ष के बीच** थी।
- **कॅरियर मार्गदर्शन और कौशल विकास का अभाव:** भारत की शिक्षा प्रणाली में एक बड़ी चुनौती **कॅरियर मार्गदर्शन** और **कौशल-आधारित** शिक्षा का अभाव है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- अकादमिक विषयों पर पारंपरिक जोर अक्सर छात्रों को तेजी से बदलते नौकरी बाज़ार के लिये तैयार नहीं कर पाता है।
  - व्यावहारिक कौशल के संदर्भ में विद्यार्थी जो सीखते हैं और नियोक्ताओं को जो चाहिए, उसके बीच काफी अंतर होता है।
- **भारत कौशल रिपोर्ट 2023** से पता चलता है कि युवाओं के बीच समग्र रोज़गार क्षमता में सुधार सिर्फ **50.3%** है।
- **निजी बनाम सरकारी स्कूल विभाजन: भारत में निजी और सरकारी स्कूलों** के बीच बढ़ता विभाजन एक और सतत् मुद्दा है।
  - उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, भारत में **1,385 विश्वविद्यालयों में से 67.51% और 60,127 कॉलेजों में से 37.81%** निजी हैं, जिनकी फीस बहुत अधिक है।
  - शिक्षा का निजीकरण अब इस स्तर तक पहुँच गया है कि **शिक्षा की गुणवत्ता तक पहुँच एक छात्र की आर्थिक स्थिति पर निर्भर** होती जा रही है, जिससे सामाजिक विषमता और बढ़ रही है।
- **मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर अपर्याप्त ध्यान:** प्रतिस्पर्द्धी परीक्षाओं और अकादमिक दबाव के कारण छात्रों में चिंता, अवसाद और आत्महत्या जैसी मानसिक समस्याएँ लगातार बढ़ रही हैं।
  - बढ़ती जागरूकता के बावजूद, शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त **मानसिक स्वास्थ्य सहायता** और छात्र कल्याण के प्रति समग्र दृष्टिकोण का अभाव है।
  - **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)** के अनुसार, **2023 में 13,000 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की,** जिनमें प्रमुख कारण **शैक्षणिक दबाव** बताया गया है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **समग्र और अंत:विषयक पाठ्यक्रम सुधार: अंत:विषयक शिक्षण और आलोचनात्मक सोच** को बढ़ावा देने के लिये पाठ्यक्रम में सुधार किया जाना चाहिये, **जैसा कि NEP,** 2020 में निर्देशित किया गया है, विषयों के बीच पारंपरिक अंतर को समाप्त किया जाना चाहिये।
  - **शैक्षणिक ज्ञान के परियोजना-आधारित, वास्तविक-विश्व अनुप्रयोगों** को प्रोत्साहित करने से छात्रों में समस्या-समाधान कौशल, रचनात्मकता और सहयोग में वृद्धि होगी।
  - **इसका उद्देश्य रटने की प्रक्रिया से हटकर विश्लेषणात्मक और अनुकूलन कौशल** को बढ़ावा देना है, जो भविष्य के कार्यबल के लिये आवश्यक है, जिसमें शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण दोनों शामिल हैं।
- **व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षुता कार्यक्रमों का विस्तार: उद्योग साझेदारी** के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार करने से छात्रों को प्रारंभिक स्तर से ही व्यावहारिक अनुभव और नौकरी के लिये तैयार कौशल प्राप्त होंगे।
  - **विनिर्माण, आईटी और स्वास्थ्य सेवा** जैसे उच्च माँग वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षुता कार्यक्रमों का विस्तार करने से कौशल अंतर और बेरोज़गारी को कम तथा शिक्षा प्रणाली में व्यावहारिक शिक्षा को एकीकृत किया जा सकेगा।
  - ऐसा करने से छात्रों को वास्तविक विश्व की जानकारी और प्रमाणन प्राप्त होगा, जिससे उन्हें पाठ्यक्रम पूरा होने के तुरंत बाद रोज़गार मिल सकेगा।
- **शिक्षक प्रशिक्षण में प्रौद्योगिकी का एकीकरण:** शिक्षकों के लिये **प्रौद्योगिकी-संचालित, सतत् व्यावसायिक विकास** को एकीकृत करके शिक्षण की गुणवत्ता को काफी बढ़ाया जा सकता है।
  - वास्तविक समय फीडबैक, **माइक्रो-क्रेडेंशियल** और **इंटरैक्टिव लर्निंग मॉड्यूल के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म को लागू करने** से शिक्षकों को शैक्षणिक प्रगति और प्रौद्योगिकी रुझानों के साथ बने रहने में मदद मिलेगी।
  - इसे शिक्षक प्रशिक्षण को वैयक्तिकृत करने और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये **AI-संचालित शिक्षण उपकरणों** के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे शिक्षण प्रभावशीलता बढ़ सकती है।
- **सक्रिय समुदाय और अभिभावक सहभागिता: अभिभावकों, शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों** को शामिल करने वाला सहयोगात्मक दृष्टिकोण शिक्षा की प्रासंगिकता को बढ़ाएगा और समग्र छात्र विकास सुनिश्चित करेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **स्कूल सामुदायिक शिक्षण पहल**, नियमित **अभिभावक-शिक्षक परामर्श** और **स्वयंसेवी कार्यक्रम आयोजित कर सकते** हैं जो **स्थानीय आवश्यकताओं को शैक्षिक** लक्ष्यों के साथ संरेखित करते हैं।
- इससे विद्यार्थियों, विशेषकर हाशिये पर पड़े या वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के लिये मज़बूत सहायता प्रणाली बनाने में भी मदद मिलेगी।

- **उद्यमशीलता सोच और नवाचार को बढ़ावा देना:** छात्रों में प्रारंभिक स्तर से ही उद्यमिता कौशल और नवाचार की सोच को पाठ्यक्रम में शामिल करने से उन्हें बदलते रोजगार बाजार के अनुकूल बनाया जा सकता है।
  - **डिज़ाइन थिंकिंग**, **स्टार्टअप संस्कृति** और **समस्या समाधान** पर आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्र अवसरों की पहचान करना, जोखिम लेना और विकासोन्मुख मानसिकता विकसित करना सीखेंगे।
  - विद्यालयों और कॉलेजों में **इन्वोवेशन हब** की स्थापना छात्रों को व्यावहारिक व्यावसायिक कौशल के साथ-साथ नवाचार को भी प्रोत्साहित करेगी।
- **समावेशी शिक्षा के लिए बेहतर बुनियादी ढाँचा:** समावेशी शिक्षा को साकार करने के लिये ऐसे विद्यालयीय ढाँचों में निवेश आवश्यक है जो **दिव्यांग छात्रों और विशेष आवश्यकताओं** वाले छात्रों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें।
  - **यूनिवर्सल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स** के अनुसार रैम्प, सहायक तकनीकें, विशेष शिक्षण उपकरण आदि का उपयोग किया जाना चाहिये। साथ ही, **विशेष शिक्षक**, **थेरेपिस्ट**, और सहायक स्टाफ की नियुक्ति से इन छात्रों को लक्षित सहायता मिल सकेगी।
- **परीक्षा प्रणाली का सशक्तीकरण और सरलीकरण:** हालाँकि परीक्षाएँ आवश्यक हैं, लेकिन **वर्तमान प्रणाली को निरंतर और संरचनात्मक मूल्यांकन** की ओर स्थानांतरित करना चाहिये। **PARAKH विधि** के माध्यम से छात्रों की प्रगति को समय के साथ ट्रैक किया जा सकता है।
  - **कौशल-आधारित मूल्यांकन**, **प्रोजेक्ट**, **प्रेजेंटेशन**, और **पीयर रिव्यू** जैसे विविध तरीकों को अपनाकर छात्रों के समग्र ज्ञान को मापा जा सकता है।
    - इससे छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम होगा और गहन सीख को बढ़ावा मिलेगा।
- **स्थिरता और पर्यावरण शिक्षा एकीकरण: पाठ्यक्रम में स्थिरता** और **पर्यावरण जागरूकता** को शामिल करने से छात्रों को जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिये तैयार किया जा सकेगा।
  - **स्कूलों को विभिन्न विषयों में व्यावहारिक पर्यावरणीय परियोजनाएँ**, इको-क्लब और स्थिरता-केंद्रित पाठ शुरू करने चाहिये।
  - इससे न केवल छात्रों को ज्ञान प्राप्त होता है, बल्कि उनमें ग्रह के प्रति ज़िम्मेदारी की भावना भी उत्पन्न होती है, तथा पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिकों के निर्माण में योगदान मिलता है।
- **शैक्षिक नवाचार के लिये संवर्द्धित सार्वजनिक-निजी सहयोग:** मज़बूत **सार्वजनिक-निजी भागीदारी** को बढ़ावा देने से शिक्षा प्रणाली में संसाधन और बुनियादी ढाँचे की कमी को दूर करने में मदद मिल सकती है।
  - **प्रौद्योगिकी, पाठ्यक्रम डिजाइन** और **शिक्षक प्रशिक्षण** में निजी खिलाड़ियों की विशेषज्ञता का लाभ उठाकर, सार्वजनिक स्कूल उन संसाधनों तक पहुँच बना सकते हैं जिनकी उन्हें कमी है।
  - **ये साझेदारियाँ अत्याधुनिक उपकरणों और शैक्षिक पद्धतियों** की शुरूआत में भी सहायक हो सकती हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में शिक्षा प्रासंगिक बनी रहे।
- **ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा पर ध्यान: ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों को** लक्ष्य करके विशेष पहल यह सुनिश्चित करेगी कि शिक्षा सबसे वंचित समुदायों तक भी पहुँचे।
  - इसमें **मोबाइल लर्निंग इकाइयाँ, समुदाय द्वारा संचालित स्कूल** और **डिजिटल शिक्षा केंद्र** शामिल हैं जो स्कूली शिक्षा को सीधे बच्चों के दरवाजे तक पहुँचाते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, **शिक्षकों को बेहतर वेतन और आवास के साथ दूरदराज के क्षेत्रों में कार्य करने के लिये प्रोत्साहित** करने से इन क्षेत्रों में प्रतिधारण दर में वृद्धि होगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित होगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण सहायता प्रणालियों को मज़बूत करना: शैक्षणिक संस्थानों के भीतर व्यापक मानसिक स्वास्थ्य सहायता संरचनाओं** की स्थापना, छात्रों द्वारा सामना किये जाने वाले तनाव और दबाव को कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - **अनिवार्य परामर्श सेवाएँ** शुरू करना, **भावनात्मक बुद्धिमत्ता** शिक्षा को बढ़ावा देना तथा छात्रों के लिये शैक्षणिक या व्यक्तिगत चुनौतियों पर चर्चा करने हेतु सुरक्षित स्थान बनाना, एक स्वस्थ शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देगा।
  - इसके अतिरिक्त, **माइंडफुलनेस, तनाव प्रबंधन कार्यक्रम**, और **योग/ध्यान** जैसी गतिविधियाँ पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाकर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा सकती है।

निष्कर्ष:

संयुक्त राष्ट्र के **सतत् विकास लक्ष्य 4 (SDG 4 - गुणवत्तापूर्ण शिक्षा)** और **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A** के अनुरूप, शिक्षा सुधारों का उद्देश्य समावेशी, समान और सुलभ शिक्षा सुनिश्चित करना होना चाहिये। शिक्षा प्रणाली को मज़बूत बनाने के लिये बुनियादी ढाँचे, शिक्षक प्रशिक्षण और मानसिक स्वास्थ्य सहायता में सतत् और दीर्घकालिक निवेश अत्यंत आवश्यक है। प्रौद्योगिकी के एकीकरण और कौशल-आधारित शिक्षा पर विशेष बल देकर हम न केवल वर्तमान शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, बल्कि भविष्य की जटिलताओं से निपटने के लिये भावी पीढ़ियों को भी तैयार कर सकते हैं।

■■■

अंतरिक्ष अन्वेषण: पृथ्वी के भविष्य की कुंजी

यह एडिटोरियल 27/06/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "Axiom-4 mission: Ax-4 docking successful, Shubhanshu Shukla sets foot on International Space Station" पर आधारित है। इस लेख में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक उपलब्धि को सामने लाया गया है, जो एक्सिओम मिशन 4 के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बने।

कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक्सिओम मिशन 4 के तहत **अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री** बनकर इतिहास रच दिया। यह मिशन **भारत के आगामी गगनयान कार्यक्रम के लिये महत्त्वपूर्ण तैयारी** के रूप में कार्य करता है, जो **वर्ष 2026 के लिये नियोजित देश का पहला स्वतंत्र मानव अंतरिक्ष यान मिशन** है। अगले दो हफ्तों में, शुक्ला और उनका दल वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, जिनमें **ISRO द्वारा डिज़ाइन किये गए आठ प्रयोग** शामिल हैं, **जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सीधे अनुप्रयोगों के साथ नवाचार ला सकते हैं।** यह ऐतिहासिक उपलब्धि न केवल राष्ट्रीय गौरव का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि **अंतरिक्ष-आधारित अनुसंधान का प्रवेश द्वार** है जो **आम नागरिकों के लिये स्वास्थ्य सेवा, कृषि, सामग्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बदलने का वादा** करता है।

एक्सिओम-4 प्रयोग भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान और अनुप्रयोग को कैसे बढ़ा सकते हैं?

- **सूक्ष्मगुरुत्व में अंकुरों का विकास:** यह प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान फसल बीजों के अंकुरण और वृद्धि पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है, जो लंबे अंतरिक्ष अभियानों पर गये अंतरिक्षयात्रियों के लिये सतत् खाद्य स्रोत उपलब्ध कराने हेतु अनिवार्य है।
  - यह शोध अंतरिक्ष में प्रभावी रूप से खाद्य उत्पादन की प्रक्रिया को समझने में सहायक होगा।
  - इस अध्ययन के निष्कर्षों का व्यापक उपयोग शहरी कृषि तथा इनडोर कृषि में हो सकता है, जिससे नगरों में संधारणीय खाद्य उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और शहरी आबादी को स्वयं अपना भोजन उगाने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे बाह्य आपूर्ति पर निर्भरता घटेगी।
- **सायनोबैक्टीरिया जीवन-समर्थन के लिये: सायनोबैक्टीरिया अंतरिक्ष यानों के जीवन-समर्थन प्रणालियों के विकास में अत्यंत उपयोगी** हैं क्योंकि वे **प्रकाश-संश्लेषण करने में सक्षम** होते हैं।
  - यह प्रयोग अंतरिक्ष में उनकी वृद्धि और जैव रासायनिक गतिविधि का अध्ययन करेगा, जिससे अंतरिक्ष में ऑक्सीजन और खाद्य उत्पादन के लिये बंद लूप प्रणाली के निर्माण में सहायता मिलेगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इस प्रयोग से प्राप्त ज्ञान पृथ्वी पर पर्यावरण नियंत्रण प्रणालियों को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है, विशेषकर सतत् भवन-डिज़ाइन, जल-शोधन और शहरी या पृथक क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में।
- **अंतरिक्षीय सूक्ष्मशैवाल वृद्धि:** सूक्ष्मशैवाल **आहार, ईंधन और जीवन-समर्थन** का एक संभावित संसाधन हैं।
  - इस प्रयोग में यह अध्ययन किया जाएगा कि सूक्ष्मगुरुत्व सूक्ष्मशैवाल की वृद्धि और चयापचय को किस प्रकार प्रभावित करता है, जिसका उपयोग अंतरिक्ष मिशनों के लिये **जैव-पुनर्योजी जीवन समर्थन प्रणालियों में** किया जा सकता है।
  - सूक्ष्म शैवाल का उपयोग पृथ्वी पर पहले से ही जैव ईंधन, **अपशिष्ट प्रबंधन और पोषण संबंधी पूरकों के लिये** किया जा रहा है।
    - इस शोध से **हरित ऊर्जा स्रोतों** एवं **सतत् खाद्य विकल्पों की खोज़** हो सकती है, जो **खाद्य उत्पादन और** नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में हमारी सोच में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं।
- **अंतरिक्ष में मांसपेशियों की हानि (मायोजेनेसिस):** यह अध्ययन सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण (Microgravity) में उत्पन्न होने वाली मांसपेशीय अक्षमता को समझने का प्रयास करता है, जो अंतरिक्ष यात्रियों में मांसपेशियों के क्षय (Atrophy) का कारण बनती है।
  - इसमें शामिल **आणविक प्रक्रियाओं का अभिनिर्धारण** कर, **लंबी अंतरिक्ष यात्राओं के दौरान मांसपेशियों की हानि को रोकने के उपाय** विकसित किये जा सकते हैं।
  - इस शोध से **पृथ्वी पर मांसपेशियों के क्षय से पीड़ित रोगियों**, विशेष रूप से वृद्धजनों तथा मांसपेशीय दुर्विकास या दीर्घकालीन निष्क्रियता से जूझ रहे लोगों **के लिये उपचार पद्धतियों में सुधार संभव** हो सकेगा।
- **अंतरिक्ष में वॉयेजर डिस्प्ले इंटरैक्शन:** यह प्रयोग यह जानने के लिये किया जायेगा कि माइक्रोग्रैविटी का प्रभाव इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के प्रयोग से जुड़े संज्ञानात्मक (Cognitive) तथा शारीरिक कार्यों पर क्या पड़ता है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष यान की प्रौद्योगिकी की बनावट तथा उसके उपयोग की प्रणाली को और अधिक उपयुक्त बनाना है।
  - यह शोध **पृथ्वी पर स्मार्ट उपकरणों, गेमिंग प्रणालियों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी तकनीकों में उपयोगकर्ता-अनुभव** तथा **उत्पादकता को बेहतर बनाने में सहायक** हो सकता है, जिससे दैनिक जीवन की तकनीकों के लिये **अधिक कार्यकुशल एवं तनाव-रहित डिज़ाइन तैयार हो सकेंगे।**
- **अंतरिक्ष में टार्डिग्रेड्स का अस्तित्व:** टार्डीग्रेड्स **अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहने के लिये प्रसिद्ध** हैं। यह अध्ययन उनके **अंतरिक्ष में जीवित रहने, पुनर्जीवन और प्रजनन की प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास** करेगा, जिससे इनकी अनुकूलन से जुड़ी आणविक क्रियाविधियों की पहचान की जा सके।
  - इन तत्त्वों को समझने से पृथ्वी पर जैव-प्रौद्योगिकी तथा चिकित्सकीय अनुसंधान में प्रगति हो सकती है, विशेष रूप से जैव-संरक्षण, अत्यधिक वातावरण में सहनशीलता और संभवतः पुनरुत्पादक चिकित्सा (Regenerative medicine) के क्षेत्र में।

अंतरिक्ष अन्वेषण प्रगति से कौन-सी प्रमुख प्रौद्योगिकियाँ उभरी हैं?

- **स्वास्थ्य देखभाल नवाचार:** अंतरिक्ष अनुसंधान ने स्वास्थ्य देखभाल को काफी उन्नत किया है, विशेष रूप से दूरस्थ रोगी निगरानी प्रणालियों के विकास के माध्यम से।
  - ये नवाचार NASA की लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर नज़र रखने की आवश्यकता से उत्पन्न हुए।
  - उदाहरण के लिये, **NASA द्वारा विकसित टेलीमेडिसिन प्रणालियों का पृथ्वी पर व्यापक उपयोग** हुआ है, जबकि **ISRO का टेलीमेडिसिन कार्यक्रम ग्रामीण भारत को शहरी अस्पतालों से जोड़ता है** तथा वास्तविक काल में निदान और उपचार उपलब्ध कराता है।
  - इसके अलावा, अंतरिक्ष यात्रियों के लिये **पोषक तत्त्वों से समृद्ध शैवाल पर NASA के अनुसंधान ने शिशु आहार में सुधार** किया, जिसमें दूध में पाये जाने वाले DHA और ARA जैसे पोषक तत्त्वों को जोड़ा गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इन नवाचारों ने शिशु आहार को एक महत्त्वपूर्ण पोषण बढ़त प्रदान की है जिससे शिशुओं के विकास में सहायता मिली है।

- **संचार प्रणालियाँ:** अंतरिक्ष अन्वेषण के लिये **विकसित उपग्रह संचार प्रौद्योगिकियों ने वैश्विक संचार में क्रांति ला दी है**, जिससे **तीव्र और अधिक विश्वसनीय कनेक्शन की सुविधा** मिली है।
  - प्रारंभ में **अंतरिक्ष मिशनों के लिये** बनाई गई ये प्रणालियाँ **वैश्विक कनेक्टिविटी का अभिन्न अंग** बन गई हैं।
  - इसका एक प्रमुख उदाहरण **GPS तकनीक** है, जो **सैन्य उपग्रह नेविगेशन प्रणालियों से विकसित** हुई है और अब नेविगेशन और लॉजिस्टिक्स जैसे रोजमर्रा के अनुप्रयोगों में अपरिहार्य है।
    - वर्ष 2022 में वैश्विक GPS बाज़ार का मूल्य 94.25 बिलियन अमरीकी डॉलर था।
  - **भारत की स्वदेशी उपग्रह नेविगेशन प्रणाली, NavIC**, सटीक स्थिति और समय सेवाएँ प्रदान करके **परिवहन, रसद एवं कृषि जैसे क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण बदलाव** लाने के लिये तैयार है।
  - NASA ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिये संचार को बढ़ाने के लिये **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग की जाने वाली तकनीक विकसित की**, जो अब ज़ूम, टीम्स और गूगल मीट जैसे उपकरणों को शक्ति प्रदान करती है।

- **खाद्य संरक्षण:** अंतरिक्ष अनुसंधान ने खाद्य संरक्षण में नवाचारों को बढ़ावा दिया है, **विशेष रूप से फ्रीज़-ड्रायिंग और वैक्यूम सीलिंग,** जिन्हें **प्रारंभ में अंतरिक्ष यात्रियों के अंतरिक्ष मिशनों के लिये विकसित** किया गया था।
  - इन प्रौद्योगिकियों ने खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ को बहुत हद तक बढ़ा दिया है, बर्बादी को कम किया है और खाद्य सुरक्षा में सुधार किया है।
  - फ्रीज़-ड्राई फल, वैक्यूम-सील भोजन और अंतरिक्ष-प्रेरित पैकेजिंग प्रौद्योगिकियाँ अब उपभोक्ता बाज़ारों में प्रमुखता से शामिल हैं, जो सुविधा प्रदान करती हैं तथा खाद्य अपशिष्ट को कम करती हैं।
  - **ISS पर 'वेजी' प्रयोग जैसे अंतरिक्ष में उगाए गए खाद्य पदार्थों** ने अंतरिक्ष कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने में मदद की है।

- **उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स:** अंतरिक्ष यानों में छोटे और हल्के उपकरणों की आवश्यकता के कारण जब इलेक्ट्रॉनिक घटकों का लघुकरण (Miniaturization) आरंभ हुआ, तब इसने उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अनेक नवाचारों का मार्ग प्रशस्त किया।
  - अंतरिक्ष अभियानों के लिये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता होती है जो आकार में छोटे किंतु कार्यक्षमता में अत्यंत सक्षम हों और इसने लघुकरण की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाया।
  - ये प्रौद्योगिकियाँ अब स्मार्टफोन, पहनने योग्य उपकरणों (Wearables) व अन्य व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयुक्त हो रही हैं, जिससे यंत्र और भी हल्के तथा कुशल बन सके हैं।
  - **उदाहरण:** कैमरा फोन— **CMOS इमेज सेंसर**, जिसे **प्रारंभ में NASA ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिये विकसित किया** था, आज आधुनिक स्मार्टफ़ोन कैमरों का मूलाधार बन चुका है, जिसने हमारे छवियों को कैप्चर करने के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है।
    - इसके अलावा, **NASA को पोर्टेबल उपकरणों की ज़रूरत** थी, जिसके कारण **ब्लैक एंड डेकर के साथ साझेदारी में पहला कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर, डस्टबस्टर** बनाया गया। इसे अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर सैंपल एकत्र करने में सहायता करने के लिये विकसित किया गया था।
    - अंतरिक्ष अनुसंधान ने पोर्टेबल वैक्यूम प्रौद्योगिकी के परिशोधन को प्रेरित किया, जिससे सफाई के लिये घरेलू अनुप्रयोगों का विकास हुआ।

- **जल शोधन प्रणालियाँ:** अंतरिक्ष मिशनों के लिये NASA द्वारा विकसित उन्नत जल निस्पंदन प्रणालियों का उपयोग पृथ्वी पर जल शोधन प्रौद्योगिकियों में सुधार के लिये किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- ये नवाचार **दूरदराज़ या आपदाग्रस्त क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने** के लिये आवश्यक रहे हैं।
- NASA की जल शोधन तकनीक, **विशेष रूप से माइक्रोबियल चेक वाल्व (MCV), को वर्ष 2010 के हैती भूकंप सहित** आपदा राहत प्रयासों में तैनात किया गया है।

- **ऊर्जा समाधान और बैटरी नवाचार:** अंतरिक्ष अनुसंधान ने उच्च दक्षता वाली बैटरियों के विकास को गति दी है, विशेष रूप से अंतरिक्ष यान में उपयोग के लिये जहाँ वजन और ऊर्जा दक्षता महत्त्वपूर्ण होती है।
    - इन नवाचारों को इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण प्रणालियों पर लागू किया गया है।
    - उदाहरण के लिये, **NASA के अत्याधुनिक ठोस-अवस्था बैटरी अनुसंधान** ने ऐसी ऊर्जा प्रणालियाँ बनाई हैं, जिनका वज़न **नियमित बैटरियों की तुलना में 30-40% कम** है और **वे तीन गुना अधिक ऊर्जा संग्रहित करती हैं,** जिससे वे अधिक कुशल, लंबे समय तक चलने वाले ऊर्जा समाधान प्रदान करती हैं।
    - **सोलर पैनल मूलतः अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिये विकसित किये गए थे,** NASA ने वर्ष 1958 में पहली सोलर सेल प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाया था।
        - आज, सबसे उन्नत सौर पैनल कार्बन नैनोट्यूब का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जो अधिक प्राकृतिक प्रकाश को ग्रहण करके तथा परावर्तित प्रकाश को कम करके दक्षता बढ़ाते हैं।
        - भारत वैकल्पिक नवीकरणीय स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा की सक्रिय रूप से खोज कर रहा है, इसका एक प्रमुख उदाहरण अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) **में इसकी नेतृत्वकारी भूमिका** है।
- **चिकित्सा इमेजिंग:** अंतरिक्ष मिशनों में उन्नत इमेजिंग प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता के कारण पृथ्वी पर **चिकित्सा इमेजिंग में सफलता** मिली है।
    - मूलतः अंतरिक्ष यात्रियों के आंतरिक स्वास्थ्य का अध्ययन करने के लिये विकसित प्रौद्योगिकियाँ अब चिकित्सा निदान में आम हो गई हैं।
    - अंतरिक्ष में उपयोग के लिये विकसित **कॉम्पैक्ट अल्ट्रासाउंड मशीनों का उपयोग अब आपातकालीन कक्षों और एम्बुलेंसों में** किया जाता है, जो त्वरित, ऑन-साइट निदान क्षमता प्रदान करती हैं।
    - पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड बाज़ार वर्ष 2030 तक 3.8 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है, जिसमें अंतरिक्ष-प्रेरित प्रौद्योगिकियाँ इस वृद्धि में महत्त्वपूर्ण योगदान देंगी।
- **आपदा प्रबंधन और प्रतिक्रिया:** अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों ने **बाढ़, तूफान और वनाग्नि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी एवं पूर्वानुमान** के लिये उपग्रहों के उपयोग के माध्यम से आपदा प्रबंधन प्रयासों को काफी बढ़ाया है।
    - ये उपग्रह समय पर आपदा प्रतिक्रिया के लिये रियल टाइम डेटा प्रदान करते हैं।
    - **ISRO के आपदा प्रबंधन सहायता (DMS) कार्यक्रम** ने आपदाओं पर नज़र रखने तथा बचाव एवं पुनर्प्राप्ति कार्यों में सहायता के लिये महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिये उपग्रह डेटा का उपयोग किया है।
- **सुविधा एवं सहायक सामग्री में नवाचार:** विशेष उपयोगों जैसे: अंतरिक्ष अन्वेषण के लिये विकसित की गई सुविधा तथा सहायक सामग्री में तकनीकी प्रगति ने उपभोक्ता उत्पादों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला है।
    - **'मेमोरी फोम'** जैसी सामग्री, जिसे **आरंभ में** NASA ने उच्च गुरुत्व बल (High-G Force) के दौरान **अंतरिक्ष यात्रियों को आराम देने हेतु विकसित** किया था, अब **गद्दों से लेकर जूतों तक के उद्योगों में क्रांति ला चुकी है।**
    - **अपोलो स्पेससूट पर NASA के कार्य ने 'नाइकी एयर' जैसी गद्देदार 'इनसोल' के विकास में योगदान** दिया, जो खिलाड़ियों को **एक्स्ट्रा लिफ्ट तथा झटके से सुरक्षा** प्रदान करती हैं।
        - वर्ष 1968 में, प्यूमा और रीबॉक जैसी जूता कंपनियों ने जूतों में **वेल्क्रो का उपयोग** करना शुरू किया (जिसका श्रेय **NASA को जाता है**)।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इन नवाचारों ने आराम व सुविधा को बढ़ाया है, **स्वास्थ्य परिणामों में सुधार किया है** (दबाव बिंदुओं को कम करके) और बेहतर दैनिक उपयोग के लिये डिज़ाइन किये गए उत्पादों के विकास में योगदान दिया है।

भारत आगामी अंतरिक्ष मिशनों का व्यापक उपयोग किस प्रकार कर सकता है?

- **सतत् विकास के लिये पृथ्वी अवलोकन का लाभ उठाना:** NASA के साथ एक संयुक्त परियोजना, NISAR, पहला **द्वि-आवृत्ति सिंथेटिक एपर्चर रडार युक्त पहला उपग्रह** होगा, जिसे उच्च स्तरीय रिमोट सेंसिंग के लिये विकसित किया गया है।
  - NISAR से प्राप्त हाई-रिज़ॉल्यूशन अर्थ ओब्ज़र्वेशन डेटा वास्तविक समय बाढ़ निगरानी से लेकर वनाग्नि का पता लगाने तक आपदा प्रबंधन क्षमताओं को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है।
    - यह **मृदा नमी, फसल स्वास्थ्य** आदि पर विस्तृत, रियल टाइम डेटा प्रदान करके **कृषि उत्पादकता को भी बढ़ा सकता है।**
  - **रडार इमेजरी से फसल स्वास्थ्य की सटीक निगरानी** और **जल संसाधन प्रबंधन** में भी सहायता मिलेगी, जिससे **परिशुद्ध कृषि, शहरी नियोजन** एवं **पर्यावरण संरक्षण में योगदान** मिलेगा।
- **स्वास्थ्य सेवा और जैव प्रौद्योगिकी का संवर्द्धन:** गगनयान का **मानव अंतरिक्ष उड़ान** कार्यक्रम न केवल अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा, बल्कि ISRO को उन्नत **जीवन समर्थन प्रणाली** और **स्वास्थ्य निगरानी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में भी सहायता** करेगा।
  - **अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य निगरानी** के लिये विकसित प्रौद्योगिकियों, जैसे **बायोमेडिकल सेंसर, टेलीमेडिसिन सिस्टम** और **रिमोट डायग्नोस्टिक्स** का उपयोग पृथ्वी के सुदूर व कम सुविधा वाले क्षेत्रों में **स्वास्थ्य सेवा की पहुँच में सुधार लाने में** किया जा सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, **अंतरिक्ष यात्रियों की मांसपेशीय पुनरुत्पत्ति और अस्थि स्वास्थ्य** से संबंधित जैव-प्रौद्योगिकी नवाचारों का प्रयोग वृद्धावस्था-संबंधी रोगों व दीर्घकालिक गतिशीलता समस्याओं से पीड़ित मरीज़ों के उपचार में किया जा सकता है, जिससे वृद्धजनों तथा अस्थि-मांसपेशीय रोगियों के लिये चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि संभव होगी।
- **नवीकरणीय ऊर्जा समाधान और जलवायु परिवर्तन शमन को आगे बढ़ाना:** वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करेगा, जो अपने अत्यधिक ग्रीनहाउस प्रभावों के लिये जाना जाता है।
  - शुक्र की चरम जलवायु प्रणालियों से प्राप्त आँकड़े पृथ्वी पर जलवायु मॉडलिंग और कार्बन उत्सर्जन की बेहतर समझ प्रदान कर सकते हैं।
  - **शुक्र ग्रह के ग्रीनहाउस गैस-आधारित जलवायु तंत्र को समझना, पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन शमन रणनीतियों को सुधारने में सहायक** हो सकता है।
  - अंतरिक्ष-आधारित तकनीकें, जैसे **NOAA की 'अर्थ ऐंड स्पेस ऑब्ज़र्विंग डिजिटल ट्विन्स', जलवायु परिवर्तन शमन में महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभा रही हैं।
    - उपग्रह आँकड़ों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से, ये तकनीकें समय रहते चेतावनी प्रणालियों को मज़बूत बनाती हैं, जिससे जलवायु जनित प्रभावों को कम करने तथा समयोचित हस्तक्षेप सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है।
  - यह प्रयास नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से सौर ऊर्जा के अनुकूलन में भी योगदान दे सकता है तथा जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में मौसम प्रतिरूपों की गहन समझ प्रदान कर सकता है, जिससे कृषि, जल संसाधन एवं ऊर्जा खपत का बेहतर प्रबंधन संभव हो सकेगा।
- **नेविगेशन और संचार प्रौद्योगिकियों में सुधार:** मार्स ऑर्बिटर मिशन- 2 **का उद्देश्य** अंतर-ग्रहीय **संप्रेषण तथा दिशा-निर्देशन प्रणालियों को सशक्त बनाना** है।
  - मंगल ग्रह के लिये विकसित ये उन्नत संप्रेषण प्रणालियाँ और नेविगेशन तकनीकें पृथ्वी पर भी तत्काल अनुप्रयोग पा सकती हैं, जैसे: **वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली (GPS), उपग्रह संचार तथा दिशा-निर्देशन आधारित प्रणालियाँ।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- ये प्रगति **लॉजिस्टिक्स, कृषि और परिवहन** जैसे क्षेत्रों में **स्वायत्त वाहनों** एवं **ड्रोनों** के लिये **नेविगेशन सटीकता में सुधार** करेगी, जिससे **सुरक्षित, अधिक कुशल यात्रा तथा वितरण प्रणाली** सुनिश्चित होगी।
  - इसके अतिरिक्त, **संचार नवाचारों से 5G नेटवर्क क्षमताओं** और **ग्रामीण कनेक्टिविटी** में वृद्धि होगी, जिससे वंचित क्षेत्रों में इंटरनेट पहुँच में सुधार होगा।
- **संसाधन प्रबंधन के लिये चंद्र अन्वेषण का उपयोग: जैक्सा (JAXA) के साथ सहयोग में प्रस्तावित 'लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन' चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की पड़ताल करेगा,** जो जल-बर्फ और खनिजों से समृद्ध माना जाता है।
  - चंद्रमा से जल तथा संसाधनों की खोज व निष्कर्षण पृथ्वी पर संसाधन प्रबंधन से जुड़ी उन्नत तकनीकों को विकसित करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।
  - यह मिशन पृथ्वी के लिये **जल-शुद्धिकरण, खनिज निष्कर्षण और सतत् संसाधन प्रबंधन तकनीकों में योगदान** दे सकता है।
  - इसके अलावा, **चंद्रमा पर निवास** के लिये विकसित प्रौद्योगिकियों को **ऑफ-ग्रिड जीवन** और **सतत् शहरी बुनियादी अवसंरचना** के लिये अनुकूलित किया जा सकता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ संसाधनों की कमी व पर्यावरणीय तनाव है।
- **उन्नत अनुसंधान के लिये अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना: भारत का अंतरिक्ष स्टेशन वैज्ञानिक अनुसंधान, सूक्ष्मगुरुत्व प्रयोगों** और **मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के लिये जीवन रक्षक प्रणालियों** के विकास का केंद्र होगा।
  - इसके अलावा, **अंतरिक्ष स्टेशन नई प्रौद्योगिकियों के लिये एक परीक्षण स्थल** के रूप में काम कर सकता है, जिससे **चिकित्सा, ऊर्जा और भौतिक विज्ञान जैसे उद्योगों को लाभ** हो सकता है, जिससे **उन्नत स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकियों** एवं **धारणीय जीवन समाधान में सफलता** मिल सकती है।
- **अर्थ ओब्ज़र्वेशन और डेटा-संचालित निर्णय लेने में क्रांतिकारी बदलाव: चंद्रयान-4 एक चंद्र चंद्र-नमूना-वापसी (Lunar Sample-Return) अभियान** होगा, जिसका उद्देश्य चंद्रमा से नमूने एकत्र करना तथा उन्हें पृथ्वी पर लाकर उनका विश्लेषण करना है।
  - **चंद्रमा की मिट्टी की संरचना** और **चंद्रमा की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को** समझकर, ISRO **पृथ्वी-आधारित संसाधन प्रबंधन को परिष्कृत कर सकता है,** विशेष रूप से **खनिज अन्वेषण** एवं **भूवैज्ञानिक अध्ययन के लिये।**
  - यह अनुसंधान **अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों में भी सुधार** कर सकता है, जिससे सौर ज्वालाओं और अन्य ब्रह्मांडीय घटनाओं के लिये बेहतर तैयारी सुनिश्चित हो सकेगी, जो पृथ्वी की **संचार एवं ऊर्जा प्रणालियों को प्रभावित करती हैं।**

निष्कर्ष:

"अंतरिक्ष अन्वेषण का तात्पर्य केवल नई ऊँचाइयों को छूना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है पृथ्वी पर जीवन को उन्नत करने के लिये अज्ञात का दोहन करना।"

गगनयान कार्यक्रम, NISAR और चंद्रयान 3 सहित भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों में स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरणीय संवहनीयता में वैश्विक प्रगति के लिये परिवर्तनकारी क्षमताएँ हैं। ये नवाचार न केवल अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की स्थिति को बढ़ाएँगे बल्कि पृथ्वी पर चुनौतियों के समाधान को भी बढ़ावा देंगे।

जनजातीय अस्मिता: सांस्कृतिक विरासत से सशक्त भविष्य तक

यह एडिटोरियल 26/06/2025 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख "Centre's outreach to tribal people can be starting point for bottom-up development. But it won't be easy" पर आधारित है। यह लेख PM JANMAN तथा DAJGUA जैसी योजनाओं के माध्यम से एक लाख जनजातीय ग्रामों तक

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025
SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

सरकार की पहुँच को रेखांकित करता है, साथ ही 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) के संदर्भ में क्रियान्वयन से जुड़ी निरंतर चुनौतियों को भी उजागर करता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने हाल ही में एक लाख जनजातीय गाँवों को लक्षित करते हुए एक महत्त्वाकांक्षी आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि जनजातीय कल्याणकारी योजनाओं की डोरस्टेप डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके, जिसमें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भी शामिल है। जबकि सरकार ने जनजातीय आबादी, मुख्यत: 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों **के लिये विकास संबंधी अंतर को पाटने के लिये कई पहल** की हैं, परंतु इनके क्रियान्वयन में अभी भी गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं। यह नवीनतम अभियान भारत की जनजातीय आबादी के समक्ष विद्यमान गहराई से जड़ें जमाए हुए मुद्दों को प्रभावी ढंग से समाधान करने के इस प्रयास की एक संभावना भी है और एक कसौटी भी।

भारत की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक-आर्थिक प्रगति में जनजातियाँ किस प्रकार योगदान देती हैं?

- **भारत की सभ्यतागत पहचान के सांस्कृतिक प्रहरी: जनजातियाँ अपनी मौखिक परंपराओं, लोक कला, आध्यात्मिक प्रथाओं और पारिस्थितिक विश्वदृष्टिकोण** के माध्यम से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करती हैं।
  - ये भारत के प्रागैतिहासिक अतीत तथा उसकी बहुलतावादी चेतना से जीवंत रूप में जुड़ी हुई हैं। इनकी विशिष्ट जीवनशैली भारत में परिवर्तन के बीच सांस्कृतिक निरंतरता को दर्शाती है।
    - भारत सरकार ने जनगणना- 2011 के अनुसार 705 **जनजातियों को आधिकारिक रूप से मान्यता** दी है, जिनमें प्रत्येक की अपनी अनूठी भाषायी और कलात्मक परंपराएँ हैं।
  - **उदाहरण: गोंड** (सबसे बड़ी जनजातियों में से एक) विश्व स्तर पर **गोंड चित्रकला के लिये जाने जाते हैं, जो प्रकृति और आत्मा के संयोग की प्रतीक** मानी जाती है।
- **मूल निवासी और भूमि के प्राकृतिक संरक्षक:** जनजातीय समुदाय भारत की भौगोलिक संरचना में निहित हैं, जो प्राय: वनों और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं तथा भूमि एवं जन के बीच एक सांस्कृतिक-सभ्यतागत संबंध स्थापित करते हैं।
  - इनकी क्षेत्रीय आत्मीयता **स्वदेशी संप्रभुता और प्राकृतिक संरक्षण** का बोध कराती है।
  - **उदाहरण: गुजरात के डांग लोगों** ने वनों के संरक्षण के लिये ब्रिटिशों के प्रवेश का विरोध किया। **हसदेव अरण्य में गोंड और उराँव** जनजातियाँ उन मूलनिवासी समुदायों में से हैं जो एक दशक से कोयला खनन का विरोध कर रहे हैं।
- **भारतीय इतिहास में प्रतिरोध और स्वशासन के प्रतीक:** जनजातीय समुदायों ने बाह्य शासन के विरुद्ध (चाहे वह औपनिवेशिक सत्ता हो या संसाधनों के शोषण की नीतियाँ) निरंतर प्रतिरोध किया है तथा स्वदेशी स्वशासन के मॉडल को सुदृढ़ रूप में प्रस्तुत किया है। उनका यह संघर्ष भारत की औपनिवेशिक-विरोधी चेतना तथा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का केंद्रीय आधार रहा है।
  - **उदाहरण: बिरसा मुंडा का** उलगुलान आंदोलन **ब्रिटिश भू-कानूनों को चुनौती** देने वाला था; **'जनजातीय गौरव दिवस'** इसी आत्मसम्मान की भावना का स्मरण है। भील, कोल तथा संथाल विद्रोहों सहित 80 से अधिक जनजातीय आंदोलनों ने औपनिवेशिक शासन को चुनौती दी।
- **आधुनिक उपभोक्तावाद के लिये नैतिक प्रतिपक्ष:** जनजातीय समाज सामूहिकता, अल्प-स्वामित्व और प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व जैसे मूल्यों पर आधारित हैं, जो दोहन-आधारित विकास के प्रतिमानों के विरुद्ध एक मज़बूत नैतिक विकल्प प्रस्तुत करते हैं। इनकी जीवनदृष्टि भारत के लिये वैकल्पिक आधुनिकताओं का पथ प्रशस्त करती है।
  - **उदाहरण:** अरुणाचल प्रदेश के गैलो समुदाय **प्रकृति की पूजा** करते हैं और पारिस्थितिकीय रूप से संधारणीय जीवन जीते हैं।
- **सामरिक सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय एकता के स्तंभ:** सुदूर और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियाँ भारत की क्षेत्रीय अखंडता व सांस्कृतिक एकता को मज़बूत करती हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति राष्ट्रीय संप्रभुता की पुष्टि करती है और स्थानीय स्तर पर राष्ट्र के साथ आत्मिक जुड़ाव को बढ़ावा देती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **उदाहरण: कोन्याक नगा जनजाति,** जो मुख्य रूप से भारत-म्याँमार सीमा के पास नगालैंड के मोन ज़िले में स्थित है, इस क्षेत्र की स्थिरता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- **स्थानीय ज्ञान-परंपराओं के संवाहक:** भारत की पारंपरिक औषधीय पद्धतियाँ, कृषि-तकनीकें, पारिस्थितिकीय समझ और लोककथाएँ जनजातीय ज्ञान से पोषित हुई हैं। ये परंपराएँ भारत की बौद्धिक विविधता को समृद्ध करती हैं तथा स्थानीय ज्ञान परंपराओं को आधार प्रदान करती हैं।
  - **उदाहरण:** ओडिशा के बोंडा जनजाति समुदाय आज भी पारंपरिक औषधियों और अनुष्ठानों से उपचार करते हैं; उनका ज्ञान भारत की जैवविविधता सूचीकरण में उपयोगी है।

- **सामुदायिक सामाजिक मॉडल के निर्माता:** जनजातियाँ सामूहिक भूमि स्वामित्व, जन परिषदों द्वारा निर्णय तथा विकेंद्रित नेतृत्व जैसे गुणों के कारण समतामूलक सामाजिक संरचनाओं की प्रतिनिधि हैं। ये भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा के स्वदेशी रूप का प्रतिबिंब हैं।
  - **उदाहरण:** मेघालय में खासी जनजातियाँ मातृवंशीय उत्तराधिकार और सामुदायिक सहमति का पालन करती हैं। **PESA अधिनियम (1996)** ने अनुसूचित क्षेत्रों में इस तरह के स्वदेशी शासन को संवैधानिक बना दिया।

- **बहुलवाद और सहिष्णुता के रक्षक:** जनजातीय विश्वदृष्टिकोण में आत्मवाद, प्रकृति-पूजा और बहुदेववाद सह-अस्तित्व में रहते हैं, जिससे भारत की सांस्कृतिक समन्वयशीलता को मज़बूती मिलती है। उनका समावेशी धार्मिक दृष्टिकोण भारत की धर्मनिरपेक्षता को आधार देता है।
  - **उदाहरण: रबारी जनजाति हिंदू आस्थाओं और आदिवासी आत्मवाद का समन्वित रूप अपनाती है।**

भारत में जनजातियों से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **भूमि वंचना और संसाधन विस्थापन:** जनजातियाँ बुनियादी अवसंरचना, खनन और संरक्षण परियोजनाओं के कारण अपनी पैतृक भूमि खो रही हैं और वह भी प्राय: बिना उचित पुनर्वास के। इस पीड़ा को जल, वन और भूमि के पुन: प्राप्त करने की उनकी सदियों पुरानी मांग से समझा जा सकता है।
  - **भूमि जनजातीय पहचान, संस्कृति और अस्तित्व के लिये केंद्रीय आधार है।** वन अधिकार अधिनियम (FRA) जैसे कानूनी सुरक्षा उपायों को कम लागू किया जाता है और प्राय: उन्हें कमज़ोर कर दिया जाता है। इस प्रकार का विस्थापन खाद्य असुरक्षा, आजीविका का ह्रास तथा सांस्कृतिक उखड़ाव उत्पन्न करता है।
  - नवंबर 2022 तक वन अधिकार अधिनियम (FRA) के अंतर्गत किये गये सभी दावों में से 38% से अधिक दावे अस्वीकार किये जा चुके हैं।

- **PESA अधिनियम का अल्प क्रियान्वयन और कमज़ोर स्थानीय शासन:** PESA अधिनियम (1996) के बावजूद, **अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के पास प्राकृतिक संसाधनों और सामाजिक न्याय पर वास्तविक शक्तियों का अभाव** है।
  - प्रशासनिक हस्तक्षेप और राज्य की अनिच्छा जनजातीय आत्मशासन को बाधित करती है। अधिकांश राज्यों ने समुदायों को सशक्त बनाए बिना कमज़ोर नियम पारित किये हैं। इसका परिणाम यह होता है कि विकास संबंधी निर्णय जनजातीय मूल्यों और आवश्यकताओं के साथ असंगतता दर्शाते हैं।
  - **केवल 10 PESA राज्यों ने नियमों को अधिसूचित** किया है, लेकिन वनों, भूमि और बाज़ारों पर सामुदायिक नियंत्रण नाममात्र का ही बना हुआ है।

- **शैक्षिक पिछड़ापन और सांस्कृतिक विछिन्नता:** मूल भाषा में शिक्षा के अभाव, सांस्कृतिक अलगाव और अप्रासंगिक पाठ्यक्रमों के कारण जनजातीय छात्रों के बीच ड्रॉपआउट की दर बहुत अधिक है।
  - जनजातीय क्षेत्रों के स्कूल प्राय: शिक्षकों की अनुपस्थिति और अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना से ग्रस्त रहते हैं।
    - जनजातीय ज्ञान-पद्धतियों की उपेक्षा की जाती है, जिससे अधिगम बाधित होता है।
  - एक तिहाई एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय अधूरे भवन निर्माण के कारण बंद पड़े हैं।
    - सरकारी आँकड़ों से पता चलता है कि एकलव्य स्कूल भी **5% PVTG कोटा से पीछे हैं तथा बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर बढ़ रही है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **स्वास्थ्य अभाव और प्रणालीगत अंतराल:** जनजातियों को भौगोलिक स्थिति, गरीबी और भेदभाव के कारण **अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल पहुँच, कुपोषण व उच्च शिशु मृत्यु दर का सामना** करना पड़ता है।
  - सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्राय: जनजातीय क्षेत्रों को अपवर्जित कर देते हैं या अनियमित होते हैं। पारंपरिक उपचार को कम महत्त्व दिया जाता है और राज्य स्वास्थ्य प्रणालियों के प्रति अविश्वास बना रहता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी वंचना पीढ़ी-दर-पीढ़ी बनी रहती है।
  - उदाहरणस्वरूप, गुजरात के धोडिया, डुबला, गामित और नायक जनजातियों में सिकल सेल रोग की व्यापकता पाई गई है।
  - समग्र राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण (सत्र 2016–2018) के अनुसार, भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 40% जनजातीय बच्चे वृद्धिरोधन (Stunting) से पीड़ित थे, हालाँकि हाल के वर्षों में इसमें कुछ सुधार देखा गया है।
- **आर्थिक हाशियाकरण और अनौपचारिक निर्भरता:** आदिवासी मुख्य रूप से लघु वनोपज और आकस्मिक श्रम पर निर्भर हैं, जिसमें बहुत कम मूल्य संवर्द्धन या वित्तीय लचीलापन है।
  - वे **संगठित बाज़ारों और औपचारिक वित्त से वंचित** रह जाते हैं। बिचौलियों द्वारा शोषण और मूल्य जागरूकता की कमी से आय की संभावना कम हो जाती है। कई जगहों पर उनका आर्थिक जीवन अभी भी वस्तु विनिमय जैसा है।
  - उदाहरण के लिये, झारखंड में वर्ष 2023 में किये गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि **46% से अधिक आदिवासी परिवार गरीबी रेखा से नीचे** हैं और **लगभग 50% युवा महिलाएँ और 42% युवा पुरुष** स्थानीय अवसरों की कमी के कारण काम की तलाश में पलायन करते हैं।
- **पहचान का क्षरण और सांस्कृतिक विखंडन:** मुख्यधारा के दबाव और सांस्कृतिक विखंडन के कारण जनजातीय भाषाएँ, विश्वास प्रणालियाँ और अनुष्ठान लुप्त हो रहे हैं।
  - बाध्यात्मक समेकन ने आदिवासी विशिष्टताओं को धुँधला कर दिया है। मिशनरी गतिविधि और धार्मिक ध्रुवीकरण ने भी समरूप समूहों को विभाजित कर दिया है। इस सांस्कृतिक अलगाव से गौरव, स्मृति और सामूहिकता का क्षरण होता है।
  - हमारे देश में लगभग 197 भाषाएँ संकटग्रस्त अवस्था में हैं, जो विश्व के किसी भी अन्य देश से अधिक है।
    - उदाहरण के लिये, **पूर्वी भारत की महली भाषा, अरुणाचल प्रदेश की कोरो, गुजरात की सिदी और असम की दिमासा भाषा लुप्त होने के कगार पर हैं।**
- **संघर्ष-क्षेत्र में उत्पीड़न और कानूनी अन्याय:** उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में, आदिवासियों को राज्य बलों और उग्रवादियों दोनों से मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ता है। आलोचकों का तर्क है कि उनमें से कुछ को गलत तरीके से माओवादी करार दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें कानूनी सहायता या पुनर्वास की बहुत कम सुविधा मिलती है।
  - तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने **नक्सल हिंसा** को '**देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती**' बताया था।
  - इस कारण अनेक आदिवासी समुदाय निगरानी और सैन्यीकरण की स्थिति में जीने को विवश हैं, जिससे ऐतिहासिक अलगाव और भी गहरा होता है तथा हिंसा का दुष्चक्र चलता रहता है।
    - उदाहरण के लिये **बस्तर (छत्तीसगढ़) में सैकड़ों आदिवासियों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत आरोप** लगाए गए हैं, जिनमें से अनेक को अब तक सुनवाई का अवसर भी नहीं मिला है।
- **जनजातीय उत्पादों का बाज़ार से अलगाव:** जनजातीय कारीगरों और उत्पादकों को बाज़ार तक पहुँच की सीमाएँ, ब्रांडिंग की कठिनाइयाँ एवं अनुचित मूल्य-निर्धारण जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध होने के बावजूद जनजातीय उत्पादों को प्राय: कम आँका जाता है या शोषणकारी माध्यमों से बेचा जाता है। सरकारी सहायता प्राय: विखंडित और सीमित स्तर पर ही प्रभावी होती है, जिससे वह व्यापक स्तर पर लागू नहीं हो पाती। परिणामस्वरूप, इन उत्पादों की आर्थिक सम्भावनाएँ अभी भी अप्रयुक्त बनी हुई हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि वन धन केंद्रों की कुल 3,958 इकाइयों के बावजूद, केवल 11.83 लाख जनजातीय लाभार्थियों तक ही इसका लाभ पहुँच सका है।

भारत में जनजातीय सशक्तीकरण को बढ़ाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **जनजातीय-केंद्रित शासन को क्रियान्वित करना:** अनुसूचित क्षेत्रों में **ग्राम सभाओं को स्थानीय संसाधनों पर वास्तविक प्रशासनिक, न्यायिक एवं वित्तीय नियंत्रण** प्रदान करके उन्हें और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है (जिसे हाल ही में पारित **वन संरक्षण संशोधन अधिनियम द्वारा कमज़ोर** कर दिया गया है)।
  - उर्ध्वगामी शासन सुनिश्चित करने के लिये जनजातीय संस्थाओं को **नियोजन, बजटीय आवंटन और विवाद समाधान शक्तियाँ हस्तांतरित** की जानी चाहिये।
  - **स्थानीय नेतृत्व के क्षमता निर्माण** के माध्यम से जनजातीय स्वायत्तता को संस्थागत बनाया जाना चाहिये। यह बदलाव **सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शासन को सक्षम कर सकता है और प्रशासनिक अलगाव को कम कर सकता है।** विकेंद्रीकरण के साथ सख्त अंकेक्षण व्यवस्था और सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना आवश्यक है, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगे और पारदर्शिता बनी रहे।
- **शिक्षा और प्रशासन में जनजातीय भाषाओं को संस्थागत बनाना: स्थानीय पाठ्यपुस्तकों, शिक्षक प्रशिक्षण और मातृभाषाओं में डिजिटल कंटेंट** के माध्यम से प्रारंभिक कक्षा की शिक्षा में जनजातीय भाषाओं को एकीकृत किया जाना चाहिये।
  - इससे सांस्कृतिक निरंतरता को बढ़ावा मिलता है और अधिगम के परिणाम बेहतर होते हैं। **जनजातीय क्षेत्रों में सरकारी संचार और सार्वजनिक सेवाओं में जनजातीय लिपियाँ व बोलियाँ शामिल होनी चाहिये।**
    - भाषा समावेशन को एक संवैधानिक अधिकार के रूप में माना जाना चाहिये, न कि केवल एक सांस्कृतिक पूरक के रूप में।
- **जनजातीय सांस्कृतिक और बौद्धिक संपदा अधिकार कार्यढाँचा स्थापित करना:** जनजातीय ज्ञान-पद्धतियों, कला रूपों, बीजों और चिकित्सा पद्धतियों को व्यावसायिक शोषण से बचाने के लिये कानूनी तंत्र बनाए जाने चाहिये।
  - जनजातीय समुदायों को उनकी **बौद्धिक और सांस्कृतिक संपत्ति पर सामूहिक अधिकार धारक के रूप में मान्यता** दी जानी चाहिये। इससे सांस्कृतिक वस्तुकरण से सपर्द्धा करने में सहायता मिलती है और बाज़ार में उपयोग से लाभ-साझाकरण सुनिश्चित होता है।
  - पंजीकरण, **कानूनी सहायता और प्रवर्तन के लिये एक स्वायत्त जनजातीय विरासत प्राधिकरण का गठन** किया जाना चाहिये। पहचान आधारित सशक्तीकरण के लिये अमूर्त विरासत का कानूनी संरक्षण महत्त्वपूर्ण है।
- **जनजातीय-विशिष्ट उद्यमिता और मूल्य श्रृंखला मॉडल तैयार करना:** अनुकूलित कौशल, विकेंद्रीकृत इनक्यूबेशन केंद्रों और जनजातीय सहकारी समितियों के माध्यम से वन-आधारित एवं शिल्प-आधारित सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - **जनजातीय-केंद्रित मूल्य श्रृंखलाएँ** स्थापित की जानी चाहिये जो पारंपरिक प्रथाओं का सम्मान करते हुए उचित मूल्य और बाज़ार पहुँच सुनिश्चित करें।
  - **ब्रांडिंग, डिज़ाइन समर्थन और ई-कॉमर्स सुविधा** को मॉडल में शामिल किया जाना चाहिये।
    - आदिवासी युवाओं को उनकी पारिस्थितिकी वास्तविकताओं के अनुरूप धारणीय उद्यमिता में प्रशिक्षित किया जाना चाहिये। सरकार को '**आदिवासी उद्यम क्षेत्रों**' को गरिमापूर्ण आर्थिक परिक्षेत्रों के रूप में बढ़ावा देना चाहिये।
- **स्वदेशी और समुदाय-नेतृत्व वाले दृष्टिकोणों के साथ स्वास्थ्य प्रणालियों को पुनः दिशा प्रदान करना:** प्रशिक्षण और प्रमाणन के माध्यम से आदिवासी चिकित्सकों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत करके पारंपरिक एवं आधुनिक चिकित्सा के बीच सेतु का निर्माण किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **जनजातीय लैंगिक मानदंडों और सांस्कृतिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए स्थानीय लोगों द्वारा संचालित मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयाँ** स्थापित की जानी चाहिये।
- स्वास्थ्य प्रणालियों में आदिवासी आहार, मौसमी चक्र और प्राकृतिक उपचार परंपराओं को शामिल किया जाना चाहिये।
- **सामुदायिक स्वास्थ्य समितियों को स्थानीय वितरण की निगरानी** करनी चाहिये और विश्वास-आधारित देखभाल सुनिश्चित करनी चाहिये। जनजातीय स्वास्थ्य को उसके सामाजिक-सांस्कृतिक मैट्रिक्स से अलग नहीं किया जा सकता।

- **विउपनिवेशित पाठ्यक्रम के साथ एक स्वदेशी शिक्षा नीति तैयार करना:** जनजातीय-विशिष्ट पाठ्यक्रम विकसित किया जाना चाहिये जिसमें स्वदेशी **इतिहास, पारिस्थितिकी, लोककथा और शासन प्रणाली** को शामिल किया गया हो।
  - शिक्षण पद्धति को सामुदायिक संदर्भों के लिये उपयुक्त अनुभवात्मक और मौखिक तरीकों की ओर ले जाना चाहिये। जनजातीय विद्वानों को पाठ्यपुस्तकों के डिज़ाइन और समीक्षा में शामिल किया जाना चाहिये।
  - **बच्चों को सांस्कृतिक परिवेश से दूर रखने के लिये आवासीय स्कूली शिक्षा मॉडल में सुधार** किया जाना चाहिये। शिक्षा को सशक्तीकरण का साधन बनना चाहिये, न कि आत्मसात करने का।

- **जलवायु-अनुकूल जनजातीय आजीविका मॉडल को संस्थागत बनाना:** पुनर्योजी कृषि, समुदाय-आधारित वनरोपण तथा जनजातीय पारिस्थितिकी ज्ञान पर आधारित पारंपरिक जल संचयन प्रथाओं में निवेश किया जाना चाहिये।
  - **सामुदायिक वन अधिकारों के माध्यम से कार्बन क्रेडिट बाज़ारों** तक पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिये। जनजातीय समूहों के स्वामित्व और रखरखाव वाले विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा मॉडल को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - **जनजातीय लोगों की आजीविका को संवेदनशील निर्वाह से पारिस्थितिक अनुकूलन की ओर स्थानांतरित** किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन योजनाओं में उन्हें जलवायु संरक्षक के रूप में मान्यता दी जानी चाहिये।

- **जनजातीय क्षेत्रों में सहभागी डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करना:** दृश्य-श्रव्य, बहुभाषी सामग्री का उपयोग करके सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से डिजिटल विभाजन को समाप्त किया जाना चाहिये।
  - टेलीमेडिसिन, ई-लर्निंग और ई-कॉमर्स जैसी सेवाएँ प्रदान करने वाले जनजातीय-संचालित डिजिटल संसाधन केंद्र स्थापित किये जाने चाहिये।
  - डिजिटल बुनियादी अवसंरचना को **'संस्कृति के लिये तकनीक' सिद्धांत का पालन करना चाहिये, न कि 'संस्कृति पर तकनीक'।** जनजातीय डिजिटल अधिकारों को भारत के डिजिटल शासन कार्यढाँचे में एकीकृत किया जाना चाहिये।

- **जनजातीय सामाजिक उत्तरदायित्व तंत्र के माध्यम से निगरानी का विकेंद्रीकरण:** स्वायत्त जनजातीय लेखा परीक्षा समूह बनाए जाने चाहिये जो **सामाजिक लेखा परीक्षा, शिकायत मानचित्रण और भीड़-स्रोत फीडबैक जैसे भागीदारी उपकरणों का उपयोग करके कल्याणकारी योजनाओं के स्थानीय कार्यान्वयन का आकलन करें।**
  - योजनाओं के सफलता संकेतकों को परिभाषित करने में जनजातीय ज्ञान प्रणालियों को शामिल किया जाना चाहिये। डेटा प्रणालियों को जनजाति-विशिष्ट संदर्भों में परिणामों को अलग-अलग करना चाहिये।
  - निगरानी को **अधोगामी अनुपालन से लेकर उर्ध्वगामी अनुपालन तक स्वामित्व में स्थानांतरित** किया जाना चाहिये। सार्वजनिक वित्त को प्रदर्शन-आधारित, समुदाय-प्रमाणित फीडबैक से जोड़ा जाना चाहिये।

- **जनजातीय विश्वदृष्टि के साथ विकास संकेतकों को पुनः परिभाषित करना:** परंपरागत विकास संकेतक प्रायः आर्थिक वृद्धि और उत्पादकता से जुड़े होते हैं, जो आदिवासी समाजों की जीवन-दृष्टि और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की अनदेखी करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि विकास की अवधारणा को आदिवासी जीवन-मूल्यों के अनुरूप पुनर्परिभाषित किया जाये। इसके अंतर्गत वन तक पहुँच, अनुष्ठानिक स्वतंत्रता, खाद्य स्वायत्तता तथा पारिस्थितिक संतुलन जैसे संकेतकों को शामिल किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **अनुसूचित क्षेत्रों में SDG स्थानीयकरण** में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिये। विकास मॉडल में सांस्कृतिक संपदा और पारिस्थितिक संतुलन को ध्यान में रखना चाहिये।
- कल्याण के वैकल्पिक उपायों का अभिनिर्धारण करना संदर्भगत प्रासंगिकता सुनिश्चित करता है। सम्मानजनक नीति-निर्माण के लिये यह ज्ञान-मीमांसीय बदलाव आवश्यक है।

भारत में जनजातीय कल्याण के लिये ज़ाक्सा समिति की सिफारिशें (Xaxa Committee Recommendations):

- **वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के कार्यान्वयन** को सुदृढ़ किया जाना चाहिये और विकास परियोजनाओं के कारण होने वाले विस्थापन से सुरक्षा की जानी चाहिये। भूमि अधिग्रहण के लिये आदिवासी समुदायों की पूर्व सूचित सहमति सुनिश्चित की जानी चाहिये।
- **प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा** को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, अधिक संख्या में जनजातीय शिक्षकों की भर्ती की जानी चाहिये तथा बेहतर बुनियादी अवसंरचना और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील विषय-वस्तु के साथ बस्तियों के निकट आवासीय विद्यालय स्थापित किये जाने चाहिये।
- मोबाइल क्लीनिकों, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं और पारंपरिक जनजातीय चिकित्सा पद्धतियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ एकीकृत करके जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- **वन उपज बाज़ारों तक पहुँच में सुधार,** कृषि वानिकी को बढ़ावा देने तथा जनजातीय आवश्यकताओं के अनुरूप ऋण और कौशल विकास योजनाओं का विस्तार करके जनजातीय आजीविका का समर्थन किया जाना चाहिये।
- योजनाओं की निगरानी करने, पृथक् आँकड़े एकत्र करने तथा सुधार की सिफारिश करने के लिये जनजातीय विकास पर एक समर्पित राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जानी चाहिये।

जनजातीय कल्याण पर अन्य प्रमुख समितियाँ:

- **एल्विन समिति (वर्ष 1959):** जनजातीय विकास खंडों का मूल्यांकन किया गया और सांस्कृतिक संरक्षण की मांग की गई।
- **ढेबर आयोग (वर्ष 1960):** इसने जनजातीय क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण के मुद्दे को स्वीकार किया, जहाँ जनजातीय आबादी विकास परियोजनाओं के लिये सरकारी अधिग्रहण सहित विभिन्न कारकों के कारण अपनी पैतृक भूमि खो रही थी।
  - इसमें **संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत** किसी क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' के रूप में नामित करने के लिये विशिष्ट मानदंड भी रेखांकित किये गए।
- **लोकुर समिति (वर्ष 1965):** बेहतर समावेशिता के लिये अनुसूचित जनजातियों का अभिनिर्धारण करने हेतु पाँच मानदंड प्रस्तावित किये गये।
  - इन मानदंडों में **आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े समुदाय के साथ संपर्क में संकोच** और **पिछड़ापन** शामिल हैं।
- **भूरिया समिति (वर्ष 1991):** लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई, जिसके परिणामस्वरूप PESA अधिनियम बना।
- **मुंगेकर समिति (वर्ष 2005):** जनजातीय क्षेत्रों में शासन संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **बंदोपाध्याय समिति (वर्ष 2006):** वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में विकास पर ध्यान दिया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025
SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

निष्कर्ष:

"हमारी प्रगति की कसौटी यह नहीं है कि हम उन लोगों की समृद्धि में और कितनी वृद्धि करते हैं जिनके पास पहले से बहुत कुछ है, बल्कि यह है कि हम उन लोगों के लिये पर्याप्त व्यवस्था कर पाते हैं या नहीं जिनके पास बहुत कम है !" — फ्रैंकलिन डी. रूज़वेल्ट का यह कथन भारत की जनजातीय समुदायों की पृष्ठभूमि में अत्यंत प्रासंगिक है। ये समुदाय कोई हाशिये पर खड़े समूह नहीं हैं जिन्हें मुख्यधारा में लाने के लिये केवल आत्मसात करने की नीति अपनायी जाये, बल्कि ये तो राष्ट्र की सांस्कृतिक, पारिस्थितिक और नैतिक आधारशिला के मुख्य वास्तुकार हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025
SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

अभ्यास प्रश्न

1. "भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली तेज़ी से डिजिटलीकरण और निजी क्षेत्र के विस्तार का साक्ष्य बन रही है, फिर भी लाखों लोगों के लिये समान पहुँच एवं वित्तीय सुरक्षा अभी भी दूर है।" विवेचना कीजिये।
2. भारत की क्रिटिकल मिनरल आपूर्ति शृंखला के समरूप विवरण का विश्लेषण कीजिये और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये व्यापक उपाय सुझाइये।
3. भारत के विनिर्माण क्षेत्र के प्रमुख चालकों एवं चुनौतियों की जाँच किजिये। इसकी उत्पादकता और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के उपाय सुझाइये
4. भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। इन चुनौतियों का समाधान करने और संवहनीयता को बढ़ावा देने के लिये भारत एक चक्रीय अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से किस प्रकार लागू कर सकता है?
5. जैवविविधता न केवल एक प्राकृतिक विरासत है, बल्कि सतत् विकास के लिये एक आर्थिक परिसंपत्ति भी है। भारत के आर्थिक विकास और समुत्थानशीलता में जैवविविधता की भूमिका की जाँच कीजिये, साथ ही इसके संरक्षण के लिये उभरते खतरों पर प्रकाश डालिये।
6. भारत में माध्यमिक शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान न देने के कारण कौशल और रोज़गार के बीच एक गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हो गई है।
7. न्यायिक उत्तरदायित्व लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला है, लेकिन इसे न्यायिक स्वतंत्रता के साथ संतुलित किया जाना चाहिये। भारत में न्यायिक उत्तरदायित्व के लिये मौजूदा तंत्र का परीक्षण कीजिये। अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह न्यायपालिका सुनिश्चित करने के लिये किन सुधारों की आवश्यकता है?
8. पर्याप्त सार्वजनिक निवेश और विभिन्न योजनाओं के बावजूद, भारतीय कृषि को संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। चर्चा कीजिये।
9. भारत का फार्मास्युटिकल क्षेत्र किफायती दवाओं की आपूर्ति में वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरा है, फिर भी दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने में इसे संरचनात्मक और रणनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है
10. समावेशी विकास सतत् और न्यायसंगत विकास को प्राप्त करने के लिये केंद्रीय है। भारत में समावेशी विकास के प्रमुख तत्त्वों, इसके कार्यान्वयन में बाधा डालने वाली चुनौतियों और समाज के सभी वर्गों के लिये समावेशी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में आवश्यक उपायों का विश्लेषण कीजिये।
11. भारत की आर्थिक वृद्धि और रोज़गार सृजन को गति देने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) की भूमिका पर चर्चा कीजिये। MSME के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं तथा इन चुनौतियों का समाधान करने और क्षेत्र में सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिये सरकार की नीतियों को किस प्रकार बेहतर बनाया जा सकता है?
12. भारत में चुनाव सुधारों की आवश्यकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। आपकी राय में लोकतांत्रिक जवाबदेही को मज़बूत करने के लिये कौन-से सुधार आवश्यक हैं?

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025
SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

13. भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में प्रमुख प्रेरक कारक तथा टकराव के क्षेत्रों का परीक्षण कीजिये। वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत यूरोपीय संघ के साथ अपनी साझेदारी को किस प्रकार सशक्तीकरण कर सकता है?
14. "पश्चिम एशिया में संघर्ष के प्रमुख कारक और भारत के रणनीतिक, आर्थिक एवं ऊर्जा सुरक्षा हितों पर उनके प्रभाव का विश्लेषण कीजिये।"
15. भारत एक वैश्विक स्वच्छ-तकनीक विनिर्माण शक्ति के रूप में उभरने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है, जिसका ध्यान राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन जैसी पहलों के माध्यम से हरित प्रौद्योगिकी पर है। भारत के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में स्वच्छ-तकनीक की संभावित भूमिका की विवेचना कीजिये।
16. भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक समानता प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी वास्तविक समानता को साकार करने में अभी भी काफी चुनौतियाँ हैं। लैंगिक समानता की दिशा में भारत द्वारा की गई प्रमुख प्रगति और उन्नति में अभी भी बाधा बन रही बाधाओं का परीक्षण कीजिये।
17. देश के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) की क्षमता का परीक्षण कीजिये। इसकी अभिकल्पना और कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये, तथा इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के उपायों का सुझाव दीजिये।
18. भारत में पर्यावरण शासन के मौजूदा तंत्रों और प्रमुख पर्यावरणीय खतरों से निपटने में उनकी प्रभावशीलता का परीक्षण कीजिये। सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिये इन तंत्रों को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है?
19. भारत में आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन के बीच असंतुलन उत्पन्न करने वाले अंतर्निहित कारक क्या हैं तथा इस चुनौती से निपटने के लिये क्या उपाय लागू किये जा सकते हैं?
20. भारत के अंतरिक्ष उद्योग के विस्तार में निजी क्षेत्र की भूमिका की जाँच कीजिये। निजी भागीदारी बढ़ाने से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कीजिये तथा इस क्षेत्र में प्रभावी सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के उपाय सुझाएँ।
21. जबकि वित्तीय संसाधनों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है, भारत की शिक्षा प्रणाली में परिणामों में सुधार लाने के लिये दीर्घकालिक स्थिरता और मूलभूत शैक्षिक सिद्धांतों का पालन कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। इस कथन की पृष्ठभूमि में वर्तमान शैक्षिक सुधारों की प्रभावशीलता का समालोचनात्मक विश्लेषण और निरंतर बनी चुनौतियों के समाधान के उपाय सुझाएँ।
22. अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रगति और पृथ्वी पर व्यावहारिक नवाचारों के लिये एक्सिओम मिशन 4 प्रयोगों के प्रमुख अनुप्रयोग और लाभ क्या हैं?
23. "अनेक नीतिगत हस्तक्षेपों के बावजूद, भारत में जनजातीय सशक्तीकरण मान्यता, प्रतिनिधित्व और स्वायत्तता में संरचनात्मक अंतराल के कारण बाधित है।" विवेचना कीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME